

Ref. No.: ISC/68/2024-25

Date: 23.05.2024

The Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400 051. NSE Symbol : INDIANB	The Vice President BSE Limited Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street Mumbai - 400 001. Scrip Code: 532814
--	---

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Annual Report of the Bank for FY 2023-24

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of Annual Report of the Bank for FY 2023-24.

Copy of Annual Report of the Bank is also available on Bank's website at

<https://www.indianbank.in/wp-content/uploads/2024/05/2023-24.pdf>

This is for your information, record and dissemination please.

Yours faithfully,

For Indian Bank

AGM & Company Secretary

Encl: A/a



इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

ALLAHABAD



आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

वार्षिक | Annual
रिपोर्ट | Report
2023 - 24



Highlights of Stability!
***Another year of
Consistent Growth!***





“ग्राहक केंद्रित सेवाओं, कर्मचारियों की सहभागिता व सतत विकास के माध्यम से उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।”

“Delivering excellence in financial services through customer focus, employee engagement and sustainable growth”




विजन / Vision:



- हमारी सेवाओं में सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना
- सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों का उचित ध्यान रखना
- कर्मचारियों को सशक्त एवं भागीदार बनाना
- Bring the best of innovation and technology in our offerings
- Be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice
- To provide value to stake holders
- Empower and engage our employees

मिशन / Mission:





निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री एस एल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri S L Jain
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक
Shri Mahesh Kumar Bajaj
Executive Director



श्री आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashutosh Choudhury
Executive Director



श्री शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Shiv Bajrang Singh
Executive Director



श्री ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Brajesh Kumar Singh
Executive Director



डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(13.05.2024 तक)
Dr. Maruthi Prasad Tangirala
Government Nominee Director
(upto 13.05.2024)



डॉ. आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(13.05.2024 से)
Dr. Alok Pande
Government Nominee Director
(w.e.f. 13.05.2024)



श्रीमती के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
Smt K Nikhila
RBI Nominee Director



सुश्री पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक
Ms. Papia Sengupta
Shareholder Director



श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pradeep Kumar Malhotra
Shareholder Director



श्री बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Balmukund Sahay
Part-time Non-Official Director



श्री विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Vishvesh Kumar Goel
Part-time Non-Official Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी
CHIEF VIGILANCE OFFICER



श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव
Shri. Vishesh Kumar Srivastava

मुख्य महाप्रबंधक – यथास्थिति 31.03.2024
CHIEF GENERAL MANAGERS as on 31.03.2024



श्री विकास कुमार
Shri Vikas Kumar



श्री सतीश कुमार
Shri Satish Kumar



श्री सुधाकर राव के एस
Shri Sudhakara Rao K S



श्री बिनय कुमार सिंह
Shri Binoy Kumar Singh



श्री सुजीत कुमार डे
Shri Sujit Kumar Dey



सुश्री माया नागराजन वी
Ms. Maya Nagarajan V



श्री दीपक सारड़ा
Shri Deepak Sarada



सुश्री वैलरी रथ
Ms. Vallery Rath



श्री गणेशरामन ए
Shri Ganesaraman A



श्री सुजय मल्लिक
Shri Sujay Mallik

महाप्रबंधक – यथास्थिति 31.03.2024
GENERAL MANAGERS as on 31.03.2024



श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur



श्री बिजय कुमार षड़ंगी
Shri Bijay Kumar Sarangi



श्री अशोक पटनायक
Shri Ashok Patnaik



श्री सुधीर कुमार गुप्ता
Shri Sudhir Kumar Gupta



श्री सुरेश कुमार एस
Shri Suresh Kumar S



श्री सुख सागर प्रसाद रॉय
Shri Sukh Sagar Prasad Roy



श्री जी राजेश्वर रेड्डी
Shri Ganda Rajeswara Reddy



सुश्री गायत्री एस
Ms. Gayathri S



श्री मनोज कुमार दास
Shri Manoj Kumar Das



श्री पंकज त्रिपाठी
Pankaj Tripathi



श्री एम बालाजी सुरेश कुमार
Shri Mullaapudi Balaji Suresh Kumar



श्री वेंकटेशन एम
Shri Venkatesan M



श्री दीपक गुप्ता
Shri Deepak Gupta



श्री नरेंद्र कुमार शर्मा
Shri Narendra Kumar Sharma



श्री सुब्रमणियन पी
Shri Subramanian P



श्री हिमांशु कंसल
Shri Himanshu Kansal



श्री राजेश कुमार सिंह
Shri Rajesh Kumar Singh



श्री चंद्रशेखरन वी
Shri Chandrasekaran V



श्री महेंद्र बाजपेयी
Shri Mahendra Bajpai



श्री अमित चौधरी
Shri Amit Chaudhari

महाप्रबंधक – यथास्थिति 31.03.2024
GENERAL MANAGERS as on 31.03.2024



श्री सुनील जैन
Shri Sunil Jain



श्री रामकुमार दास
Shri Ram Kumar Das



श्री वी वी रमणा राव
Shri Vissa Venkata
Ramana Rao



श्री राकेश सहगल
Shri Rakesh Sehgal



श्री संदीप कुमार घोषाल
Shri Sandeep
Kumar Ghosal



श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव
Shri Navin Kumar
Shrivastava



सुश्री अरुणा एम
Ms. Aruna M



श्री अजय अग्रवाल
Shri Ajay Agarwal



श्री अरविंद मिश्र
Shri Arvind Misra



श्री विनोद कुमार दीक्षित
Shri Vinod Kumar Dixit



सुश्री बोचला सुधा रानी
Ms. Bochala Sudha Rani



श्री सेंदिल कुमार एस
Shri Senthil Kumar S



श्री राजशेखर के बी
Shri Rajasekhar K B



श्री शशांक जैन
Shri Shashank Jain



श्री पलनिअप्पन एस
Shri Palaniappan S



श्री विनीत बाजपेयी
Shri Vineet Bajpai



श्री बिनय भूषण दीक्षित
Shri Binaya Bhusan
Dikshit

बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का संक्षिप्त इतिहास A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

वी. कृष्णस्वामी अय्यर
 इंडियन बैंक के संस्थापक



V. Krishnaswamy Iyer
 Founder of Indian Bank

<ul style="list-style-type: none"> बैंक को 5 मार्च, 1907 को 20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित किया गया और 15 अगस्त, 1907 को बैंक ने अपना व्यवसाय शुरू किया। वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड ने अपने प्रतीक के हिस्से के रूप में 'बरगद' वृक्ष को अपनाया था जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि का द्योतक था। 	<p>1907</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907. In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree 'Banyan' as a part of its emblem denoting an all around progress, growth (far and wide) and an ever increasing prosperity.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक की पूंजी ₹20 लाख से बढ़कर ₹60 लाख हो गई। 	<p>1921</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹20 lakhs.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने रजत जयंती मनाई। बैंक ने कोलंबो में पहली विदेशी शाखा खोली। 	<p>1932</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank celebrated its Silver Jubilee. Bank opened its first overseas operations in Colombo.
<ul style="list-style-type: none"> सिंगापुर शाखा खोली गई। 	<p>1941</p>	<ul style="list-style-type: none"> Singapore branch was opened.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने स्वर्ण जयंती मनाई। 	<p>1957</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank celebrated its Golden Jubilee.

<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने हीरक जयंती मनाई। 	1967	<ul style="list-style-type: none"> Bank celebrated its Diamond Jubilee.
<ul style="list-style-type: none"> एक केंद्रीय बिंदु बनाते हुए तीन चक्करदार तीर के रूप में बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली। 	1978	<ul style="list-style-type: none"> Bank's logo comprising of three circling arrows arranged around a central point was approved.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने प्लेटिनम जुबली मनाई। 	1982	<ul style="list-style-type: none"> Bank celebrated its Platinum Jubilee
<ul style="list-style-type: none"> 157 शाखाओं वाले बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) को बैंक के साथ समामेलित किया गया। 	1990	<ul style="list-style-type: none"> Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank.
<ul style="list-style-type: none"> महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा 4 सितंबर को शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया। 	2006	<ul style="list-style-type: none"> The centenary year celebration was inaugurated by His Excellency the President of India Shri A P J Ab dul Kalam on 4th September.
<ul style="list-style-type: none"> फरवरी, 2007 में बैंक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया। 	2007	<ul style="list-style-type: none"> Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007.
<ul style="list-style-type: none"> 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) का अनुपालन किया गया। 	2008	<ul style="list-style-type: none"> Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant.
<ul style="list-style-type: none"> इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक के सफल समामेलन के बाद 1 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु ग्राम बैंक का परिचालन शुरू हुआ। भारत सरकार ने इंडियन बैंक में 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक के समामेलन की घोषणा की। 	2019	<ul style="list-style-type: none"> 'Tamil Nadu Grama Bank' commenced operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank. Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank - a bank with 155 years legacy into Indian Bank.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 को समामेलित इकाई के रूप में परिचालन शुरू किया। दोनों बैंकों के सीबीएस सिस्टम का एकीकरण 14.02.2021 को पूरा किया गया। 	2020	<ul style="list-style-type: none"> Bank commenced its operation as an amalgamated entity from 1st April 2020. The integration of CBS systems of both the Banks was completed on 14.02.2021.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक का वैश्विक कारोबार ₹10 लाख करोड़ हुआ। 	2022	<ul style="list-style-type: none"> Bank's Global Business surpassed ₹ 10 lakh Cr.
<ul style="list-style-type: none"> बैंक का वैश्विक कारोबार ₹12 लाख करोड़ तक पहुंचा। 	2024	<ul style="list-style-type: none"> Global Business surpassed ₹12 lakh Crore



वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	9
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	12
कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	29
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	30
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	61
सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र	62
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	63
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	68
• मुख्य लेखांकन नीतियां	79
• लेखों पर टिप्पणियां	84
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	130
समेकित वित्तीय विवरण:	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	138
• मुख्य लेखांकन नीतियां	149
• लेखों पर टिप्पणियां	158
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	180
बेसल III प्रकटीकरण	186

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
254-260 अठ्ठवें षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014

दूरभाष सं.: 044 2813 4698 ; फैक्स सं.: 044 28134075
ई-मेल: investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
यूनिट: इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002

दूरभाष सं.: 044 28460718 ; फैक्स सं.: 044 28460129
ई-मेल: investor@cameoindia.com

लेखापरीक्षक

एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

केलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार

एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार

जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक
वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

Annual Report 2023-24

CONTENTS

	Page No.
MD & CEO's Message	01
Directors' Report	187
Management Discussion and Analysis	190
Business Responsibility & Sustainability Report	209
Report on Corporate Governance	210
Auditors' Certificate on Corporate Governance	246
Compliance Certificate by CEO and CFO	247
Secretarial Audit Report	248
Financial Statements – Indian Bank	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	254
• Significant Accounting Policies	264
• Notes on Accounts	272
• Auditors' Report	324
Consolidated Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	334
• Significant Accounting Policies	344
• Notes on Accounts	355
• Auditors' Report	378
Basel – III Disclosures	385

Indian Bank
Investor Services Cell
No. 254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai – 600 014
Tel No. 044 2813 4698; Fax No. 044 28134075
E-Mail: investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai – 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E-Mail: investor@cameoindia.com

Auditors

S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants

KAILASH CHAND JAIN & CO.
Chartered Accountants

S SINGHAL & CO.
Chartered Accountants

G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

V. SURESH ASSOCIATES
Practising Company Secretaries



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2023-24
निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31.03.20*	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24
कुल कारोबार Total Business	466116	928388	1009243	1094752	1221773
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	260226	538071	593618	621166	688000
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	205890	390317	415625	473586	533773
निवेश (सकल) Investments (Gross)	82622	181991	180235	189924	216872
ब्याज आय Interest Income	21405	39106	38856	44942	55615
गैर ब्याज आय Non Interest Income	3312	5650**	6915	7143	7867
कुल आय Total Income	24717	44756**	45771	52085	63482
ब्याज व्यय Interest Expenses	13798	23440	22128	24717	32341
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	4421	10349	10926	12098	14301
कुल व्यय Total Expenditure	18219	33789	33054	36815	46642
परिचालनगत लाभ Operating Profit	6498	10967**	12717	15271	16840
निवल लाभ Net Profit	753	3005	3945	5282	8063
जमा लागत (%) Cost of Deposits (%)	5.34	4.44	3.97	4.09	4.88
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	8.46	7.45	7.21	7.76	8.72
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	2.87	2.81	2.93	3.37	3.47
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.26	0.50	0.63	0.77	1.07
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	609	1129	1245	1245	1347
रिजर्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिजर्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	18493	31528	36252	40620	51066
निवल संपत्ति Net Worth	18357	29812	33625	37431	47491
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	6.87	9.85	8.47	5.95	3.95
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	3.13	3.37	2.27	0.90	0.43
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) Capital Adequacy Ratio (Basel III)	14.12	15.71	16.53	16.49	16.44
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	14.33	26.61	32.38	42.41	63.23
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	301.53	263.98	269.98	300.55	352.58
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	--	2.00	6.50	8.60	12.00
शाखाओं की संख्या No. of branches (Nos.)	2890	6007	5735	5787#	5851
कर्मचारियों की संख्या No. of employees (Nos.)	18758	41629	39803	40781	40251
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	2462	2217	2520	2661	2985

*आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन इंडियन बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः इनकी तुलना समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ न की जाए।


*Figures are related to standalone Indian Bank financial results for pre- amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results.

**आरबीआई के मास्टर निदेश (Direction) – वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण दिनांकित 30.08.2021 के आलोक में, जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

** Figures of earlier period have been regrouped wherever necessary to confirm the current year classification - In the light of RBI Master Direction on Financial Statements – Presentation and Disclosures dated 30.08.21.

#इसमें 04 ओवरसीज शाखाएँ (3+01 आईबीयू) शामिल नहीं हैं।

#Excluding 04 Overseas Branches (03 +01 IBU).





एस एल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

S L Jain
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल, प्रबंधन टीम और बैंक के साथियों की ओर से, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष के दौरान बैंक के प्रदर्शन तथा बैंक द्वारा की गई पहलों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि के बावजूद, बैंक ने अपना विकास पथ जारी रखा है।

भू-राजनीतिक जोखिमों में बढ़ोत्तरी के कारण धीमी पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के मध्य भी, घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ बैंक के कारोबार में सुधार हुआ है। इससे पहले कि मैं बैंक के प्रदर्शन की प्रमुख बातों को आपके समक्ष रखूँ, आइए वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्यों पर एक नजर डालते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था:

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम हुई है, परन्तु अब भी लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। केन्द्रीय बैंकों की ब्याज दरों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद भी, कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास और बेहतर आर्थिक गतिविधियां देखने को मिली है, मुद्रास्फीति में मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी लचीली बनी हुई है। हालांकि, वैश्विक असमानताओं और भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रगति की गति कम होने की संभावना है।

आईएमएफ का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, 2023 की गति के अनुसार ही, वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान 3.2% की दर से

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, the Management team and the Bank's teammates, I am pleased to place before you the Annual Report of the Bank for the Financial Year 2023-24 and share Bank's performance and initiatives during the year. Despite a rise in global uncertainties, the Bank continued its growth trajectory.

Bank's business improved in conjunction with the growth in domestic economy, but amidst a slowing global economy due to rising geo-political risks. Before I proceed towards the highlights of the Bank's performance, let us take a look at the global and domestic economic scenario.

Global Economy:

Inflation in most economies receded, but remained above target. Despite significant Central Bank interest rate hikes, the global economy remained resilient following moderation in inflation, steady growth and improved economic activity in some economies. However, the pace of progress is likely to be low due to headwinds from global disparities and geo-political tensions.

The IMF projected that the global economy will continue to grow at 3.2% during 2024 and 2025, at the

वृद्धि करेगी। इसका कारण, विभिन्न देशों के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग परिणाम हैं – कुछ उन्नत देशों में तेज वृद्धि की भरपाई कई उभरती और विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मध्यम मंदी से हो जायेगी।

यद्यपि, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बची हुई है, विकट वित्तीय परिस्थितियां, विकट प्राकृतिक आपदाएं और रूस-यूक्रेन युद्ध तथा मध्य-पूर्व में उभरते संघर्ष जैसे अन्य कारकों ने वैश्विक व्यापार और औद्योगिक उत्पादन के लिए जोखिम पैदा कर दिये हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था:

घरेलू मांग और मजबूत निवेश संबंधित गतिविधियों के कारण, वित्तीय वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि उम्मीदों से अधिक बढ़ी है। यह असमान विकास, वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक बदलावों और अनिश्चितताओं के बीच हुआ है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितताएं लगातार चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 24 में एमपीसी की समीक्षा बैठक के दौरान, मुद्रास्फीति के उत्तरोत्तर लक्ष्य को सुनिश्चित करने एवं विकास का समर्थन करते हुए लगातार सातवीं बार ब्याज दरों पर अपना रुख दृढ़ रखा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 के दौरान 5.36% वर्ष-दर-वर्ष जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य बैंड (+/-)2% सहित 4% के भीतर है। खनन एवं उत्खनन और विनिर्माण उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2024 के दौरान देश का आईआईपी संचयी रूप से विगत वर्ष के 5.26% के सापेक्ष 5.86% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान देश के कोर क्षेत्र की वृद्धि 7.51% रही।

जैसा कहा गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में कुछ कारक विकास का समर्थन करना जारी रखेंगे, अपेक्षित सामान्य मानसून कृषि संबंधित गतिविधि के वृद्धि में मदद करेगा, निरंतर अवस्फीति से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में सुधार होगा, ग्रामीण गतिविधि में तेजी आएगी और स्थिर शहरी मांग से निजी खपत में वृद्धि होगी। व्यापारिक साझेदारों में असमान आर्थिक वृद्धि और भू-राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि देश के निर्यात पर दबाव बन सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी 7% और सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति 4.5% की दर से बढ़ेगी।

बैंकिंग क्षेत्र

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता एक कठिन परीक्षण से गुजर रही है। हालाँकि, उच्च आय, मजबूत पूंजी आधार और दबावग्रस्त आस्तियों के निम्न स्तर के कारण भारतीय वित्तीय प्रणाली का स्वास्थ्य बेहतर है।

same pace as that in 2023. Reason being, outcomes diverged across countries – strong growth in some advanced nations will be offset by a moderate slowdown in many emerging and developing market economies.

Even though the world economy avoided recession, tight financial conditions, extreme weather events and other factors like Russia-Ukraine war and evolving conflict in the Middle East pose increasing risks to global trade and industrial production.

Indian Economy:

Backed by buoyant domestic demand and strong investment activity, India's economic growth rose beyond expectations in Q3FY24. This happened in an environment of uneven global growth and uncertainties over ongoing geopolitical shifts.

Uncertainties in food prices continue to pose challenges. To ensure that inflation progressively aligns to target, while supporting growth, RBI's MPC stood firm on both interest rates and stance for the seventh consecutive time, during its April'24 review meeting.

India's retail inflation, based on the Consumer Price Index (CPI) stood at 5.36% Y-o-Y in FY24, which is within RBI's target band of 4% with (+/-)2%. The country's IIP grew by 5.86% Y-o-Y in FY24 against 5.26% in the previous year, on the back of robust growth in mining & quarrying and manufacturing sector. The country's core sector grew by 7.51% in FY24.

Having said that, some factors will continue to support growth in the coming fiscal. An expected normal monsoon will help lift agricultural activity, continued disinflation will improve purchasing power of consumers, pick-up in rural activity and steady urban demand will gain steam in private consumption. However, uneven economic growth in trading partners and escalations in geopolitical risks can become a drag on country's exports. The RBI projects real GDP to grow at 7% and CPI-based inflation at 4.5% for FY25.

Banking Sector

With global economic uncertainty, persistent inflation and geopolitical tensions, the resilience of the worldwide financial system is undergoing a rigorous test. But, the health of the Indian financial system is buoyant on the back of high earnings, strong capital base and low level of stressed assets.

बैंक का निष्पादन – वित्तीय वर्ष 24

इस पृष्ठभूमि में, मैं वित्तीय वर्ष 24 के दौरान बैंक के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

कारोबार संबंधी आंकड़े:

- बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹12.22 लाख करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया। यह सकल अग्रिमों में 13% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि एवं जमाओं में 11% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के कारण संभव हुआ।
- वित्तीय वर्ष 24 के दौरान कासा जमाओं में 8% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होने से यह ₹2.80 लाख करोड़ (₹2,80,487 करोड़) रही है। हालाँकि देनदारी में चुनौतियों का सामना करते हुए, बैंक ने अपने घरेलू कासा अनुपात को 42% पर बरकरार है।
- बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाईड है, इनमें कुल अग्रिम की 62% हिस्सेदारी खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई के अग्रिमों की है। विशेष रूप से, खुदरा, कृषि व एमएसएमई में क्रमशः 15%, 19% व 6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 24 के दौरान कॉर्पोरेट ऋण में 10% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि होने से यह ₹1,88,242 करोड़ रहा है।
- आरबीआई के अनिवार्य लक्ष्य 40.00% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 24 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 43.82% रहा है। अनिवार्य लक्ष्य 18.00% के सापेक्ष कृषि ऋण (पीएसएलसी को छोड़कर) एएनबीसी का 20.52% रहा है।
- 31 मार्च 2024 को एसएचजी की बकाया ऋण राशि 37% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹19,243 करोड़ तक पहुंच गई जिसमें 4.21 लाख एसएचजी लाभांशित हुए और 31 मार्च 2024 तक 55.25 लाख महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ।

आय और लाभप्रदता:

लाभप्रदता के संबंध में, बैंक ने अपने विगत सभी आँकड़ों को पार करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के ₹5,282 करोड़ की तुलना में 53% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2024 में ₹8,063 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया है। बैंक का मजबूत निवल लाभ विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय का प्रमाण है। बैंक के निवल ब्याज आय और अग्रिम पर प्राप्त लाभ में बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुशासित ऋण परंपरा एवं प्रभावी आस्ति-देयता प्रबंधन के माध्यम से, हम बैंक के ब्याज दर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए ऋण पोर्टफोलियो पर अच्छी रिटर्न हासिल करने में सक्षम हुए हैं।

- बैंक का निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2023 से, वर्ष-दर-वर्ष 15% के साथ अग्रिम पर लाभ (वाईओए) 7.76% से 8.72%

Bank's Performance – FY24

Against this background, I would like to present the overview of the Bank's performance during the fiscal year 2024.

Business Figure:

- The Bank achieved a gross business of ₹12.22 lakh Cr, registering a year-on-year growth of 12%. This increase was propelled by a 13% growth in gross advances and an 11% growth in deposits.
- The Bank's CASA deposits saw an 8% year-on-year increase to reach ₹2.80 lakh Cr (₹2,80,487 Cr) in FY24. Although confronted with challenges in liability, the Bank upheld its Domestic CASA ratio at 42%.
- The Bank's credit portfolio is well-diversified, with retail, agriculture and MSME advances collectively comprising 62% of the total advances. Notably, retail, agriculture, and MSME advances grew by 15%, 19%, and 6% year-on-year, respectively.
- Corporate loan book experienced a growth of 10% year-on-year, reaching ₹1,88,242 Cr in FY24.
- Priority Sector Advances stood at 43.82% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) in FY24, against the RBI's mandatory target of 40.00%. Agriculture Credit (excluding PSLC) stood at 20.52% of ANBC, surpassing the mandatory target of 18.00%.
- The outstanding loan amount to Self-Help Groups (SHGs) surged by 37% year-on-year to ₹19,243 Cr, benefiting 4.21 lakh SHGs and 55.25 lakh women beneficiaries as of March 31, 2024.

Earnings and Profitability:

- Regarding profitability, the Bank has excelled, surpassing all previous figure with a Net Profit of ₹8,063 Cr in FY24 from ₹5,282 Cr in FY23 registering a growth of 53% YoY. The Bank's strong net profit is a testament of prudent financial management and strategic decision-making. The Bank's net interest income and yield on advances have played a significant role in driving the profitability. Through disciplined lending practices and effective asset-liability management, we have been able to generate healthy returns on the loan portfolio while effectively managing the Bank's interest rate risk.
- The Bank's Net Interest Income grew by 15% YoY while Yield on Advances (YoA) increased to 8.72%

एवं निवेश पर लाभ (वाईओआई) 6.45% से 6.80% हुआ है।

- इसके अलावा, बैंक का निवल ब्याज मार्जिन संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने तथा ब्याज अर्जन वाली संपत्तियों और ब्याज वहन करने वाली देनदारियों के बीच प्रसार को अधिकतम करने की क्षमता को दर्शाता है। घरेलू निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.41% से बढ़कर 3.54% हो गया। इससे बैंक को अपनी लाभप्रदता बढ़ाने और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद मिली है।
- वित्तीय वर्ष 2024 में बैंक के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 10% की वृद्धि हुई, जिसने वित्तीय वर्ष 2023 में ₹15,271 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024 में ₹16,840 करोड़ की बढ़ोतरी दिखाई।
- आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) पिछले वर्ष के 0.77% से बढ़कर 1.07% हो गया।
- औसत निवल संपत्ति पर प्रतिफल (आरओई) वर्ष-दर-वर्ष 14.73% से बढ़कर 19.24% हो गया।
- वित्त वर्ष 2023 में प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹42.41 थी जो अब बढ़कर ₹63.23 हो गई।

आस्ति गुणवत्ता:

बैंक, यह रिपोर्ट करते हुए प्रसन्न है कि हमारी सकल और निवल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए और एनएनपीए) दोनों में निरंतर रूप से महत्वपूर्ण कमी आई है, जो आस्ति की गुणवत्ता पर हमारे निरंतर फोकस को दर्शाता है।

- वित्तीय वर्ष 2024 में, सकल गैर-निष्पादित आस्तियां वित्त वर्ष 23 के 5.95% से (जीएनपीए) 200 आधार अंक घटकर 3.95% हो गई, जो ₹21,106 करोड़ थी।
- निवल एनपीए में भी 47 आधार अंकों की गिरावट देखी गई और यह 0.43% हो गया, जो 31 मार्च 2024 तक ₹2,223 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह 0.90% था।
- वित्तीय वर्ष 24 के दौरान एनपीए खाते में कुल वसूली ₹8,799 करोड़ थी।
- इसके अतिरिक्त, ऋण पोर्टफोलियो में स्लिपेज की कमी, ऋण जोखिम प्रबंधन के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। आस्ति गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी करके और सख्त जोखिम निवारण उपायों को लागू करके बैंक, ऋण पुनर्भुगतान में होनेवाली चूक को सीमित करने और संभावित नुकसान को कम करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा, स्वस्थ पुर्नप्राप्ति और उन्नयन प्रयासों ने वित्तीय निष्पादन को अधिक मजबूत किया है।

from 7.76% and Yield on Investments (YoI) rose to 6.80% from 6.45% in FY23.

- Furthermore, the Bank's Net Interest Margin reflects the ability to efficiently deploy resources and maximize the spread between interest-earning assets and interest-bearing liabilities. Domestic Net Interest Margin (NIM) improved to 3.54% from 3.41% YoY. This has allowed the Bank to enhance its profitability and strengthen its financial position.
- In FY24, the Bank saw a 10% year-on-year growth in Operating Profit, reaching ₹16,840 Cr compared to ₹15,271 Cr in FY23.
- Return on Assets (RoA) improved to 1.07% from 0.77% in the previous year.
- Return on Average Net worth (RoE) increased to 19.24% from 14.73% in the previous year.
- Earnings-per-Share (EPS) improved to ₹63.23 from ₹42.41 in FY23.

Asset Quality:

The Bank is pleased to report a significant reduction in both Gross and Net Non-Performing Assets (GNPA and NNPA) consistently, demonstrating its continued focus on asset quality.

- In FY24, Gross Non-Performing Assets (GNPA) decreased by 200 basis points from 5.95% in FY23 to 3.95% in FY24 and stood at ₹21,106 Cr.
- Net NPA also saw a decline of 47 basis points to 0.43%, stood at ₹2,223 Cr as of March 31st, 2024, from 0.90% in FY23.
- Total recovery in NPA account during the FY24 was ₹8,799 Cr.
- Additionally, the moderation of slippage in loan portfolio underscores the proactive approach to credit risk management. By closely monitoring the asset quality and implementing rigorous risk mitigation measures, the Bank has been able to limit loan delinquencies and minimize potential losses. Moreover, healthy recovery and upgradation efforts have further bolstered the financial performance.

Sound Capital Structure:

Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank computed as per Basel III guidelines stood at 16.44% in Mar'24, with Tier-I Capital at 14.03% reflecting the Bank's strong

सशक्त पूंजी ढांचा :

बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) की गणना बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार की गई, जोकि मार्च 2024 में 16.44% थी, टियर-I पूंजी 14.03% थी जो बैंक की मजबूत पूंजी स्थिति और बेसल III दिशानिर्देशों के पालन को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान क्यूआईपी के माध्यम से ₹4000 करोड़ की इक्विटी जुटाने के साथ, बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 31 मार्च 24 को 79.86% से घटकर 73.84% हो गई है।

बैंक के पदचिन्ह :

वर्तमान में, बैंक पूरे भारत में ग्राहक संपर्क-बिंदुओं के एक व्यापक नेटवर्क का दावा करता है, जिसमें 5,847 घरेलू शाखाएँ, 4937 एटीएम और 11,297 बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेन्ट (बीसी) शामिल हैं जिनके बल पर हम ग्राहकों को कुशलतापूर्वक सेवा देने में सक्षम हुए हैं। बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ और 1 आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (IBU) भी है।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां :

उत्कृष्टता के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई है जिनमें शामिल हैं:

- हमें वर्ष 2023 के दौरान बैंकिंग पुरस्कारों में दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (DSIJ) द्वारा फ़ासटेस्ट ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में मान्यता दी गई थी।
- बैंक को प्रोजेक्ट 'पैराडाइज' के लिए, बैंकिंग उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए बीएफएसआई पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें एआईएक्स पर्यावरण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाने को स्वीकार किया गया।
- आईबीए के 19वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और साइटेशन में, बैंक को 'बेस्ट टेक्नोलोजी बैंक - स्पेशल मेन्शन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- मार्क्समैन डेली ने इसे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए बीएसएफआई सेक्टर में मोस्ट प्रेफ़र्ड वर्कप्लेस का नाम दिया।
- बैंक एमडी और सीईओ एवं ईडी के लिए किए गए अभियान में हम सभी पीएसबी में से शीर्ष पर रहे, और पार एक्जेंप्लरी अवार्ड ऑफ पार एक्सीलेंस एपीवाई लीडरशिप पिनैकल का पुरस्कार हासिल किया।
- मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, सीटीओ के लिए बीएफएसआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वित्तीय समावेशन पहल:

हमें पीएमजेडीवाई खातों और माइक्रो-पेंशन एवं माइक्रो - बीमा योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन में योगदान

capital position and adherence to Basel III guidelines.

With the raising of equity through QIP amounting to ₹4000 Cr during FY24, the share of GoI in the Bank has reduced from 79.86% to 73.84% as on 31st Mar'24.

Bank's Footprint:

Currently, the Bank boasts of an extensive network of customer touch-points across India, including 5,847 domestic branches, 4937 ATMs and 11,297 Business Correspondents (BCs) enabling us to serve customers efficiently. The Bank also has 3 overseas branches and 1 IFSC Banking Unit (IBU).

Awards & Recognition:

The Bank's commitment for excellence has been recognized through various awards which includes:

- It was recognized as the Fastest Growing Public Sector Bank by Dalal Street Investment Journal (DSIJ) in the 2023 Banking awards.
- The Bank received the BFSI Award for Use of Emerging Technology in Banking Industry for Project "PARADISE," acknowledging its adoption of Cloud Computing for AiX Environment.
- At the IBA 19th Annual Banking Technology Conference, Expo & Citations, the Bank was acknowledged with a 'Best Technology Bank -Special Mention' award.
- Marksman Daily named it the Most Preferred Workplace in the BSFI sector for FY24.
- Among all PSBs, the Bank topped the campaign for MD & CEOs and EDs, earning the Exemplary Award of Par Excellence APY Leadership Pinnacle.
- The Chief Technology Officer was honoured with the BFSI Award for Best Digital Transformation Leader, CTO for the year 2023.

Financial Inclusion Initiatives:

We are proud to contribute to financial inclusion through initiatives such as PMJDY accounts and micro-pension and micro-insurance schemes, reflecting the Bank's commitment to serving all segments of society.

- The Bank currently holds 224 lakh PMJDY accounts as on March 2024, with an outstanding balance of ₹11,106 Cr registering a 19% growth in PMJDY account balances over previous year.
- The average balance per PMJDY account stands at ₹4,953, surpassing the industry average of

करने पर गर्व है, जो समाज के सभी वर्गों की सेवा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- मार्च 2024 तक बैंक के पास वर्तमान में 224 लाख पीएम जेडीवाई खाते हैं, जिसमें ₹11,106 करोड़ का बकाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पीएमजेडीवाई खाते की शेष राशि में 19% की वृद्धि दर्शाता है।
- प्रति पीएमजेडीवाई खाते में औसत शेष राशि ₹4,953 है, जो हमारे व्यवसाय के औसत ₹4,422 से अधिक है। इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खातों में बैंक की बाजार हिस्सेदारी में 10 आधार अंकों की वृद्धि हुई है।
- बैंक, वर्तमान में पीएमजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) और पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) योजनाओं के तहत 64.35 लाख और 157.39 लाख खाताधारकों को सेवा प्रदान करता है, जो मार्च 24 में क्रमशः 47% और 55% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है।
- पीएमस्वनिधि योजना के माध्यम से, बैंक ने 5.94 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण स्वीकृत किया है और ₹747 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई है।
- जीवन के उत्तरार्ध में आय सुरक्षित करने के उद्देश्य से, माइक्रो पेंशन योजना एपीवाई में, बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक प्रति शाखा औसतन 112 खाते (AAPB) खोलने के साथ 6.61 लाख नए ग्राहकों को नामांकित किया है।
- अपने परिचालन परिवर्तन के हिस्से के रूप में, बैंक ने बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स (बीसी) के माध्यम से अंतिम छोर तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 'आईबी-साथी' नामक एक नया डिजिटल एफआई समाधान लॉन्च किया है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

डिजिटल बैंकिंग ने ग्राहक सुविधा बढ़ाकर, परिचालन क्षमता बढ़ाकर और लागत कम करके बैंकिंग को परिवर्तित कर दिया है। बैंक को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि बैंक के लेनदेन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा अब डिजिटल चैनलों के माध्यम से किया जाता है, जो नवोन्मेष और ग्राहक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, बैंक के 87% लेनदेन डिजिटल माध्यम से किए गए।
- डिजिटल चैनलों के माध्यम से कारोबार 81,250 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब तक 78 डिजिटल जर्नी, उपयोगिताओं और प्रक्रियाओं का एक समूह लॉन्च किया गया है।
- यूपीआई उपयोगकर्ताओं और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं दोनों में वर्ष-दर-वर्ष 37% की वृद्धि देखी गई है, जो क्रमशः 1.75 करोड़ और 1.06 करोड़ तक पहुंच गई है।

₹4,422. Additionally, the Bank's market share in PMJDY accounts has increased by 10 basis points.

- The Bank currently serves 64.35 lakh and 157.39 lakh account holders under the PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) and PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) schemes, representing a year-on-year growth of 47% and 55% in Mar'24 respectively.
- Through PMSVANIDHI Scheme, the Bank has sanctioned loans to 5.94 lakh street vendors and loans amounting to ₹747 Cr have been disbursed.
- In the micro pension scheme APY, with the objective of securing income at the later part of life, the Bank has enrolled 6.61 lakh new subscribers, with an Average Account Per Branch (AAPB) of 112 as of March 31, 2024.
- As part of its operational transformation, the Bank has launched a new Digital FI solution called "IB-SAATHI" to enhance its services to the last mile through Business Correspondents (BCs).

Leveraging Technology

Digital banking has transformed banking by enhancing customer convenience, increasing operational efficiencies and by reducing cost. The Bank is proud to report that a significant portion of the Bank's transactions are now carried out through digital channels, reflecting the commitment to innovation and customer convenience.

- During FY24, 87% of the Bank's transactions were carried out digitally.
- Business through Digital Channels has reached to ₹81,250 Cr. A bouquet of 78 Digital Journeys, Utilities and Processes have been launched so far.
- Both UPI users and Net Banking Users have seen a 37% YoY increase, reaching 1.75 Crores and 1.06 Crores respectively.
- A bouquet of customized Fintech Solutions viz., Fund Management solution for Government Departments, Payment Gateway, API integration, Dynamic UPI QR Code, Bulk Payment Management System, web based salary solutions etc. have been offered to customer.

HR Initiatives:

The Bank's focus on employee development is evident from its various HR initiatives, capacity building

- ग्राहक को अनुकूलित फिनटेक समाधानों की एक सौगात, जैसे सरकारी विभागों के लिए फंड प्रबंधन समाधान, भुगतान गेटवे, एपीआई एकीकरण, डायनेमिक यूपीआई क्यूआर कोड, बल्क भुगतान प्रबंधन प्रणाली, वेब आधारित वेतन समाधान आदि की शुरुआत की गई है।

मानव संसाधन की पहल:

कर्मचारी के विकास पर बैंक का ध्यान उसकी विभिन्न मानव संसाधन पहलों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और इंटरप्राइज लर्निंग मैनेजमेंट के शुभारंभ से स्पष्ट है।

- बैंक ने वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी अधिकारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने और नेतृत्व विकास को शामिल करने के लिए 11 (ग्यारह) जॉब फैमिली से जुड़े 09 (नौ) उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने 3069 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसके माध्यम से 29750 कर्मचारियों (21430 अधिकारी और 8320 अवार्ड स्टाफ) को वित्त वर्ष 2024 के दौरान कक्षा / ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।
- कर्मचारियों की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- ईएलएम (इंटरप्राइज लर्निंग मैनेजमेंट) को कर्मचारियों के सहजतापूर्वक सीखने के अनुभव से लॉन्च किया गया था, जिसमें भूमिका आधारित लक्षित व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

वर्तमान पहल:

बैंक अपनी परिचालन क्षमता और ग्राहक अनुभव को उत्कृष्टता की दृष्टि से अपने प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहा है और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत कर रहा है। बैंक वर्तमान में विशिष्ट कार्यक्षेत्रों की स्थापना, डिजिटलीकरण, प्रक्रिया और उत्पाद, परिचालन रूपांतरण, मानव संसाधन रूपांतरण आदि से लेकर कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य कारोबार और परिचालन क्षमताओं दोनों के मामले में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता को बढ़ाना है।

निकट भविष्य में –

- बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों का डिजिटलीकरण शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें शिक्षा ऋण, गृह ऋण, एमएसएमई ऋण और केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) शामिल हैं।
- ओमनीचैनल रिटेल एवं कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन विभिन्न प्रकार की बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक समाधान प्रस्तुत करेंगे। इनमें नियमित बैंकिंग लेनदेन, यूपीआई ट्रांसफर, धन प्रबंधन, बीमा, ऑनलाइन शॉपिंग, यात्रा बुकिंग, डीमैट और ट्रेडिंग सेवाएं, एनआरआई सेवाएं तथा बिल भुगतान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता अपने

programs and the launch of Enterprise Learning Management.

- Bank has Created 09 (Nine) Centres of Excellences linked to 11 (Eleven) Job Families to conduct Flagship training programs and encompassing leadership development for Senior Management Grade Executives.
- Throughout the year, the Bank has conducted 3069 training programmes through which 29750 unique employees (21430 Officers and 8320 Award staff) have been trained through classroom / online mode during FY24.
- Specialised training has been provided to enhance operational efficiencies of the employees.
- ELM (Enterprise Learning Management) was launched for seamless learning experience of employees with focus on role based targeted individual learning plans.

Ongoing Initiatives:

The Bank is continuously upgrading its technology infrastructure and introducing new digital platforms to enhance the Bank's operational efficiencies and customer experience. The Bank is currently working on several projects ranging from establishing specialised verticals, digitisation, process & product, operational transformation, HR transformation etc. These initiatives are aimed at enhancing the Bank's competitive edge in terms of both business and operational capabilities. In the near future

- The Bank plans to introduce digital journey for various loan variants, including Education Loans, Home Loans, MSME Loans, and KCC (Kisan Credit Card) variants.
- The Omnichannel Retail & Corporate Mobile App and Internet banking application will serve as a comprehensive solution for a diverse range of banking requirements. These include regular banking transactions, UPI transfers, wealth management, insurance, online shopping, travel bookings, DEMAT & trading services, NRI services, and bill payments. Additionally, corporate users can utilize the Admin feature to manage user accounts, oversee accounts, and control workflows.
- Next Gen Call Centers to take customer experience to the next level, empowered by Intelligent Virtual Assistants.

खातों का प्रबंधन, खातों की देखरेख और वर्कफ़्लो को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थापक सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

- इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट द्वारा सशक्त नेक्स्ट जेन कॉल सेंटर ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएंगे।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को बढ़ावा देने हेतु एनबीएफएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों) के साथ डिजिटल को-लेंडिंग पूल बायआउट प्लेटफॉर्म की साझेदारी की जाएगी।
- बैंक वर्तमान में सूचना आधारित निर्णय और निर्वाध संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कासा कैटलिस्ट मॉडल, फ़ुटफॉल एनालिसिस मॉडल, यूपीआई डेटा फॉरकास्टिंग मॉडल और वेब एनालिटिक्स मॉडल सहित, विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक मॉडल को विकसित कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, जेनरेटिव एआई का लाभ उठाते हुए, बैंक एक स्वचालित शिकायत निवारण प्रणाली, प्रासंगिक जानकारी और समर्थन आधारित त्वरित और कुशल पहुंच के लिए एक चैटबॉट समाधान और कर्मचारी के प्रश्नों को हल करने के लिए नॉलेज इंजन बनाने की प्रक्रिया में है।

आगामी रणनीति:

आगे बढ़ते हुए, जैसे-जैसे हम बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, बैंक का जोर समावेशी, लाभदायक और धारणीय कारोबार संवृद्धि पर रहेगा। चूंकि प्रौद्योगिकी जीवन के सभी पहलुओं में एक प्रेरक शक्ति बन गई है, बैंक वर्धित पहुंच और उन्नत सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन बैंक ग्राहकों की सबसे पसंदीदा बैंक बनने के लिए बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ, उत्पादों और सेवाओं को और अधिक ग्राहक उन्मुख बनाने का प्रयास कर रहा है।

आभार

मैं इस अवसर पर इंडियन बैंक परिवार के सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना करता हूँ। मैं अपने सम्मानित ग्राहकों और शेयरधारकों को उनके निरंतर संरक्षण और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बैंक भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य सरकारी नियामक प्राधिकरणों और विभिन्न हितधारकों के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभारी है।

हम भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके निरंतर सहयोग की आशा करते हैं।

शुभकामनाओं सहित,
भवदीय,

एस एल जैन
एमडी एवं सीईओ

- Digital Co-Lending Pool Buyout platform partnering with NBFCs (non-banking finance companies) to boost priority sector lending.
- The Bank is currently developing various data analytical models including the CASA catalyst model, footfall analysis model, UPI data forecasting model and web analytics model to enhance informed decision-making and streamline operations.
- Additionally, leveraging generative AI, the Bank is in the process of creating an automated grievance redressal system, a chatbot solution for quick and efficient access to relevant information and support, and a knowledge engine for resolving employee queries.

Way Forward:

Going forward, as we strive for a better future, the Bank's emphasis will continue to be on inclusive, profitable and sustainable business growth. As technology has become a driving force in all facets of life, the Bank is committed to leverage digital technology with increased accessibility and enhanced security. The Bank further seeks to make products and services more customer friendly for better customer experience to make Indian Bank their most Preferred Bank.

Acknowledgement

I take this opportunity to express my appreciation for all the members of the Indian Bank family for their hard work, dedication and commitment. I extend my gratitude to our esteemed customers and shareholders for their persistent patronage and support. The Bank is also grateful to the Government of India, RBI, other government regulatory authorities and various stakeholders for their guidance and cooperation.

We look forward to your continued support in achieving future goals.

With best wishes,

Yours sincerely,

S L Jain
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2023-24

सेवा में

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को बैंक के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

प्रमुख वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विवरणियाँ निम्नानुसार हैं

ए) संसाधन जुटाना और अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.23	31.03.24	वर्ष दर वर्ष (%)
वैश्विक जमाएं	621166	688000	10.76
देशी जमाएं	608027	661826	8.85
जिसमें से चालू	35366	38598	9.14
बचत	224873	241414	7.36
कासा	260239	280012	7.60
कासा मिश्रण (%)	42.80	42.31	-
ओवरसीज़ जमाएं	13139	26174	99.21
कुल अग्रिम(निवल)	473586	533773	12.71
देशी अग्रिम(निवल)	443921	498160	12.22
ओवरसीज़ अग्रिम(निवल)	29665	35613	20.05
कुल कारोबार	1094752	1221773	11.60
कुल आस्तियां	710501	792619	11.56

1. मार्च 2024 में वैश्विक जमा राशि में 10.76 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई और यह ₹6.88 लाख करोड़ हो गया है।
2. घरेलू जमाएं 8.85% वृद्धि के साथ ₹6.62 लाख करोड़ हुआ। घरेलू कासा 7.60 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2.80 लाख करोड़ हुआ। कासा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 24 के दौरान 39.52 लाख नए कासा खाते (बीएसबीडी बचत खातों को छोड़कर) खोले गए हैं।
3. बैंक की सकल अग्रिम (ग्लोबल) में वार्षिक आधार पर 12.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2023 के ₹4.74 लाख करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024 में ₹ 5.34 करोड़ रही।
4. 31.03.2024 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम की राशि ₹1.79 लाख करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2024 में समायोजित निवल बैंक ऋण(एनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 40.00 प्रतिशत अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 43.82 प्रतिशत रहा।

5. कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) ₹83,590 करोड़ रहा और समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के प्रतिशत के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 20.52 प्रतिशत रहा।
6. वित्तीय वर्ष 24 के दौरान आरबीआई द्वारा पीएससी के निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
7. 31 मार्च 2024 को सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः ₹ 21,106 करोड़ (3.95 प्रतिशत) और ₹2,223 करोड़ (0.43 प्रतिशत) था, जबकि 31 मार्च 2023 में यह क्रमशः ₹28,181 करोड़ (5.95 प्रतिशत) और ₹4,045 करोड़ (0.90 प्रतिशत) था।
8. वित्त वर्ष 24 के दौरान एनपीए की कुल वसूली (एयूसी खातों में वसूली, उन्नयन और एमओआई सहित नकद वसूली) विगत वर्ष के ₹ 8,503 करोड़ की तुलना में ₹ 8,799 करोड़ रही।
9. वित्त वर्ष 2024 में बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 252 बीपीएस बढ़कर 96.34 प्रतिशत हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 96.34 प्रतिशत था।
10. बैंक का घरेलू शाखा नेटवर्क बढ़कर 5847 हो गया, जिसमें 1985 ग्रामीण, 1530 अर्ध शहरी, 1174 शहरी और 1158 महानगरीय शाखाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ और 1 आईएफएससी बैंकिंग इकाई (गिफ्ट सिटी) है। बैंक के एटीएम और बीएनए की कुल संख्या 4937 रही, जिसमें 601 ऑफसाइट एटीएम/बीएनए और 2 मोबाइल एटीएम शामिल हैं। बैंक के पास 11297 बैंक मित्र भी हैं, जो पैन इंडिया में 22082 स्थानों पर कार्ररत हैं।

बी. आय एवं व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.23	31.03.24	वर्ष दर वर्ष (%)
अर्जित ब्याज	44942	55615	23.75
व्यय किया गया ब्याज	24717	32341	30.85
निवल ब्याज आय(एनआईआई)	20225	23274	15.07
अन्य आय	7143	7867	10.14
जिसमें से - शुल्क आय	2969	3298	11.08
परिचालन राजस्व (एनआईआई+अन्य आय)	27369	31141	13.78
परिचालन व्यय	12098	14301	18.21
जिसमें से कर्मचारी व्यय	7527	9265	23.08
अन्य परिचालनगत व्यय	4571	5036	10.17
परिचालनगत लाभ	15271	16840	10.27
कर के अतिरिक्त प्रावधान	9356	5889	-37.06
कर से पूर्व लाभ	5915	10951	85.14

विवरण	31.03.23	31.03.24	वर्ष दर वर्ष (%)
कर के लिए प्रावधान	633	2888	356.24
निवल लाभ	5282	8063	52.65

- बैंक का ब्याज आय वित्तीय वर्ष 23 के ₹44,942 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 24% से बढ़कर ₹ 55,615 करोड़ हुआ।
- निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 23 के ₹20,225 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 15% से बढ़कर ₹ 23,274 करोड़ हुआ।
- फीस आधारित आय वित्तीय वर्ष 23 के ₹2969 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 11% से बढ़कर ₹3298 करोड़ हुआ।
- ऑपरेटिंग लाभ वित्तीय वर्ष 23 के ₹15,271 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 10% से बढ़कर ₹16,840 करोड़ हुआ।
- कर से पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 23 के ₹5,915 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 85% से बढ़कर ₹10,951 करोड़ हुआ।
- निवल लाभ वित्तीय वर्ष 23 के ₹5282 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 53% से बढ़कर ₹8063 करोड़ हुआ।

सी. मार्च, 2024 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं: (प्रतिशत में)

मापदंड	31.03.23	31.03.24
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	7.76	8.72
जमा लागत	4.09	4.88
निवल ब्याज मार्जिन	3.37	3.47
निवल ब्याज मार्जिन (घरेलू)	3.41	3.54
लागत-आय अनुपात	44.20	45.92
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.77	1.07
इक्विटी पर प्रतिलाभ	14.73	19.24
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (लाख में)	2355	2657
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	12.95	20.03

- वित्त वर्ष 2024 में अग्रिमों पर प्रतिलाभ (व-द-व) 96 बीपीएस बढ़कर 8.72% हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 7.76% था। जबकि जमा की लागत वित्त वर्ष 2014 में 79 बीपीएस बढ़कर 4.88% हो गई, जो वित्त वर्ष 2013 में 4.09% थी।
- घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2024 में 13 बीपीएस बढ़कर 3.54% हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 3.41% था।
- आस्ति पर रिटर्न (आरओए) वित्त वर्ष 2024 में 30 बीपीएस बढ़कर 1.07% हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 0.77% था।
- इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्त वर्ष 2024 में 451 बीपीएस बढ़कर 19.24% हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 14.73% था।
- प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय में ₹302 लाख की वृद्धि हुई। यह वित्तीय वर्ष 2023 में ₹2355 लाख थी जो वित्तीय वर्ष 24 में बढ़कर ₹2657 लाख हो गई।

- प्रति कर्मचारी लाभ में ₹7.08 लाख की वृद्धि हुई। यह वित्तीय वर्ष 23 में ₹12.95 लाख थी जो वित्तीय वर्ष 24 में बढ़कर ₹ 20.03 लाख हो गई।

डी. निवल मालियत एवं सीआरएआर

- 31 मार्च, 2024 को बैंक की निवल मालियत रुपए 47,491 करोड़ रही जबकि 31 मार्च, 2023 में यह रुपए 37,431 करोड़ रही।
- वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से ₹ 4000 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई है जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की हिस्सेदारी 79.86% से घटकर 73.84% हो गई है।

(प्रतिशत में)

बेसल III	निम्न तारीख को	
	31.03.2023	31.03.2024
सीईटी - I	12.89	13.52
टियर I - पूंजी	13.48	14.03
टियर II - पूंजी	3.01	2.41
कुल	16.49	16.44

- बेसल III मानदंडों के अनुसार, सीईटी - I अनुपात 31.03.2024 को 13.52% था, जबकि 31.03.2023 को 12.89% था, जबकि न्यूनतम आवश्यकता 8.00% थी।
- टियर-I पूंजी 31 मार्च, 2024 को 14.03% थी, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह 13.48% थी।
- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) नियामक आवश्यकता 11.50% के सापेक्ष में 31 मार्च, 2024 को 16.44% रही जो 31 मार्च, 2023 को 16.49% थी।

ई. भर्ती/प्रशिक्षण

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व कर्मचारियों को पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एफ. वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन:

- शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियुक्त/नामित किया गया है। डीएफएस ने नियुक्त/नामांकित किया है।
 - श्री आशुतोष चौधरी को दिनांक 03.05.2023 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
 - श्रीमती के निखिला को दिनांक 14.07.2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
 - श्री शिव बजरंग सिंह को दिनांक 09.10.2023 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

- श्री ब्रजेश कुमार सिंह को दिनांक 10.03.2024 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 2. श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा का चयन शेयरधारक निदेशक के रूप में आगामी तीन वर्षों के लिए किया गया, जो दिनांक 09.03.2024 से प्रभावी है।
- 3. बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अश्विनी कुमार की नियुक्ति की अवधि यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उनकी पदोन्नति पर दिनांक 01.06.2023 को सेवाएं समाप्त हो गईं।
- 4. बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री इमरान अमीन सिद्दीकी की नियुक्ति की अवधि के पूर्ण होने पर दिनांक 10.03.2024 को उनकी सेवाएं समाप्त हो गईं।
- 5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिसूचना सं. eF.No.6/3/2011-BO.I दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक श्री आदित्य गेहा की सेवाएं दिनांक 14.07.2023 से समाप्त हो गईं।
- 6. बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री भरत कृष्ण शंकर नियुक्ति की अवधि के पूर्ण होने उनकी सेवाएं दिनांक 07.02.2024 से समाप्त हो गईं।

जी. निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय:

1. महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।

3. वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2024 तक बैंक के लाभ का सटीक चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
4. भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रेकॉर्ड को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
5. लेखों को मौजूदा स्थितियों के संज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है।

एच. आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्कों बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, श्री अश्विनी कुमार, श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, डॉ.आदित्य गेहा एवं डॉ. भरत कृष्ण शंकर जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ी, के द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति भी बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

कृते निदेशक मंडल

(एस. एल. जैन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कई, अतिव्यापी झटकों और महत्वपूर्ण मौद्रिक सख्ती के सामने उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। इन चुनौतियों के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक विकास अपेक्षाओं से अधिक रहा है। इस लचीलेपन का श्रेय सेवा क्षेत्र की ताकत को दिया जा सकता है, जिसने विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन की भरपाई कर दी है।
- मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, कई देशों में सकल मुद्रास्फीति में कमी आई है, तथापि कोर और सेवा मुद्रास्फीति में कमी धीमी रही है। यह मुख्य रूप से अपेक्षाकृत मजबूत घरेलू खर्च और श्रम बाजारों में लगातार तंगी के कारण हुआ है, जिसने वेतन दबाव को ऊंचा रखा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्यों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करने के उद्देश्य से नीतिगत दरों को स्थिर रखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
- हालाँकि, कठिन वित्तीय स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव के बीच ऊर्जा की कीमतों में संभावित वृद्धि, तेज आर्थिक विकास के लिए जोखिम पैदा करती है।
- इन कारकों के आलोक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने अप्रैल 2024 के 'विश्व आर्थिक आउटलुक' में अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 की गति को बरकरार रखते हुए वर्ष 2024 और 2025 दोनों में 3.2% की दर से बढ़ती रहेगी। यह स्थिर विकास दर आर्थिक लचीलेपन के सहायक पहलुओं और चिन्हित जोखिमों के निरोधक प्रभावों के बीच संतुलन को दर्शाती है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

- घरेलू परिदृश्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि के साथ मजबूत आर्थिक प्रदर्शन जारी है। कई अंतरराष्ट्रीय संगठन आने वाले वर्षों में एशिया के विकास पथ को निर्धारित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं।
- मजबूत घरेलू मांग, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश और स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र के कारण भारत की वृद्धि में लचीलापन दिख रहा है।
- अधिकांश घरेलू उच्च आवृत्ति संकेतकों ने वित्त वर्ष 24 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों में निरंतर सुधार की ओर इशारा किया है।
- वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति के प्रबंधन में सरकार के प्रयास बेहद सफल रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 6.65% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 5.36% हो गई, जो मुद्रास्फीति की लक्षित ढांचे के सहनशीलता स्तर के भीतर है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी जैसे सरकार की सकारात्मक कार्रवाई ने भी मुद्रास्फीति नियंत्रण में योगदान दिया है।

- व्यावसायिक आशावाद, मजबूत कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट, सुदृढ़ सरकारी पूंजीगत व्यय और निजी पूंजीगत व्यय चक्र में तेजी के संकेतों के साथ निश्चित निवेश की संभावनाएं उज्वल बनी हुई हैं।
- इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.0% अनुमानित है और सामान्य मानसून मानते हुए, आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% अनुमानित है। अप्रैल 2024 की अपनी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।

केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 24

जटिल वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में, भारत का अंतरिम बजट भारत की प्रगति को बढ़ावा देने और 2047 तक "विकसित भारत" के बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' थीम पर आधारित भारत के सामावेशी और सतत विकास की सोच को आगे बढ़ाता है।

- वित्त वर्ष 25 के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद 10.5% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹3,27,71,808 करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। चुनावी वर्ष के दबाव के बावजूद, सरकार ने राजकोषीय समेकन का अपना मार्ग जारी रखा है जो जी-सेक इल्ड्स का समर्थन करेगा।
- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के मुख्य स्रोत के रूप में पूंजीगत व्यय पर दी गई प्राथमिकता को जारी रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बुनियादी ढांचे के आबंटन में 11.1% की वृद्धि देखी गई है, जो ₹11.1 ट्रिलियन (जीडीपी का 3.4%) तक पहुंच गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बजट के नजरिए से केंद्र में हैं। सरकार द्वारा बनाई गई कार्ययोजना में, वित्त की ससमय उपलब्धता, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, लक्षित कौशल और पुनः कौशल पर जोर दिया गया है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण में, एमएसएमई विकास के लिए तैयार नियामक वातावरण के साथ मिलकर, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उद्यमशील गतिशीलता को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान की गई है।
- बजट में किसानों की आय बढ़ाने और फरसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण और विपणन तथा ब्रांडिंग शामिल हैं।
- सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से निवेश और पहल के साथ समावेशी वृद्धि और विकास को प्राथमिकता दी है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत में विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में बजट आबंटन और की जाने वाली

पहल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग कर अधिकाधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है।

- सरकार विनिर्माण और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का समर्थन कर ई-वाहन इकोसिस्टम को सुदृढ़ एवं विस्तार करने की योजना बना रही है। दीर्घकालिक कुल लागत कॉन्ट्रैक्टर का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क हेतु ई-बसों को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

आरबीआई की मौद्रिक नीति

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5 अप्रैल 24 को लगातार सातवीं बार प्रमुख रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा, जिसका ध्यान मुद्रास्फीति को कम करने पर केंद्रित था। इस वित्तीय वर्ष की अपनी पहली बैठक में समिति ने 'आवास वापसी' का रुख जारी रखा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विकासात्मक और नियामक नीतिगत उपाय किए हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पारदर्शी और डिजिटल रूप से उन्नत वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विकासात्मक और नियामक नीति उपायों की घोषणा की है।

- सर्वप्रथम, भारतीय रिजर्व बैंक ने 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम' के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है जो खुदरा निवेशकों को अधिक सुविधा के साथ उपकरण खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करेगा और जी-सेक बाजार को समृद्ध करेगा।
- इसके अतिरिक्त, ग्राहक सुविधा बढ़ाने और बैंक शाखाओं पर नकदी-हैंडलिंग भार को कम करने के लिए, आरबीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से नकदी जमा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।
- इसके अलावा, यूपीआई भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा, विशेष रूप से चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं के लिए, प्रति लेनदेन ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूपीआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
- इसके अलावा, 'यूपीआई-लाइट' के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया, जिससे कमजोर या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी गति और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
- ये उपाय सामूहिक रूप से भारत में एक मजबूत और समावेशी डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

3. बैंकिंग क्षेत्र

- आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ वित्त वर्ष 24 में बैंक ऋण वृद्धि मजबूत बनी रही। मार्च '23 में 15.4% की तुलना में मार्च '24 में बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण बढ़कर 16.3% हो गया। यदि सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) देखी जाए तो निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में इसकी दर अधिक रही।
- क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि मार्च '24 में मजबूत रही, जबकि व्यक्तिगत ऋण की वर्ष-दर-वर्ष आधारित वृद्धि में कमी हुई है।
- एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ ही समग्र सकल गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात एक वर्ष पहले के 4.5% से घटकर दिसंबर '23 में 3.0% हो गया। सभी प्रमुख क्षेत्रों में भी आस्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया।
- विगत वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में, ऋण की तुलना में कम जमा वृद्धि और सख्त तरलता की स्थिति सामने आई है। वर्तमान ब्याज दर वृद्धि के परिदृश्य में, सावधि जमा दरों में संचरण की सीमा उधार दरों से अधिक बनी हुई है। यद्यपि बैंकों की बचत जमा दरें लगभग अपरिवर्तित बनी हुई हैं, कुल जमा में चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमा की घटती हिस्सेदारी के साथ-साथ उधार दरों की तुलना में सावधि जमा दरों में उच्च संचरण ने हाल की तिमाही में बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव डाला है। कासा जमाराशियों की हिस्सेदारी कम होने के कारण जमाराशियों की कुल लागत में वृद्धि हुई है।
- आगे, ऐसी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में ऋण वृद्धि दर धीमी हो सकती है। वित्त वर्ष 2025 में जमा वृद्धि में सुधार होने की संभावना है क्योंकि बैंक अपनी देयता के विक्रय को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ब्याज स्प्रेड के संकुचन से लाभप्रदता पर दबाव पड़ सकता है, हालांकि इसकी स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है। आस्ति गुणवत्ता के मामले में, इसमें निरंतर सुधार होने की उम्मीद है। हम आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी स्थिति पर्याप्त रहेगी।

आगामी वर्ष

कई विकसित और प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर परिदृश्य के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रहने का अनुमान है। भारत में, पूंजीगत व्यय, उच्च क्षमता उपयोग, सेवा क्षेत्र की अंतर्निहित लचीलापन, दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि और स्वस्थ कॉर्पोरेट एवं बैंक बैलेंस शीट पर सरकार के निरंतर जोर के कारण निवेश चक्र में तेजी से आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, भू-आर्थिक विखंडन, रेड सी में बढ़ते व्यवधान और चरम मौसम की घटनाओं से प्रतिकूल परिस्थितियाँ, विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

4. व्यापार का विस्तृत अवलोकन

- वैश्विक व्यापार ने वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि दर्ज की और यह मार्च 23 में ₹10,94,752 करोड़ के सापेक्ष मार्च 24 में ₹12,21,773 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू कारोबार में 10% की वृद्धि दर्ज की गई और यह मार्च 23 में ₹10,51,948 करोड़ के सापेक्ष ₹11,59,986 करोड़ तक पहुंच

गया।

- वैश्विक जमाराशि पिछले वर्ष ₹6,21,166 करोड़ के सापेक्ष मार्च 24 में 11% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹6,88,000 करोड़ हो गई। मार्च 24 में घरेलू जमा भी 9% बढ़कर ₹661826 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 23 में ₹608027 करोड़ थी। 31.03.24 को विदेशी जमा 99% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹26174 करोड़ हो गई, जबकि 31.03.23 को ₹13139 करोड़ थी।
- बचत बैंक जमा (घरेलू) में वृद्धि देखी गई और दिनांक 31.03.24 को ₹241414 करोड़ रही, जबकि दिनांक 31.03.23 को यह ₹224873 करोड़ थी, जिसमें 7.36% की वार्षिक वृद्धि हुई।
- कासा जमाराशि 31.03.2023 को ₹2,60,809 करोड़ के सापेक्ष 8% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को ₹2,80,487 करोड़ थी। कासा अनुपात 40.77% (वैश्विक) और 42.31% (घरेलू) रहा।
- दिनांक 31.03.24 को कुल घरेलू मियादी जमा 9.78% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर ₹381814 करोड़ हो गई, जबकि दिनांक 31.03.23 को ₹347788 करोड़ थी।
- मार्च 24 में वैश्विक अग्रिम राशि 13% बढ़कर ₹5,33,773 करोड़ हो गई, जो एक वर्ष पहले ₹4,73,586 करोड़ थी। घरेलू ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि हुई और यह ₹4,98,160 करोड़ रहा। (31 मार्च 2023 तक ₹4,43,921 करोड़)। मानक अग्रिमों में वर्ष - दर - वर्ष आधार पर 15.10% की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 77.58% रहा।

4(ए) घरेलू जमाराशि:

- कुल घरेलू जमाराशि में क्रमिक वृद्धि वित्त वर्ष 2023 में ₹23366 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2024 में 130% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि कर ₹53799 करोड़ थी।
- घरेलू कासा में क्रमिक वृद्धि वित्त वर्ष 2023 में ₹13149 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2024 में 50% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि कर ₹19774 करोड़ थी।
- टैब बैंकिंग को अतिरिक्त 20 बचत बैंक उत्पाद, 2 चालू खाता उत्पाद और 12 नई सेवाओं के साथ सुदृढ़ किया गया है।
- बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) के तहत बेहतर ग्राहक यात्रा के साथ वीकेवाईसी 2.0 संस्करण लॉन्च किया है।
- बैंक ने 9 प्रमुख राज्यों की राजधानियों में आर एंड जीआर प्रकोष्ठ खोलकर सरकारी जमा व्यवसाय में वृद्धि किया है, जिससे कुल आर एंड जीआर सेल की संख्या 15 हो गई है।
- वैयक्तिक बचत जमा के लिए, बैंक ग्राहक संबंध प्रबंधक (सीआरएम) अवधारणा के साथ देश भर में 75 संसाधन अर्जन केंद्र (आरएसी) की स्थापना के माध्यम से एनआरआई, एचएनआई और संस्थानों को लक्षित कर रहा है।

4(बी) खुदरा ऋण:

खुदरा क्षेत्र में दिया गया ऋण:

खुदरा ऋण में वर्ष - दर - वर्ष के आधार पर 15% की वृद्धि हुई है। जिसमें से गृह ऋण में 11%, वाहन ऋण में 49% और वैयक्तिक ऋण में 10% की बढ़ोतरी हुई है।

(₹ करोड़ में)

मानदंड	मार्च 23	मार्च 24	व-द-व
आवास ऋण (बंधक ऋण सहित)	59840	66423	11%
वाहन ऋण	5377	8016	49%
वैयक्तिक ऋण	7769	8566	10%
आभूषण ऋण (गेर प्राथमिक)	5206	5366	3%
अन्य खुदरा ऋण	12894	16364	27%
कुल खुदरा ऋण	91086	104735	15%

मुख्य तथ्य:

- उपलब्ध संभावनाओं को व्यवसाय में बदलने के लिए नवी मुंबई और बंगलुरु दक्षिण में अतिरिक्त खुदरा संपत्ति प्रसंस्करण केंद्र (आरएपीसी) खोले गए हैं, जिनकी कुल संख्या 74 हो गई है।
- आवास और वाहन ऋण के वित्तपोषण के लिए, बैंक ने क्रमशः प्रमुख कॉर्पोरेट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) और 4-व्हीलर कंपनियों को अपने साथ गठजोड़ किया है।
- शिक्षा ऋण उत्पादों को संस्थान की श्रेणी के आधार पर प्रीमियर एलीट, प्रीमियर स्पेशल, प्रीमियर और अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 24 में, शिक्षा ऋण के तहत प्रस्ताव जुटाने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थानों में 77 विशिष्ट शिविर आयोजित किए गए।

4(सी) कृषि

31 मार्च 2024 को बैंक का कृषि ऋण 19% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹101937 करोड़ से ₹121062 करोड़ हो गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

कृषि	31.03.2023	31.03.2024	व-द-व
फसल ऋण	77894	92473	19%
निवेश ऋण	11980	13136	10%
संबद्ध कृषि	3610	5842	62%
बुनियादी संरचना और अनुषंगी	8453	9611	14%
कुल कृषि	101937	121062	19%

संवितरण:

- कृषि के लिए बुनियादी आधार पर दी जानेवाली ऋण (जीएलसी) के तहत, बैंक ने वार्षिक लक्ष्य ₹65000 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 24 के दौरान ₹84601 करोड़ वितरित किया।
- वित्त वर्ष 24 के दौरान, बैंक ने 50.52 लाख छोटे/सीमांत किसानों को कुल ₹53862 करोड़ की राशि वितरित की।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – वित्त वर्ष 24 में आरबीआई के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष निष्पादन

- 31.03.2024 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण ₹178527 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अनिवार्य लक्ष्य 40% के सापेक्ष 43.82% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि ऋण 31.03.2024 को ₹83590 करोड़ था और यह वित्त वर्ष 24 के लिए अनिवार्य लक्ष्य 18% के सापेक्ष एएनबीसी का 20.52% रहा।
- लघु किसान/ सीमांत किसानों को दिया गया ऋण ₹44242 करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 24 के लिए अनिवार्य लक्ष्य 10% के सापेक्ष एएनबीसी का 10.86% रहा।
- कमजोर वर्ग को दिया गया ऋण ₹54382 करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 24 के लिए अनिवार्य लक्ष्य 12% के सापेक्ष तिमाही औसत आधार पर एएनबीसी का 13.35% रहा।
- एमएसई-सूक्ष्म उद्यमों को दिया गया ऋण ₹47256 करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 24 के लिए अनिवार्य लक्ष्य 7.50% के सापेक्ष एएनबीसी का 11.60% रहा।
- गैर-कॉर्पोरेट किसानों को दिया गया ऋण ₹65364 करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनिवार्य लक्ष्य 13.78% के सापेक्ष एएनबीसी का 16.05% रहा।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिया गया ऋण:

- एसएचजी भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक है। स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण देना ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होती है और इस तरह ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होती है।
- 31.03.24 तक 4.21 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी का बकाया ऋण ₹19243 करोड़ था। वित्त वर्ष 24 के दौरान, बैंक ने 3.16 लाख एसएचजीको कुल ₹15689 करोड़ वितरित किया।
- बैंक ने वित्त वर्ष 24 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः ₹10243 करोड़ और ₹13597 करोड़ के सापेक्ष संवितरण ₹11839 करोड़ और बकाया ₹17995 करोड़ दोनों को पार कर लिया है।
- बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे उभरते क्षेत्रों में एसएचजी ऋण बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 24 के दौरान, माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से 44929 एसएचजी को ₹3159 करोड़ की ऋण राशि प्रदान की गई है, जो 'वन स्टॉप

शॉप' के रूप में सेवा करने वाली विशेष शाखाएँ हैं और ऋण के साथ-साथ प्रशिक्षण, खातों/बही खातों को बनाए रखने आदि जैसी क्रेडिट प्लस सेवाएँ भी प्रदान करती हैं।

- वित्त वर्ष 2024 में एसएचजी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, इसके तहत ऋण देने के लिए, बैंक ने 25 करोड़ रुपये से अधिक एसएचजी व्यवसाय वाली 57 एसएचजी गहन शाखाओं की पहचान की है और वित्त वर्ष 24 में इसे 30325 एसएचजी तक पहुँचाते हुए, इसकी राशि को 2218 करोड़ रुपये तक बढ़ाई है।

4(डी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- बैंक का एमएसएमई कारोबार 6% वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज कर 31 मार्च, 2024 को ₹84121 करोड़ रहा, जो 31.03.2023 को ₹79656 करोड़ था।
- मानक एमएसएमई अग्रिमों में वर्ष - दर - वर्ष 9.65% की वृद्धि हुई है।
- एमएसएमई व्यापारियों के लिए मर्चेन्ट क्रेडिट कार्ड, लैब ग्रीन डायमंड और पीएम विश्वकर्मा योजना एमएसएमई के तहत प्रारंभ किए गए नए उत्पाद हैं।
- समर्पित सोर्सिंग अधिकारियों के साथ 81 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्र (एमएपीसी) बैंक को नया व्यवसाय जुटाने, टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण ऋण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- डीलरों/विक्रेताओं को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए सप्लाइ चैन वित्तपोषण (एससीएफ) शुरू किया गया है।
- देश के प्रमुख स्टार्ट-अप केंद्रों में 10 स्टार्ट-अप सेल खोले गए हैं - अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गुडगांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई में एक-एक 10 स्टार्ट-अप सेल।

एमएसएमई क्लस्टर:

- एमएसई की स्थिरता और विकास को संबल प्रदान करने तथा उनके क्षमता निर्माण और इन क्षेत्रों के अप्रयुक्त पोटेंशियल का उपयोग करने के लिए, बैंक ने 83 क्लस्टर तैयार करने की योजना बनाई है ताकि इनके 74 जिलों को कवर करने वाले तटीय क्षेत्रों सहित एनईआर (उत्तर पूर्व क्षेत्र) और दक्षिणी राज्यों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर को उपयुक्त ढंग से तर्कसंगत बनाया गया है।

पीएमस्वनिधि (फूटपाथ विक्रेताओं को ऋण)

पीएमस्वनिधि योजना के तहत, बैंक ने 5.94 लाख फूटपाथ विक्रेताओं को ऋण प्रदान की है और ₹747 करोड़ संवितरित किए हैं।

मुद्रा

- बैंक ने ₹6950 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹7745 करोड़ (आरआरबी को छोड़कर) का मुद्रा ऋण वितरित किया है और वित्त वर्ष 24 के लक्ष्य का 111% हासिल किया है।

स्टैंडअप इंडिया

- बैंक ने 11384 के लक्ष्य को पार करते हुए स्टैंड अप इंडिया के तहत 11428 अ.जा./अ.ज.जा. /महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की है।

एमएसएमई प्रेरणा

- एमएसएमई प्रेरणा, एमएसएमई के लिए एक कारोबार परामर्शी कार्यक्रम है, जिसकी पहुँच ने 8 भाषाओं में 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में है।
- 31.03.24 तक, एमएसएमई प्रेरणा के 57 बैच आयोजित किए गए हैं और 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 8 भाषाओं में 1864 उद्यमियों (819 महिलाओं) को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टार्ट-अप वित्तपोषण

- इंड स्प्रींग बोर्ड को स्टार्टअप कंपनियों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार ऋण सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

बैंक ने 13 प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम आदि) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और 114 स्टार्ट-अप को ₹207 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

4(ई) कॉर्पोरेट ऋण

बैंक का कॉर्पोरेट ऋण ₹188242 करोड़ (मार्च 24) रहा, जोकि बैंक के समग्र घरेलू ऋण का 38% है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान कॉर्पोरेट ऋण वर्ष-दर-वर्ष 10% की वृद्धि हुई है और स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट ऋण वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि हुई है।

अधिक कारोबार संभाव्य केंद्रों पर स्थित 9 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएँ और 27 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

4 (एफ) विदेशी ऋण

बैंक की सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में तीन विदेशी शाखाएँ स्थित हैं और एक भारतीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) गांधी नगर, गुजरात में है। 31 मार्च 2024 तक विदेशी शाखाओं (आईबीयू सहित) का कुल बकाया अग्रिम (सकल) ₹35613 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष ₹29665 करोड़ के मुकाबले वर्ष -दर-वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कि गई।

4(जी) विदेशी मुद्रा कारोबार

- मार्च 2024 में बैंक का निर्यात ऋण (मानक) कारोबार वर्ष-दर-वर्ष 6% वृद्धि के साथ ₹2944 करोड़ हो गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट (ईबीआरसी) जारी करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ एपीआई एकीकरण।
- मोबाइल ऐप का उपयोग करके एनपीसीआई के समन्वय से सिंगापुर में सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे-नाउ उपलब्ध है।

4(एच) अनिवासी कारोबार

अनिवासी (एनआर) खंड में विशाल अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान अनिवासी (एनआर) कारोबार के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया गया था।

- एनआर ग्राहकों और शाखाओं को समर्थन देने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क प्रदान किया गया है। ग्राहकों के लिए डिजिटल मोड के माध्यम से इस डेस्क से संपर्क करने की सुविधा भी विकसित की जा रही है।
- यूएई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य चालू वित्त वर्ष में पूरा हो चुका है।
- कई विनिमय कंपनियों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के कदम उठाए जा रहे हैं।
- गैर-निवासियों के साथ 'इंड एनआर कनेक्ट' कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया, जिसमें ग्राहकों की भारी भागीदारी रही।



10.01.2024 को जालंधर में एनआरआई के साथ बैठक



20.01.2024 को मुंबई में एनआरआई के साथ बैठक

4(i) वित्तीय समावेशन

बीसी नेटवर्क:

31.03.2024 तक, बैंक के पास 11297 कारोबार प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 15 कॉर्पोरेट बीसी हैं।

पीएमजेडीवाई :

विवरण	मार्च 2023	मार्च 2024	वर्ष-दर-वर्ष
खाता (लाख में)	205	224	10%
शेष (करोड़ में)	9342	11106	19%

बैंक के पीएमजेडीवाई खाते में औसत शेष मार्च 23 के ₹4557 से बढ़कर मार्च 24 में ₹4953 हो गया, जो उद्योग जगत के औसत शेष ₹4422 से काफी अधिक है।

सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना :

(संख्या लाख में)

योजना का नाम	मार्च 2023	मार्च 2024	वर्ष-दर-वर्ष
पीएमजेबीवाई	43.74	64.35	47%
पीएमएसबीवाई	101.71	157.39	55%
एपीवाई	31.83	38.44	21%

- वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान सूक्ष्म पेंशन योजना एपीवाई में, बैंक ने 31.03.2024 तक 112 के उच्चतम औसत खाता प्रति शाखा (एएपीबी) के साथ 6.61 लाख नए नामांकन जोड़े हैं।
- बैंक ने परिचालन ट्रांसफॉर्मेशन के एक भाग के रूप में एक नया डिजिटल एफआई समाधान 'आईबी-साथी' लॉन्च किया है, जो बैंक को बीसी के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

4(जे) बैंकेश्योरेंस और म्यूचुअल फंड

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में बैंकेश्योरेंस कारोबार के माध्यम से ₹163 करोड़ की आय अर्जित की है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में ₹136 करोड़ की आय हुई थी।
- म्यूचुअल फंड वितरण हेतु बैंक ने हाल ही में पेपरलेस ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड सेवाओं के लिए मेसर्स इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईबीएमबीएस) के साथ समझौता किया है।

4(के) सरकारी जमा/बचत योजनाएं

बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सॉवरन गोल्ड बांड (एसजीबी), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आदि के तहत निधि एकत्र कर रहा है।

5. शाखा नेटवर्क और विस्तार

- 31.03.2024 तक बैंक का घरेलू शाखा नेटवर्क 5847 था, जिसमें 1985 ग्रामीण, 1530 अर्ध शहरी, 1174 शहरी और 1158 महानगरीय शाखाएँ शामिल थीं। बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ सिंगापुर, कोलंबो, जाफना में भी हैं, और गिफ्ट सिटी गांधी नगर, गुजरात में एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) है।

- वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क को 79 ग्राहक इंटरफ़ेस शाखाओं तक बढ़ाया है जिसमें 9 मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ और एसएचजी के लिए 1 माइक्रोसेट शाखा शामिल है। नई खुली 79 शाखाओं में से, 19 बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में, 5 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जिलों में और 1 उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में हैं। बैंकिंग आउटलेट्स के समेकन की दिशा में वित्त वर्ष 24 के दौरान 19 शाखाओं को युक्तिसंगत बनाया गया।

6. डिजिटल परिवर्तन एवं अंगीकरण

तेज, निर्बाध और वैयक्तिकृत सेवाओं / आवश्यकताओं के रूप में ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। बैंक ने डिजीटलीकरण के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की है। बैंक अप्रैल 2022 में प्रोजेक्ट वेव (वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस) के तहत अपना पहला डिजिटल उत्पाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) लेकर आया।



मार्च 2024 तक, बैंक ने खुदरा संपत्ति, कृषि, एमएसएमई, देयता और तीसरे पक्ष के उत्पादों के तहत (21 प्रक्रियाओं और पोर्टलों सहित) शाखा में उपलब्ध 78 डिजिटल यात्राएँ (डिजिटल उत्पाद) - एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) शुरू की है।

- डिजिटल यात्राओं के माध्यम से अर्जित कुल व्यवसाय ₹81250 करोड़ था, जिसमें से ₹70491 करोड़ रैम (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) अग्रिमों के माध्यम से और ₹10759 करोड़ जमा से था।
- बैंक कर्मचारी सहभागिता सत्रों के माध्यम से आंतरिक आउटरीच आयोजित करने के अलावा विभिन्न चैनलों के माध्यम से नई डिजिटल पेशकशों को अपनाने के लिए ग्राहक आउटरीच चला रहा है और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक प्रत्येक ग्राहक को बैंक के कम से कम एक डिजिटल उत्पाद में शामिल करने की योजना बना रहा है।

मोबाइल बैंकिंग :

- बैंक, ग्राहकों को उनके स्मार्टफोन पर सहज व सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी मोबाइल बैंकिंग क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें त्वरित और सुविधाजनक लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई, बीबीपीएस, डिजिटल मार्केट प्लेस आदि जैसे मोबाइल भुगतान समाधानों को एकीकृत करते हुए ओमनी-चैनल अनुभव के साथ उन्नत यूआई/यूएक्स प्रदान करना सम्मिलित है। इसकी सार्वजनिक रूप से शुरुआत वित्तीय वर्ष 25 में निर्धारित है।
- वित्तीय वर्ष 24 में मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर 52 लाख नए उपयोगकर्ता जोड़े गये हैं। बैंक का संचयी उपयोगकर्ता आधार 167 लाख है, जो सालाना आधार पर 45% की वृद्धि दर्शाता है।
- मोबाइल बैंकिंग चैनल के तहत डिजिटल लेनदेन में वित्त वर्ष 24 में 21% सालाना वृद्धि दर्ज की गई।

इंटरनेट बैंकिंग :

- वित्त वर्ष 24 में 28 लाख उपयोगकर्ता इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जोड़े गये हैं। वर्ष -दर-वर्ष 37% की वृद्धि दर्ज करते हुए इंटरनेट बैंकिंग में बैंक का संचयी उपयोगकर्ता आधार 106 लाख है।
- इंटरनेट बैंकिंग चैनल के तहत डिजिटल लेनदेन में वित्तीय वर्ष 24 के लिए 59% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है।

7. विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र (एसीओई)

नवाचार को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में सुधार लाने और पूरे संगठन में डेटा संचालित संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई) की स्थापना की गई। बैंक में निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एसीओई द्वारा विभिन्न डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक मॉडल (वर्णनात्मक, पूर्वानुमानात्मक और निर्देशात्मक) विकसित किए गए हैं।

8. ऋण निगरानी

संपूर्ण ऋण जीवनचक्र को कवर करने वाले प्रतिबंधों की जांच से ऋण निगरानी शुरू होती है। ऋण के वितरण से लेकर ऋण बंद होने तक या एनपीए होने तक संपत्ति के जीवन काल के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ-साथ नए अनियमित ऋण की रोकथाम और नए एनपीए का उन्नयन अर्थात् सुधार।

- वि व 24 के दौरान नया एनपीए ₹6636 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2023 में नए ऋणों के अनियमित संबंधी अनुपात को 1.75% से घटाकर वित्तीय वर्ष 24 में 1.49% कर दिया गया।
- संतोषजनक निष्पादन के कारण वि व 24 के लिए कुल मानक अग्रिम के लिए पुनर्गठन बही का मानक अग्रिम वि व 23 के 3.40% से घटकर 2.40% हो गया है।
- ऋण खातों में हमारे संग्रहण में सुधार के लिए बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली) के तहत एनपीसीआई के साथ बिलर के रूप में बैंक को शामिल किया गया।
- ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा उद्योग के भीतर ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए – सर्वोत्तम टीएटी स्तर के लिए 'बेस्ट कंज्यूमर डिलाइट पीएसयू कंज्यूमर' (वित्तीय वर्ष 2023-24) के रूप में सम्मानित किया गया।

9. परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- दिनांक 31.03.24 को बैंक के 3.95% जीएनपीए की संपत्ति की गुणवत्ता में पिछले वर्ष 31.03.23 को 5.95% की तुलना में सुधार हुआ है और 31.03.23 के 0.90% निवल एनपीए अनुपात की तुलना में 31.03.24 को एनपीए अनुपात बेहतर होकर 0.43% हो गया है।
- बैंक का प्रावधान कवरेज (टीडबल्यूओ सहित) अनुपात 31.03.24 को 96.34% है एवं यह 31.03.23 के 93.82% से बेहतर हुआ है।
- बैंक ने एनसीएलटी स्वीकृत खातों से वित्त वर्ष 24 के दौरान ₹1817 करोड़ की वसूली की है।
- सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के तहत, वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, ₹1201 करोड़ के बिक्री मूल्य की 1623 परिसंपत्तियों की बिक्री की गई।
- बैंक ने सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया और मंडल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का आयोजन किया। ₹343 करोड़ की राशि से 33584 खातों का निपटान किया गया।

- खराब ऋण बट्टे खाते में डाले गए खातों (एयूसी) के तहत, वित्तीय वर्ष के दौरान ₹2858 करोड़ की राशि वसूल की गई।

10. नकदी प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस)

- बाजार-अग्रणी एपीआई-फ्रस्ट, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर सीएमएस प्राप्त किया।
- मैंडेट पंजीकरण के लिए डिजिटल डायरेक्ट डेबिट उत्पाद आरंभ करने वाला पहला पीएसबी।
- आधार, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ई - एनएसीएच पंजीकरण शुरू किया गया।
- वी-कलेक्ट पर आईएमपीएस संग्रह शुरू किया गया, जिससे बी2सी संग्रह उत्पाद को काफी मजबूती मिली।

11. जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से जुड़े हानि की संभावना है। हानि पूर्ण डिफॉल्ट या पोर्टफोलियो मूल्य में कमी से उत्पन्न होती है।

बैंक के पास अपने खुदरा और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ऋण जोखिम उपाय, नीतियां, प्रक्रियाविधि और प्रणालियां उपलब्ध हैं। क्रेडिट गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं बैंक-एंड पर डिफॉल्ट नुकसान को कम करने के लिए सिस्टम मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, पोर्टफोलियो व्यवहार के आधार पर ग्राहकों के विभिन्न सेगमेंट का आकलन करने के लिए कई क्रेडिट जोखिम स्कोर कार्ड मॉडल विकसित किए गए और उपयोग किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट ऋणों के संबंध में, क्रेडिट जोखिम को उधारकर्ता समूह, उद्योग, रेटिंग ग्रेड, सुविधा और देश आदि के आधार पर एक्सपोजर और प्रवेश बाधाओं को कैप करके प्रबंधित किया जाता है। वित्त पोषण के लिए नकारात्मक क्षेत्र या ध्यान केंद्रित किए जाने वाले उद्योग के दृष्टिकोण का आकलन करने हेतु सक्षम मॉडल मौजूद हैं।

पोर्टफोलियो के तनाव की जाँच हेतु व्यापक आर्थिक /सेक्टरल और अन्य रुझानों जैसे नियामक सुझाव से परे विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों को अपनाया जा रहा है।

बैंक के पास एनपीए पर विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ मानक आस्तियों के लिए नियामक सुझावों से परे अतिरिक्त प्रावधानों के लिए एक संतुलित और विवेकपूर्ण नीति है।

डिजिटल ऋण ग्राहकों के लिए सिर्फ एक क्लिक पर ऋण सुरक्षित करने का एक सुविधाजनक और त्वरित तरीका बनकर उभरा है। बैंक ने ऋण पात्रता के उचित मूल्यांकन के माध्यम से इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उचित उपाय अपनाए हैं। ऋणी के जोखिम प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए एपीआई के एकीकरण के साथ बिजनेस रूल इंजन को मजबूत बनाया गया है।

सस्टेनेबल फाइनेंस बैंक के प्रयास से अपने पोर्टफोलियो वृद्धि में जलवायु परिप्रेक्ष्य का प्रयास है। ग्रीन फाइनेंस के लिए चिन्हित कुछ प्रमुख उद्योग खंड अक्षय ऊर्जा - सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन, जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल हैं। कोयला और खनन क्षेत्र में

बैंक का एकसपोजर कुल एकसपोजर का 1% से भी कम है। बैंक में क्रेडिट पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविध है, किसी एक उद्योग में उच्च एकाग्रता नहीं है। क्रेडिट पोर्टफोलियो में जलवायु जोखिम के प्रबंधन के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियाँ मौजूद हैं।

ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क

बैंक ने ऋण समीक्षा फ्रेमवर्क को अपनाया है, जिसमें ऋण प्रस्तावों का ऋण जोखिम मूल्यांकन और उसका कम जोखिम/मध्यम जोखिम/उच्च जोखिम/नो-गो के रूप में जोखिम वर्गीकरण शामिल है जिसका आधार सात व्यापक मानदंड यथा उधारकर्ता, प्रमोटर और समूह संस्थाएं, गतिविधि/उद्योग, प्रतिभूति कवरेज, सुविधाओं का संचालन, रेटिंग और अनुपालन की स्थिति के साथ-साथ व्यक्तिपरक जोखिम मापदंडों में अंतर्निहित जोखिम कारकों के विश्लेषण पर मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स है। यह ढांचा ऋणी के सुदृढ़ क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम रेटिंग के अतिरिक्त है, जो कॉर्पोरेट्स के लिए ₹50 करोड़ और उससे अधिक और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ₹10 करोड़ और उससे अधिक के ऋण प्रस्तावों पर लागू होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एकसपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है।

बैंक की आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) समय-समय पर बैंक की आस्ति और देनदारियों की समीक्षा करती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन:

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एकसपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एकसपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना।

परिचालन जोखिम:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) स्थापित किया है ताकि परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी नियंत्रण, जोखिम के मूल्यांकन और मात्रा का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। परिचालनात्मक जोखिम को उचित गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है और दिन-प्रतिदिन की प्रबंधन प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है और विभिन्न जोखिम कम करने वाली रणनीतियों को अपनाया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम धारणाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) के लिए रूपरेखा तैयार की है। रिस्क और कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट का उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए किया जाता है।

प्रमुख परिचालन हानि घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण कार्यप्रणाली, विफल नियंत्रण और नियंत्रण अंतराल का पता लगाने के लिए किया जाता है।

निष्कर्षों के आधार पर, उपयुक्त शमन रणनीतियाँ तैयार की गई हैं जैसे कि जहां भी संभव हो प्रक्रिया का स्वचालन, दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए घटना से ली गई सीखे लेना तथा सतर्क रहने के लिए क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना आदि।

बेसल III पूंजी विनियम:

बेसल III कैपिटल रेगुलेशन 1 अप्रैल, 2013 से भारत में प्रभावी हो गया है और 1 अक्टूबर, 2021 से पूरी तरह से लागू हो गया। बैंक की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी 13.52%, अतिरिक्त टियर 1 0.51% और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.44% है।

जरूरत पड़ने पर बैंक के पास सभी रूपों में पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त साधन हैं।

बेसल III पूंजी नियमों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरण के एक उन्नत सेट की भी आवश्यकता होती है जो बैंक की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर प्रकाशित होते हैं। बैंक लीवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) का भी खुलासा कर रहा है।

पूंजी संरक्षण की दिशा में निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बैंक द्वारा एक समग्र पूंजी संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

12. मानव संसाधन प्रबंधन

ए) मानव संसाधन की स्थिति

दिनांक 31.03.2024 तक बैंक में मानव संसाधन की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ग	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पुरुष	महिला
अधिकारी	25610	7622	4952	2013	18395	7215
लिपिक	12089	3810	2615	650	7693	4396
उप-कर्मचारी	2239	530	1064	138	1932	307
पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी*	249	26	193	11	189	60
कुल*	40187	11988	8824	2812	28209	11978

(*घरेलू, अंशकालिक स्वीपर को छोड़कर)

बी) भर्ती अभियान

वित्त वर्ष 24 के दौरान 1041 कर्मचारियों (पीओ: 223, विशेषज्ञ अधिकारी: 407, क्लर्क: 387, उप-कर्मचारी: 24) को शामिल किया है।

सी) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), बेंचमार्क दिव्यांगत (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएस) उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाता है। पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- बैंक में एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी /ईएक्सएस के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी और ओबीसी के लिए महाप्रबंधक स्तर का एक मुख्य संपर्क अधिकारी है, जो एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूबीडी / ईएक्सएस कर्मचारियों की शिकायतों (यदि कोई हो) का निवारण करता

है। एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूबीडी /ईएक्सएस कर्मचारियों की शिकायतों की देखभाल के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय एचआरएम विभाग में एक अलग समर्पित सेल काम कर रहा है।

- जेएमजी स्केल-1 में लिपिक संवर्ग से अधिकारी तक की पदोन्नति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है।

डी) मानव संसाधन संबंधी पहल:

- पूर्णतः डिजिटल एचआरएमएस पोर्टल (एचआर कनेक्ट) का शुभारंभ:** 36 एचआर से संबंधित मॉड्यूल के साथ नया एचआरएमएस पोर्टल लाइव है और कर्मचारियों के लिए 24x7 उपलब्ध है। यह पूरी तरह से कागज रहित और स्वचालित समाधान की दिशा में एक पहल है।
- नए युग का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PMS):** इसका उद्देश्य इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और मजबूत व्यक्तिगत विकास योजना के साथ प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन करना है। यह प्रदर्शन उन्मुख संस्कृति विकसित करने के लिए एक डिजिटल पहल है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, निम्नलिखित पहलों को लागू किया गया है:
 - रोल क्लैरिटी टूल 2.0, कर्मचारी सर्वेक्षण, पीएमएस प्रोफाइलर, अपस्किंग टूल, डिजिटल केआरए लाइब्रेरी लागू की गई
 - 11 प्रमुख बैंकिंग डोमेन में विशेषज्ञ कार्यबल बनाने के लिए जॉब फैमिली अवधारणा शुरू की गई है
 - सभी जॉब फैमिली को कवर करते हुए 9 केंद्रों पर सेंटर-ऑफ-एक्सीलेंस (इंडियन बैंक लर्निंग अकादमी) का निर्माण
 - गैर-मौद्रिक प्रदर्शन से जुड़े पुरस्कारों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुरस्कार और मान्यता नीति (स्केल IV तक के फील्ड अधिकारियों के लिए)
- हेल्थ केर:** सेवारत एवं सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श हेतु मेसर्स प्रैक्टो के साथ टाई अप: 40846 नामांकित

13. मानव संसाधन विकास

- एचआर कनेक्ट में ईएलएम (एंटरप्राइज लर्निंग मैनेजमेंट) को कर्मचारियों के निर्बाध शिक्षण अनुभव के लिए शुरू किया गया, जिसमें भूमिका आधारित लक्षित व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- बैंक के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने तथा बैंक के विजन के अनुरूप इन-हाउस प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए 11 जॉब फैमिली के अनुसार सेंटर-ऑफ-एक्सीलेंस (सीओई) को मंजूरी दी गई है। पायलट आधार पर, मानव संसाधन से संबंधित प्रशिक्षणों के लिए दिसंबर 2023 को इमेज में पीपुल एक्सीलेंस (सीओई) लॉन्च किया गया है।
- बैंक के विजन के अनुरूप मार्च 2024 तक 6638 अधिकारियों के लिए परिकल्पित स्किल टेस्ट के साथ भविष्य के लिए टैलेंट पूल बनाने के लिए, स्किल गैप असेसमेंट आयोजित किया गया था।
- वित्त वर्ष 24 में 87538 प्रतिभागियों (29750 विशिष्ट कर्मचारियों) के साथ 3069 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- बैंक ने केवाईसी-एमएल/अनुपालन पर प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए आईआईबीएफ मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और वित्त वर्ष 24 के दौरान 1314 कर्मचारियों को प्रमाणित किया गया है।

- एससीआई, हैदराबाद के माध्यम से 356 कार्यपालकों के लिए योग्यता मूल्यांकन आयोजित किया गया।
- एडवांस विदेशी मुद्रा कार्यक्रम, एडवांस क्रेडिट कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि /बागवानी एवं संबद्ध परियोजनाओं के वित्तपोषण, आईएस सिक्वोरिटी एजाइल और डिजिटल अपनाने पर अधिकारियों को वर्टिकलवार प्रशिक्षण दिया गया।



इंडियन बैंक के श्री सुनील ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट ल्होत्से पर चढ़ाई की।

14. ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्राहक संतुष्टि के स्तर को सुधारने के लिए समय-समय पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च कर रहा है।

शिकायत निवारण के तरीके:

- राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर **18004250000** के साथ 24x7 उपलब्ध है।
- ग्राहक ई-मेल **customercomplaints@indianbank.co.in** के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं
- ग्राहक सीजीआरएस पोर्टल के माध्यम से 24x7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005:

कॉर्पोरेट कार्यालय में ग्राहक सेवा विभाग के अंतर्गत आरटीआई सेल आवेदनों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों का निवारण कर रहा है। सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है।

15. सूचना प्रणाली सुरक्षा

बैंक बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ग्राहक डेटा सुरक्षा को सर्वोपरि लक्ष्य बनाकर अपने ग्राहकों को सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करता है। सीआईए का त्रय गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता व्यापक सूचना सुरक्षा ढांचे को तैयार करने के मुख्य बिंदु हैं। बैंक हैकटिविस्ट प्रयासों की अधिकता से सुरक्षा पर भी जोर देता है और उसे लागू करता है, जिसमें फिशिंग सिमुलेशन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और जागरूकता पहल शामिल हैं और ग्राहकों को सरल और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है।

सुरक्षा रणनीति के प्रमुख तत्व:

- स्तरित 'डिफेंस-इन-डेप्थ' रणनीति प्रौद्योगिकी स्तर पर रक्षा की कई पंक्तियां प्रदान करती है।
- प्रौद्योगिकी परिदृश्य में शासन की मजबूत रूपरेखा स्थापित की गई है।

- साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली समर्पित टीमें स्थापित की गई हैं।
- जिरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की दिशा में कार्य करना।
- चुस्त टीमों द्वारा प्रणालियों की 24x7 निगरानी और निरीक्षण।
- नये अनुप्रयोगों या सर्वरों को शामिल करते समय कड़ी सुरक्षा और गेटिंग नियंत्रण।
- आंतरिक नियंत्रण में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सर्ट-इन सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा समय-समय पर बाह्य सुरक्षा का आकलन।
- बैंक को आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया है।

16. आंतरिक नियंत्रण

क) निरीक्षण

- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में सभी शाखाएं और व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं।
- समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत 1118 शाखाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 71.82% घरेलू अग्रिम शामिल हैं, इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी विशिष्ट वर्टिकल और चुनिंदा विभाग भी शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 24 के दौरान 90 अंचल कार्यालयों, 14 एफजीएमओ और 34 कॉर्पोरेट कार्यालय के विभागों में प्रबंधन लेखा परीक्षा आयोजित की गई।
- समीक्षा अवधि के दौरान, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, अनुप्रयोग, नेटवर्क, सुरक्षा उपकरण और प्रक्रिया एवं मानव संसाधन सहित विलय के बाद की आईटी अवसंरचना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, भेद्यता मूल्यांकन एक बाहरी लेखापरीक्षा फर्म द्वारा किया गया।
- शाखाओं को 34 प्रकार के अलर्ट भेजने के लिए ऑफसाइट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

ख) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (ईएफआरएम):

सुरक्षित और संरक्षित डिजिटल बैंकिंग यात्रा प्रदान करने के लिए, बैंक ने ईएफआरएम समाधान लागू किया है जो डिजिटल चैनलों पर होने वाले संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले लेनदेन की निगरानी करता है। वर्तमान में, ईएफआरएम को एटीएम, पीओएस, ई-कॉम, रिटेल/कॉर्पोरेट आईएनबी, इंडओएसिस, यूपीआई, ईपीएस, क्रेडिट कार्ड, सीबीएस और एक्जिम बिल के साथ एकीकृत किया गया है।

साइबर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (सीएफआरएम) सेल:

साइबर अपराधों से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक समर्पित साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) और एक हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। कॉर्पोरेट कार्यालय में सीएफआरएम सेल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में रिपोर्ट की गई साइबर धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए 24x7 आधार पर कई शिफ्टों में काम कर रहा है।

साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के बारे में नियमित ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया पर शैक्षिक वीडियो आदि के माध्यम से ग्राहकों के बीच साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता पैदा की गई है।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदर्शन:

बैंक ने केवाईसी-एएमएल-सीएफटी (आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध) नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जो बैंक के 'केवाईसी मानदंडों, एएमएल मानकों, सीएफटी उपायों और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत बैंक के दायित्व के कार्यान्वयन' का आधार है।

- बैंक ने एक एएमएल एप्लीकेशन को अपनाया है जो एफआईयू-आईएनडी द्वारा सुझाए गए 94 रेड फ्लैग इंडिकेटर (आरएफआई) के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल)/आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) के नजरिए से ग्राहकों के लेन-देन की निगरानी करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, यह एप्लीकेशन दुनिया भर के विनियामकों द्वारा प्रकाशित प्रमुख स्वीकृत सूचियों के विरुद्ध ग्राहक के नाम की स्क्रीनिंग करने में सक्षम बनाता है और संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन की जांच के लिए स्वचालित एएमएल अलर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- 'एएमएल सॉफ्टवेयर' ग्राहकों के खातों में लेनदेन के आधार पर सिस्टम-आधारित अलर्ट उत्पन्न करता है और बैंक (एफआईयू-इंड) संबंधित लेनदेन/गतिविधि के संदेह की प्रकृति के बारे में संतुष्ट होने के बाद वित्तीय बुद्धिमत्ता इकाई-भारत को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और अन्य अनिवार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर): - आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंक को व्यक्तिगत और विधिक इकाई खातों के लिए सीकेवाईसीआर पोर्टल पर केवाईसी डेटा अपलोड करना है।
- बैंक ने ग्राहकों की सीकेवाईसीआर आईडी का उपयोग करके परेशानी मुक्त नई सीआईएफ खोलने की प्रक्रिया शुरू की है।

17. अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में महाप्रबंधक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है जो बैंक के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न वैधानिक और नियामक दिशानिर्देशों के पालन की निगरानी करता है।

18. सतर्कता

सतर्कता विभाग बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं जो सीवीसी, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सीबीआई आदि के साथ संपर्क करने के लिए बैंक के सतर्कता संबंधी मामलों के नोडल अधिकारी हैं। यह निम्न पर प्रमुख केंद्रण के साथ सक्रिय तरीके से कार्य कर रहा है

- निवारक सतर्कता पहल
- बैंक के प्रशासन में प्रणालीगत सुधार का सुझाव देना
- सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप संबंधित अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा सतर्कता से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों के संचालन और समापन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी
- वित्तीय वर्ष के लिए चुने गए शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण करना।

- फील्ड सतर्कता इकाइयों/अंचल कार्यालयों के माध्यम से सतर्कता और धोखाधड़ी वाली शिकायतों की जांच का संचालन।

विभिन्न निवारक तंत्रों के महत्व पर जोर देने के लिए वित्त वर्ष 2024 में क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में 'सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता' पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एफजीएमओ, अंचल और विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अधिकारियों ने विधिवत भाग लिया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू)

- वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 05 नवंबर 23 तक 'भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध' थीम पर मनाया गया। यू-ट्यूब चैनलों पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ वेबिनार आयोजित किए गए जिन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित हस्तियों ने संबोधित किया।

19. सुरक्षा

- सभी शाखाएं इलेक्ट्रॉनिक बर्गलर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम और हाई डेफिनिशन डीवीआर/एनवीआर आधारित सीसीटीवी समाधानों से सुसज्जित हैं। अत्यधिक आभूषण ऋण वाली शाखाओं पर विशेष जोर देते हुए शाखाओं का सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है।
- देशभर में बैंक के अपने एटीएम में केंद्रीकृत निगरानी के साथ 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ई-निगरानी) क्रियान्वित की गई है।
- बैंक की कैश वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मुद्रा प्रकोष्ठों में द्वि-वार्षिक फायर ऑडिट आयोजित किए गए हैं।

20. परिसर

- चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय को गोल्ड रेटिंग स्टेटस के साथ ग्रीन बिल्डिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बैंक ने इमेज ऑडिटोरियम में 93 KWP सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रधान कार्यालय / कॉर्पोरेट कार्यालय बिल्डिंगों में 106 KWP सौर ऊर्जा संयंत्र, चेन्नै शहर की 11 शाखाओं में 115 KWP सौर ऊर्जा संयंत्र और अन्य स्थानों पर 80 KWP सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय भवनों में प्रकाश सेंसर स्थापित किए गए हैं और बैंक इसे देश भर के सभी अंचल कार्यालयों/शाखाओं में लगाने की योजना बना रहा है।
- सभी शाखाओं/कार्यालयों में एलईडी फिटिंग उपलब्ध है।

21. विपणन :

सोशल मीडिया ब्रांडिंग पहल

बैंक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात् फेसबुक, × (ट्विटर), यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंकडइन पर सक्रियता से मौजूद है तथा विभिन्न उपलब्धियों, स्मरणीय घटनाओं और ग्राहक-संबंधी गतिविधियों को साझा करके उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ने के अतिरिक्त अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। इससे बैंक को वित्त वर्ष 24 के अंत तक अपने फॉलोअर्स की संख्या 2.7 मिलियन से अधिक करने में मदद मिली।

स्वचालित डिजिटल साइनेज (एडीएस) कार्यान्वयन

बैंक ने अपने उत्पादों, सेवाओं, नियामक अपडेट और साइबर सुरक्षा पहलुओं

के बारे में आंतरिक और बाहरी दर्शकों को अद्यतित रखने हेतु संभावित शाखाओं और कार्यालयों में रणनीतिक रूप से 2229 एडीएस तैनात किए हैं।

एआई - समर्थ चैटबॉट

उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एल्गोरिदम का उपयोग करके चौबीसों घंटे उपयोगकर्ता के प्रश्नों को संबोधित करने की क्षमताओं के साथ एआई-संचालित चैटबॉट आद्या को एकीकृत करके बैंक की वेबसाइट को समृद्ध किया गया है। उत्पाद संबंधित पूछताछ, बैलेंस पूछताछ, खाता विवरण, चेक बुक आवेदन, लीड जनरेशन आदि जैसे अनुरोधों को संबोधित करने के लिए गाइडेड मेनू उपलब्ध है।

आजादी का अमृत महोत्सव (अकम) का उत्सव

भारत सरकार की प्रमुख पहल 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत, समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियाँ शुरू की गईं। गतिविधियों में 'मेरी माटी मेरा देश' का पालन, 'वाटिका' का रोपण, 'हर घर तिरंगा' के अलावा 'वीरों' को सलाम करना शामिल है। एक महीने तक चलने वाला 'अन्न सेवा अभियान' विभिन्न बाल गृहों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, कैंसर रोगियों के आश्रयों आदि को कवर करते हुए चलाया गया।

22. कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन:

बाह्य संचार

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ग्राहक केंद्रित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके ग्राहक प्रतिभागिता में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू कीं। इसके अतिरिक्त, सरकार की विभिन्न योजनाओं, कल्याणकारी उपायों और बैंक की उपलब्धियों को प्रचारित करने के प्रयास किए गए।
- बैंक ने विभिन्न अवसरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकों और शीर्ष प्रबंधन के विशेष साक्षात्कारों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ संचार की सुविधा के लिए भौतिक और आभासी प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया।
- वित्तीय परिणामों की घोषणा, उत्पादों के लॉन्च, आउटरीच गतिविधियों, स्वच्छता पखवाड़ा, सीएसआर गतिविधियों, 117वें स्थापना दिवस समारोह आदि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से व्यापक कवरेज प्राप्त हुई।
- ट्रिविजन बोर्ड, ग्लो बॉल टावर्स, एलईडी डिजिटल स्क्रीन आदि के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों में आउट ऑफ होम (ओओएच) के माध्यम से विज्ञापन अभियान चलाए गए।
- आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएम) एंकर माह के दौरान, बैंक एकम थीम आधारित विज्ञापन दक्षिण भारतीय भाषा के प्रमुख समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और एफएम रेडियो में जारी किए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

- देश में समाज के सीमांत वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की बैंक की प्रतिबद्धता विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है।

सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं समावेशी विकास, वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल बढ़ाना, हरित पहल एवं कार्बन फुट-प्रिंट को कम करने वाली पर्यावरणीय स्थिरता, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण।

सीएसआर की झलकियां :

बैंक की विभिन्न सीएसआर पहल समुदायों के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण की बेहतर के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। बैंक द्वारा की गई कुछ सीएसआर गतिविधियों की तस्वीरें नीचे साझा की गई हैं:



एमडी एवं सीईओ श्री एस एल जैन ने कैंसर से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके घर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए कैंनकेयर फ़ंदाउंडेशन को दो पहिया वाहनों की चाबियां सौंपीं। बैंक ने फ़ंदाउंडेशन के माध्यम से कैंसर रोगियों के लिए कीमती थेरेपी सत्र भी प्रायोजित किए।



दिव्यांगों के लिए आउटरीच गतिविधियों को चलाने के लिए एनआईडीपीएमडी, कोवलम को महिंद्रा बोलेरो प्रदान की गई



हृदय रोगियों को आपातकालीन उपचार प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुडुचेरी को डिफ़ फाइब्रिलेटर प्रायोजित किए गए।



आजादी का अमृत महोत्सव एंकर माह के तहत चेन्नै के ऐय्यपाक्कम सरकारी जीएचएसएस में स्कूल बैग, डेस्क और बैच प्रायोजित किए गए



श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ ने उदयपुर के सरकारी विद्यालयों को विद्युत घंटियां सौंपी

23. खेल

वित्तीय वर्ष 2023 - 24 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कर्मचारियों की उपलब्धियां



एथलेटिक्स

हमारी एथलीट सुश्री गिरिधारिणी (हमारे देश की सबसे तेज महिला) ने अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु के कांतीरवावा स्टेडियम में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया।

बास्केटबॉल

हमारे बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्थात मेसर्स पी बालाधेश्वर, मुईन बेक हफीज और श्री प्रशांत सिंह रावत ने एफआईबीए एशिया कप 2023, विश्व कप क्वालीफायर, प्री-ओलंपिक क्वालीफायर और एशियाई खेल 2023 में भारतीय सीनियर पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व किया।



अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट-करूर (विजेता)



अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट - नुज्विद-आंध्र प्रदेश (विजेता)

पैराशूटिंग



सुश्री पूजा अग्रवाल ने सितंबर 2023 को पेरु में आयोजित लीमा विश्व पैराशूटिंग चैम्पियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता

वालीबॉल



हमारे वालीबॉल खिलाड़ी श्री ए.एम. मनोज ने एशियाई खेलों 2023 में भारतीय सीनियर पुरुष वालीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया।

24. राजभाषा विभाग

- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (राजभाषा विभाग, भारत सरकार) द्वारा रांची और कोलकाता उत्तर अंचल कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया।
- क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की पहल के रूप में इमेज द्वारा गैर-तमिल भाषी अधिकारियों के लिए विशेष आपसी संवादात्मक तमिल कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, बांग्ला और मलयालम में वार्तालाप पुस्तिकाएं तैयार की गईं और विभिन्न अंचलों में पदस्थ कर्मचारियों को वितरित की गईं।



अंतर - बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने हेतु इंडियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा 'चैम्पियन ट्रॉफी' प्रदान की गई। हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ट्रॉफी प्राप्त करते हुये।

"Champion Trophy" was awarded to Indian Bank by the Regional Director, Reserve Bank of India (Chennai) for obtaining the highest number of prizes in the inter-bank Hindi competitions. The Trophy was received by Managing Director and Chief Executive Officer.



दिनांक 09.06.2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व वि.सं.), चेन्नै की अर्धवार्षिक बैठक के दौरान हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 'आओ बांग्ला सीखें' पुस्तिका का विमोचन किया गया।

"Aao Bangla Sikhein" booklet was released by Managing Director and Chief Executive Officer during the half-yearly meeting of the Town Official Language Implementation Committee (Banks and FI), Chennai on 09.06.2023.



लोनावाला (पुणे) में निरीक्षण के दौरान राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा "आओ मलयालम सीखें" पुस्तिका का विमोचन किया गया।
"Aao Malayalam Sikhein" booklet was released by the Deputy Chairman of the Committee on Official Language during the inspection at Lonavala (Pune).

25. पुरस्कार एवं सम्मान



माक्सिमेल डेली
2023-24 के लिए वीएफएसआई क्षेत्र में सबसे पसंदीदा कार्यस्थल



एआईएक्स इन्वॉयरमेंट हेतु क्लाउड कंप्यूटिंग अपनाने के लिए बैंकिंग उद्योग में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए बैंक को वीएफएसआई पुरस्कार।

श्री दीपक सारड़ा, मुख्य महाप्रबंधक, आईटी और पार्टनरशिप सीटीओ / सीआईओ को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर सीटीओ - वित्तीय वर्ष 23 के लिए।



आईबीए का 19वां वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, प्रदर्शनी और प्रशस्ति पत्र - सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक - विशेष सम्मान।



वित्तीय वर्ष 24 में एपीवाई के तहत प्राप्त पुरस्कार:

वित्तीय वर्ष 24 में एपीवाई के तहत प्राप्त पुरस्कार:

बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए एपीवाई लीडरशिप पिनेकल अभियान: बैंक ने लक्ष्य का 181.95% उपलब्धि के साथ सभी पीएसबी में शीर्ष स्थान हासिल किया और उत्कृष्टता का अनुकरणीय पुरस्कार प्राप्त किया।

बैंकों के ईडी के लिए एपीवाई सर्कल ऑफ़ एकसीलेंस अभियान: बैंक ने लक्ष्य से 178.42% की उपलब्धि के साथ सभी पीएसबी में शीर्ष स्थान हासिल किया और उत्कृष्टता का अनुकरणीय पुरस्कार प्राप्त किया।





प्रायोजक बैंकों और आरआरबी के लिए एपीवाई राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कप - सभी टीमों के बीच दूसरा स्थान - एपीवाई चैम्पियनशिप अनुकरणीय पुरस्कार के साथ - साथ उत्कृष्टता की चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्राप्त की।



लक्ष्य का 243% प्राप्त करने के लिए पीएफफआरडीए द्वारा बैंक को एपीवाई उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया (लक्ष्य 85360: उपलब्धि 207249)

26. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):

- बैंक के तीन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी), सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक, जिनका मुख्यालय क्रमशः सेलम (तमिलनाडु), चित्तूर (आंध्र प्रदेश) और पुदुचेरी (केंद्र शासित क्षेत्र, पुदुचेरी) में है।

31.03.2024 को व्यवसाय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरआरबी का नाम	शाखाओं की संख्या	जमाएं	अग्रिम	व्यवसाय	निवल लाभ	निवल एनपीए %	सीआरएआर %
1	तमिलनाडु ग्राम बैंक	663	20783	25130	45913	438	0	13.02
2	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	245	13146	12817	25963	375	0	15.85
3	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	47	1319	1340	2659	19	0	10.39
कुल		955	35248	39287	74535	832	0	-

- तीन आरआरबी के संबंध में, शाखा नेटवर्क 935 (मार्च 2023) से 20 बढ़कर 955 शाखाएं (मार्च 2024) हो गया है। मार्च 2024 तक तीनों आरआरबी का कुल कारोबार ₹74535 करोड़ था, जबकि मार्च 2023 तक यह ₹64727 करोड़ था (15.15% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ अर्जित कर रहे हैं।
- आरआरबी भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तीनों आरआरबी पीएमजेडीवाई के तहत 1210 एसएसए गांवों को कवर कर रहे हैं और इस योजना के तहत 14.67 लाख खाते खोले हैं। आरआरबी ने पीएमएसबीवाई के तहत 17.50 लाख लाभार्थियों, पीएमजेजेबीवाई के तहत 8.76 लाख लाभार्थियों और एपीवाई योजना के तहत 3.40 लाख लाभार्थियों को भी कवर किया है।

27. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम

यूनिवर्सल सोम्पो:

- 2007 में निगमित और लाइसेंस प्राप्त – भारत की विश्वसनीय सार्वजनिक और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं और प्रमोटर के रूप में जापान के सोम्पो का एक संघ ।
- बैंक की शेयरधारिता 28.52% है।
- निवल लाभ में वर्ष – दर – वर्ष आधार पर 9% की वृद्धि देखी गई, जो मार्च'23 में ₹177 करोड़ से बढ़कर मार्च'24 में ₹193 करोड़ हो गया है।

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ

- स्टॉक ब्रोकिंग एवं डीपी के व्यवसाय में
- एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध
- बैंक की शेयरधारिता 64.84% है। वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, स्टॉक ब्रोकिंग के तहत इस सहायक संस्था ने निवल लाभ के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष 163% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹16.01 करोड़ की आय अर्जित की है।

इंड बैंक ग्लोबल सहायक सेवाएँ

- इंडियन बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो आरबीआई की अनुमति के अनुसार विभिन्न बैंकिंग कार्यों के लिए व्यापक आउटसोर्सिंग समाधान की प्रदान करने के लिए ₹10 करोड़ की अधिकृत और भुगतान पूंजी के साथ 09.02.2024 को निगमित की गई।
- बचत खातों, मियादी जमा, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि के लिए नए ग्राहकों की सोर्सिंग और खुदरा आस्ति में अतिदेय संग्रह के लिए चेन्नै कार्यालय से पायलट ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया।

कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

वर्ष 2023-24 के लिए कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:
<https://www.indianbank.in/departments/annual-reports/>

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन धारणा:

कॉर्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन-सृजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह प्रबंधन उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्यों, सिद्धान्तों, नीतियों और प्रक्रियाओं को अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित किया एवं उन्हें कार्यरूप दिया जाता है।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कॉर्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त उनके धन का सृजन एवं रक्षण कर नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ लाभकर संवृद्धि सृजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार निदेशक, शेयरधारक निदेशक (जिसके 2 मामले हमारे बैंक में भी हैं) के इतर, को भारत सरकार

द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

2.2 बोर्ड की समितियाँ:

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो कि बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश कारगर मॉनिटरिंग और नियंत्रण हेतु बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नंस प्रदान करती हैं:

- 1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- 2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- 3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- 4 आईटी रणनीति समिति (आईटी समिति)
- 5 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- 6 निदेशकों की समिति (सतर्कता) (सीओडी/विज)
- 7 विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) (एससीएमएलवीएफ)
- 8 शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- 9 स्टेकधारक संपर्क समिति (एसआरसी)
- 10 एचआर समिति (एचआर समिति)
- 11 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति (सीएमआर)
- 12 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति (बीएसीडीसी)
- 13 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूयूडी)
- 14 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबीसी)
- 15 ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- 16 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
- 17 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड समिति (बीसीपीई)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, कॉर्पोरेट रणनीति व योजना, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.4 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.5 31.03.2024 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों/संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयर की संख्या
1	श्री एस. एल. जैन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.09.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 9. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति 10. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड 2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स 	695
2	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति 8. एचआर समिति 9. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड 	1290
3	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 5. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 6. आईटी रणनीति समिति 7. स्टेकधारक संपर्क समिति 8. शेयर अंतरण समिति 9. एचआर समिति 10. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 11. ऋण अनुमोदन समिति 	इंडग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	-

4.	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति 8. एचआर समिति 9. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति 	-	-
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. आईटी रणनीति समिति 6. स्टेकधारक संपर्क समिति 7. शेयर अंतरण समिति 8. एचआर समिति 9. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 10. ऋण अनुमोदन समिति 	-	-
6	डॉ. एम पी तंगिराला	सरकार नामित निदेशक	14.09.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. जोखिम प्रबंधन समिति 2. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 3. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 4. आईटी रणनीति समिति 5. एचआर समिति 6. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 7. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड समिति (अध्यक्ष) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जनरल इश्यूरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2. एलआईसी 3. नाबार्ड 	-
7	श्रीमती के निखिला	आरबीआई नामित निदेशक	14.07.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 	-	-
8	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 5. स्टेकधारक संपर्क समिति 6. शेयर अंतरण समिति 7. एचआर समिति 8. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति(अध्यक्ष) 9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 	-	-

9	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. आईटी रणनीति समिति 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 	1. वी जी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रा. लि.	-
10	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	29.10.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 3. आईटी रणनीति समिति 4. वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों हेतु बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 9. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड समिति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2. आंध्रा पेपर लि. 	200
11	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	09.03.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) 3. आईटी रणनीति समिति 4. स्टेकधारक संपर्क समिति 5. शेयर अंतरण समिति 6. एचआर समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 9. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड 2. ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया 	205

नोट :

- बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संपर्क समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
- निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी निदेशक मंडल है और सूचीबद्ध संस्था की औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्टिंग संरचना इसके अनुरूप ही है।
- बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र देने के मामले नहीं हैं।
- श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।
- श्री आशुतोश चौधरी, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।
- श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।
- श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुए।

2.6.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किए गए और पदभार ग्रहण करने वाले निदेशकों के प्रोफाइल निम्नलिखित हैं:

2.6.2 श्रीमती के. निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक:

श्रीमती के. निखिला ने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह आईआईबी एंड एफ की प्रमाणित एसोसिएट हैं। उन्होंने 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी के तौर पर कार्यग्रहण किया। पिछले 28 वर्षों में, उन्होंने चेन्नै, हैदराबाद और नवी मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुंबई में विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में पर्यवेक्षण, प्रवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता संरक्षण, वित्तीय समावेशन और मुद्रा प्रबंधन शामिल हैं। वह एक वर्ष के लिए वित्तीय समावेशन हेतु वैश्विक भागीदारी में वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय साक्षरता संबंधी उप-समूह की सदस्य थीं।

उन्होंने कुछ समय के लिए आईडीआरबीटी के निदेशक का पद भी संभाला। वह विशेष कार्य अधिकारी के रूप में संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार में एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर थीं।

वह वर्तमान में तेलंगाना राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक हैं।

2.6.3 श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक:

श्री आशुतोष चौधरी, एमबीए प्रोफेशनल एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित सदस्य भी हैं। उन्हें बैंकिंग में दो दशकों से भी ज्यादा का समृद्ध अनुभव है। इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक का पदग्रहण करने से पूर्व वे पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक एवं ग्रूप सीआरओ के रूप में सेवारत थे।

श्री आशुतोष चौधरी, सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद बैंक के कई कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे। उन्हें एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन, स्ट्रेटिजिक प्लानिंग, एमएसएमई व रीटेल क्रेडिट, लाभ केन्द्रित परिचालन, फिनटेक व डिजिटल बैंकिंग, राजकोष, कॉर्पोरेट क्रेडिट, सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय समावेशन, बैलेंस शीट मैनेजमेंट क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है।

उन्होंने आईआईएम बैंगलोर में लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम को भी पूर्ण कर लिया है।

उन्होंने पीएनबी की एक सहायक इकाई, पीएनबी गिल्ड्स, जोकि भारतीय पूंजी एवं ऋण बाजार में प्राइमरी डीलर के रूप में कार्य कर रही है, के निदेशक मण्डल में भी अपनी सेवाएँ दी है।

2.6.4 श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक:

श्री शिव बजरंग सिंह, स्नातकोत्तर एवं एमबीए प्रोफेशनल हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। उन्होंने पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु संचालित आईआईएम के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पूर्ण किया है।

उन्हें 3 दशकों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव प्राप्त है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण, राजकोष एवं फोरेक्स, एमएसएमई, मानव संसाधन प्रबंधन, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग जैसे बैंकिंग के प्रमुख क्षेत्रों में विविध क्षमताओं पर कार्य किया है।

श्री सिंह कारोबार विकास की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं जिसके पीछे उनके अंचल प्रबंधक एवं उप अंचल प्रबंधक के रूप में नीतिगत कार्य करने का अनुभव है। उन्होंने प्रशासनिक कार्यालयों के तहत कई वर्टिकल्स में भी कार्य किया है।

कॉर्पोरेट स्तर पर, उन्होंने एमएसएमई विभाग, वित्त, योजना एवं स्ट्रेटिजिक इंटेलीजेंस और मानव संसाधन विभाग का कुशल नेतृत्व किया है।

वे 5 वर्षों तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में उनके 45 से अधिक प्रकाशन हैं। उन्होंने बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज (आरबीआई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) और बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी) जैसे उद्योग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों में अतिथि संकाय के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

2.6.5 श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक:

श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कृषि में स्नातक एवं फाइनेंस में एमबीए किया है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।

उन्हें 28 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव प्राप्त है। इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने आईआईएम बैंगलोर के एक्जीक्यूटिव लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम में भी सहभागिता की है।

श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने ऋण अधिकारी, शाखा प्रमुख, लोन फैंक्ट्री प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, अंचल प्रमुख जैसे कई नीतिगत पदों पर कार्य किया। वे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक भी रहे हैं। उन्होंने अपने कारोबार एक्सपोजर के दौरान ओवरसीज़ में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में भी कार्य किया है। कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर, उन्होंने अपने समृद्ध अनुभव से खुदरा आस्तियां और मानव संसाधन विभाग का कुशल नेतृत्व किया है।

उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के यूपी ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

2.6.6 श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक:

श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रतिनियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं। उन्हें बैंकिंग में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 3 दशकों से अधिक समय का समृद्ध अनुभव प्राप्त है जिसमें इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट मार्केटिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, लीगल एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश संबंधी प्रकायों शामिल हैं। उन्हें विविध निवेश प्रकारों यथा डेट, इक्विटी, ट्रेजरी एवं यूएलआईपी फंड मैनेजमेंट के प्रबंधन में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

उन्होंने, कई वेंचर फंड के परामर्शदात्री बोर्ड/निवेश समिति में अपनी पैतृक कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व भी किया है। वे भारतीय जीवन बीमा निगम की हाई पावर समिति के सचिव भी रहे हैं।

उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रमुख (विधि) के रूप में भी कार्य किया है जहां वे इस विशाल वित्तीय संस्था के विविध कानूनी प्रकारों के पर्यवेक्षक थे। वे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक प्राप्त इंजीनियर हैं और साथ ही वे इन्शुरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्षता भी रहे हैं। उन्होंने एनएसई सर्टिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल मार्केट (एनसीएफएम) में उच्चतम स्तर की योग्यता प्राप्त की है एवं कंपनी सचिव (एकजीक्यूटिव लेवल) भी उत्तीर्ण किया है।

उन्होंने आईएसबी, आईआईएम अहमदाबाद एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न लीडरशिप कार्यक्रमों में भाग लिया है और भारत व ओवरसीज में विविध सेमिनार में भी भाग लिया है।

2.7 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति के विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	वर्ग	कार्य समापन की तिथि	कारण
1.	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	01.06.2023	यूको बैंक के एमडी एवं सीईओ के तौर पर पदोन्नत
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024	नियुक्ति अवधि का समापन
3.	डॉ. आदित्य गेहा	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	14.07.2023	भारत सरकार की अधिसूचना सं. ईएफ. सं. 6/3/2011-बी.ओ. पब दिनांकित 14.07.2023
4.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	07.02.2024	नियुक्ति अवधि का समापन

3 निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक का वर्ग	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	कौशल / विशेषज्ञता
1	श्री एस. एल. जैन	एम डी एवं सीईओ	कार्यपालक	एम.कॉम, सीए, सीएस, सीएआईआईबी	सीए, सीएस एवं बैंकिंग
2	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बी.एस.सी, एप्लाइड मैथमेटिक्स में एम.एस.सी, बी.एड., सीएआईआईबी, आईआईएम बंगलुरु से लीडरशिप प्रोग्राम, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान द्वारा संचालित कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स कार्यक्रम	बैंकिंग
3	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एमबीए, आईआईएम बंगलुरु से एकजीक्यूटिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकिंग
4	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एमए/एमबीए, पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईआईएम का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकिंग
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बीएससी(एग्री), एमबीए(फाइनेन्स), आईआईएम बंगलुरु से एकजीक्यूटिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकिंग
6	डॉ. एम पी तंगिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी भारत सरकार नामित निदेशक	बी.ई., पी.जी.डी.एम., एलएलबी, एम.फिल., पीएचडी	लोक प्रशासन

7	श्रीमती के निखिला	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी आरबीआई नामिती निदेशक	एम. एससी, आईआईबी एंड एफ की प्रमाणित सदस्य	पर्यवेक्षण, प्रवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन एवं करंसी प्रबंधन
8	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	बी. कॉम, सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट, एड्युरेंस, टैक्सेशन एवं फाईनेंस
9	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	एम. कॉम.	कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग
10	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	बी.एससी, सीएआईआईबी, सीएफए	सीएफए, बैंकिंग
11	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक	इंजीनियरिंग, बीई (सिविल), फेलो ऑफ इन्शुरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफआईआईआई), एनसीएफएम(लेवल 5), कंपनी सचिव (एकजीक्यूटिव लेवल)	विपणन, इन्शुरेंस, फाइनेन्स, लीगल एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटजी एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन

3.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड/समिति की बैठक के विवरण:

उन बैठकों का विवरण जिनमें वर्तमान और पूर्व निदेशकों द्वारा भाग लिया गया (01.04.2023-31.03.2024)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	सी ओ डी (सतर्कता)	एस आर सी	आइ टी कंप्यूटर	एस सी एम एल वी एफ	सी एस सी	मा संसाधन समिति	एस टी सी	सी ए सी	सी एफ एम आर	बी ए सी डी सी	आर सी एन सी बी	एन आर सी	आर सी डबल्यूडी	बी सी पी ई
1	श्री एस. एल. जैन	17	28	-	11	4	-	6	6	5	6	-	27	5	-	-	-	3	-
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी*	13	24	14	9	4	1	4	6	4	2	2	24	2	-	-	-	-	-
3	श्री अश्वनी कुमार#	4	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
4	श्री महेश कुमार बजाज@	17	28	15	11	4	1	6	6	5	6	2	26	5	-	-	-	-	-
5	श्री आशुतोष चौधरी/	15	26	13	10	4	-	6	6	4	5	2	26	5	-	-	-	-	-
6	श्री शिव बजरंग सिंह	9	12	7	5	2	-	3	2	3	3	-	13	3	-	-	-	-	-
7	श्री ब्रजेश कुमार सिंह**	2	2	1	2	-	-	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
8	डॉ. एम पी तंगिराला	10	-	-	6	2	-	3	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1
9	डॉ. आदित्य गेहा##	4	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	सुश्री के निखिला@@	9	14	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	श्री बालमुकुंद सहाय	17	-	16	11	-	1	-	6	5	6	2	-	-	-	-	2	-	-
12	श्री विश्वेश कुमार गोयल	17	-	16	11	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-
13	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	14	-	13	-	-	-	3	6	-	4	1	-	-	-	1	3	1	-
14	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	17	25	-	11	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	3	1
15	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा***	2	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

*दिनांक 09.03.2024 तक कार्यपालक निदेशक
#दिनांक 31.05.2023 तक कार्यपालक निदेशक
@दिनांक 03.05.2023 से कार्यपालक निदेशक
\$ दिनांक 09.10.2023 से कार्यपालक निदेशक
**दिनांक 10.03.2024 से कार्यपालक निदेशक
##दिनांक 13.07.2023 तक आरबीआई नामिती निदेशक
@@दिनांक 14.07.2023 से आरबीआई नामिती निदेशक
\$ \$ दिनांक 06.02.2024 तक शेयरधारक निदेशक
***दिनांक 09.03.2024 से शेयरधारक निदेशक

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की न्यूनतम 17 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इसके विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25.04.2023	10	9
2	02.05.2023	10	10
3	08.05.2023	11	11
4	29.05.2023*	11	11
5	30.05.2023*	11	11
6	23.06.2023#	10	8
7	27.07.2023	10	10
8	05.09.2023	10	8
9	26.10.2023	11	11
10	12.12.2023@	11	11
11	28.12.2023	11	11
12	24.01.2024	11	9
13	30.01.2024*	11	10
14	31.01.2024*	11	10
15	22.02.2024	10	9
16	26.03.2024	11	11
17	28.03.2024	11	9

*स्ट्रेटजी बोर्ड बैठक

#सीक्वेन्स बोर्ड बैठक

4. बोर्ड की समितियाँ

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए बोर्ड अधिकारों का प्रयोग करती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त);
- ऋण समझौता, बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;

- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश;
- दान और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	श्री एस. एल. जैन, एम डी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.1.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 28 बैठकें हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	बैठक की तिथि	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	10.04.2023	6	6
2	27.04.2023	6	5
3	10.05.2023	7	6
4	18.05.2023	7	6
5	02.06.2023	6	5
6	12.06.2023	6	5
7	19.06.2023	6	6
8	27.06.2023	6	6
9	13.07.2023	6	6
10	24.07.2023	6	6
11	09.08.2023	6	6
12	31.08.2023	6	6
13	11.09.2023	6	6
14	26.09.2023	6	5
15	17.10.2023	7	6
16	20.10.2023	7	7
17	07.11.2023	7	5
18	23.11.2023	7	7
19	27.11.2023	7	6
20	08.12.2023	7	7
21	27.12.2023	6	6
22	30.12.2023	6	6
23	11.01.2024	7	6
24	22.01.2024	7	5
25	12.02.2024	7	7
26	28.02.2024	7	6

27	16.03.2024	7	7
28	26.03.2024	7	7

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी)

लेखापरीक्षा समिति 13 अक्टूबर 1995 को गठित की गयी और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंक के समग्र लेखा - परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन तथा आंतरिक बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा व निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखापरीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में बकाया, धोखाधड़ी एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।
- खातों, लेखा नीतियों, प्रकटीकरणों की सामान्य पुनरीक्षा
- प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा करना एवं लेखापरीक्षा के दौरान उभरे विशेष समायोजनों की पुनरीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप में क्वालिफिकेशन
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा
- आंतरिक लेखापरीक्षा का स्कोप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुबंधियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय-समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
4	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेरधारक निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

1. श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक
2. श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक
3. श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक
4. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक

4.2.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 16 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	08.05.2023	4	4
2.	05.06.2023	4	4
3.	22.06.2023	4	3

4.	27.07.2023	4	4
5.	02.08.2023	4	4
6.	22.08.2023	4	4
7.	04.09.2023	4	3
8.	26.09.2023	4	4
9.	26.10.2023	4	4
10.	15.11.2023	4	4
11.	04.12.2023	4	4
12.	22.12.2023	4	3
13.	24.01.2024	4	3
14.	20.02.2024	3	3
15.	06.03.2024	3	3
16.	20.03.2024	4	4

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 18 जनवरी, 2003 को किया गया था और समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता रहा है। जोखिम प्रबंधन समिति की कार्यविधि/उत्तरदायित्व निम्नवत हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना।
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) एवं अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- बाजार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति को संतुष्ट करती हैं।
- ट्रिगर्स अथवा व्यापार और प्रोद्भूत पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाजार जोखिम प्रबंधक/प्रबंधकों सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधकों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संगठन निम्नवत था :

1.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस. एल. जैन, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
0	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
5	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
6	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

आमंत्रित :

1. श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक
2. श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक
3. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक
4. श्री हिमाद्री भट्टाचार्य, डोमेन विशेषज्ञ (विशेष अतिथि)

4.3.2. बैठकों का विवरण:

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि में 11 बार समिति की बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	02.05.2023	6	6
2.	22.06.2023	6	5
3.	25.07.2023	6	5
4.	04.09.2023	6	6
5.	21.10.2023	6	5
6.	14.11.2023	6	6
7.	21.12.2023	6	5
8.	22.01.2024	6	5
9.	21.02.2024	6	5
10.	19.03.2024	6	5
11.	22.03.2024	6	6

4.4 निदेशकों की सतर्कता समिति (सीओडी) :

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.4.1 सतर्कता पर निदेशकों की समिति (सीओडी) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को सतर्कता पर निदेशकों की समिति (सीओडी) के सदस्य निम्नवत थे:

1.	श्री एस. एल. जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.4.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशकों की समिति (सीओडी) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	23.06.2023	6	4
2	04.09.2023	6	5
3	28.12.2023	7	7
4	22.02.2024	7	6

4.5 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति :

23 नवंबर, 2006 से समिति का गठन ऐसे कार्यों को करने के लिए किया गया था जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शेयरों का हस्तांतरण, लाभांश की प्राप्ति न होना, वार्षिक रिपोर्ट और कोई अन्य शिकायत शामिल है, जो कि बैंक के किसी शेयरधारक या निवेशक की बैंक के प्रति हो सकती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.5.1 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड स्टेकधारक संपर्क समिति का प्रारूप निम्नवत है :-

1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.5.2 स्टेकधारक संपर्क पर बोर्ड की समिति की कार्यविधि :

समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न शामिल हैं:

- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

4.5.3 बैठकों का विवरण

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक समिति की 1 बैठक का आयोजन हुआ जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	स्टेकधारकों संपर्क समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	05.06.2023	4	3

4.6 आईटी रणनीति समिति :

आईटी रणनीति समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशासन करने के लिए किया गया है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.6.1 आईटी रणनीति समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को आईटी रणनीति समिति का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
7.	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
8.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
9.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

समिति की बैठकों में आईटीआरबीटी के प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ एवं आईटी कंसल्टेंट विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

4.6.2. बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 6 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	11.05.2023	9	8
2.	23.06.2023	8	8
3.	10.08.2023	8	7
4.	27.11.2023	9	8
5.	20.03.2024	9	8
6.	22.03.2024	9	7

4.7. विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) :

1 (एक) करोड़ रुपए व अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी, 2004 को किया गया था है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.7.1 विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) का प्रारूप निम्नवत है :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
8.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.7.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) की 6 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने हेतु) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	15.06.2023	7	6
2	10.08.2023	7	6
3	06.10.2023	7	6
4	14.11.2023	8	8
5.	21.12.2023	8	6
6.	21.02.2024	8	7

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

24 अगस्त 2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। ग्राहक सेवा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के सरलीकरण पर विचार करना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा करना और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जो बैंकों की ग्राहक सेवा को प्रभावित करते हैं।

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का प्रारूप निम्नवत है :-

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.8.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	05.06.2023	5	4
2.	06.10.2023	5	5
3.	11.12.2023	6	6
4.	21.02.2024	6	6
5.	22.03.2024	6	6

4.9 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 27.11.2019 को बैंक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

4.9.1 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप :

दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रारूप निम्नवत है :-

1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.9.2 बैठक का विवरण

01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान समिति की दो (2) बैठक आयोजित की गईं:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	15.06.2023	4	4
2.	08.03.2024	3	3

4.10 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति :

इस समिति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र तैयार करने तथा महाप्रबन्धकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र को अनुमोदित करने के लिए दिनांक 27.11.2019 को गठित किया गया था। समय समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

4.10.1 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2024 को यथास्थिति कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति की संरचना निम्नवत है :

1	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.10.2 बैठक का विवरण:

01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान समिति की एक (1) बैठकें संपन्न हुईं जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	21.12.2023	3	3

4.11 शेयर अंतरण समिति

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 के विनियम संख्या 2ए के अनुसरण में बैंक द्वारा दिनांक 13 मार्च 2007 को शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.11.1 शेयर अंतरण समिति की संरचना

दिनांक 31.03.2024 को यथास्थिति बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत है :

1	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
6.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.11.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2023 से 31.03.2023 के दौरान समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	04.09.2023	5	5
2.	20.02.2024	5	4

4.12. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस. ओ. 2736 (ई) दिनांकित 05.12.2011 के अनुसरण में दिनांक 04.04.2012 की बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जोकि एमसीबी से एक स्तर नीचे की वह अनुमोदन बाँडी है जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित रुपेरखा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों/समझौता प्रस्तावों/बड़ा खाता प्रस्तावों का अनुमोदन करने के संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना है। इस समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की संरचना:

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नवत हैं:

1	श्री एस. एल. जैन, एम डी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट)	सदस्य
7.	महाप्रबंधक (सीएफओ)	सदस्य
8.	ऋण / व्यय / अन्य प्रस्तावों से संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष	सदस्य

महाप्रबंधक (सीआरओ) एवं सीसीओ भी उपस्थित रहते हैं।

चूंकि ऋण एवं व्यय प्रस्तावों को भिन्न महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष संभाल रहे हैं, अतः संबंधित महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष अपने प्रस्तावों से संबंधित समिति के सदस्य होंगे।

4.12.2. बैठक का विवरण :

01.02.2023 से 31.03.2024 तक ऋण अनुमोदन समिति की कुल 28 बैठकें संपन्न हुईं, विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	27.04.2023	4	4
2.	26.05.2023	5	4
3.	20.06.2023	4	4
4.	28.06.2023	4	4
5.	14.07.2023	4	4
6.	28.07.2023	4	4
7.	09.08.2023	4	4
8.	21.08.2023	4	4
9.	01.09.2023	4	4
10.	07.09.2023	4	4
11.	14.09.2023	4	4
12.	28.09.2023	4	4
13.	12.10.2023	5	5
14.	21.10.2023	5	5
15.	04.11.2023	5	5
16.	16.11.2023	5	5
17.	11.12.2023	5	5
18.	12.12.2023	5	5
19.	19.12.2023	5	5
20.	30.12.2023	5	5
21.	18.01.2024	5	5
22.	29.01.2024	5	4
23.	06.02.2024	5	5
24.	22.02.2024	5	5
25.	23.02.2024	5	4
26.	18.03.2024	5	5
27.	21.03.2024	5	5
28.	27.03.2024	5	4

4.13 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ताओं को गैर-सहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने वाली गैर-सहयोगी उधारकर्ता अनुवीक्षण समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने/पुष्टि करने के लिए गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति का गठन दिनांक 23.01.2015 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है।

4.13.1 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना :

दिनांक 31.03.2024 को यथास्थिति गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना निम्नवत है :

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.13.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2023 से 31.03.2024 अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

4.14 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति:

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपील समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.14.1 अनुशासनात्मक मामलों संबंधी बोर्ड स्तरीय अपील समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2024 को बोर्ड की चयन समिति के सदस्य नियमानुसार थे:

1	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.14.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2023 से 31.03.2024 अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी:

4.15 एचआर समिति:

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.15.1 एचआर समिति की संरचना :

यथास्थिति 31.03.2024 को एचआर समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य
8.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.15.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	एचआर समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	25.04.2023	7	6
2.	05.09.2023	7	6
3.	21.10.2023	8	7

4.	21.12.2023	8	6
5.	19.03.2024	8	7
6.	22.03.2024	8	8

4.16 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति दिनांक 30.03.2015 को गठित की गई। यह समिति उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

4.16.1 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2024 को इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.16.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	25.04.2023	3	3
2.	15.06.2023	3	3
3.	14.11.2023	3	3

4.17 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति:

दिनांक 18.12.2012 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है बैंक द्वारा एनपीए में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे एसएसी, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

4.17.1 वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति की संरचना:

यथास्थिति 31.03.2024 को वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

1.	श्री एस. एल. जैन, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. एम पी तंगिराला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	सुश्री पापिया सेनगुप्ता, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
8.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य

4.17.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयीं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	वसूली की मॉनिटरिंग हेतु समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1.	14.06.2023	7	5
2.	05.09.2023	7	5
3.	11.12.2023	8	8
4.	21.02.2024	8	7
5.	22.03.2024	8	6

5. वरिष्ठ प्रबंधन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य महाप्रबंधक के संबंध में होनेवाले परिवर्तन से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) बनने की तिथि	बैंक से विलग होने की तिथि
1.	श्री बिनॉय कुमार सिंह	31.03.2023	लागू नहीं
2.	श्री सतीश कुमार	31.03.2023	लागू नहीं
3..	श्री विकास कुमार	31.03.2023	लागू नहीं
4.	श्री दीपक सारड़ा	31.03.2023	लागू नहीं
5.	श्री सुधाकर राव के एस	31.03.2023	लागू नहीं
6.	सुश्री वी एन माया	31.03.2023	लागू नहीं
7.	श्री सुजीत कुमार डे	31.03.2023	लागू नहीं
8.	सुश्री वैलरी रथ	31.03.2023	लागू नहीं
9.	श्री गणेशरामन ए	29.02.2024	लागू नहीं
10.	श्री सुजय मलिक	10.03.2024	लागू नहीं
11.	श्री रोहित ऋषि	31.03.2023	31.10.2023
12.	श्री धनराज टी	31.03.2023	10.03.2024

6. निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दिए जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथासंशोधित) के खंड 17 के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	बकाया	मानदेय/ अन्य भत्ता	प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन का अवकाश नकदीकरण	कुल	पीएफ/ एनपीएस में बैंक का योगदान	कुल योग
		(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
1.	श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ	2595900.00	1134110.00	60004.00	703139.33	0	4493153.33	259590.00	4752743.33
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक*	2130890.32	927681.55	52528.00	3406042.67	0	6517142.54	213089.03	6730231.57
3.	श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक#	386400.00	154560.00	43276.80	889362.88	0	1473599.68	38640.00	1512239.68

4.	श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक	2169300.00	947738.00	50140.00	133000.00	0	3300178.00	216930.00	3517108.00
5.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	2130135.48	941720.90	32457.60	1047796.95	0	4152110.93	430059.90	4582170.83
6.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	1069174.19	491820.13	0.00	301725.73	0	1862720.05	106917.42	1969637.47
7.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	125470.97	57716.65	0.00	0.00	0	183187.62	12547.10	195734.72

*दिनांक 09.03.2024 तक कार्यपालक निदेशक

#दिनांक 31.05.2023 तक कार्यपालक निदेशक

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

भारत सरकार ने दिनांक 30.08.2019 को सूचित किया कि 10 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल कारोबार (बैंक के सकल ऋण और अग्रिम एवं कुल जमा का योग, बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार गणना) वाले बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), अपने बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशकों को देय सिटिंग शुल्क तय कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने 25.04.2023 को आयोजित अपनी बैठक में सिटिंग शुल्क (प्रति बैठक) को निम्नानुसार मंजूरी दी :

1.	बोर्ड की बैठक के लिए	₹ 70,000.00
2.	बोर्ड स्तरीय समितियों के लिए	₹ 35,000.00
3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए	₹ 20,000.00
4.	बोर्ड स्तरीय समितियों की अध्यक्षता के लिए	₹ 10,000.00

प्रति वर्ष 25 लाख रुपये की कुल सीमा के अधीन।

तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत नियुक्त/नामित क्रमशः बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों और सरकार तथा आरबीआई द्वारा नामित निदेशकों को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

6.1 फेमिलियराइजेशन कार्यक्रम:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://indianbank.in/investors-services-ib> पर उपलब्ध है।

7. आम बैठकें:

7.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	तिथि और समय	स्थान	उद्देश्य
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021, पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	1. यथास्थिति 31 मार्च, 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा।
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	बुधवार, 22 जून, 2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	1. यथास्थिति 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। 3. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से (विशेष संकल्प द्वारा पारित) रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।

सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	सोमवार, 19 जून, 2023	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से	<ol style="list-style-type: none"> 1. यथास्थिति 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। 3. श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक (DIN: 08080244) की नियुक्ति का अनुमोदन। 4. श्री मारुती प्रसाद तंगिराला, गैर-कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) (DIN: 03609968) की नियुक्ति का अनुमोदन। 5. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।
--------------------------	-------------------------	--------------------------	--

7.2 उपरोक्त पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। 22 जून, 2022 एवं 19 जून, 2023 को आयोजित क्रमशः सोलहवीं व सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

7.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7.4 दिनांक 19.06.2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

श्री एस. एल. जैन	एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक
डॉ. आदित्य गेहा	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक
श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक एवं बोर्ड की नामांकन व पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष

8. व्हिसल ब्लोअर नीति / सतर्कता तंत्र:

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पॉलिसी का नाम है व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

9. अन्य प्रकटीकरण:

(ए) बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

(बी) बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

- (सी) राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।
- (डी) बैंक ने भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।
- (ई) बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड तथा एक असूचीबद्ध अनुषंगी इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है। इनमें से कोई भी 'भौतिक अनुषंगी' नहीं है। तीन अनुषंगियों के अतिरिक्त बैंक के पास युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम भी हैं।
- (एफ) बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और नियमों के अनुरूप एक नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त एवं निपटान की गई शिकायतों का विवरण एवं दिनांक 31.03.2024 को लंबित शिकायतें निम्नप्रकार हैं :

	01.04.2023 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निस्तारित	31.03.2024 को लंबित
प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	6	6	0

- (जी) हमने व्यवहारिक रूप में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्यकाल जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और यह प्रमाण पत्र संलग्न है व इस रिपोर्ट का भाग है।
- (एच) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- (आई) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय की राशि 579.79 लाख है।
- (जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(2) के साथ पठित विनियम 17(8) में निर्धारित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से एक अनुपालन प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- (के) क्मोडिटी मूल्य जोखिम और क्मोडिटी हेजिंग गतिविधियां - लागू नहीं।

(एल) विवेकाधीन आवश्यकताएं:

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015, यथा संशोधित, की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकाधीन आवश्यकताओं के अंगीकरण से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छ: महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का सक्षम विवरण शेयरधारकों तक पहुंचाया जाए।	अर्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं एवं यह स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसई व बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
सी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकती है।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंबद्ध अभिमत है
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें। निम्नप्रकार जिससे कि अध्यक्ष : (क) गैर-कार्यकारी निदेशक रहे; और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'संबंधी' की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों	अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से बैंक की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

10. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएं प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई, जहां बैंक के इच्छिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिन्दी) तथा चैनल स्थित क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी), दिनामणि (तमिल) आदि एवं हिंदू तमिल तिसाई (तमिल) में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों हेतु बनाए गए प्रेजेन्टेशन, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध हैं।

11. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी :

11.1 18वीं वार्षिक आम सभा का विवरण :

दिन और दिनांक	सोमवार, 15 जून, 2024
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	वार्षिक आम बैठक वीसीओएवीएम के माध्यम से संचालित की जाएगी, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय - 254-260, अटल शंकर मंगल, रायपेट्ट, चैनल - 600 014 को वार्षिक आम बैठक आयोजित किए जाने का स्थान माना जाएगा।

11.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर (अनंतिम):

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2024	-	जुलाई-अगस्त 2024
30 सितम्बर, 2024	-	अक्तूबर-नवम्बर 2024
31 दिसम्बर, 2024	-	जनवरी-फरवरी 2025
31 मार्च, 2025	-	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा : अप्रैल-मई 2025

11.3 लाभांश भुगतान हेतु अभिलिखित दिनांक एवं लाभांश भुगतान की दिनांक :

अभिलिखित दिनांक : 07.06.2024

लाभांश भुगतान दिनांक : 11.07.2024

11.4 वार्षिक आम बैठक हेतु वार्षिक बुक क्लोजर की दिनांक एवं लाभांश भुगतान :

बुक-क्लोजर : 08.06.2024 से 15.06.2024 तक (दोनों दिन शामिल हैं)

11.5 लाभांश :

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति इच्छिटी 12.00 रुपए के लाभांश अर्थात बैंक की प्रदत्त इच्छिटी पूंजी का 120 प्रतिशत, की अनुशंसा की है।

11.6 लिस्टिंग:

बैंक के इच्छिटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीबद्ध करने की तारीख
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी- ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	INDIANB	01.03.2007
बी एस ई लिमिटेड (बीएसई), पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001.	INDIANB/532814	01.03.2007

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

11.7 अनुपालन अधिकारी :

श्री दीना नाथ कुमार, सहायक महाप्रबंधक और कंपनी सचिव को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

11.8 बाजार मूल्य आंकड़े :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि.(एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा

माह	एनएसई			बीएसई			कुल परिमाण (नं. लाख में)
	उच्च	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	परिमाण (नं. लाखों में)	
अप्रैल 2023	328.00	280.80	335.05	327.95	281.05	18.05	353.10
मई 2023	335.00	268.00	429.39	335.35	268.00	23.34	452.73
जून 2023	293.50	269.90	249.67	293.50	267.25	11.96	261.63
जुलाई 2023	349.50	293.60	406.58	349.30	293.05	24.12	430.70
अगस्त 2023	417.90	335.60	519.48	417.60	335.50	25.66	545.14
सितंबर 2023	446.50	376.50	570.34	446.15	376.90	23.70	594.04
अक्टूबर 2023	445.10	396.40	293.74	444.90	396.30	13.18	306.92
नवंबर 2023	463.00	390.90	331.57	462.75	391.25	12.67	344.24
दिसंबर 2023	458.00	391.00	863.13	457.50	393.55	35.84	898.97
जनवरी 2024	507.00	408.60	709.06	506.70	408.95	48.64	757.7
फरवरी 2024	573.75	483.10	600.46	573.45	483.30	27.63	628.09
मार्च 2024	562.85	467.30	493.61	562.75	467.20	21.93	515.54

11.9 इन्डेक्स (निफ्टी-50 एवं एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है :

दिनांक	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (₹)	निफ्टी-50 (अंतिम)	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स (अंतिम)
अप्रैल 2023	322.40	18065.00	61112.44
मई 2023	269.90	18534.4	62622.24
जून 2023	292.55	19189.05	64718.56
जुलाई 2023	346.90	19753.8	66527.67
अगस्त 2023	378.65	19253.8	64831.41
सितंबर 2023	423.55	19638.3	65828.41
अक्टूबर 2023	420.05	19079.6	63874.93
नवंबर 2023	396.90	20133.15	66988.44
दिसंबर 2023	420.90	21731.4	72240.26
जनवरी 2024	498.85	21725.7	71752.11
फरवरी 2024	525.15	21982.8	72500.30
मार्च 2024	520.70	22326.9	73651.35

11.10 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै-600 002 बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

11.11 शेयर अंतरण प्रणाली :

- (I) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 40(1) यथासंशोधित के अनुसार, शेयर/प्रतिभूतियों के अंतरण या स्थानान्तरण के अनुरोधों पर बैंक के आरटीए/बैंक द्वारा तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि शेयर/प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है।
- (II) जिन निवेशकों के पास भौतिक रूप में शेयर उपलब्ध हैं एवं वे शेयरों का अंतरण करने के इच्छुक हैं तो वे शेयर के डीमेटेरियलाइज्ड होने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

11.12 31.03.2024 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1 - 500	297353	94.2233	21215682	1.5750
501 - 1000	11707	3.7096	8435203	0.6262
1001 - 2000	3866	1.2250	5453700	0.4048
2001 - 3000	927	0.2937	2311139	0.1715
3001 - 4000	393	0.1245	1394487	0.1035
4001 - 5000	301	0.0953	1396368	0.1036
5001 - 10000	392	0.1242	2845015	0.2112
10001 एवं अधिक	644	0.2040	1303912387	96.8038
कुल	315583	100.00	1346963981	100.00

11.13 शेयरों का डिमेटेरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड INE562A01011 है।

31.03.2024 को यथास्थिति बैंक के 134,55,21,532 इक्विटी शेयर, डिमेटेरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.89 प्रतिशत है।

31.03.2024 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

शेयरधारण		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
भौतिक रूप		41605	13.18	1442449	0.11
डिमेटेरियलाइज्ड	एनएसडीएल	154403	48.93	321237903	23.85
	सीडीएसएल	119575	37.89	1024283629	76.04
कुल		315583	100.00	1346963981	100.00

31.03.2024 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/- के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 99,45,49,600 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 73.84 प्रतिशत है।

11.14 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।

11.15 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां :

ओवरसीज उपस्थिति के कारण बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिमों के एक्सपोजर की संभावना है। यद्यपि बैंक का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कम महत्व का है एवं मुद्रा अंतराल विवेकपूर्ण परिधि में ही है। बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों और व्यापार के लिए धारित का पुनर्मूल्यांकन एफईडीआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट और फॉरवर्ड दरों पर और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है। अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संदर्भ में बैंक ने अपनी देयताओं का आकलन उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर किया है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसे ही उपलब्ध करवाया गया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं जहां कहीं भी उधारकर्ताओं से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं, इन सभी के आधार पर बैंक ने आरबीआई निदेशों आरबीआई/2023-24/131: डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2023-24 दिनांकित 11 अक्टूबर, 2022 के द्वारा तत्पश्चात स्पष्टीकरण की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को अपने घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में देयताएँ कुल 35.10 करोड़ रुपए (गत वर्ष 15.10 करोड़ रुपए) बताईं। संपूर्ण अनुमानित राशि के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

11.16 लाभांश वितरण नीति :

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट <https://indianbank.in/investors-services-ib/> पर उपलब्ध है

11.17 अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई पूंजी का उपयोग :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने दिसंबर 2023 में अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों (क्यूआईपी) को 394.00 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 10.00 रुपये अंकित मूल्य के 10,15,22,842 नए इक्विटी शेयर, जिसमें 384.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है, जारी और आवंटित करके प्रीमियम सहित कुल मिलाकर 4000.00 करोड़ रुपये तक की इक्विटी पूंजी जुटाई।

उक्त क्यूआईपी के निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग बैंक द्वारा विकास को समर्थन देने और बैंक की सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के लिए आरबीआई के बेसल III मानदंडों के तहत टियर 1 पूंजी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए किया गया है।

क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी पूंजी के आवंटन के बाद, बैंक के प्रमोटर, भारत सरकार की शेयरधारिता, की हिस्सेदारी घटकर 73.84 प्रतिशत हो गई और सार्वजनिक शेयरधारिता 25.00 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता के मुकाबले बढ़कर 26.16 प्रतिशत हो गई।

12. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में भी स्वीकार की जाती हैं। सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण हेतु अनुरोधों को 01.04.2019 से संसाधित नहीं किया जा रहा है।

डीमैटोरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए, पते और/या बैंक मैडेट (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड आदि) में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने के लिए, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए शेयरधारकों को सीधे अपने डिपॉजिटरि पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड (इकाई: इंडियन बैंक) पी सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002 टेलीफोन : 044-28460718 ई-मेल: investor@cameoindia.com	कंपनी सेक्रेटरी निवेशक सेवाएं कक्ष इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस 254-260, अद्वैत षण्मुगम सालै रॉयपेड्डु, चेन्नै - 600014 टेलीफोन : 044-28134484/4698 ई-मेल : investors@indianbank.co.in
---	---

12.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु बैंक के आरटीए को अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2024 को लंबित अनुरोधों शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

	यथास्थिति 01.04.2023 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2024 को लंबित
शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	0	184	184	0

13. डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण :

डीमैट उचंत खाते में रखे अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01.04.2023 को शेयरधारकों एवं उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य
वर्ष के अंत में अर्थात् 31.03.2024 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमैट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

14. शेयरधारिता संरचना (31.03.2024 को यथास्थिति) :

शेयरधारक श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) – प्रमोटर	1	994549600	73.84
म्युचुअल फंड	29	157740676	11.71
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एवं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	222	71234635	5.29
वैकल्पिक निवेश निधियां	25	7181703	0.53
बीमा कंपनियां	18	63444836	4.71
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	2	248	0.00
निवासी व्यक्ति	279888	40445509	3.00
निगमित निकाय	1242	3476966	0.26
निदेशक एवं उनके संबंधी	4	2390	0.00
कर्मचारी	19682	5794705	0.43
क्लियरिंग सदस्य	8	5758	0.00
हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	3129	1026763	0.08
अनिवासी भारतीय	3887	1801251	0.13
न्यास	25	251058	0.02
केंद्र सरकार / राज्य सरकार(ओं)/ भारत के राष्ट्रपति नॉन प्रमोटर	1	4021	0.00
अदावी शेयर डीमेट उचंत खाता	2	3862	0.00
कुल	308165	1346963981	100.00

*सामान्य पीएन के आधार पर समेकित

15. नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश का भुगतान :

नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करवाता है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

16. अदावी लाभांश, यदि कोई हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, कोई भी पैसा जो अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया जाता है और हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए भुगतान/दावा नहीं किया जाता है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' को हस्तांतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2015-16 तक बैंक की अदत्त और दावा न की गई लाभांश राशि को केंद्र सरकार के 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इंडियन बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए घोषित अदावी/अदत्त लाभांश अगस्त 2024 के महीने में आईईपीएफ को देय है। बैंक ने उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है, को अनुस्मारक पत्र भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपना दावा दिनांक 12.07.2024 तक बैंक या बैंक आरटीओ, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को जमा कर दें।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश वारंट, यदि कोई हो, का नकदीकरण नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना वैध दावा उनके बैंक विवरण के साथ, एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से उसे/उसे अवैतनिक लाभांश वारंट की आय के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं. 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नई - 600 002 को प्रेषित करें।

अदत्त लाभांश वारंट का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध कराया गया है।

17. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पॉलिसी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

18. 31.03.2024 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बॉण्ड/ऋण लिखतों का विवरण और बकाया :

31.03.2024 को यथास्थिति बैंक द्वारा जारी बकाया बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	आईएसआईएन	राशि (रुपए करोड़ में)	31.03.2023 को यथास्थिति उत्तम रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम	बॉण्ड ट्रस्टी का नाम एवं पता
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज II	INE562A08057	1048	केयर एए+ / स्थिर क्रिसिल एए+ / स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रुबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028.
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज III	INE562A08065	560			
बेसल III अनुपालित एटी 1 बांड सीरीज IV	INE562A08073	392			
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज I*	INE428A08028	500	क्रिसिल एएए/ स्थिर बीडबल्यूआर एएए/ स्थिर केयर एएए/ स्थिर	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केयर रेटिंग्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज II	INE428A08044	1000	क्रिसिल एएए/ स्थिर बीडबल्यूआर एएए/ स्थिर केयर एएए/ स्थिर	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केयर रेटिंग्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज III	INE428A08051	1000	केयरएएए/ स्थिर आईएनडीआर एए+ / स्थिर	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड केयर रेटिंग्स लिमिटेड	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज IV	INE428A08101	1500	क्रिसिल एएए/ स्थिर आईएनडीआर एए+ / स्थिर	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड क्रिसिल रेटिंग्स	
बेसल III अनुपालित टीयर 2 बांड सीरीज V	INE562A08081	2000	केयर एएए/ स्थिर क्रिसिल एएए/ स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	
कुल		8000.00			

'बैंक ने दिनांक 30.04.2024 से आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के स्थान पर बैंक के टीयर 2 बॉन्ड (ISIN - INE428A08028)के लिए एक्सिस ट्रस्टी को बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है।

अन्य क्रेडिट रेटिंग:

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने अपने सर्टिफिकेट फॉर डिपोजिट प्रोग्राम के लिए भी क्रेडिट रेटिंग एवं एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स से रेटिंग प्राप्त की है।

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	इंस्ट्रुमेंट / रेटिंग का प्रकार	राशि (रुपए करोड़ में)	31.03.2024 का यथास्थिति उत्तम रेटिंग
1	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	सर्टिफिकेट फॉर डिपोजिट्स	35,000	क्रिसिल ए1+
2	एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	-	बीबीबी- /स्थिर/ए-3

19. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य आचार संहिता तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

20. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(एस. एल. जैन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 06.05.2024

स्थान : चेन्नै

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् मुख्य महाप्रबंधकगण/ महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकृति दी है। उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है

(एस एल जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 06.05.2023
स्थान : चेन्नै

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46 (2) (बी से आई) में यथा निर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु **इंडियन बैंक**, के कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है, और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

(ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।

(बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित एवं स्टेकधारक संपर्क समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मे. एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण स: 006085N
(चेतन ठक्कर)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 114196)
यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQN8169

कृते मे. कैलाश चंद जैन एण्ड को
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण स: 112318W
(संदीप के जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 110713)
यूडीआईएन सं.: 24110713BKGF5235

कृते एस सिंघल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण स: 001526C
(नटवर सारडा)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 076070)
यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZC2499

कृते मे. जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण स: 000376S / S200073
(आर रविशंकर)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 026819)
यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVH4344

कृते मे. दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण स: 000112N
(भानु प्रीत कौर)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 421517)
यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDJ1082

दिनांक : 06.05.2024

स्थान : चेन्नै

सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र (सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसरण में)

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

- (ए) हमने वर्ष 2023-24 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
- (i) इन विवरणों में तात्त्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने

लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को दे दी है।

- (डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:
- (i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है; और
- (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि कोई हो, की जानकारी।

(सुनील जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एस एल जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मु. का. अ.

दिनांक: 06 मई 2024

स्थान: चेन्नै

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
राजाजी सालै,
चेन्नै - 600 001.

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक (इसके पश्चात बैंक कहा जाएगा)** द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इंडियन बैंक के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बही, फॉर्म और दर्ज की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का, हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं:

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **इंडियन बैंक** ('बैंक') द्वारा अनुरक्षित बही खातों, पत्रों, कार्यवृत्त की बही, प्रपत्रों और दर्ज की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक)
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निर्मित विनियमों और उपनियमों;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक विस्तारित नियम और विनियमन; **(लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 और 2018 में यथा संशोधित
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - कंपनी अधिविनियमन और ग्राहक के साथ लेन देन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993; **(लागू नहीं)**
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों की वापसी) विनियमन, 1998; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
- अन्य विधियां जो बैंक पर विशेष रूप से लागू हैं, वह निम्नानुसार हैं:
- बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970
 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

हमारे द्वारा निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की जांच भी की गई है:

- भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक **(लागू नहीं)**
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित है और इसे कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

बैंक बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति व अन्य समितियों के गठन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित होते हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सूचीबद्ध संस्था ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित अवलोकन के अधीन है।

बोर्ड की संरचना के संबंध में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) (एफ) और (जी) के तहत रिक्तियां मौजूद हैं।

बोर्ड की बैठकों को नियत किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जा चुका है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मर्दों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली अस्तित्व में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा उचित कानूनों, नियमों, नियामकों व दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने दिसंबर 2023 में अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों (क्यूआईबी) को 394.00 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 10.00 रुपये अंकित मूल्य के 10,15,22,842 नए इक्विटी शेयर, जिसमें 384.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है, जारी और आवंटित करके प्रीमियम सहित कुल मिलाकर 4000.00 करोड़ रुपये तक की इक्विटी पूंजी जुटाई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 5 साल की अवधि पूरी होने पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से निम्नलिखित टियर 2 बांड भुनाए हैं:

1. 290 करोड़ रुपये राशि के ISIN-INE562A08024
2. 110 करोड़ रुपये राशि के ISIN-INE562A08032
3. 600 करोड़ रुपये राशि के ISIN-INE562A08040

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नं. 2969
सी.पी. नं. 6032

समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र सं 667/2020
यूडीआईएन: F002969F000314423

दिनांक : 06.05.2024
स्थान : चेन्नै

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
चेन्नै - 600 014.

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन, जांच के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और समुचितता की जांच नहीं की है।
4. जहां कभी भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश

वरिष्ठ पार्टनर

एफसीएस नंबर 2969

सी.पी.सं. 6032

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. : 667 / 2020

यूडीआईएन: F002969F000314423

दिनांक: 06.05.2024

स्थान: चेन्नै

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची 5 पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में}

इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै - 600 001
के सदस्यगण

हमने इंडियन बैंक के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिनका पंजीकृत कार्यालय 66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001 (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) है, जो बैंक द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन हेतु, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची 5 पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सत्यापन के अनुसार तथा बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन/पैन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री एस. एल. जैन	07692739	01.09.2021
2	श्री महेश कुमार बजाज	08080244	21.11.2022
3	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	03609968	14.09.2022
4	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	07701564	29.10.2021
5	श्री बालमुकुंद सहाय	AQLPS6737K	21.12.2021
6	श्री विश्वेश कुमार गोयल	00942612	21.12.2021
7	श्री आशुतोष चैधरी	09245804	03.05.2023
8	सुश्री के निखिला	AAMPK5889M	14.07.2023
9	श्री शिव बजरंग सिंह	ADPPS6661K	09.10.2023
10	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	09817764	09.03.2024
11	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	ANBPS0315E	10.03.2024

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक में कार्य संचालन किया है।

कृते वी सुरेश एसोसिएट्स
व्यावसायिक कंपनी सचिव

वी सुरेश
वरिष्ठ पार्टनर
एफसीएस नंबर 2969
सी.पी.सं. 6032

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 667/2020
यूडीआईएन: F002969F000314491

तिथि : 06.05.2024
स्थान : चेन्नै

स्टैंडअलोन तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2024 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 को (लेखापरीक्षित)
पूँजी व देयताएं			
पूँजी	1	1346 96 40	1245 44 11
आरक्षितियां और अधिशेष	2	57041 15 97	46727 31 46
जमाएं	3	688000 00 37	621165 75 65
उधार	4	23131 48 70	22073 03 09
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	23099 50 83	19289 18 81
कुल		792619 12 27	710500 73 12
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष	6	32702 75 93	32692 63 01
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि	7	9406 37 45	17439 94 87
निवेश	8	212554 47 66	185988 25 25
अग्रिम	9	514889 06 82	449296 73 37
अचल आस्तियां	10	7515 47 29	7459 04 04
अन्य आस्तियां	11	15550 97 12	17624 12 58
कुल		792619 12 27	710500 73 12
आकस्मिक देयताएं	12	334247 11 14	381303 03 27
वसूली के लिए बिल	-	15934 58 28	16082 16 20

एस एल जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 006085N

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 112318W

कृते एस सिंगल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 001526C

चेतन ठक्कर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 114196)
यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQ7569

संदीप के जैन
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 110713)
यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCD5671

नटवर सारड़ा
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 076070)
यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZA8860

कृते जी बालु एसोसिएट एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 000376S/S200073
आर रविशंकर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 026819)
यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVF7719

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 000112N
भानू प्रीत कौर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 421517)
यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDH4354

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 06.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखा

(₹ हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2024 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 को (लेखापरीक्षित)
आय			
अर्जित ब्याज	13	55614 77 76	44942 21 29
अन्य आय	14	7866 72 06	7143 06 26
कुल		63481 49 82	52085 27 55
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	32341 49 51	24716 75 04
परिचालनगत व्यय	16	14300 45 59	12097 90 28
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	8776 60 81	9988 92 02
कुल		55418 55 91	46803 57 34
लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)		8062 93 91	5281 70 21
अग्रेषित लाभ / हानि (-)		133 23 45	129 77 18
कुल		8196 17 36	5411 47 39
विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षितियां		2015 74 00	1320 43 00
आईटी अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		362 22 00	191 73 00
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियां		328 11 00	0
निवेश आरक्षितियां		254 40 45	0
राजस्व आरक्षितियां		3250 00 00	2655 00 00
स्टाफ कल्याण निधि		40 00 00	40 00 00
इक्विटी लाभांश		1616 35 68	1071 07 94
शेष जो तुलन पत्र को अग्रेषित किया गया है		329 34 23	133 23 45
कुल		8196 17 36	5411 47 39
प्रतिशेयर अर्जन रुपए में (आधारभूत और कम मिश्रित)		63.23	42.41

एस एल जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार

एफआर संख्या: 006085N

चेतन ठक्कर
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 114196)

यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQQ7569

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या: 112318W

संदीप के जैन
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 110713)

यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCD5671

कृते एस सिंघल एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या: 001526C

नटवर सारडा
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 076070)

यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZA8860

कृते जी बालु एसोसिएट एलएलपी
सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 000376S/S200073

आर रविशंकर
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 026819)

यूडीआईएन सं.: 24026819BKBQV7719

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 000112N

भानू प्रीत कौर
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 421517)

यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDH4354

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 06.05.2024

अनुसूची 1 - पूंजी

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 10/- रुपए के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	994 54 96	994 54 96
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 35,24,14,381 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 25,08,91,539 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	352 41 44	250 89 15
कुल	1346 96 40	1245 44 11

अनुसूची 2 - आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. सांवाधिक आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	10956 39 51	9635 96 51
बी) अवधि के दौरान जोड़	2015 74 00	1320 43 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल I	12972 13 51	10956 39 51
II. पूंजीगत आरक्षितियां		
ए) पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व		
ए) अधिशेष	6106 89 86	6211 02 26
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	131 70 78	104 12 40
कुल (ए)	5975 19 08	6106 89 86
बी) अन्य		
ए) अधिशेष	1060 90 74	1060 90 74
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (बी)	1060 90 74	1060 90 74
कुल II (ए+ बी)	7036 09 82	7167 80 60
III. शेयर प्रीमियम		
ए) अधिशेष	2391 54 44	2391 54 44
बी) अवधि के दौरान जोड़	3898 47 71	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल III	6290 02 15	2391 54 44
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
ए) राजस्व आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	17826 86 85	15067 74 45
बी) अवधि के दौरान जोड़	3250 00 00	2655 00 00
सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अंतरित	106 28 80	104 12 40
डी) वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (ए)	21183 15 65	17826 86 85
(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	2475 60 00	2283 87 00
बी) अवधि के दौरान जोड़	362 22 00	191 73 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (बी)	2837 82 00	2475 60 00

(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1) (viii) ए के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां		
ए) अथशेष	58 20 00	58 20 00
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (सी)	58 20 00	58 20 00
डी) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियां		
ए) अथशेष	1031 90 00	1031 90 00
बी) अवधि के दौरान जोड़	3281100	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (डी)	1360 01 00	1031 90 00
ई) निवेश आरक्षितियां		
ए) अथशेष	186 37 77	186 37 77
बी) अवधि के दौरान जोड़	254 40 45	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (ई)	440 78 22	186 37 77
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियां		
ए) अथशेष	490 56 66	397 23 78
बी) अवधि के दौरान जोड़	34 20 55	93 32 88
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (एफ)	524 77 21	490 56 66
जी) आईआरएस आरक्षितियां		
ए) अथशेष	1 90 63	1 90 63
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल (जी)	1 90 63	1 90 63
कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	26406 64 71	22071 41 91
V समामेलन आरक्षितियां		
ए) अथशेष	4006 91 55	4006 91 55
बी) अवधि के दौरान जोड़	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	0	0
कुल V	4006 91 55	4006 91 55
VI लाभ एवं हानि खाता		
ए) अथशेष	133 23 45	129 77 18
बी) अवधि के दौरान जोड़	8062 93 91	5281 70 21
सी) अवधि के दौरान कटौतियां	7866 83 13	5278 23 94
कुल VI	329 34 23	133 23 45
कुल (I + II + III + IV + V + VI)	57041 15 97	46727 31 46

अनुसूची 3 - जमाएँ

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
ए. I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	138 46 54	138 92 81
ii. अन्य से	38854 56 63	35718 10 13
कुल	38993 03 17	35857 02 94
II. बचत बैंक जमाराशियां	241494 02 33	224952 40 93
III. सावधि जमाराशियां		
i. बैंकों से	19947 53 38	9516 08 89
ii. अन्य से	387565 41 49	350840 22 89
कुल	407512 94 87	360356 31 78
कुल (I+II+III)	688000 00 37	621165 75 65
बी. I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं	661825 86 15	608027 42 90
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं	26174 14 22	13138 32 75
कुल (I+II)	688000 00 37	621165 75 65

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में उधार		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
ii. अन्य बैंक	1 94	2 04
iii. अन्य संस्थाएं और अभिकरण**	20441 40 20	20147 58 04
कुल	20441 42 14	20147 60 08
II. भारत के बाहर उधार**	2690 06 56	1925 43 01
कुल (I+II)	23131 48 70	22073 03 09
ऊपर की मदों में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	0	0
*एटी-1 में शामिल पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु. 2000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 2000 00 00) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 6000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 7000 00 00) को शामिल किया गया है।		
** नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदें को शामिल करते हुए है।		

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i. देय बिल	1663 84 44	1841 95 09
ii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
iii. उपचित ब्याज	1846 00 13	1479 65 56
iv. अन्य (प्रावधान सहित)*	19589 66 26	15967 58 16
कुल (I+II +III+IV)	23099 50 83	19289 18 81
*रु. 8026 39 38 (पिछले वर्ष रु. 6089 48 27) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित		

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष राशि

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. उपलब्ध नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)	1304 15 13	1242 48 09
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	31398 60 80	31450 14 92
(i) चालू खाते में	31134 60 80	26670 14 92
(ii) अन्य जमा खातों में	264 00 00	4780 00 00
कुल (I+II)	32702 75 93	32692 63 01

अनुसूची 7 - बैंकों में अधिशेष और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में अधिशेष		
ए. चालू खाते में	4 20 32	18 12 72
बी. अन्य जमा खातों में	1573 60 00	1573 64 58
कुल (i)	1577 80 32	1591 77 30
ii) माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि (बैंकों के साथ)	1997 06 53	5007 03 77
कुल (ii)	1997 06 53	5007 03 77
कुल (i+ii)	3574 86 85	6598 81 07
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	743 35 55	693 48 58
ii) अन्य जमा खातों में	5084 57 73	10144 91 36
iii) माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	3 57 32	2 73 86
कुल II (i+ii +iii)	5831 50 60	10841 13 80
कुल योग (I+II)	9406 37 45	17439 94 87

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	214662 93 45	187882 07 93
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	4177 55 01	3805 10 31
निवल निवेश	210485 38 44	184076 97 62
i. सरकारी प्रतिभूतियां	180453 94 00	166464 65 49
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
iii. शेयर	775 26 62	874 56 64
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	15772 54 15	14451 10 95
v. अनुषंगियां और/या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ)	256 75 25	221 00 21
vi. अन्य (जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फण्ड्स)	13226 88 42	2065 64 33
कुल	210485 38 44	184076 97 62
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2209 48 31	2041 97 09
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	140 39 09	130 69 46
निवल निवेश	2069 09 22	1911 27 63
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	2068 87 26	1911 05 40
ii. अन्य निवेश		
ए. शेयर	21 96	22 23
बी. कर्ज प्रतिभूतिया	0	0
कुल	2069 09 22	1911 27 63
निवल कुल योग (I+II)	212554 47 66	185988 25 25

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
ए. i) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	5886 14 36	2434 93 18
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	252022 14 37	210191 80 73
iii) मीयादी ऋण	256980 78 09	236669 99 46
कुल (ए)	5 14889 06 82	449296 73 37
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (ऋण बही के सापेक्ष अग्रिम शामिल है)	425795 49 69	373959 11 14
ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	41042 06 28	39004 97 03
iii) अरक्षित	48051 50 85	36332 65 20
कुल (बी)	5 14889 06 82	449296 73 37
सी I. भारत में अग्रिम		
i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र#	199112 44 30	170017 91 83
ii. सार्वजनिक क्षेत्र	71191 35 87	68741 14 14
iii. बैंक	0	0
iv. अन्य	209056 18 01	181258 29 13
कुल (सी I)	479359 98 18	420017 35 10
सी II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से प्राप्य राशियाँ	22002 07 43	19922 99 21
ii) अन्य से प्राप्य राशियाँ		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल	2150 02 44	1046 79 87
ख) सामूहिक ऋण	6617 87 67	5113 58 79
ग) अन्य	4759 11 10	3196 00 40
कुल (सी II)	35529 08 64	29279 38 27
कुल योग (सी I+ सी II)	5 14889 06 82	449296 73 37

#आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	7460 62 43	7453 87 98
अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन	0	6 74 45
उप कुल	7460 62 43	7460 62 43
अवधि के दौरान कटौतियां	7 77 30	0
उप कुल	7452 85 13	7460 62 43
अद्यतन मूल्य हास	1580 89 69	1490 17 86
कुल	5871 95 44	5970 44 57
II. पट्टे पर दी गई आस्तियां		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर	530 52 79	530 52 79
अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन	0	0
उप कुल	530 52 79	530 52 79
अवधि के दौरान कटौतियां	25 41 99	0
उप कुल	505 10 80	530 52 79
अद्यतन मूल्य हास	76 83 10	60 84 44
कुल	428 27 70	469 68 35
III. निर्माणाधीन भवन	14 98 43	1 21 00
IV. अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर	5087 93 85	4865 53 29
अवधि के दौरान जोड़ / समायोजन	604 39 18	317 60 42
उप कुल	5692 33 03	5183 13 71
अवधि के दौरान कटौतियां	64 61 62	95 19 86
उप कुल	5627 71 41	5087 93 85
अब तक मूल्य हास	4428 76 07	4072 82 66
कुल	1198 95 34	1015 11 19
V. पूंजीगत कार्य प्रवर्तमान	1 30 38	2 58 93
कुल योग (I + II + III + IV + V)	7515 47 29	7459 04 04

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	239 94 20	112 20 27
II. उपचित ब्याज	4251 78 49	3414 28 57
III. अग्रिम प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	2913 46 33	5254 40 17
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	12 62 98	10 87 76
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर-बैंककारी आस्तियां	51 38 26	51 38 26
VI. अन्य*	8081 76 86	8780 97 55
कुल	15550 97 12	17624 12 58
*जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/ एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	582 09 61	848 24 89

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2177 15 38	2091 81 01
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	281 95 06	388 96 17
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	279768 99 15	328152 69 50
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी*		
क. भारत में	29491 56 10	28971 51 28
ख. भारत के बाहर	198 56 58	193 48 98
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठकन और अन्य बाध्यताएं	9081 75 70	9758 18 18
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	13247 13 17	11746 38 15
कुल	334247 11 14	381303 03 27

*आकस्मिक देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि	40618 84 59	31941 15 06
II. निवेशों पर आय	13401 85 32	11647 16 82
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1386 20 36	877 53 68
IV. अन्य	207 87 49	476 35 73
कुल	55614 77 76	44942 21 29

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1018 29 76	958 45 65
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	1010 73 50	552 10 16
घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि	147 88 16	171 17 92
निवल	862 85 34	380 92 24
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	444 94 91	0.00
घटाएँ: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0.00	86 98 98
निवल	444 94 91	-86 98 98
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ*	2 82 30	1 95 64
घटाएँ: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि*	4 71 85	1 82 19
निवल	-1 89 55	13 45
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	451 51 04	1008 60 47
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	29 27 27	44 79 76
VII. विविध आय	5061 73 29	4837 13 67
कुल	7866 72 06	7143 06 26

*यह राशि सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है।

अनुसूची 15 - खर्च किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	30493 66 47	23184 25 68
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	330 78 02	616 17 43
III. अन्य	1517 05 02	916 31 93
कुल	32341 49 51	24716 75 04

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	9264 58 80	7527 22 77
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	635 64 07	620 98 45
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	87 80 55	98 74 82
IV. विज्ञापन और प्रचार	30 62 68	27 72 03
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	524 28 76	528 81 10
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1 88 56	1 10 69
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों को शामिल करते हुए)	48 70 87	52 16 17
VIII. विधि प्रभार	17 31 17	19 29 48
IX. डाक, तार और टेलीफोन	109 35 94	95 83 34
X. मरम्मत और अनुरक्षण	250 42 94	192 49 78
XI. बीमा	873 98 26	813 51 24
XII. अन्य व्यय	2455 82 99	2120 00 41
कुल	14300 45 59	12097 90 28

अनुसूची -17 मुख्य लेखांकन नीतियाँ (स्टैंडअलोन)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रही प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि हेतु आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक-11 (एएस-11) के अनुसार किया जाता है।

3.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

- विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।
- बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

3.2 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

- आकस्मिक देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विनिमय उतार-चढ़ाव निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस)
- ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को "एचटीएम" प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को "एचएफटी" प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपयुक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, "एफएस" प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

4.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

ए) "एचटीएम" प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, जैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूंजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) "एफएस" प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिप्टवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) "एचएफटी" प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) "एफएस" एवं "एचएफटी" प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है:

i) प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / फाइनेंसियल बैंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर धब वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीआई / एफआईएमएमडीए / एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर इक्रिटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले इक्रिटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पूनमूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii) जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की यूनिटों में 23.08.2006 के बाद किये गये निवेश, 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में

वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

ix) विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

4.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में की गयी है:

- प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

- अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीआई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

- केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीआई माना जाएगा जब गारंटी लागू किए जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

- यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि "माने गए अग्रिमों" के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्वधीन रखा जाता है।

- एनपीआई के रूप में वर्गीकृत इक्रिटी निवेश को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए, यदि उद्धृत किया गया है, और जहां इक्रिटी को उद्धृत नहीं किया गया है तो इसका मूल्यांकन रु 1/- पर किया जाना चाहिए।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेन, तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है जबकि लाभ, यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती है।

4.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम/ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 निवेश की कीमत का निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिषोधित कर दिया जाता है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण:

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेन-देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो धिर्वर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

रेपोधिर्वर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री धब खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिर्वर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिर्वर्स रेपो खाते में शेष, निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत है।

(ए) भारतीय रिर्वर्स बैंक में निहित सभी प्रकार के रिर्वर्स रेपो, वे भी जो तरलता समायोजन सुविधा के तहत शामिल हैं, को 'भारतीय रिर्वर्स बैंक में निहित नकद और शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिर्वर्स बैंक के साथ शेष' की मद (II) 'अन्य खातों में' की उप-मद (ii) के तहत प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिर्वर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन तक और समावेशी है, को 'बैंकों में निहित शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (II) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(सी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिर्वर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, को 'अग्रिम' की अनुसूची 9 के तहत निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

- ए(ii) 'नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण'
- बी(i) 'मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित'
- सी (i), (iii) बैंक (iv) अन्य (जैसा भी मामला हो)

5. पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी की गई प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में

प्रावधान दर

- अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिर्वर्स बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिर्वर्स बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिर्वर्स बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -

ए) अवमानक:

- कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:

- सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत
- अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:

- सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत
- अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

• पुनर्गठित धब पुनर्संचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिर्वर्स बैंक के निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

• विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिर्वर्स बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिर्वर्स बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय गैर- निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियमकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश

गैर निष्पादित/बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय ए उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

- प्रकट किये गए अग्रिम, गैर-निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7 अचल आस्तियां/मूल्यहास

- 7.1 अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन किया जाता है।
- 7.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।
- 7.3 भारत में इमारतों का मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय-सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्रं. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/उपयोग की समय-सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय-सीमा निम्नानुसार है: परिसर: 60 वर्ष तिजोरियां/लॉकर/दरवाजे (स्टील): 20 वर्ष वाहन: 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर: 10 वर्ष मोबाइल फोन: 1 वर्ष सोने की शुद्धता जांचने की मशीन: 7 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान बेची गई/अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से/संपत्ति के उपयोग की गयी समय-सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

7.5 रुपए 5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

7.6 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

7.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

7.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.10 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व अभिज्ञान

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2 गैर-निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है। पीएसएलसी की बिक्री पर अर्जित कमीशन/शुल्क आय को उपचय आधार पर गणना में लिया जाता है और पीएसएलसी की शेष अवधि के दौरान तिमाही के दौरान आनुपातिक रूप से मान्यता दी जाती है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड रिवाइ पाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात लाभ व हानि लेख में दर्शाया गया परिणाम:

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान

- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को/से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा/और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पढ़े हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान:

13.1 आकस्मिक देयताएं: संभावित या वर्तमान बाध्यताओं की ओर ले जाने वाली पिछली घटनाओं को निम्नलिखित उदाहरणों में आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी जाती है:

- (ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है
- (बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

13.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोड़कर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सके।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

- i. गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- ii. गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचाना जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

15. आय पर कर:

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों/विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक यह "वर्चुअल निश्चितता" न मिल जाए कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही के सापेक्ष है पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध है।

अनुसूची 18-स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबद्ध लेखों पर टिप्पणियाँ (2023-24)

1. विनियामक पूंजी

ए. विनियामक पूंजी के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	53031.19	42984.44
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	2000.00	1980.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i+ii)	55031.19	44964.44
iv)	टियर 2 पूंजी	9453.25	10027.45
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	64484.44	54991.89
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	392245.58	333582.35
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप सीईटी 1)	13.52%	12.89%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 1 पूंजी)	14.03%	13.48%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 2 पूंजी)	2.41%	3.01%
x)	जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप कुल पूंजी)	16.44%	16.49%
xi)	लीवरेज अनुपात	6.50%	5.86%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.84%	79.86%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की राशि	101.52	--
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-ईक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि,	--	--
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि	--	--

बी. आहरण द्वारा प्रारक्षित निधि में गिरावट

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियां	आहरण की गई राशि		प्रयोजन
	2023-24	2022-23	
रिजर्व का पुनर्मूल्यन	106.29	104.12	परिसर पर पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास

*वर्ष 2023-24 के लिए लेखा मानक-10 के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व आरक्षित खाते में जमा किया गया।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए. आस्ति और देनदारियों की कतिपय वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	5463.89	26990.68	14792.86	23608.57	44819.64	29245.28	44071.69	62686.36	68321.81	68084.76	299914.44	688000.00
अग्रिम	10704.43	11260.47	4634.85	16719.76	15408.76	15627.97	41792.33	64278.50	20078.125	45972.02	87708.73	514889.07
निवेश*	29827.63	15655.43	12692.97	15743.77	11034.39	11919.44	16063.90	25215.37	24069.92	15430.66	34698.66	212352.14
उधार	271.34	302.96	458.56	0.72	227.68	759.93	6175.01	3985.83	10937.98	11.48	0.00	23131.49
विदेशी मुद्रा आस्तियां	572.30	3472.56	1132.36	3110.89	4204.27	4020.53	12557.63	3028.07	3334.36	2028.45	788.09	38249.51
विदेशी मुद्रा देयताएं	302.18	3036.22	504.88	3361.81	2267.38	4542.67	2718.21	2668.75	4356.00	3454.91	3378.27	30591.27

*₹ 202.34 करोड़ की सूचीबद्ध ईक्यूटी के 50 प्रतिशत को छोड़कर

बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पैरामीटर	तिमाही 1: 2023-24		तिमाही 2: 2023-24		तिमाही 3: 2023-24		तिमाही 4: 2023-24	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		1,52,008.42		1,60,329.55		1,62,573.65		1,62,688.83
नकदी का बाह्य प्रवाह									
2	खुदरा जमा और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं जिसमें से:	3,79,267.20	32,503.91	3,86,046.46	33,033.17	3,92,838.67	33,599.96	4,01,338.59	34,388.75
(i)	स्थिर जमाएं	1,08,456.21	5,422.81	1,11,429.43	5,571.47	1,13,678.07	5,683.90	1,14,902.12	5,745.11
(ii)	अल्प स्थिर जमाएं	2,70,810.99	27,081.10	2,74,617.04	2,7461.70	2,79,160.60	27,916.06	2,86,436.48	28,643.65
3	असुरक्षित थोक फंडिंग जिसमें से	1,81,574.14	94,568.11	1,89,156.72	1,02,513.88	1,93,672.71	1,01,034.40	1,96,696.22	1,02,559.32
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	1,81,574.14	94,568.11	1,89,156.72	1,02,513.88	1,93,672.71	1,01,034.40	1,95,995.64	1,01,858.74
(iii)	अरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.59	700.59
4	सुरक्षित थोक फंडिंग		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं	48,214.73	35,402.87	53,648.57	35,369.43	44,331.26	26,886.51	57,606.07	37,264.05
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	33,826.21	33,826.21	33,221.16	33,221.16	25,139.46	25,139.46	35,062.48	35,062.48
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	14,388.52	1,576.66	20,427.41	2,148.27	19,191.81	1,747.05	21,930.71	2,201.57
6	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व	2,116.63	2,116.63	2,532.45	2,532.45	3,680.62	3,680.62	4,137.98	4,137.98
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	1,00,448.46	4,174.94	95,105.62	3,898.75	99,522.67	4,101.76	1,01,839.98	4,181.75
8	कुल नकद बहिर्वाह		1,68,766.45		1,77,347.69		1,69,303.25		1,82,531.86
नकदी का अंतर्वाह									
9	सुरक्षित उधार (यथा प्रतिवर्ती रेपो)	2,808.97	0	1,380.41	0	857.77	0	2,775.20	0.00
10	पूर्णनिष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह	26,027.71	15,032.68	27,390.86	15,769.36	29,737.43	18,042.09	33,626.74	20,648.23
11	अन्य नकदी प्रवाह	44,642.11	42,189.94	39,119.45	37,338.71	30,589.10	28,947.48	43,804.21	41,379.51
12	कुल नकद अंतर्वाह	73,478.79	57,222.63	67,890.72	53,108.07	61,184.29	46,989.57	80,206.16	62,027.75

		कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए	1,52,008.42	1,60,329.55	1,62,573.65	1,62,688.83
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह	1,11,543.83	1,24,239.62	1,22,313.68	1,20,504.11
15	चलनिधि कवरेज अनुपात	136.28%	129.05%	132.92%	135.01%

नोट: औसत भारत और गैर-भारत राशियों की गणना संबंधित तिमाही के लिए दैनिक टिप्पणियों के आधार पर साधारण औसत को समाहित करते हुए की जाती है। गैर-भारत मूल्यों की गणना 30 दिनों (अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए) के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है, सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।

संबंधित मार्जिन (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्वाह और बहिर्वाह दर (अंतर्वाह और बहिर्वाह नकदी के लिए) के प्रयोग के बाद भारत मूल्यों की गणना की जाती है। समायोजित मूल्यों की गणना (i) मार्जिन एवं अंतर्वाह और बहिर्वाह दरें और (ii) लागू अन्य कैप्स (अर्थात् एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर कैप एवं अंतर्वाह पर कैप) दोनों के प्रयोग के बाद की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि एलसीआर में अधिकतम तनावग्रस्त आस्तियों को बनाए रखने की 30 दिनों की पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के तरल संसाधन हैं, बैंक के चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दैनिक आधार पर एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। एलसीआर को आकलन करने की पद्धति आरबीआई द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है।

इस एलसीआर की गणना उच्च गुणवत्ता की तरल अप्रभावित आस्तियों (एचक्यूएलए) की मात्रा को तीस कैलेंडर दिनों की अवधि में अनुमानित शुद्ध बहिर्वाह से विभाजित करके की जाती है। शुद्ध नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को विभिन्न श्रेणियों की देनदारियों (जमाएं जैसे खुदरा, लघु कारोबारी ग्राहक (जमाएं ₹7.50 करोड़ तक), असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार) साथ ही साथ अनाहरित स्वीकार्य राशियों और तीस दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों के अंतर्वाह द्वारा आंशिक रूप से प्रतितुलित डेरिवेटिव से संबंधित एक्सपोजर में उपयोग करके की जाती है।

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान औसत एचक्यूएलए 162688.83 करोड़ (मार्जिन के बाद) बनाए रखा। एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षाओं से अधिक हैं एवं सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत सीमा से अधिक अपेक्षा की और एलसीआर (एफएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा अनुमत है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई और विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष राशि लेवल 1 एचक्यूएलए का हिस्सा है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 135.01% था।

बैंक की तरलता की जरूरतों को हर समय पूरा करने के लिए बैंक के एलसीआर के मुख्य चालक पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं। भारत नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से असुरक्षित थोक फंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें कुल भारत नकदी बहिर्वाह का योगदान 56.19% था। लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं सहित खुदरा जमाएं कुल भारत नकदी बहिर्वाह का 18.84% था। अन्य आकस्मिक फंडिंग दायित्वों में मुख्य रूप से बैंक गारंटी (बीजी) और बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी किए गए ऋण पत्र (एलसी) शामिल हैं।

यथास्थिति 31.03.2024 को बैंक का कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा/उधार) नहीं है। 31.03.2024 तक शीर्ष 20 बड़े घरेलू जमाकर्ताओं का योगदान कुल जमाओं का 5.92% है। महत्वपूर्ण घरेलू उत्पाद/लिखतों में बचत जमा, चालू जमा और सावधि जमा शामिल हैं, जो बैंक की कुल जमाओं का क्रमशः 35.10%, 5.67% और 59.23% है, जिसका फंडिंग व्यापक है एवं बैंक के लिए जोखिम केंद्रित नहीं है।

सी. निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

	30.06.2023				30.09.2023				भारत मूल्य	भारत मूल्य	
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा नैर-भारत मूल्य		अवशिष्ट द्वारा नैर-भारत मूल्य		अवशिष्ट द्वारा नैर-भारत मूल्य		अवशिष्ट द्वारा नैर-भारत मूल्य				
	अपरिष्कृत*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	अपरिष्कृत*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष			
	एएसएफ मर										
1	पूंजी: (2+3)	48,829.55	0.00	900.00	6,580.00	56,309.55	48,832.09	0.00	0.00	7,980.00	56,812.09
2	नियामक पूंजी	48,829.55	0.00	900.00	6,580.00	56,309.55	48,832.09	0.00	0.00	6,580.00	55,412.09
3	अन्य पूंजी लिखते	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4	खुदरा जमाएं और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं: (5+6)	1,88,443.32	56,461.25	1,50,411.85	0.00	3,61,429.42	1,91,604.25	49,890.28	1,62,609.94	10,13.84	3,70,411.25
5	स्थिर जमाएं	51,339.47	19,947.72	41,605.53	0.00	1,07,248.08	52,298.87	17,494.69	44,274.08	0.00	1,08,364.26
6	अल्प स्थिर जमाएं	1,37,103.85	36,513.53	1,08,806.33	0.00	2,54,181.34	1,39,305.39	32,395.59	1,18,335.85	1,013.84	2,62,046.99
7	शेक फंडिंग: (8+9)	61,798.11	97,167.81	67,217.79	0.00	89,836.48	65,422.81	1,21,572.14	47,769.20	881.4	95,458.50
8	परिचालन जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक फंडिंग	61,798.11	97,167.81	67,217.79	0.00	89,836.48	65,422.81	1,21,572.14	47,769.20	881.40	95,458.50
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	2,226.94	8,120.82	4,288.14	19,500.69	20,374.76	25,668.12	5,315.88	6,796.86	4,830.05	8,208.48
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0.00	0.00	0.00			0	0	0	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	2,226.94	8,120.82	4,288.14	19,500.69	20,374.76	25,668.12	5,315.88	6,796.86	4,830.05	8,208.48
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					5,27,950.21					5,30,890.33
	आरएसएफ मर										
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता लिक्विड आस्तियां (एक्यूएएल)	28,636.33	5,968.92	0.00	1,51,042.77	8,179.72					8,457.55
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	0.00	469.96	0.00	0.00	234.98	0.00	1,225.79	0.00	0.00	612.89
16	निष्पादित ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	1,526.29	1,51,067.97	63,417.43	2,81,826.02	3,43,973.49	1,519.34	1,76,315.86	1,03,831.23	2,34,714.70	3,31,050.06
17	लेवल 1 एक्यूएएल द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एक्यूएएल द्वारा सुरक्षित निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अनुसुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	31,556.97	3,289.50	58,002.70	64,381.00	0.00	41,165.91	15,505.39	37,746.32	51,674.68

	30.06.2023				30.09.2023				
	अवशिष्ट परियोजना द्वारा		भारत मूल्य		अवशिष्ट द्वारा		भारत मूल्य		
	अपरिष्कृत*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	अपरिष्कृत*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	
19	0.00	1,16,242.18	56,330.53	1,59,893.61	0.00	1,28,612.89	84,921.06	1,31,769.96	2,18,130.84
20	0.00	2,270.41	833.83	19,398.19	0.00	5,605.74	1,822.52	19,914.90	16,658.95
21	0.00	7.33	23.77	35,441.71	0.00	946.97	829.83	35,015.09	25,915.48
22	0.00	3.45	9.69	29,180.33	0.00	790.87	708.21	28,507.80	20,189.31
23	1,526.29	3,261.48	3,773.63	28,487.99	1,519.34	5,590.10	2,574.94	30,183.33	35,329.06
24	7,504.87	78.75	22.71	20,531.79	25,745.70	45.39	3.39	4,920.06	30,432.02
25	0.00				0.00		0.00		
26	0.00	0.00	0.00	1,927.98	0.00	11.8	27.14	1,844.56	1,600.98
27	0.00	31.43	2.15	45.87	0.00	14.85	-31.52	53.97	37.30
28	0.00	47.31	20.56	0.21	0.00	18.75	7.76	0.20	26.72
29	7,504.87	0.00	0.00	18,557.73	25,745.70	0.00	0.00	3,021.32	28,767.02
30	16,203.57	0.00	43,157.95	0.00	78,413.59	43,384.34	0.00	0.00	5,222.21
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)				3,82,342.03				3,75,774.73
32	शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (%)				138.08%				141.28%

	31.12.2023				31.03.2024						
	अवशिष्ट परिष्कृता द्वारा गैर-भारित मूल्य		भारित मूल्य		अवशिष्ट द्वारा गैर-भारित मूल्य		भारित मूल्य				
	अपरिष्कृत*	< 6 महीनों < 1 वर्ष तक	6 महीनों से ≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	अपरिष्कृत*	< 6 महीनों < 1 वर्ष तक	6 महीनों से ≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य			
	एसएसएफ मद										
1	पूँजी: (2+3)	53,650.70	0.00	0.00	6,488.24	60,138.95	59,952.82	0.00	0.00	6,000.00	65,952.82
2	नियामक पूँजी	53,650.70	0.00	0.00	4,888.24	58,538.95	59,952.82	0.00	0.00	4,600.00	64,552.82
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4	खुदरा जमाएं और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाएं: (5+6)	1,93,004.79	73,366.12	1,44,388.72	1,009.07	3,76,518.16	2,01,093.27	1,11,556.83	1,11,652.04	954.59	3,88,811.69
5	स्थिर जमाएं	53,363.36	24,616.82	38,528.31	0.00	1,10,683.06	55,389.70	34,716.40	29,597.38	0.00	1,13,718.31
6	अल्प स्थिर जमाएं	1,39,641.43	48,749.31	1,05,860.41	1,009.07	2,65,835.11	1,45,703.56	76,840.44	82,054.65	954.59	2,75,093.38
7	शोक फंडिंग: (8+9)	66,507.60	1,23,846.32	51,166.27	827.17	99,869.39	80,745.14	1,17,637.25	63,719.48	604.99	99,685.66
8	परिचालन जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य शोक फंडिंग	66,507.60	1,23,846.32	51,166.27	827.17	99,869.39	80,745.14	1,17,637.25	63,719.48	604.99	99,685.66
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	53,650.70	0.00	0.00	6,488.24	60,138.95	59,952.82	0.00	0.00	6,000.00	65,952.82
11	एनएसएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य सभी देनदारियां और इच्छिटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	27,386.66	9,707.65	8,280.16	5,846.35	9,224.67	23,099.15	8,196.19	3,985.83	4,949.47	5,942.38
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					5,45,751.16					5,60,392.56
	आरएसएफ मद										
14	कुल एनएसएसएफआर उच्च गुणवत्ता लिक्विड आस्तियां (एचक्यूएएल)					8,434.14					8,558.20
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	0.00	1,900.70	0.00	0.00	950.35	0.00	743.52	0.00	0.00	371.76
16	निष्पादित ऋण और प्रतिपूर्तियां: (17+18+19+21+23)	1,413.05	1,94,181.91	1,02,970.72	2,36,248.83	3,42,716.46	1,510.05	2,24,950.15	1,00,883.76	2,41,475.42	3,62,414.41
17	लेवल 1 एचक्यूएएल द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एचक्यूएएल द्वारा सुरक्षित निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त असुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	37,613.33	16,201.96	35,939.36	49,683.03	0.00	43,980.15	13,359.81	38,030.47	51,308.17

	31.12.2023				31.03.2024					
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य		भारित मूल्य		अवशिष्ट द्वारा गैर-भारित मूल्य		भारित मूल्य			
	अपरिपक्व*	< 6 महीनों 6 महीनों से < 1 वर्ष तक ≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य		अपरिपक्व*	< 6 महीनों 6 महीनों से < 1 वर्ष तक ≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य			
19	0.00	1,46,525.37	84,446.26	1,29,443.25	2,25,493.74	0.00	1,66,364.21	81,692.56	1,34,472.76	2,37,098.39
20	0.00	8,195.63	2,056.13	18,771.72	17,327.59	0.00	14,049.10	2,164.83	21,537.31	22,107.48
21	0.00	1,010.55	979.92	40,237.39	29,812.51	0.00	998.55	988.06	39,479.90	29,276.05
22	0.00	845.38	844.42	32,721.64	23,191.18	0.00	829.19	847.74	31,897.33	22,594.89
23	1,413.05	9,032.67	1,342.57	30,628.83	37,727.17	1,510.05	13,607.24	4,843.34	29,492.30	44,731.80
24	26,774.92	527.00	13.77	3,644.63	30,766.64	23,107.33	1,004.41	8.07	3,076.74	26,929.27
25	0.00				0.00	0.00				0.00
26	0.00	503.73	9.24	778.30	1,097.58	0.00	994.44	2.58	784.91	1,514.65
27	0.00	2.44	-1.25	62.33	63.52	0.00	-0.79	-2.66	68.66	65.22
28	0.00	20.83	5.78	0.53	27.14	0.00	10.75	8.15	0.22	19.12
29	26,774.92	0.00	0.00	2,803.47	29,578.39	23,107.33	0.00	0.00	2,222.95	25,390.29
30	78,866.68	44,951.74	0.00	0.00	5,291.89	78,776.73	46,617.24	0.00	0.00	5,337.35
31					3,88,159.48					403610.99
32					140.60%					138.84%

* नो मैच्युरिटी टर्म बकेट में रिपोर्ट की गई मदों में परिपक्वता नहीं बताई गई है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एक्व्यूलाए इच्छिती और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है।

निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) बेसल III सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की लंबी अवधि की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसएफआर 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ)

एसएफ को पूंजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके एनएसएफआर द्वारा मानी गई समय सीमा (अर्थात 1 वर्ष तक) पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है। एसएफ की राशि को किसी संस्थान के वित्तपोषण स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के वित्तपोषकों की अपनी निधि वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है।

आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)

आरएसएफ तरलता विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके ऑफ-बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर के आधार पर आवश्यक स्थिर निधि है। आरएसएफ की गणना निर्दिष्ट घटक की बकाया राशि को निर्धारित और संबद्ध आरएसएफ फैक्टर से गुणा करके की जाती है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और ऑफ-बैलेंस शीट गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफाइल बनाए रखें। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक निधि पर अति-निर्भरता को सीमित करता है, ऑफ-बैलेंस शीट की सभी मदों में वित्तपोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और वित्त पोषण स्थिरता को बढ़ावा देता है।

दिनांक 31.12.2023 को बैंक का एनएसएफआर 143.70% और 31.03.2024 को 138.84% था। एनएसएफआर 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। दिनांक 31.03.2024 तक, उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ) ₹560392.56 करोड़ और आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) ₹403610.99 करोड़ था।

बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना भी करता है और बैंक की तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है।

3. निवेश

ए. निवेश पोर्टफोलियो के घटक (अस्थास्थिति 31.03.2024 को)

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश					कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूति	अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुबंधी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	अनुबंधी और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित													
सकल	149985.66	0.00	0.00	813.98	262.10	162.89	151224.63	293.53	0.00	0.08	293.61	151518.24	
घटाएँ: मूल्यहास और गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54	
निवल	149985.66	0.00	0.00	813.62	256.75	149.06	151205.09	293.53	0.00	0.08	293.61	151498.70	
विक्रय के लिए उपलब्ध													
सकल	30037.61	0.00	1734.13	17054.67	0.00	13498.90	62325.36	1775.34	0.00	140.53	1915.87	64241.23	
घटाएँ: मूल्यहास और गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	963.55	2234.81	0.00	959.78	4157.94	0.00	0.00	140.39	140.39	4298.33	
निवल	30037.61	0.00	770.78	14819.86	0.00	12539.10	58167.43	1775.34	0.00	0.14	1775.48	59942.90	
व्यापार के लिए धारित													
सकल	430.67	0.00	4.49	139.13	0.00	538.64	1112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.94	
घटाएँ: मूल्यहास और गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
निवल	430.67	0.00	4.49	139.07	0.00	538.64	1112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.87	
कुल निवेश	180453.94	0.00	1738.62	18007.78	262.10	14200.40	214662.93	2068.87	0.00	140.61	2209.48	216872.41	
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	140.39	140.39	159.93	
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	963.35	2234.88	0.00	959.78	4158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.01	
निवल	180453.94	0.00	775.27	15772.54	256.75	13226.80	210485.38	2068.87	0.00	0.22	2069.09	212554.47	

यथास्थिति 31.03.2023 को

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश								भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूति	अन्य अनुमादित प्रतिभूति	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अनुष्ठी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	अनुष्ठी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर निवेश	कुल निवेश	
परिष्कारता के लिए धारित													
सकल	140573.58	0.00	0.00	1271.77	252.10	235.31	142332.76	276.64	0.00	0.07	276.71	142609.47	
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	
निवल	140573.58	0.00	0.00	1271.77	221.00	235.31	142301.66	276.64	0.00	0.07	276.71	142578.37	
विक्रय के लिए उपलब्ध													
सकल	25989.93	0.00	2031.44	14665.34	0.00	2770.64	45457.34	1634.41	0.00	130.84	1765.25	47222.59	
घटाएँ: मूल्यहास और गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69	
निवल	25901.05	0.00	872.49	13179.34	0.00	1730.47	41683.34	1634.41	0.00	0.15	1634.56	43317.90	
व्यापार के लिए धारित													
सकल	-9.98*	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	
घटाएँ: मूल्यहास और गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	-9.98	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	
कुल निवेश	166553.53	0.00	2033.52	15937.11	252.10	3105.82	187882.08	1911.05	0.00	130.91	2041.96	189924.04	
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69	
निवल	166464.65	0.00	874.57	14451.11	221.00	2065.64	184076.98	1911.05	0.00	0.22	1911.27	185988.25	

* लघु विक्री शामिल है।

बी. मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
i) निवेश मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचालन		
ए) अध शेष	3837.58	5586.92
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3045.70	1465.52
ग) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना	2672.91	3214.86
डी) अंतिम शेष	4210.37	3837.58
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षितियों का संचालन		
ए) अध शेष	1031.90	1031.90
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	328.11	0.00
ग) घटाएं: झाडाउन	0.00	0.00
डी) अंतिम शेष	1360.01	1031.90
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.29%	2.47%

*निवल मूल्यहास (निवल मूल्य वृद्धि को नहीं माना गया है) को घटाने के बाद मूल्य निहित है अर्थात् तुलन पत्र में निवल राशि दर्शाई गई है।

सी. एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

- एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण 51.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 37.35 करोड़ रुपये) की हानि को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है।
- प्रतिभूतियों का स्थानांतरण:
 - वर्ष की शुरुआत में, बैंक ने निम्नलिखित को स्थानांतरित किया:
 - 9593.58 करोड़ रुपये के बही मूल्य के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में 4.69 करोड़ रुपये के बही मूल्य के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान और गैर-एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूतियां नहीं रखे गए हैं एवं
 - वर्ष के दौरान किसी भी एसएलआर प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया गया है।
 - एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के मामले में, यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹148.15 करोड़ (पिछले वर्ष 143.25 करोड़ रुपये) का परिशोधन किया गया है और इसे 'निवेश पर आय' से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

डी. गैर एसएलआर निवेश संविभाग

(i) गैर-निष्पादित निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
ए)	अथशेष	2821.92	1979.98
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	468.92	1025.54
सी)	उक्त अवधि के दौरान घटौती	632.46	183.60
डी)	अंतिम शेष	2658.38	2821.92
ई)	धारित कुल प्रावधान	2658.38	1810.18

(ii) गैर-एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी आबंधन की सीमा		'निवेश स्तर से निम्न वर्ग' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'दर निर्धारण नहीं की गई' प्रतिभूतियों की मात्रा		सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23
ए)	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	23825.42	22873.36	19818.91	20196.01	0.00	0.00	348.57	394.99	573.22	18321.99
बी)	वित्तीय संस्थाएं	8568.38	7118.71	1051.80	2845.59	0.00	134.99	748.60	20.00	923.59	20.00
सी)	बैंक	14293.91	2981.53	1413.87	1413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	374.42	0.00
डी)	निजी कॉर्पोरेट	4300.78	5247.24	3337.78	5020.04	223.86	270.63	507.74	329.77	632.93	414.65
ई)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	262.10	211.50	262.10	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.23	132.63
एफ)	अन्य	3094.87	2865.18	215.93	495.91	0.00	0.00	611.38	474.98	0.00	0.00
जी)	मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए धारित प्रावधान	4210.37	3748.70	8.07	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	24.41
	कुल	50135.09	37548.82	26092.33	30174.86	223.86	405.62	2216.29	1219.74	2661.94	18864.86

ई. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च को बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	8248.57	778.60	0.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	9750.26	1378.65	1997.07
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

एफ. सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	विगत वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	विगत वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	विगत वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	चालू वर्ष के दौरान लेन. देन की कुल मात्रा	विगत वर्ष के दौरान लेन. देन की कुल मात्रा	चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया	विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपादिक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपादिक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. आस्ति गुणवत्ता

ए. धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

	2023-24						2022-23													
	मानक	भैर निष्पादित				कुल	मानक	भैर निष्पादित				कुल								
		उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम			उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम									
सकल मानक अग्रिम और एनपीए																				
अथशेष	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.53	473586.50	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75								
जोड़: वर्ष के दौरान जोड़					6769.93	6769.94					7042.73	7042.73								
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					13843.15	13843.15					14077.46	14077.46								
अंतिम शेष	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.53	473586.50								
सकल एनपीए में कमी के कारण:																				
i) उन्नयन					1026.19	1026.19					1145.72	1145.72								
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर और अन्य को विनिमय अंतर के रूप में शामिल करें)					4095.74	4095.74					4547.31	4547.31								
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खातों में डालना					7952.82	7952.82					7188.98	7188.98								
iv) इनके अलावा अन्य राइट-ऑफ (iii) उपरोक्त					768.40	768.40					1052.37	1052.37								
v) कोविड अधिस्थान किस्त रिवर्सल					0.00	0.00					143.07	143.07								
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)																				
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42								
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					3652.87	3652.87					6342.14	6342.14								
घटाएँ: अतिरिक्त उलटे प्रावधान/बड़े खातों में डाले गए ऋण					8745.47	8745.47					8528.82	8528.82								
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65								
निवल एनपीए																				
अथशेष		2723.44	1319.64	0.00	4043.07			3539.47	5178.62	130.56	8848.64									
जोड़: वर्ष के दौरान नए जोड़					3117.06						700.59									
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					4937.55						5506.16									
अंतिम शेष		2210.30	12.29	0.00	2222.58			2723.44	1319.64	0.00	4043.07									



	2023-24				2022-23				कुल	
	मानक	उप मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम	मानक	उप मानक	संदिग्ध		नुकसान
अस्थायी प्रावधान										
अधशेष					70.76					70.76
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान					0.00					0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि					0.00					0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष					70.76					70.76
तकनीकी बड़े खाते में डालना और उस पर की गई कपटली										
तकनीकी / वृद्धिशिथल बड़े खाते में डाले गए खातों का अधशेष					37217.67					34919.68
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते में डालना					7952.82					7346.91
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते में डाले गए खातों से की गई कपटली					5475.44					5048.92
अंतिम शेष					39695.05					37217.67

	31.03.2024	31.03.2023
अनुपात (प्रतिशत में)		
सकल अग्रिम के सापेक्ष सकल एनपीए	3.95	5.95
निवल अग्रिम के सापेक्ष निवल एनपीए	0.43	0.90
एयूसी के साथ प्रावधान कवरेज अनुपात	96.34	93.82
एयूसी के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात	89.47	85.65

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

अनु क्रमांक	क्षेत्र	31.03.2024			31.03.2023		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	119813.51	8484.91	7.08%	101000.43	8654.40	8.57%
बी)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत पात्र उद्यमी को अग्रिम	31584.21	3139.19	9.94%	28673.35	4313.43	15.04%
सी)	सेवाएं	50783.53	5429.76	9.94%	50982.45	6468.38	12.69%
डी)	वैयक्तिक ऋण	12463.67	814.43	6.53%	10162.22	1145.25	11.27%
	उप-योग (i)	214644.92	17867.87	8.32%	190818.45	20581.47	10.79%
ii)	गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1248.94	26.86	2.15%	936.14	271.50	29.00%
बी)	उद्योग	89698.16	1487.05	1.66%	108343.12	4457.57	4.11%
सी)	सेवाएं	63648.34	298.11	0.47%	92520.00	846.26	0.91%
डी)	वैयक्तिक ऋण	128919.22	1426.42	1.11%	80967.79	2022.72	2.50%
	उप-कुल (ii)	283514.66	3238.44	1.17%	282767.05	7598.05	2.69%
	कुल (i+ii)	498159.58	21106.31	4.24%	473586.50	28179.52	5.95%

सी. विदेशी आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
कुल आस्तियाँ	38853.91	31620.97
कुल एनपीए	1265.52	1267.06
कुल राजस्व	2063.45	1041.69

डी. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई /2018.19 /2013 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/ 21.04.048 /2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव – संशोधित रूपरेखा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित हुए कर्ज की राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (बी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2024 को ऋण की राशि (सी)	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (डी)	31.03.2024 तक पहले से ही (डी) में से प्रावधान (इ)
11735.57	10825.40	10825.40	434.53	434.53

*31.03.2024 को एनपीए खाते के गैर-निधि बकाया पर 322.04 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित।

पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इधरी में बदलने के कारण शेयरों का अधिग्रहण और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर नियामक सीलिंग/प्रतिबंध से छूट दी गई है : शून्य

ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर

हमारे बैंक में विचलन, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21/4/018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (दिनांक 11.10.2022 को अद्यतन किया गया) में निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं इसलिए वित्त वर्ष 2023 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर कोई खुलासा आवश्यक नहीं है।

एफ. ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र नंबर डीओआर.एसीसी.आरईसी. 51/21.04.048/2022.23 के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. डिफाल्ट वर्ग में न रखे गए ऋणों के अधिग्रहण का विवरण:

अधिग्रहण का तरीका रू प्रत्यक्ष समनुदेशन

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	199.54	2507.75	1631.15
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	1.75	5.52	4.75
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.25	0.31	0.41
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	10%	10%	10%
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	शून्य	140.58%	55%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	एए-	एएए: 258.21 करोड़ रुपये एए: 2106.22 करोड़ रुपये ए: 143.32 करोड़ रुपये	एएए: 297.91 करोड़ रुपये एए: 1033.87 करोड़ रुपये ए: 299.37 करोड़ रुपये

31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान हस्तांतरित/प्राप्त किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	1322.84	3826.71	2900.86
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	1.75	4.75	3.47
प्रवर्तक द्वारा भारत औसत धारण अवधि (वर्षों में)	0.25	0.32	0.36
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	5% - 10%	10%	10%
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	शून्य	150.80 %	61%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	एएए: 0.00 एए: 38.02 करोड़ रुपये ए: 1284.82 करोड़ रुपये	एएए: 466.78 करोड़ रुपये एए: 3142.94 करोड़ रुपये ए: 216.99 करोड़ रुपये	एएए: 60.35 करोड़ रुपये एए: 2073.31 करोड़ रुपये ए: 767.20 करोड़ रुपये

अधिग्रहण का तरीका सह-उधार / ऋण भागीदारी

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	0.60	270.98	शून्य
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	5	6.64	शून्य
प्रवर्तक द्वारा भारत औसत धारण अवधि (वर्षों में)	लागू नहीं	0.00	शून्य
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	20%	20%	शून्य
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	125%	60.62%	शून्य
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	ए+	एए: 59.68 करोड़ रुपये ए: 96.32 करोड़ रुपये बीबीबी: 114.98 करोड़ रुपये	शून्य

31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान हस्तांतरित/प्राप्त किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन (करोड़ रुपये में)	शून्य	426.77	248.27
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य	11.36	11.09
प्रवर्तक द्वारा भारत औसत धारण अवधि (वर्षों में)	शून्य	0.00	0.00
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	शून्य	20%	20%
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	शून्य	12.56 %	306%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	शून्य	एए: 90.25 करोड़ रुपये ए: 299.00 करोड़ रुपये बीबीबी: 37.52 करोड़ रुपये	एए: 248.47 करोड़ रुपये

ii. डिफॉल्ट रूप से हस्तांतरित नहीं किये गये ऋणों का विवरण: शून्य

iii. दबावग्रस्त ऋण हस्तांतरण का विवरण:

(खातों की संख्या को छोड़कर रुपये करोड़ में)

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान हस्तांतरित तनाव ऋण (एनपीए खाते) का विवरण			
विवरण	एआरसी को	स्थानान्तरित करने वालों के लिए अनुमत	अन्य स्थानान्तरित करने वालों के लिए
खातों की संख्या	137	2	शून्य
हस्तांतरित कुल मूलधन बकाया ऋण	1635.36	72.41	
हस्तांतरित ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	0	0	
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	4.60	0	
कुल विचार	408.90	55.69	
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0	0	

बैंक ने दबावग्रस्त ऋण की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान के 231.85 करोड़ रुपये की राशि को वापस कर दिया है।

iv. वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण: शून्य

- v. 31.03.2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग	राशि
आरआर 1+ (150% से अधिक)	1.42
आरआर 1 (100% से अधिक 150% तक)	113.11
आरआर 2 (75% से अधिक 100% तक)	31.48
आरआर 3 (50% से अधिक 75% तक)	15.89
आरआर 4 (25% से अधिक 50% तक)	0.00
आरआर 5 (25% तक)	29.40
रेटिंग रहित एसआर	699.99
कुल	891.31

*बैंक के पास 100 प्रतिशत का प्रावधान है।

जी. प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	891.31	971.70
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	891.31	971.70

विवरण	विगत 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों में जारी एसआर	8 वर्षों से भी पहले जारी एसआर
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं का बही मूल्य	0.00	191.33	699.98
ऊपर (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	191.33	699.98
(ii) अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
(ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i)+(ii)	0.00	191.33	699.98

घ. धोखाधड़ी खाते

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	6059	429
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	204.91	493.31
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	158.89	442.76
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि।	0	0

आई. एमएसएमई प्रकटीकरण

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020, और डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के आधार पर योजना के तहत एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	31.03.2024 को बकाया (रुपए करोड़ में)
56397	3248.98

जे. कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2022-23/31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2022-23 दिनांक 5 मई, 2021 उधारदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋणों को मानक वर्ग में वर्गीकृत करते हुए इनके संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत विशेष विंडो को विस्तारित किया गया था। कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण इस प्रकार है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-30.09.2023 को स्थिति (₹)	(₹) का, कुल ऋण जो 31.03.2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए में फिफ्रसल गया	(₹) 31.03.2024 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(₹) 31.03.2024 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-31.03.2024 को स्थिति
1	वैयक्तिक ऋण	5485	252	0	263	4970
2	कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2174	185	0	386	1603
	जिसमें से एमएसएमई	1305	185	0	350	770
3	अन्य	2321	32	0	265	2023
	कुल (1+2+3)	9980	469	0	915	8596

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

के. कोविड उपाय:

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड -19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह से होंगी। बैंक की पूंजी और तरलता की स्थिति मजबूत है और इस अवधि के दौरान बैंक के लिए फोकस क्षेत्र बना रहेगा।

5. एक्सपोजर

ए) रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ग	31.03.2024	31.03.2023
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
ए) आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा।	60395.04 (9037.83)	56613.08 (7788.72)
बी) वाणिज्यिक अचल संपत्ति – वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार।	19132.00	15753.98
सी) वाणिज्यिक अचल संपत्ति –बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश		
i) आवासीय	शून्य	शून्य
ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि एक्सपोजर	19902.89	28188.11
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	99429.93	100555.17

**एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं।

बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) प्रत्यक्ष निवेश ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसका आधारभूत निधि मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	2032.61	1929.42
ii) वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की या निशर्त रूप में जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण;	0.70	11.68
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है;	शून्य	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती;	शून्य	शून्य
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	919.21	490.01
vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन;	शून्य	शून्य
X) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर।	173.58	249.50
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	3126.34	2680.61

सी. जोखिम संवर्गवार देश संबंधी एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम रेटिंग	जोखिम श्रेणी**	31.03.2024 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2024 तक धारित प्रावधान	31.03.2023 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2023 तक धारित प्रावधान
ए1	नगण्य	17686.84	12.57	17062.00	6.82
ए2	न्यून	3467.50	-	6176.81	-
बी1	मध्यम से कम	701.40	-	96.93	-
बी2	मध्यम	50.92	-	100.76	-
सी1	मध्यम से ज्यादा	596.79	-	19.08	-
सी2	ज्यादा	1.53	-	482.94	-
डी	बहुत ज्यादा	383.47	-	0.00	-
	कुल	22888.44	12.57	23938.51	6.82

** दिनांक 31.03.2024 तक ईसीजीसी द्वारा अद्यतन देश जोखिम वर्गीकरण के अनुसार

देश का जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने 31.03.2024 तक, विभिन्न देशों में अपने निवल वित्तपोषित एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर के अलावा अन्य देशों में इस तरह का एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% की शर्त के भीतर है।

सिंगापुर के संबंध में, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा 'नगण्य' जोखिम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है, रु. 12.57 करोड़ ('नगण्य' जोखिम श्रेणी के लिए पिछले वर्ष रु 6.82 करोड़) का प्रावधान उपलब्ध है।

बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
-	-	शून्य	-	-

डी. बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट:

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं किया है। 31.03.2024 को बकाया राशि शून्य है। अतः बकाया एलओसी / एलओयू पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर और कोलंबो) और गिफ्ट सिटी शाखा द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट शून्य है और 31.03.2024 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को दिए गए उत्तरदायित्व पत्र के अनुसार, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंगापुर शाखा हर समय अच्छी तरलता और मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखे। तदनुसार, बैंक ने सिंगापुर शाखा में यूएसडी 43.00 एमआईओ (भारतीय मुद्रा में 358.64 करोड़ रुपये के बराबर) की जमा राशि बनाए रखना जारी रखा है।

हमने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के पक्ष में श्रीलंकाई शाखाओं के लिए एलओयू जारी किया है। बैंक श्रीलंका में अपने व्यवसाय के संबंध में या उससे संबंधित सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का वचन देता है। हमें जारी एलओयू के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

बैंक ने आईएफएससी, एसईजेड गिफ्ट सिटी, गुजरात के पक्ष में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए आईएफएससीए की अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार एलओसी जारी किया है। बैंक आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए पूंजी और तरलता सहायता के रूप में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का वचन देता है। बैंक को जारी एलओसी के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

ई. असुरक्षित अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	48051.51	36332.65
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

एफ. फैंक्टरिंग एक्सपोजर :

31 मार्च 2024 तक बैंकों का फैंक्टरिंग एक्सपोजर 2400 करोड़ रुपये है। (विगत वर्ष:शून्य)

जी. इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर

क्र सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1311.85	904.64
2	शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1311.85	904.64
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.18%	0.14%
4	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

एच. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाई है। जहां कोई स्वाभाविक बचाव नहीं है, आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को फॉरवर्ड कवर का सुझाव दिया जाता है। फॉरवर्ड कवर, विनिमय जोखिम पर अनहेज्ड जोखिम को कम करने के रूप में कार्य करेगा। सुविधाओं को मंजूरी देते समय, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि विदेशी मुद्राओं में सभी एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जिसमें लेटर ऑफ कंफर्ट / लेटर ऑफ अंडरस्टेकिंग शामिल है) फॉरवर्ड कवर द्वारा कवर किया गया है। फॉरवर्ड कवर की छूट पर विचार करने का अनुरोध, यदि कोई हो, पर केवल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों की समीक्षा करते समय, अनहेज्ड एक्सपोजर को केचर कर लिया जाता है और क्रेडिट प्रस्तावों में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के 11 अक्टूबर, 2022 के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रु 35.10 करोड़ का प्रावधान और रु 61.32 करोड़ की पूंजी उनके घटकों को अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रदान की है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए की मात्रा

ए) जमा की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि (केवल घरेलू)	40833	42447
बैंक की कुल जमाराशियों के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	5.92%	6.83%

बी) अग्रिमों की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	71196.34	71218.20
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	10.39%	11.23%

सी) एक्सपोजर की मात्रा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	75935.87	75085.66
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	10.56%	11.45%

डी) एनपीए की मात्रा

विवरण	2023-24	2022-23
शीर्ष बीस खातों में कुल एक्सपोजर	1791.34	3558.02
कुल सकल एनपीए के सापेक्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	8.49%	12.63%

7. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

ए) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23*
i) स्वैप समझौतों का आनुमानिक सिद्धांत	896.60	800.00
ii) यदि समझौते के तहत साझेदार, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की मात्रा	896.60	800.00
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य	-0.96**	-5.49

* वित्तीय विवरण की बेहतर प्रस्तुति के लिए आंकड़ों को दोबारा प्रस्तुत किया गया है

** सकारात्मक एमटीएम 0.09 करोड़ रुपये और एमटीएम 1.05 करोड़ रुपये है

बी) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार)	425.00	0.00
ii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार)	425.00	0.00
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार)	200.00	0.00
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार)	0.07*	0.00

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ-साथ देयताओं की हेजिंग की अनुमति देती है। हेजिंग लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैंक-ऑफिस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाते हैं। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला-बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र की दिनांक पर अदला-बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ व हानि, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
ए)	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	746.60	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	0.00	575.00	0.00	800.00
बी)	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) देयता (-)	0.00	0.89	0.00	0.00
सी)	ऋण जोखिम	0.00	10.30	0.00	0.00
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)				
	i) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	6.58	0.00	0.00
ई)	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी** 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	i) प्रतिरक्षा पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार पर	0.00	अधिकतम-6.58 न्यूनतम-0.43	0.00	0.00

डी) क्रेडिट डिफ फाल्ट स्वेप: शून्य

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2	एसपीई की बुक के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	बैलेंस शीट की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	ए) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • फर्स्ट लॉस • अन्य 	शून्य	शून्य
	बी) ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> • फर्स्ट लॉस • अन्य 	शून्य	शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य

	ए) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य	शून्य	शून्य
	बी) ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • फर्स्ट लॉस • अन्य	शून्य	शून्य
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात ऋण में वृद्धि, लिक्विडिटी सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से उल्लेख करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) चुकौती प्राप्त (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8	अतीत में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
9	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
10	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. एसपीवी प्रायोजित ऑफ बैलेंस शीट (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

10. डिपॉजिटर एजुकेशन एण्ड अवेरनेस फंड (डीईए फंड) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
01.04.2023 की स्थिति के अनुसार डीईएफ को अंतरित राशियों की प्रारंभिक शेष राशि	2510.66	2221.49
जोड़ें: वर्ष 2023-24 के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि	911.64	344.72
घटाए: वर्ष 2023-24 के दौरान दावों के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	188.08	55.55
31.03.2024 तक डीईएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष, (1+2-3)	3234.22	2510.66

नोट: दिनांक 31.03.2024 को डीईए फंड में हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष ₹ 3234.22 रुपये है (31.03.2023 यथास्थिति ₹ 2510.66), जिसका खुलासा ऊपर किया गया है, इसे अनुसूची -12 आकस्मिक देनदारियां-अन्य के तहत भी शामिल किया गया है, जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर सक्षिप्त जानकारी*

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	838	1588
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	89229	99298
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	89498	100048
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	3301	2131
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	569	838
बैंकिंग लोकपाल से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या			
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	5165	6752
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	5099	6598
5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	77	238
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या।	0	0
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णय के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

* बैंकिंग लोकपाल के पूर्व कार्यालय

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(5) में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2023-24					
एटीएम डेबिट कार्ड	411	31547	-38.20%	135	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	71	18217	60.61%	193	0
खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई	35	7843	116.47%	60	0
ऋण और अग्रिम	23	4338	74.63%	54	0
वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	2	1036	-7.74%	7	0
अन्य	296	23248	-21.67%	120	0
कुल	838	89229	-10.14%	569	0
2022-23					
एटीएम डेबिट कार्ड	884	51055	-62.77%	411	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	291	11342	-75.86%	71	0
ऋण और अग्रिम	21	3623	3.36%	35	0
खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई	18	2484	-23.75%	23	0
क्रेडिट कार्ड्स	8	1123	-1.14%	2	0
अन्य	366	29671	-52.10%	296	0
कुल	1588	99298	-60.93%	838	0

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

12.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

- वर्ष के दौरान आरबीआई ने 0.26 करोड़ रुपये (187 मामले) का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 0.08 करोड़ रुपये (102 उदाहरण) गंदे नोटों के प्रेषण में विसंगतियों से संबंधित हैं, 0.03 करोड़ रुपये (6 मामले) ई-कुबेर में विलंबित/गलत रिपोर्ट करने के कारण हैं और 0.11 करोड़ रुपये (56 मामले) आरबीआई द्वारा मुद्रा चेस्ट में निरीक्षण में देखी गई अनियमितताओं के कारण हैं और 0.04 करोड़ (23 मामले) आरबीआई द्वारा शाखाओं के गुप्त दौरे में देखी गई अनियमितताओं के कारण हैं।
- 0.02 करोड़ रुपये (उदाहरणों की संख्या: 23) जिनमें से 0.02 करोड़ कैश आउट एटीएम से संबंधित हैं।
- आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों जैसे 'त्रण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', आरबीआई (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)), दिशानिर्देश, 2016 और आरबीआई (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 का पालन न करने का बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) दिशानिर्देश, 2016 पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 0.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

(विगत वर्ष आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना: रु. 1.05 करोड़)

12.2 भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान, सरकार ने सरकारी खातों में प्रेषण में देरी से संबंधित 1.24 करोड़ (19 उदाहरण - 2005 - 2023 की अवधि से संबंधित) का जुर्माना लगाया है। दंडात्मक ब्याज राशि में छूट/कमी के लिए संबंधित मंत्रालयों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। अतः वर्ष के लिए खाते में प्रावधान नहीं किया गया है

(विगत वर्ष भारत सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना: रु.0.11 करोड़)

13. नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3):

मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2024	31.03.2023
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	8062.94	5281.70
के लिए समायोजन:		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3652.87	6516.22
निवेश के लिए प्रावधान	(382.06)	492.15
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1936.53	2294.68
कर के लिए प्रावधान	2888.20	632.71
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	236.12	140.15
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	524.29	528.81
पूँजी लिखत पर ब्याज	710.85	733.88
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.90	(0.13)
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	(2.63)	(7.09)
आयकर का भुगतान	(870.00)	0.00
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	16759.01	16613.08
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(26184.17)	(11921.81)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(69245.20)	(66717.64)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	2943.14	2699.51
	(92486.23)	(75939.94)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	66834.25	27547.94
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	2058.46	4864.06
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(1778.58)	(1028.28)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2024	31.03.2023
	67114.13	31383.72
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	(8613.09)	(27943.14)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	2.63	7.09
अचल आस्तियों की खरीद	(616.88)	(324.45)
अचल आस्तियों की बिक्री	8.85	20.45
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(605.40)	(296.91)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(1071.08)	(809.54)
टियर 2 बांडों का मोचन	(1000.00)	0.00
पूंजी लिखत पर ब्याज	(733.88)	(733.88)
अवधि के दौरान जारी इक्विटी पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	4000.00	0.00
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	1195.04	(1543.42)
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	(8023.45)	(29783.47)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1242.48	1962.40
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	26670.15	22092.01
(बी) अन्य जमा खातों में	4780.00	34500.20
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	18.13	6.18
(बी) अन्य जमा खातों में	1573.64	1386.15
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	5007.04	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए)चालू खातों में	693.49	503.98
(बी) अन्य जमा खातों में	10144.91	19453.09
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	2.74	12.04
	50132.58	79916.05
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1304.15	1242.48
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	31134.61	26670.15
(बी) अन्य जमा खातों में	264.00	4780.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	4.20	18.13
(बी) अन्य जमा खातों में	1573.60	1573.64
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	1997.07	5007.04
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए)चालू खातों में	743.35	693.49
(बी) अन्य जमा खातों में	5084.58	10144.91
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	3.57	2.74
	42109.13	50132.58
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	(8023.45)	(29783.47)

नोट : वित्तीय वर्ष 31.03.2024 हेतु नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष माध्यम से तैयार किया गया है।

14. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

i. परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023.24 के दौरान बैंक ने ₹1.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.91 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹353.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹288.87 करोड़) का अंशदान दिया है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है:

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2024	31/03/2023
बट्टे की दर - जी -सेक रेट	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.21% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.48 - 15 वर्ष जी-सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.88% पेंशन के लिए और 7.89% उपदान के लिए	7.69% पेंशन के लिए और 7.83% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (2012-14) अल्टीमेट	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
ब्याज लागत	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
वर्तमान सेवा लागत	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
विगत सेवा लागत - पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - न पहचानी गई / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1010.11	1689.97	139.12	63.18	328.14	187.82
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17282.98	15893.63	1764.27	1802.75	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
अंशदान	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
प्रदत्त लाभ	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1408.52	1240.84	141.19	135.24	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	-1010.11	-1689.97	-139.12	-63.18	-328.14	-187.82
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्तियां	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00
अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46

*पारिवारिक पेंशन नियमों में परिवर्तन के कारण प्रावधान शामिल है

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्तमान सेवा लागत	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
ब्याज लागत	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1398.59	-1227.56	-139.89	-134.35	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गई है	990.46	1676.69	137.84	62.29	328.14	187.82
इस वर्ष में पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	2286.69	1859.91	268.46	128.87	669.87	458.92

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी की भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
निवल देयता का आरंभिक शेष	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75
उपर्युक्तानुसार व्यय	-2286.69	-1859.91	-268.46	-128.87	-669.87	-458.92
प्रदत्त अंशदान	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
अंतिम निवल देयता	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2019-24 - पेंशन	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93
योजना आस्तियां	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08
अधिशेष (घाटा)	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2019-24 - उपदान	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26
योजना आस्तियां	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98
अधिशेष (घाटा)	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30

(₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2019-24 छुट्टी मुनाई	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2023-24		2022-23	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	23.43%	29.29%	21.62%	23.35%
उच्च गुणवत्तावाले कॉर्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	17.33%	15.64%	13.02%	12.88%
विशेष जमा योजना	0.05%	0.06%	0.04%	0.04%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	58.67%	54.48%	65.12%	63.53%
इक्विटी और म्युचुअल फंड	0.52%	0.53%	0.20%	0.20%
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

iii) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹ 41.96 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 73.65 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान/(अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2024	31/03/2023
1.	चिकित्सा अवकाश	4.55	2.54
2.	आकस्मिक छुट्टी	0.97	-0.03
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	36.44	71.14
कुल		41.96	73.65

नोट: शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एएस-10)

15.1 बैंक के परिसर में भूमि और भवन शामिल हैं, जो पुनर्मूल्यांकित राशि पर बताए गए हैं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त उचित बाजार दर के आधार पर किया है। परिसर की पुनर्मूल्यांकन राशि में ₹599.48 करोड़ की वृद्धि हुई है जिसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए व्यय के तहत ₹105.56 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹110.87 करोड़) को मूल्यहास हेतु प्रभारित किया गया तथा और ₹98.79 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹104.12 करोड़) के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया। परिसर की बिक्री पर ₹7.50 करोड़ भी पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित किया गया। एएस-10 के अनुसार, ₹104.12 करोड़ की राशि की पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर मूल्यहास को व्यय के तहत प्रभारित किया गया है। इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा कर 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' में समायोजित किया गया था।

15.2 परिसर में ₹8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल / पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू ₹63.71 करोड़ (विगत वर्ष ₹65.98 करोड़), निवल मूल्यहास 0.44 करोड़ रुपये (विगत वर्ष ₹0.76 करोड़) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

* ₹1.61 करोड़ की लागत की हैदराबाद में संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में ₹2.32 करोड़ की लागत की सम्पत्ति है, जहां डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

16. पट्टे (एएस 19)

ए. पट्टे/किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत/रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रूपए 426.22 करोड़ है। (विगत वर्ष - रूपए 399.08 करोड़)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में संयंत्र एवं उपस्कर और भूमि शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम: भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

17. ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

आईबीटीआरडी को ग्रामीण विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक द्वारा 22.09.2008 में स्थापित किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को 01.04.2020 से इंडियन बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया है और आईबीटीआरडी और इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एबीआरडीटी) के समामेलन की प्रक्रिया प्रगति पर है और एबीआरडीटी की सभी संपत्तियां और देयताएं आईबीटीआरडी को हस्तांतरित की जाएंगी। ट्रस्ट का फोकस क्षेत्र जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों पर स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करना रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के निर्देशानुसार, हमारे बैंक ने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (इंडसेटी) के नाम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना की है।

ट्रस्ट पैन-इंडिया द्वारा प्रायोजित इंडसेटी, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	अग्रणी जिलों में	गैर-अग्रणी जिलों में	कुल
इंडसेटी	32	5	37
एफएलसी	36	6	42
सीएफएल	107	15	122

आईबीटीआरडी के न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकगण द्वारा स्वतंत्र रूप से ट्रस्ट के खाते की लेखाओं का लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम आय और व्यय खाता*

(रु करोड़ में)

व्यय	आय		
इंडसेटी के लिए परिचालन व्यय	16.08	सीएसआर के लिए बैंक द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति	12.50
एफएलसी के लिए खर्च	0.74	विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण लागत प्रतिपूर्ति	7.62
सीएफएल के लिए खर्च	0.82	खाता बंद होने के कारण एफएलसी शेष राशि का क्रेडिट वापस	0.02
एमसी	0.02		
लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.03		
व्यय से अधिक आय	2.45		
कुल	20.14		20.14

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम प्राप्ति और भुगतान खाता*

प्राप्ति		भुगतान	
प्रारंभिक जमाशेष	4.25	इंडसेटी के लिए पूंजीगत व्यय	0.70
बैंक से सीएसआर अंशदान	12.50	इंडसेटी, एफएलसी और सीएफएल को प्रतिपूर्ति	14.54
प्रत्यक्ष आय	7.62	एमसी	0.02
प्राप्त ब्याज	0.09	लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.03
		अंतिम जमा शेष	9.17
कुल	24.46		24.46

* ट्रस्ट के फाइनल ऑडिट पर आंकड़े परिवर्तन के अधीन हैं

नोट: 31.03.2024 तक, इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एबीआरडीटी) खाते में 2.52 करोड़ रुपये की क्रेडिट शेष राशि है।

18. विधि

आकस्मिक देनदारियों में एक खाता मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड शामिल है, कंसोर्टियम बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में कुल 1602.44 करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने कंसोर्टियम बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के विरुद्ध कुल 406.47 करोड़ रुपये का दावा किया गया। मुकदमे में, बचाव के लिए सशर्त छुट्टी 400 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे बैंक के 100 करोड़ रुपये के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर को किया गया था। सारांश मुकदमा बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। बैंक द्वारा किया गया उक्त 100 करोड़ रुपये का प्रेषण वर्ष के दौरान मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चालू खाते और एफएलसी खाते (84.09 करोड़ रुपये) को डेबिट करके समायोजित किया गया है जिसमें 31.03.2024 को 15.94 करोड़ के बकाया शेष को शामिल नहीं किया गया है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध इस दावे के लिए, बैंक के पास कुल प्रावधान 31.26 करोड़ रुपये (विगत वर्ष-रुप 31.26 करोड़) है।

19. लेखा मानक - 17 'खंड परिणाम'

1. खंड निर्धारण

i. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :-

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग*
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

* इसके अलावा, 7 अप्रैल 2022 के आरबीआई सर्कुलर डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 के अनुसार रिटेल बैंकिंग खंड को डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष-

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग-

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

- (i) डिजिटल बैंकिंग - 7 अप्रैल, 2022 के आरबीआई सर्कुलर के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू कर दिया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के संचालन से संबंधित है।
- (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय-

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

- i. देशी परिचालन - भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय
- ii. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफ शोर बैंकिंग इकाइयाँ

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

भाग ए कारोबार खंड	देशी		कॉर्पोरेट/शेक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिवालन		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
राजस्व	15616.08	13781.49	22165.82	18223.54	24927.68	19474.98	0.18	0.00	24927.50	19474.98	771.92	605.26	63481.50	52085.27
परिणाम	5658.69	5673.24	5046.07	4468.80	5545.69	4702.20	(0.27)	(0.25)	5545.96	4702.45	589.10	426.38	16839.55	15270.62
अनाबंदिता व्यय													5888.41	9356.21
परिचालनगत लाभ													10951.14	5914.41
अन्य गैर आबंटनीय आय													0.00	0.00
आयकर													2888.20	632.71
अपवाद स्वरूप मदें													0.00	0.00
निवल लाभ													8062.94	5281.70
अन्य जानकारी													0.00	0.00
खर्चीय आस्तियां	233839.17	218813.92	259620.22	232908.23	291324.65	249089.62	9.88	0.93	291314.77	249088.69	0.00	0.00	784784.04	700811.77
अनाबंदिता आस्तियां													7835.08	9688.96
कुल आस्तियां													792619.12	710500.73
खर्चीय देयताएं	216613.46	204039.68	240495.35	217182.35	269864.28	232271.18	10.15	1.18	269854.13	232270.00	0.00	0.00	726973.09	653493.21
अनाबंदिता देयताएं													7257.91	9034.77
पूर्वी, आरक्षितियाँ और अधिशेष													58388.12	47972.75
कुल देयताएं													792619.12	710500.73

भाग बी - भौगोलिक खण्ड	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
राजस्व	61418.05	51043.58	2063.45	1041.69	63481.50	52085.27
आस्तियां	753765.21	676879.76	38853.91	31620.97	792619.12	710500.73

खंड राजस्व और व्यय को खंड संपत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है, जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

20. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18):

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

1. अनुषंगियां:

क्र सं	अनुषंगी कंपनी का नाम	संस्थापन का देश	संस्थापन की तिथि	स्वामित्व का अनुपात	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए)	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	11/08/1989	64.84%	ब्रह्मय्या एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	13/09/2023
बी)	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड	भारत	28/01/1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड कंपनी	20/09/2023
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	09/02/2024	100.00%	सी एंड एजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को नियुक्त किया जाना है	लागू नहीं

2. सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	शेयरधारिता पैटर्न
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुडुवई भारतियार ग्राम बैंक	35%

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	देश/निवास	सम्बन्ध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसरेक (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्री एस एल जैन	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.09.2021
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024

4.2 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक पद पर अवधि के समापन का विवरण इस प्रकार है :

	नाम	वर्ग	समापन की तिथि	कारण
1	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	01.06.2023	यूको बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्ति
2	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024	नियुक्ति की अवधि की समाप्ति
3	डॉ. आदित्य गेहा	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	14.07.2023	भारत सरकार की अधिसूचना संख्या eF.No.6/3/2011-BO.I दिनांकित 14.07.2023
4	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	07.02.2024	नियुक्ति की अवधि की समाप्ति

20.5 गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या
1	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	200
2	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	205

20.6 संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 232.60 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष रुपए 135.84 लाख)

विवरण	2023-24	2022-23
श्री एस एल जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 to 31.03.2024)	₹ 47.53 लाख	₹ 40.74 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 to 10.03.2024)	₹ 67.30 लाख\$	₹ 36.53 लाख
श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 to 01.06.2023)	₹ 15.12 लाख#	₹ 47.23 लाख*
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 to 31.03.2024)	₹ 35.17 लाख	₹ 11.34 लाख
श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (03.05.2023 to 31.03.2024)	₹ 45.82 लाख	--
श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (09.10.2023 to 31.03.2024)	₹ 19.70 लाख	--
श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (10.03.2024 to 31.03.2024)	₹ 1.96 लाख	--

*मकान किराया भत्ता रुपये 12.32 लाख सहित।

\$पीआई नकदीकरण रुपये 30.00 लाख सहित।

#पीएलआई एवं अन्य भत्तों सहित।

20.7 संबंधित पक्षकारों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

मद / संबंधित पक्षकार	स्वामी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	संयुक्त उद्यम	कुल
सेवाएं प्रदान किया जाना	20.29	1.97	22.26
सेवाएं प्राप्त किया जाना	1.97	20.29	22.26

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार 'राज्य-नियंत्रित उद्यम' से संबंधित पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, लेनदेन बैंकर-ग्राहक संबंध का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी के रिश्तेदार शामिल हैं।

21. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2023-24	2022-23
इक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	8062.94	5281.70
इक्विटी शेयरों की संख्या	1346963981	1245441139
इक्विटी शेयरों की भारत संख्या	1275121314	1245441139
प्रति शेयर मूल अर्जन	63.23	42.41
कम की गई आय प्रति शेयर आय	63.23	42.41
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00

22. आय पर करों के लिए लेखांकन (एस 22):

- ए) **वर्तमान कर:** चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालनों के लिए आयकर का प्रावधान 3357.18 करोड़ रुपये है, जिसमें चालू वर्ष में किए गए पूर्व वर्षों से संबंधित विदेशी शाखाओं पर कर का प्रावधान 8.26 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में रुपये 18.08 करोड़ के आयकर का प्रावधान किया गया है। देशी परिचालन के लिए वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- बी) **आस्थगित कर:** बैंक का निवल डीटीए 4921.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 4434.56 करोड़ रुपये) है, जिसमें आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) 1116.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 1025.40 करोड़ रुपये) हैं और आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) 6038.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 5459.56 करोड़ रुपये)। डीटीए और डीटीएल के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	376.55	275.43
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व)	131.17	122.57
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.04
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3864.41
5	पुनर्संचित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1569.60	1094.72
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	96.41	102.79
	कुल-डीटीए	6038.18	5459.96
	आस्थगित कर देयताएँ		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	44.41	44.40
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	704.90	613.74
	कुल - डीटीएल	1116.56	1025.40
	निवल डीटीए/(डीटीएल)	4921.62	4434.56

सी) वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आयकर)	2888.20	632.71

दिनांक 31.03.2024 को भुगतान की गई विवादित आयकर मांग 3953.36 करोड़ (विगत वर्ष 3953.36 करोड़) थी। इसे दिनांक 31.03.2024 तक विवादित कर मामलों से संबंधित 9761.82 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 8846.59 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

23. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एस-27):

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है:

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरेंस कं. लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एसएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत		38.26%	37.50

एस 27 के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	496.03	437.90
जमा	0.00	0.00
उधार	11.40	19.38
अन्य देयताएँ और प्रावधान	1211.02	1271.32
कुल	1718.45	1728.60
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	0.01	0.10
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	33.95	54.81
निवेश	1393.41	1337.92
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	21.08	18.07
अन्य आस्तियां	270.00	317.70
कुल	1718.45	1728.60
पूंजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य आकस्मिक देयताएं	63.65	46.76
आय		
अर्जित ब्याज	6.42	5.99
अन्य आय	731.00	695.48
कुल	737.42	701.47
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.81	1.81
परिचालन व्यय	645.43	620.43
प्रावधान और आकस्मिकताएं	29.58	25.46
कुल	676.80	645.90
लाभ	60.60	53.77

24. आस्तियों की हानि (एस-28):

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 'संपत्ति की हानि' लागू होता है।

25. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एस-29) :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2023 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान वापसी/ समायोजित	दिनांक 31.03.2024 को अंतिम शेष
अस्वीकृत ऋण के लिए बैंक के विरुद्ध दावे के लिए प्रावधानों का संचलन	217.68	6.22	0.26	223.64

26. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹	7.37	6.52
ii) गैर-ब्याज आय वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में ²	1.04	1.04
iii) जमा की लागत(%) ¹	4.88	4.09
iv) शुद्ध ब्याज मार्जिन(%) ²	3.47	3.37
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ¹	2.23	2.22
vi) संपत्ति पर वापसी (%)	1.07	0.77
vii) व्यापार (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी ⁴ (₹ करोड़ में)	29.85	26.61
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.20	0.13

¹ वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल संपत्ति (संघित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।

² निवल ब्याज आय/औसत कमाई वाली संपत्ति। निवल ब्याज आय ब्याज आय ब्याज व्यय

³ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संघित हानियों को छोड़कर कुल संपत्ति, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।

⁴ प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक जमा को शामिल नहीं किया जाएगा।

बी) बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों/म्यूचुअल फंडों की बिक्री/विपणन पर ₹.163.21 करोड़ तक का कमीशन आदि अर्जित किया है (पिछले वर्ष ₹.136.35 करोड़) (₹ करोड़ में)

क्रम सं	आय की प्रकृति	2023-24	2022-23
1	जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए	127.03	100.37
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	32.17	29.42
3	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	4.01	6.56
	कुल	163.21	136.35

सी) विपणन और वितरण

बैंक अन्य संस्थाओं (बैंक एश्यूरेन्स कारोबार के तहत उत्पादों के अलावा) के किसी भी उत्पाद का विपणन और/या वितरण नहीं करता है। इसलिए, बैंक ने उक्त गतिविधियों से कोई शुल्क/पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	पीएसएलसी श्रेणी	खरीद की स्थिति		बिक्री की स्थिति	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	पीएसएलसी कृषि	0	0.00	20000	5000
2	पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान	0	0.00	126800	31700
3	पीएसएलसी सामान्य	0	0.00	0	0
4	पीएसएलसी सूक्ष्म	0	0.00	0	0
	कुल	0	0	146800	36700

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	2023-24	2022-23
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	62.89	405.16
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	3652.87	6516.22
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2888.20	632.71
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		
1. मानक अग्रिम	1936.53*	2294.78
2. पुनर्रचित अग्रिम	172.95	90.75
3. अन्य	63.17	49.30
कुल	8776.61	9988.92

*वित्तीय वर्ष 2024 के लिये बैंक में मानक परिस्थितियों पर न्यूनतम निपटान आवश्यकता से अधिक रु. 1871.52 करोड़ निवळ का वृद्धिशील प्रावधान किया है।

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस)

- I. भारतीय रिजर्व बैंक के अपने पत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11.02.2016 के निदेशों के अनुसार, बैंक, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इंड-एस का अनुपालन करेंगे।
- II. आरबीआई ने बैंकों को 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए इंड-एस के अनुसार 01.04.2016 के रूप में संक्रमण तिथि के साथ प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार करने की सलाह दी और इसे तैयार किया गया और आरबीआई को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड-एस वित्तीय प्रोफार्मा भी आरबीआई को प्रस्तुत किया गया था।
- III. तत्पश्चात आरबीआई ने सलाह दी कि बैंक 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही के लिए इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। इसका विधिवत पालन किया गया है।
- IV. वित्तीय वर्ष से 2021-22 के बाद, आरबीआई ने सलाह दी कि इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक कर दी जाए। उसी का अनुपालन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को समय-समय पर इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया है।
- V. आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अनुसार, बैंकों में इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक को इंड एस वित्तीय प्रोफार्मा प्रस्तुत करना जारी रखा गया है और बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2023-24	2022-23
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	776.42	732.47
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

एच) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेशकों को क्यूआईपी के जरिए रु. 384 रुपये प्रति शेयर के कुल प्रीमियम पर 10 रुपये प्रति शेयर के 10,15,22,842 इक्विटी शेयर 4000 करोड़ रुपये के लिए जारी और आवंटित किए हैं।

आई)

ए) विविध आय में शामिल मद जो कुल आय के 1% से अधिक है

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
प्रसंस्करण शुल्क	746.67	693.04
अशोध्य ऋणों से वसूली	1879.43	2177.18
पीएसएलसी आय	656.77	479.32

* वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएलसी आय कुल आय का 1% से अधिक नहीं है।

बी) अनुसूची 5(IV)-अन्य देयताएं और प्रावधान-अन्य (प्रावधानों सहित) में शामिल मदें जो कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान*	8026.39	6089.48

* वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मानक आस्तियों के लिए प्रावधान जो कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है।

टिप्पणी:

- i) अनुसूची 16-परिचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'अन्य व्यय' उपशीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- ii) अनुसूची 5(IV)-अन्य देयताएं और प्रावधान-अन्य (प्रावधानों सहित) या अनुसूची 11(IV)-अन्य संपत्ति- 'अन्य' के तहत कोई भी मद कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

जे) पोर्टफोलियो - हरित जमा से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर जानकारी का स्तर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	संचय
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (ए)	शून्य	शून्य	शून्य
हरित जमा निधि का उपयोग''	शून्य	शून्य	शून्य
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	शून्य	शून्य	शून्य
(2) ऊर्जा दक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
(3) स्वच्छ परिवहन	शून्य	शून्य	शून्य
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	शून्य	शून्य	शून्य
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन	शून्य	शून्य	शून्य
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	शून्य	शून्य	शून्य
(7) हरित इमारतें	शून्य	शून्य	शून्य
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	शून्य	शून्य	शून्य
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	शून्य	शून्य	शून्य
आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का योग)	शून्य	शून्य	शून्य
आवंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए - बी)	शून्य	शून्य	शून्य
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है	शून्य	शून्य	शून्य

के) लेखा समाधान एवं समायोजन

- I. कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2024 तक पूरा किया जा चुका है। तत्पश्चात शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है।
- II. दिनांक 31.03.2024 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। हालांकि, बैंक अंतर शाखा खाते में 263.79 करोड़ रुपये की सकल डेबिट शेष राशि पर 100% प्रावधान बनाए हुए है, जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए 35.78 करोड़ रुपये के नए प्रावधान शामिल हैं।
- III. देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।
- IV. कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।
- V. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैंक द्वारा 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर यानी प्रदत्त पूंजी का 120% का लाभांश प्रस्तावित है।
- VI. बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया देय नहीं है, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित है तथा वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान के संबंध में स्वीकृत देयता का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने इंडियन बैंक के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 का तुलन-पत्र, इसी वर्ष की समाप्ति पर लाभ और हानि लेखों के विवरण व नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार व निम्नलिखित की तारीख पर समाप्त वर्ष के विवरणियां को समाहित की हुई अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है :

- हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और उसके विभाग, राजकोष शाखा और 20 भारतीय शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई;
- संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 1802 भारतीय शाखाओं (गिफ्ट सिटी शाखा सहित) की लेखापरीक्षा की गई और
- संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 3 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई।

हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखों, नकदी प्रवाह में ऐसी 4,500 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थीं। वे शाखाएँ जिनका लेखा-परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक का 25.77 प्रतिशत अग्रिम, 50.19 प्रतिशत जमाएँ, 17.67 प्रतिशत ब्याज आय एवं 43.79 प्रतिशत ब्याज व्यय है।

2. हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, बैंक के लिए आवश्यक तरीके से एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रदान करते हैं एवं :

- तुलन पत्र, टिप्पणियों सहित, 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों का वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।
- उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का वास्तविक शेष और
- समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता व साथ ही नैतिक अपेक्षाओं जो हमारे द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और प्रावधानों के अधीन समय-समय पर संशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश भी शामिल हैं। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

4. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य, वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
1.	<p>अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान</p> <p>बैंक का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 64.96% है, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।</p> <p>आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ('आरबीआई') दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।</p> <p>अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिन्हित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है।</p> <p>इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।</p> <p>लेन-देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।</p>	<p>नियंत्रण के परीक्षण</p> <p>ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन।</p> <p>वस्तुपरक परीक्षण</p> <p>ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आवांठित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।
2.	<p>निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान</p> <ul style="list-style-type: none"> निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.82 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। 	<p>आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से,</p> <ol style="list-style-type: none"> हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने शामिल हैं।

2.	<ul style="list-style-type: none"> पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी। 	<ol style="list-style-type: none"> हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।
----	---	--

अन्य मामले

5. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों/सूचना में शामिल उन 1805 शाखाएं (जिनमें 03 विदेशी शाखाएं हैं) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 को रु. 2,53,565.70 करोड़ की कुल संपत्ति एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 18,185.76 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में माना गया है, दर्शाते हैं। ये शाखाएं और प्रसंस्करण केंद्र 31 मार्च, 2024 को 39.34% अग्रिम, 44.71% जमा और 43.04% अनर्जक आस्ति और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.65% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं से संबंधित राशि और प्रकटीकरण की बात है तो हमारी राय पूरी तरह से ऐसी शाखाओं की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

6. अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिछले 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/परिणाम व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व :

7. बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और बैंक में नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा लक्ष्य, वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों, से पूर्णतः मुक्त है पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, जो वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को समाहित रूप से प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हमने अभिशासकों को, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

9. 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने दिनांक 08.05.2023 की रिपोर्ट में ऐसे वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।

उपरोक्त 5, 7 एवं 8 के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

- (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया;
- (बी) बैंक के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं और
- (सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

11. जैसा कि पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 द्वारा अपेक्षित, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", दिनांक 19 मई, 2020 आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के उपरांत, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों के अपेक्षानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:
- (ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- (बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।
- (डी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (ई) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।
12. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,
- (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई है जहां तक यह उन बाहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रिटर्न्स को हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त कर लिया गया है।
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित स्टैंडअलोन तुलन पत्र, स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखे और स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त रिटर्न्स जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
- (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 1,805 शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जांच की है; और
- (डी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 066085 N
चेतन ठक्कर
पार्टनर
(एम.नं. 114196)

यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQ7569

कृते मे. कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 112318W
संदीप के जैन
पार्टनर
(एम.नं. 110713)

यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCD5671

कृते एस सिंघल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 001526C
नटवर सारझ
पार्टनर
(एम.नं. 076070)

यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZA8860

कृते जी बालू एसोसिएट एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 000376S/S200073
आर रविशंकर
पार्टनर
(एम.नं. 026819)

यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVF7719

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 000112N
भानू प्रीत कौर
पार्टनर
(एम.नं. 421517)

यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDH4354

रिपोर्ट की तिथि: 6 मई, 2024

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै

अनुलग्नक “ए” स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(समिति की हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के तहत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (‘आरबीआई’) के पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020(संशोधित) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (‘आरबीआई द्वारा सूचित’)

अभिमत

हमने, 31 मार्च, 2024 तक इंडियन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

हमारी राय में, और हमारी सर्वात्मत जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष मामलों में बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिन्हें बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में बैंक की नीतियों के अनुपालन में अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित, व लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (‘मार्गदर्शन नोट’) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू ‘आईसीएआई’ द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुपालन में लेखा परीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित ढंग से अधिरोहण शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण विवरण गलत हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगाड़ सकती है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जोकि 1802 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन की प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया। बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव और कुछ और आरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 066085 N
चेतन ठक्कर
पार्टनर
(एम.नं. 114196)
यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQ7569

कृते मे. कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 112318W
संदीप के जैन
पार्टनर
(एम.नं. 110713)
यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCD5671

कृते एस सिंघल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 001526C
नटवर सारझ
पार्टनर
(एम.नं. 076070)
यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZA8860

कृते जी बालू एसोसिएट एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 000376S/S200073
आर रविशंकर
पार्टनर
(एम.नं. 026819)
यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVF7719

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 000112N
भानू प्रीत कौर
पार्टनर
(एम.नं. 421517)
यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDH4354

रिपोर्ट की तिथि: 6 मई, 2024

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै

समेकित तुलन पत्र लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2024 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	1346.96	1245.44
आरक्षितियां और अधिशेष	2	58901.24	48261.38
अल्पसंख्यक हित	2 ए	29.31	26.19
जमाएं	3	687953.07	621123.23
उधार	4	23142.88	22092.42
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	24335.36	20585.34
कुल		795708.82	713334.00
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	32702.76	32692.73
बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	9474.15	17524.10
निवेश	8	215241.82	188366.28
अग्रिम	9	514889.07	449293.95
अचल आस्तियां	10	7539.90	7480.67
अन्य आस्तियां	11	15861.12	17976.27
कुल		795708.82	713334.00
आकस्मिक देयताएं	12	334331.17	381370.21
वसूली के लिए बिल	-	15934.58	16082.16

एस.एल. जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसियट्स
सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 006085एन

चेतन ठक्कर

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 114196)

यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQR4873

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 112318डब्ल्यू

संदीप के जैन

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 110713)

यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCE5182

कृते एस सिंघल एण्ड को.

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 001526सी

नटवर सारडा

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 076070)

यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZB2990

कृते जी बालु एसोसिएट एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 000376एस/एस200073

आर रविशंकर

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 026819)

यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVG5284

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

एफआर संख्या 000112एन

भानू प्रीत कौर

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 421517)

यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDI2686

दिनांक : 06.05.2024

स्थान : चेन्नै

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. आय:			
अर्जित ब्याज	13	55649.73	44985.16
अन्य आय	14	8581.95	7804.50
कुल		64231.68	52789.66
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	32340.76	24717.29
परिचालनगत व्यय	16	14952.80	12724.76
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	-	8808.97	10017.13
कुल		56102.53	47459.18
III. सहयोगियों और अल्पसंख्यक हित में कमाई के हिस्से के समायोजन से पहले समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ / (हानि)			
सहयोगियों में आय का अंश		293.37	243.04
अवधि के लिए अल्पांश ब्याज सहित समेकित लाभ / (हानि)		8422.52	5573.52
घटाएं: अल्पांश संख्यक ब्याज		3.11	1.21
समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ / (हानि)		8419.41	5572.31
अग्रणीत लाभ / (हानि)		1365.84	1071.77
तुलनपत्र में अग्रणीत शेष		9785.25	6644.08
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरित			
सांविधिक आरक्षित		2015.74	1320.43
पूँजी रिज़र्व		0.00	0.00
आईटी एक्ट की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिज़र्व		362.22	191.73
निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व		328.11	0.00
राजस्व रिज़र्व		3250.00	2655.00
स्टाफ कल्याण निधि		40.00	40.00
निवेश रिज़र्व		254.40	0.00
ईक्विटी लाभांश		1616.36	1071.08
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर		0.00	0.00
समेकित तुलनपत्र में अग्रणीत शेष		1918.42	1365.84
कुल		9785.25	6644.08
प्रति शेयर आय रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		66.03	44.74

एस.एल. जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

मारुति प्रसाद तंगिराला
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

पापिया सेनगुप्ता
शेयरधारक निदेशक

प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते एसएआरसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 006085एन
चेतन ठक्कर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 114196)
यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQR4873

कृते कैलाश चंद जैन एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 112318डब्ल्यू
संदीप के जैन
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 110713)
यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCE5182

कृते एस सिंघल एण्ड को.
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 001526सी
नटवर सारड़ा
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 076070)
यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZB2990

कृते जी बालु एसोसिएट एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 000376एस/एस200073
आर रविशंकर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 026819)
यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVG5284

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआर संख्या 000112एन
भानू प्रीत कौर
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 421517)
यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDI2686

दिनांक : 06.05.2024

स्थान : चेन्नै

अनुसूची 1 – पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(i) प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 10/- रुपए के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
(ii) जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994.55	994.55
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 35,24,14,381 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रुपए 10/- प्रत्येक के 25,08,91,539 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	352.41	250.89
कुल	1346.96	1245.44

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां व अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. सांविधिक आरक्षित		
ए) अधिशेष	10956.39	9635.96
बी) अवधि के दौरान जोड़	2015.74	1320.43
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल I	12972.13	10956.39
II. आरक्षित पूँजी		
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित		
ए) अधिशेष	6106.90	6211.02
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	131.71	104.12
कुल (ए)	5975.19	6106.90
बी) अन्य		
ए) अधिशेष	1111.02	1110.69
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.14	0.33
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	1111.16	1111.02
कुल II (ए+बी)	7086.35	7217.92
III. शेयर प्रीमियम		
ए) अधिशेष	2391.55	2391.55
बी) अवधि के दौरान जोड़	3898.47	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल III	6290.02	2391.55
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
ए) राजस्व आरक्षितियां		
ए) अधिशेष	18072.38	15313.26
बी) अवधि के दौरान जोड़	3250.00	2655.00
सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अंतरित	106.29	104.12
डी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	30.58	0.00
कुल (ए)	21398.09	18072.38

बी) आयकर अधिनियम 36(1) (Viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	2481.43	2289.70
बी) अवधि के दौरान जोड़	362.22	191.73
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	2843.65	2481.43
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	58.20	58.20
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (सी)	58.20	58.20
डी) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व		
ए) अथशेष	1031.90	1031.90
बी) अवधि के दौरान जोड़	328.11	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (डी)	1360.01	1031.90
ई) निवेश रिजर्व		
ए) अथशेष	186.38	186.38
बी) अवधि के दौरान जोड़	254.40	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (ई)	440.78	186.38
एफ) विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व		
ए) अथशेष	490.57	397.24
बी) अवधि के दौरान जोड़	34.20	93.33
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (एफ)	524.77	490.57
जी) आईआरएस रिजर्व		
ए) अथशेष	1.91	1.91
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (जी)	1.91	1.91
कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	26627.41	22322.77
V. समामेलन रिजर्व		
ए) अथशेष	4006.91	4006.91
बी) अवधि के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल V	4006.91	4006.91
VI. लाभ एवं हानि खाता		
ए) अथशेष	1365.84	1071.77
बी) अवधि के दौरान जोड़	8419.41	5572.31
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	7866.83	5278.24
कुल VI	1918.42	1365.84
कुल (I+II+III+IV+V+VI)	58901.24	48261.38

अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)
मूल उद्यम - अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्पांश ब्याज	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव	26.04	22.92
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश ब्याज	29.31	26.19

अनुसूची 3 - जमाएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित)
(ए) I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	138.47	138.93
ii. अन्य से	38853.11	35713.22
कुल	38991.58	35852.15
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	241494.02	224952.41
III. सावधि जमाराशियाँ		
i. बैंकों से	19947.53	9478.44
ii. अन्य से	387519.94	350840.23
कुल	407467.47	360318.67
कुल (I+II+III)	687953.07	621123.23
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं	661778.93	607984.90
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाएं	26174.14	13138.33
कुल बी (I+II)	687953.07	621123.23

अनुसूची 4 - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंक	0.61	3.83
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियों*	20447.87	20155.81
कुल	20448.48	20159.64
II. भारत के बाहर उधार**	2694.40	1932.78
कुल (I+II)	23142.88	22092.42
ऊपर उक्त में प्रतिभूत उधार को शामिल किया गया है।	0.00	0.00
*एटी-1 पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु. 2000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2000 करोड़) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 6000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 7000 करोड़) को शामिल करते हुए।		
**नोस्ट्रो मिस्र शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए।		

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. देय बिल	1663.84	1841.95
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	0.00
III. उपचित ब्याज	1845.99	1479.71
IV. अन्य (प्रावधान सहित)*	20825.53	17263.68
कुल (I+II+III+IV)	24335.36	20585.34

*₹.8026.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹. 6089.48 करोड़) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी व शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1304.15	1242.58
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष:	31398.61	31450.15
(i) चालू खातों में	31134.61	26670.15
(ii) अन्य खातों में	264.00	4780.00
कुल (I+II)	32702.76	32692.73

अनुसूची 7 – बैंकों में अधिशेष और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	25.64	70.37
(बी) अन्य जमा खातों में	1619.95	1605.55
कुल (i)	1645.59	1675.92
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों में)	1997.06	5007.04
कुल (ii)	1997.06	5007.04
कुल I (i+ii)	3642.65	6682.96
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	743.35	693.49
(ii) अन्य जमा खातों में	5084.58	10144.91
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	3.57	2.74
कुल II (i+ii+iii)	5831.50	10841.14
कुल योग (I+II)	9474.15	17524.10

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	217376.28	190251.41
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	4203.55	3796.41
निवल निवेश	213172.73	186455.00
i. सरकारी प्रतिभूतियां	180909.67	166948.40
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	52.84	99.62
iii. शेयर	836.60	896.72
iv. डिबेंचर और बाँड	16252.67	14839.78
v सहयोगी संस्थाएं	1548.27	1259.73
vi अन्य (जमा प्रमाणपत्र, कमर्शियल पेपर, म्युच्युअल फंड इत्यादि)	13572.68	2410.75
कुल	213172.73	186455.00
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2209.48	2041.97
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	140.39	130.69
निवल निवेश	2069.09	1911.28
i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2068.87	1911.06
ii. सहयोगी संस्थाएं	0.00	0.00
iii. अन्य निवेश		
ए) शेयर	0.22	0.22
बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
कुल	2069.09	1911.28
कुल योग (I+II)	215241.82	188366.28

अनुसूची-9 अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
ए. (i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल	5886.14	2434.93
(ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	252022.14	210189.03
(iii) सावधि ऋण	256980.79	236669.99
कुल (ए)	514889.07	449293.95
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (ऋण बही के सापेक्ष अग्रिम शामिल है)	425795.50	373959.11
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	41042.06	39004.97
(iii) गैर-जमानती	48051.51	36329.87
कुल (बी)	514889.07	449293.95
सी. I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र#	199112.44	170017.92
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	71191.36	68741.14
(iii) बैंक	0.00	0.00
(iv) अन्य	209056.19	181255.51
कुल (सी. I)	479359.99	420014.57

सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय	22002.07	19922.99
(ii) अन्य से देय		
(ए) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2150.02	1046.80
(बी) सामूहिक ऋण	6617.88	5113.59
(सी) अन्य	4759.11	3196.00
कुल (सी. I)	35529.08	29279.38
कुल योग (सी. I + सी. II)	514889.07	449293.95

#आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	7470.69	7463.14
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	0.06	7.55
उप कुल	7470.75	7470.69
अवधि के दौरान घटाव	7.77	0.00
उप कुल	7462.98	7470.69
उक्त तारीख तक मूल्यहास	1584.21	1493.33
कुल	5878.77	5977.36
II. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	549.38	549.38
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	0.04	0.00
उप कुल	549.42	549.38
अवधि के दौरान घटाव	25.98	0.00
उप कुल	523.44	549.38
उक्त तारीख तक मूल्यहास	95.14	79.70
कुल	428.30	469.68
III. निर्माणाधीन परिसर	14.98	1.21
IV. अन्य अचल आस्तियाँ (फ़र्निचर/फ़िक्सचर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर	5120.49	4894.59
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	619.50	322.82
उप कुल	5739.99	5217.41
अवधि के दौरान घटाव	69.06	96.91
उप कुल	5670.93	5120.50
उक्त तारीख तक मूल्यहास	4455.36	4097.15
कुल	1215.57	1023.35
V. पूंजी निर्माणाधीन कार्य	2.28	9.07
कुल योग: (I+II+III+IV+V)	7539.90	7480.67

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	239.94	112.20
II. उपचित ब्याज	4286.15	3443.72
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	2937.49	5280.66
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप	12.68	10.93
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	51.38	51.38
VI. स्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	4933.62	4445.41
VII. अन्य*	3399.86	4631.97
कुल	15861.12	17976.27
*जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	582.10	848.25

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2177.15	2091.81
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	281.95	388.96
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	279768.99	328152.70
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
ए) भारत में	29491.56	28971.51
बी) भारत के बाहर	198.57	193.49
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व*	9081.76	9758.18
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हैं	13331.19	11813.56
कुल	334331.17	381370.21

*आकस्मिक देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	40618.85	31941.15
II. निवेशों पर आय	13434.82	11690.08
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज	1388.15	877.74
IV. अन्य	207.91	476.19
कुल	55649.73	44985.16

अनुसूची 14 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1638.08	1564.27
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	1018.84	554.32
घटाव: निवेश की बिक्री पर हानि	148.23	171.24
निवल	870.61	383.08
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	446.58	0.00
घटाव: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0.00	86.99
निवल	446.58	-86.99
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ*	2.82	1.99
घटाव: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि*	4.73	1.82
निवल	-1.91	0.17
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	451.51	1008.61
VI. पट्टा-वित्त/किराया खरीद से आय	0.00	0.02
VII. विविध आय	5177.08	4935.34
कुल	8581.95	7804.50

*यह राशि सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है।

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. जमाओं पर ब्याज	30491.12	23182.27
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	330.78	616.17
III. अन्य	1518.86	918.85
कुल	32340.76	24717.29

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	9319.90	7578.88
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	640.02	625.93
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	89.16	100.61
IV. विज्ञापन और प्रचार	31.99	94.35
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	531.14 0.00	532.37 0.02
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	2.16	1.53
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	49.06	52.58
VIII. विधि प्रभार	21.68	22.78
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	110.60	97.72
X. मरम्मत और रखरखाव	252.83	195.34
XI. बीमा	874.01	813.56
XII. अन्य व्यय	3030.25	2609.09
कुल	14952.80	12724.76

अनुसूची -17 मुख्य लेखांकन नीतियाँ (समेकित)

1. लेखांकन प्रथा

जब तक अन्यथा न कहा जाए वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर चल रही प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि हेतु आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. समेकन की प्रक्रिया:

ए. बैंक (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां, इसके संयुक्त उद्यम) की समेकित वित्तीय विवरणियाँ, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियों, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, (3) इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इसके संयुक्त उद्यमों यथा (1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेंस को. लि. (2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर तैयार की गईं जोकि अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ/हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके जहां भी अन्यथा उल्लिखित न हो आईसीएआई द्वारा जारी लेख मानक 27 'फाइनेंशियल रेपोर्टिंग ऑफ इंटररेस्ट इन जाइंट वैंचर' के अनुरूप है। अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणियाँ भी मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख पर बनाई गई हैं।

बी. अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को आनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी के हिस्से को वित्तीय विवरण में पूंजी रिजर्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिजर्व के साथ किया जाता है।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल सप्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेट्स में निवेश का हिसाब, एसोसियेट्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-23 (एएस-23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

बी) विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

डी) वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

ई) बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के जरिए की जाती है।

4.3 गैर- समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

1. आकस्मिक देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को 'विनिमय उतार-चढ़ाव निधि' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

5.1 मूल संस्था

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को एचटीएम प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को एचएफटी प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, एफएस प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद/अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

5.1.2. भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

ए) एचटीएम प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, जैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूंजी निधियों के यूनितों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) एफएस प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) एचएफटी प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

एफएस एवं एचएफटी प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत किया गया है:

- प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिस्ट्रिब्यूटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए)/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।
- राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीआई / एफआईएमडीए/एफबीआईएल द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।
- कोट होने पर इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले इक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
- कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।
- अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
- राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
- कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनितों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आरिस्त मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनः खरीदी मूल्य/बाजार कोट

उपलब्ध नहीं हो तो, यूनियों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii. जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की यूनियों में 23.08.2006 के बाद किये गये निवेश, 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.3. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5.1.4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में की गयी है:

ए) प्रतिभूतियाँ/असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज/नियत लाभांश/किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) अन्य इक्विटी निवेश, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, के मामले में शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/- होता है।

डी) केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू किए जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

ई) यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि 'माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्याधीन रखा जाता है।

5.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टॉप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेन, तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है जबकि लाभ, यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती है।

5.1.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम/ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.9 निवेश की कीमत का निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.1.10 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण:

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेन-देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो धिर्वर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है।

रेपो/रिर्वर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिर्वर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिर्वर्स रेपो खाते में शेष, निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत है।

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक में निहित सभी प्रकार के रिर्वर्स रेपो, वे भी जो तरलता समायोजन सुविधा के तहत शामिल हैं, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में निहित नकद और शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष' की मद (ii) 'अन्य खातों में' की उप-मद (ii) के तहत प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिर्वर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन तक और समावेशी है, को 'बैंकों में निहित शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (ii) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(सी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिर्वर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, को 'अग्रिम' की अनुसूची 9 के तहत निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

- i. ए(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण;
- ii. बी(i) मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित;
- iii. सी(i), (iii) बैंक (iv) अन्य (जैसा भी मामला हो)

अनुषंगी कंपनियाँ:

5.2 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को हास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है। कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाजार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/डिबेंचरों के मूल्य में हास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप से, उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

5.4 इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

निवेश को वर्तमान और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेश जो आसानी से भुनाए जा सकते हैं और जिन्हें अधिग्रहण की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक रखने का इरादा नहीं होता है, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, दीर्घकालिक निवेश का वह हिस्सा जो तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, उसे भी अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप 'दीर्घकालिक निवेश के वर्तमान अंश' के तहत 'वर्तमान निवेश' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। निवेश की लागत में ब्रोकरेज, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण शुल्क शामिल होते हैं।

वर्तमान निवेश, लागत से कम या उचित मूल्य पर लगाए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी के निवेश के संबंध में लागत और उचित मूल्य की तुलना अलग-अलग की जाती है। लंबी अवधि के निवेश को लागत में कमी के लिए प्रावधान स्वरूप लगाया गया है। दीर्घकालिक निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है, जब प्रबंधन की राय में ऐसी गिरावट अस्थायी के अतिरिक्त हो। कमी के ऐसे प्रावधान को उलटा तब किया जाता है जब दीर्घकालिक निवेश के मूल्य में वृद्धि होती है, या यदि गिरावट के कारण अब मौजूद नहीं होती है।

किसी निवेश के विक्रय किये जाने पर / कांचनेपर, उसकी वहन राशि और शुद्ध निपटान आय के बीच के अंतर द्वारा लाभ और हानि के विवरण को पहचाना जाता है।

6. प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

मूल संस्था :

6.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय

आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है :

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी की गई प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- i. एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्तित्व मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- ii. अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

6.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

7. अग्रिम

मूल संस्था

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -

ए) अवमानक :

- i. कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- ii. प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं।

(अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

- बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:
- सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत
 - अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत
- सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:
- सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत
 - अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत
- डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

7.3. पुनर्गठित/पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

7.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय गैर- निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित/बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

7.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर-निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में अधिव्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियां/ मूल्यहास

8.1 मूल संस्था:

8.1.1 अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन किया जाता है।

8.1.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और परिसंपत्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वक्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

8.1.3 भारत में इमारतों का मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/

अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से दरों / उपयोग की गयी समय-सीमा के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/उपयोग की समय-सीमा
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का उपयोग करने की अनुमानित समय-सीमा निम्नानुसार है: परिसर: 60 वर्ष तिजोरियां/लॉकर/दरवाजे (स्टील): 20 वर्ष वाहन: 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष सोने की गुणवत्ता जांच करने वाली मशीन : 7 वर्ष

8.1.4 वर्ष के दौरान बेची गई/अर्जित की गई संपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान पूंजीकरण की तारीख से/संपत्ति के उपयोग की गयी समय-सीमा के लिए अनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

8.1.5 रुपए 5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

8.1.6 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई परिसंपत्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु रिजर्व खाते में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

8.1.7 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

8.1.8 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

8.1.9 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

8.1.10 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड:

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यहास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, स्ट्रेट लाइन मैथड (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान करती है। सॉफ्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर:

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार)। सांविधिक मूल्यहास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्पब में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

8.4 इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

मूर्त आस्तियाँ

मूर्त अचल आस्तियों में, यदि कोई संचित मूल्यहास और हानि हो, तब इसे लागत से घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में, खरीद मूल्य और आस्तियों को उपयोगी बना कर कार्यशील स्थिति में लाने की गई कोई भी स्रोतजन्य लागत शामिल होती है। किसी भी व्यवसायिक छूट एवं रिबेट को खरीद मूल्य निर्धारण में घटाया जाता है। पीपीई के किसी मद की लागत को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि और केवल यदि, यह संभावना है कि मद से जुड़े आर्थिक लाभ भविष्य की अवधि में कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। पीपीई के परिचालन में आने के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव व्यय, उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किए जाते हैं जिसमें वे किए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोग अवधि की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निस्तारण या निपटान से होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

कंपनी के स्वामित्व वाली अचल आस्तियों को रिकॉर्ड करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक स्थायी आस्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। अचल संपत्तियों की स्थिति का पता लगाने के लिए वार्षिक आधार पर निरीक्षण किया जाता है।

अमूर्त आस्तियाँ

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को प्रारंभिक लागत के अनुसार मापा जाता है। व्यवसाय के अधिग्रहण पर उभरने वाली अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की तिथि के अनुसार इसके उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के निपटान पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण के अनुसार मान्यता दी जाती है।

कार्यशील पूंजी

बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार इच्छानुरूप उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली संपत्तियों की लागत को कार्यशील पूंजी के रूप में दर्शाया गया है। यदि परिसंपत्ति को उपयोग में लाया जाता है, तो परिसंपत्ति को आस्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए लेखांकन मानकों (एसएस 10) के अनुसार मान्यता दी जाती है।

मूल्यहास

सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्पब के भाग 'सी' में निर्धारित दरों पर, स्ट्रेट लाइन विधि के तहत, उपयोग की अवधि के अनुपात में किया जाता है। अमूर्त संपत्तियां उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित यूजफ्रूल लाइफ़ (पाँच वर्ष से अधिक नहीं) पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित की जाती हैं, जो उस तारीख से शुरू होता है जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित अचल संपत्तियों की यूजफ्रूल लाइफ़, अधिनियम की अनुसूची प्पब के भाग सी के अनुसार समान होती है।

किसी परिसंपत्ति पर लागू मूल्यहास की समीक्षा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के मामले में, बदले हुए पैटर्न को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को बदल दिया जाता है। इस परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

9.1 मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 -गैर-निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/ गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय,

खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

अनुषंगी कंपनियाँ:

9.2. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

- ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क - समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।
- बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली - अंशदान ब्योरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।
- सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।
- डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूँकि बही खातों में बकाया राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।
- इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपॉजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

- ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।
- बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल है। संबंधित अर्ध-वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध-वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई-पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

9.4. इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड:

- इस राजस्व को लेखांकन मानक - 9 के अनुसार 'राजस्व मान्यता' के रूप में पहचाना जाता है।
- ए) ऐसे राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और इससे अंतिम संग्रह की उम्मीद करना उचित होता है तथा सिवाय कुछ बातों को छोड़कर इसके आय और व्यय का हिसाब संचय के आधार पर किया जा सकता है।

बी) ब्याज से अर्जित आय को बकाया राशि और लागू दर पर विचार करते हुए समय सीमा के अनुपात के आधार चिन्हित किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

11. निवल लाभ/हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम:

- गैर निष्पादक अग्रिमों और/अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को/से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा/और अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

- ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे

निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

12.2 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं लि.

अल्प कालिक कर्मचारी हितों/बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

ग्रेच्युटी - ग्रेच्युटी, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटी निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी के जरिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटी के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि - अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई: इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड:

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रुप ग्रेच्युटी योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटी देयता की जाती है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी खरीदी है और इसका वार्षिक प्रीमियम, न्यास के जरिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.4 इंड बैंक ग्लोबल स्पोर्ट सेवाएं लि.:

कर्मचारियों को लाभ

अल्पकालिक कर्मचारियों को लाभ

सभी कर्मचारी सुविधाओं को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें सेवा प्रदान की गई है, बारह महीनों के भीतर पूर्णतः देय अल्पकालिक कर्मचारी सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। कंपनी, प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि को, पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की कटौती करने के उपरांत, देयता (उपार्जित व्यय) के रूप में मान्यता देती है।

नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं - सभी उपयुक्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना और सरकार प्रशासित पेंशन निधि योजना तथा पात्र कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना। परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के योगदान को उस वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं।

अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण लाभ का भुगतान/प्रदत्त वर्ष के लिए समग्रता से खातों में किया जाता है।

भविष्य निधि

भविष्य निधि के लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि इकर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1972इ कंपनी पर लागू है।

ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे एकचुरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसे एएस-15 के अनुसार प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और, जहाँ लागू हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की गई पिछली सेवा लागत का निर्धारण करने के लिए किया गया है। यह मूल्यांकन योजना की अंतिम लागत को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल उस समय को प्रभावित करते हैं जब लाभ लागतों को मान्यता दी जाती है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि के विवरण में ले जाया जाता है और इसे स्थगित नहीं किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्तिकी अवधि, जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान:

14.1 आकस्मिक देयताएं: संभावित या वर्तमान बाध्यताओं की ओर ले जाने वाली पिछली घटनाओं को निम्नलिखित उदाहरणों में आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी जाती है:

- (ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है
- (बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है
- (सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता
- (डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोड़कर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सकें।

- (बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।
- (सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

- (i) गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- (ii) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 'आस्तियों का अनर्जक होना' के अनुरूप पहचाना जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभाषित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

16.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

16.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों/विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

16.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक यह 'वर्चुअल निश्चितता' न मिल जाए कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही के सापेक्ष है पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध है।

17. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समरूप हैं।

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण (2023-24)

1. अनुषंगियां:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	बैंक की शेयरधारिता	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.	भारत	11/08/1989	64.84%	ब्रह्मर्या एण्ड कं	13/09/2023
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	28/01/1991	51.00%	ए आर कृष्णन एवं सहयोगी	20/09/2023
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	09/02/2024	100.00%	सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किया जाना है	लागू नहीं

2. सहयोगी:

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुचेरी भारतियार ग्राम बैंक	35%

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एस 27)

(राशि करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसआरसीसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था:

- ए) कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2024 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक के विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बकाया प्रविष्टियों के स्तर में कमी आई है।
- बी) 31.03.2024 तक अंतर शाखा लेखों में 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने अंतर शाखा खाते में 263.79 करोड़ रुपये की राशि पर 35.78 करोड़ रुपये के नए प्रावधान सहित 100% प्रावधान बनाए हुए है।
- सी) देय ड्राफ्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियाँ, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।
- डी) कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।
- ई) रुपये 12.00 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश यानी प्रदत्त पूंजी का 120% वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित है।

5. अचल आस्तियां

मूल संस्था:

5.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में 599.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जिससे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2023.24 के लिए 105.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 110.87 करोड़ रुपये) की मूल्यहास राशि व्यय के तहत ली गई थी और पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर 98.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 104.12 करोड़ रुपये) की मूल्यहास राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते के विरुद्ध समायोजित किया गया है। परिसर की बिक्री पर रुबब 7.50 करोड़ भी पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित किया गया। एएस-10 के अनुसार संपत्ति के मामले में, जिसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाता में समायोजित किया जाता है।

5.2 निम्नलिखित संपत्तियों के लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं:

परिसर में 8.38 करोड़ मूल्य की 9 (7+2*) संपत्तियाँ हैं जिनकी मूल/पुनर्मूल्यांकन बुक वैल्यू 63.71 करोड़ रुपये (विगत वर्ष - 65.98 करोड़ रुपये), निवल मूल्यहास 0.44 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 0.76 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

*हैदराबाद में रुपये 1.61 करोड़ लागत की संपत्ति, जहां यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और चेन्नै में रुपये 2.32 करोड़ रुपये लागत की सम्पत्ति है, जहां नियमितीकरण के लिए तेलंगाना सरकार में यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है और डीआरएटी ने अंतरिम रोक लगायी है।

5.3 आरक्षितियों में कमी:

(राशि करोड़ में)

आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
	2023-24	2022-23	
पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	106.29	104.12	परिसर के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एएस-10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिजर्व खाते में जमा किया गया।

6. कोविड-19 उपाय

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में, हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और बैंक सभी मोर्चों पर उनका चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह अनिश्चितता जारी है तथा बैंक इस स्थिति का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 महामारी, बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य में विकसित होने वाले कारोबारी माहौल पर निर्भर करेगा। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के अत्यधिक अनिश्चित घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। प्रदत्त कार्यशील पूंजी चक्र और कम नकदी प्रवाह बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां होंगी। बैंक की पूंजी और नकदी की स्थिति मजबूत है तथा इस अवधि के दौरान भी यह बैंक का मुख्य क्षेत्र बना रहेगा।

7. लेखा मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2024	31.03.2023
अल्पसंख्यक ब्याज से पहले लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	8422.52	5573.52
निम्नलिखित हेतु समायोजन:		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3652.87	6516.22
निवेश के लिए प्रावधान	(377.77)	492.15
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1936.53	2294.68
कर के लिए प्रावधान	2914.51	659.47
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	236.25	141.60
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	531.14	532.39
पूँजी लिखत पर ब्याज	710.85	733.88
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.91	(0.16)
आयकर का भुगतान	(889.50)	(13.60)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व लाभ	17139.31	16930.15
परिचालनगत आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(26528.35)	(12356.81)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(69247.99)	(66714.84)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	3004.65	2778.95
	(92771.69)	(76292.70)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि/(कमी)		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	66829.84	27552.35
उधार में वृद्धि/(कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	2050.46	4874.89
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(1865.18)	(958.68)
	67015.12	31468.56
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	(8617.26)	(27893.99)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(626.58)	(334.36)
अचल आस्तियों की बिक्री	8.87	20.38
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(617.71)	(313.98)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(1071.08)	(809.54)
टियर 2 बांडों का मोचन	(1000.00)	0.00

(रु करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2024	31.03.2023
पूंजी लिखत पर ब्याज	(733.88)	(733.88)
अवधि के दौरान जारी की गई इक्विटी पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	4000.00	0.00
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	1195.04	(1543.42)
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) (बी) (सी)	(8039.92)	(29751.39)
अवधि के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1242.58	1962.45
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	26670.15	22092.01
(बी) अन्य जमा खातों में	4780.00	34500.20
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	70.37	30.64
(बी) अन्य जमा खातों में	1605.55	1413.81
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	5007.04	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	693.49	503.98
(बी) अन्य जमा खातों में	10144.91	19453.09
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	2.74	12.04
	50216.83	79968.22
अवधि के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1304.15	1242.58
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
(ए) चालू खातों में	31134.61	26670.15
(बी) अन्य जमा खातों में	264.00	4780.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	25.64	70.37
(बी) अन्य जमा खातों में	1619.95	1605.55
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	1997.06	5007.04
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	743.35	693.49
(बी) अन्य जमा खातों में	5084.58	10144.91
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	3.57	2.74
	42176.91	50216.83
नकद और नकद समकक्ष प्रारम्भ और अंत में अंतर	(8039.92)	(29751.39)

नोट : वित्तीय वर्ष 31.03.2024 हेतु नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष माध्यम से तैयार किया गया है।

8. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

8.1 मूल संस्था

8.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने ₹1.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.91 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹353.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹288.87 करोड़) का अंशदान दिया है।

8.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है।

I. मूल बीमांकक अनुमान

(भारत औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2024	31/03/2023
बट्टे की दर-जी-सेक की दर	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.21% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.48% - 15 वर्ष जी-सेक दस्तावेज
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	7.88% पेंशन के लिए और 7.89% उपदान के लिए	7.69% पेंशन के लिए और 7.83% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइफ्स मॉर्टलिटी (2012-14) अल्टिमेट	

*योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत कारकों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निर्धारित के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(राशि करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
ब्याज लागत	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
वर्तमान सेवा लागत	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
विगत सेवा लागत - पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - न पहचाने गए/अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1010.11	1689.97	139.12	63.18	328.14	187.82
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46

(राशि करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17282.98	15893.63	1764.27	1802.75	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
अंशदान	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
प्रदत्त लाभ	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00

(राशि करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1408.52	1240.84	141.19	135.24	0.00	0.00

(राशि करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	-1010.11	-1689.97	-139.12	-63.18	-328.14	-187.82
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्तियां	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82

(राशि करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00
अन्तर. निवल (देयता)/तुलन पत्र में पहचानी गई आस्ति	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46

*फैमिली पेंशन नियमों में परिवर्तन के कारण प्रावधान शामिल है

(राशि करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्तमान सेवा लागत	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
ब्याज लागत	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1398.59	-1227.56	-139.89	-134.35	0.00	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	990.46	1676.69	137.84	62.29	328.14	187.82
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - पहचानी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	2286.69	1859.91	268.46	128.87	669.87	458.92

(राशि करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान निधि		छुट्टी भुनाई	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
निवल देयता का आरंभिक शेष	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75
उपर्युक्तानुसार व्यय	-2286.69	-1859.91	-268.46	-128.87	-669.87	-458.92
प्रदत्त अंशदान	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
निवल देयता का अंत शेष	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46

(राशि करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (i) पिछले वर्ष 2019-24 पेंशन	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93
योजना आस्तियां	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08
अधिशेष (घाटा)	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93

(राशि करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2019-24 - उपदान	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26
योजना आस्तियां	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98
अधिशेष (घाटा)	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30

(राशि करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2019-24 छुट्टी भुनाई	...को समाप्त वर्ष					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2023-24		2022-23	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	23.43%	29.29%	21.62%	23.35%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	17.33%	15.64%	13.02%	12.88%
विशेष जमा योजना	0.05%	0.06%	0.04%	0.04%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	58.67%	54.48%	65.12%	63.53%
इक्रिटी और म्युचुअल फंड	0.52%	0.53%	0.20%	0.20%
पूंजी बाजार	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

i. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹41.96 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹73.65 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2024	31/03/2023
1.	बीमारी छुट्टी	4.55	2.54
2.	आकस्मिक छुट्टी	0.97	-0.03
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	36.44	71.14
कुल		41.96	73.65

नोट : इसमें शामिल प्रकटीकरण बीमांकिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सीमा तक ही सीमित है

8.2 अनुषंगी कंपनियां

8.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्न प्रकार प्रस्तुत है:

(राशि ₹ में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	6049835	5664782	4763140

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		(छुट्टी भुनाई) (गैर-निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	21136893	18226005	14094025	12466073
वर्तमान सेवा लागत	1582039	1428967	577123	520230
ब्याज लागत	1571745	1255129	1004217	844869
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1878272	1382131	1183018	1021357
प्रदत्त लाभ	(852212)	(539866)	(936581)	(758504)
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	25316737	21752366	15921802	14094025

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचितमूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	21136893	18885757
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	1674547	1363214
अंशदान	4020679	1773034
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	73982	(345246)
प्रदत्त लाभ	(852212)	(539866)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26053889	21136893
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1804290	1727377

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
योजना आस्तियों का उचितमूल्य	26053889	21136893	-	-
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	25316737	21752366	15921801	14094025
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि	737152	(615473)	(15921801)	(14094025)

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

विवरण	उपदान (निधिक)		छुटी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
	वर्तमान सेवा लागत	1582039	1428967	577123
ब्याज लागत	1571745	1255129	1004217	844869
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1674547)	(1363214)	-	-
बीमांकक(लाभ) /हानि	1804290	1727377	1183018	1021357
निवल लागत	3283527	3048259	2764358	2386456

V) बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुटी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)	2012-14 (अंतिम)
बढ़ दर (प्रतिवर्ष)	7.00%	6.99%	7.00%	7.37%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	7.00%	6.99%	-	-
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
सेवात्याग दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2023-24 में उपदान देयता में ₹40.44 लाख (पिछले वर्ष 25.01 लाख) का अंशदान दिया है।

8.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि के प्रति कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे:

(राशि ₹ में)		
1	कुल विगत सेवा उपदान	शून्य
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	शून्य
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	शून्य
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	शून्य
8	वेतन में वृद्धि का अनुमानित बढ़ा दर पूर्वानुमान	अप्रयोज्य

8.2.2 इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लि.

उपदान निधि के प्रति कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे:

(राशि ₹ में)

1	कुल विगत सेवा उपदान	शून्य
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	शून्य
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	शून्य
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	शून्य
8	वेतन में वृद्धि का अनुमानित बट्टा दर पूर्वानुमान	अप्रयोज्य

9. सेगमेंट रिपोर्टिंग (समेकित) (एएस 17)

9.1 सेगमेंट की पहचान

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

- राजकोष
- कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग*
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

* आरबीआई के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के अनुसार रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी विनिमय संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग-

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां संकल्प समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-कोषागार संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

(i) डिजिटल बैंकिंग - 7 अप्रैल, 2022 के आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू किया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के संचालन से संबंधित है।

(ii) अन्य रिटेल बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

(i) देशी परिचालन - भारत में संचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

(ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर संचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में संचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयाँ

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या जो सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजनक नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

9.2 समेकित खंड जानकारी

(रु. करोड़ में)

भाग ए बिजनेस संगम	राजकोष		कोर्पोरेट/शोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
राजस्व	15616.08	13781.49	22165.82	18223.54	24927.68	19474.98	0.18	0.00	24927.50	19474.98	1522.10	1309.65	64231.68	52789.66
परिणाम	5658.69	5673.24	5046.07	4468.80	5545.69	4702.20	(0.27)	(0.25)	5545.96	4702.45	687.67	503.37	16938.12	15347.61
अनाबंटित व्यय													5894.46	9357.66
परिचालनगत लाभ													11043.66	5989.95
अल्पसंख्यक हित													3.11	1.21
अन्य अनाबंटनीय आय													293.37	243.04
आय कर													2914.51	659.47
अपवाद स्वरूप मदें													0.00	0.00
निवल लाभ													8419.41	5572.31
अन्य जानकारी														
खण्डीय आस्तियां	233839.17	218813.92	259620.22	232908.23	291324.65	249089.62	9.88	0.93	291314.77	249088.69	3053.67	2796.14	787837.71	703607.91
अनाबंटित आस्तियां													7871.11	9726.09
कुल आस्तियां													795708.82	713334.00
खण्डीय देयताएं	216613.46	204039.68	240495.35	217182.35	269864.28	232271.18	10.15	1.18	269854.13	232270.00	1229.62	1299.20	728202.71	654792.41
अनाबंटित देयताएं													7257.91	9034.77
आरक्षित पूंजी व अधिषेध													60248.20	49506.82
कुल देयताएं													795708.82	713334.00

भाग बी भौगोलिक खण्ड	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
राजस्व	62168.23	51747.97	2063.45	1041.69	64231.68	52789.66
आस्तियां	756854.91	681713.03	38853.91	31620.97	795708.82	713334.00

जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।
जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित किया गया है।

10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18)

10.1 मूलसंस्था

10.1.1 सहायक

क्र.सं.	सहायक का नाम	निगमित देश	निगमन की तिथि	स्वामित्व का हिस्सा	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक के नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	11.08.1989	64.84%	ब्रह्मया एंड को.	13.09.2023
बी	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	भारत	28.01.1991	51.00%	मैसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	20.09.2023
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	09.02.2024	100.00%	सी एंड एजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जानी है	अप्रयोज्य

10.1.2 एसोसिएट्स:

क्र.सं.	एसोसिएट्स का नाम	शेयरहोल्डिंग पेटर्न
ए	तमिलनाडु ग्रामा बैंक	35%
बी	सतगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुचै भारतियार ग्रामा बैंक	35%

10.1.3 संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

संस्था का नाम	देश धब निवासी	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (करोड़ रुपये में)
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एएसआरईसी (भारत) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

10.1.4 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
श्री शांति लाल जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.09.2021
श्री मुकेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024

10.1.5 वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	वर्ग	समाप्ति की तिथि	कारण
1.	श्री अश्वनी कुमार	कार्यपालक निदेशक	01.06.2023	यूको बैंक में एमडी एवं सीईओ के रूप में पदोन्नत
2.	श्री इमरान अमीन सिद्दीकी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024	नियुक्ति अवधि की समाप्ति
3.	डॉ. आदित्य गेहा	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	14.07.2023	भारत सरकार के अधिसूचना स. eF.No.6/3/2011-BO.I दिनांक 14.07.2023
4.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरहोल्डर निदेशक	07.02.2024	नियुक्ति अवधि की समाप्ति

10.1.6 गैर-कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम	पदनाम	धारित शेयर की संख्या
1	सुश्री पापिया सेनगुप्ता	शेयरधारक निदेशक	200
2	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	205

10.1.7 संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नानुसार हैं:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 232.60 लाख पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं (गत वर्ष रूपए 135.84 लाख)

विवरण	2023-24	2022-23
श्री शांति लाल जैन, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 से 31.03.2024)	₹47.53 लाख	₹40.74 लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 से 10.03.2024)	₹67.30 लाख \$	₹36.53 लाख
श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 से 01.06.2023)	₹15.12 लाख #	₹47.23 लाख*
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2023 से 31.03.2024)	₹35.17 लाख	₹11.34 लाख
श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (03.05.2023 से 31.03.2024)	₹45.82 लाख	--
श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (09.10.2023 से 31.03.2024)	₹19.70 लाख	--
श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (10.03.2024 से 31.03.2024)	₹1.96 लाख	--

*रु 12.32 लाख आवास भत्ता सहित

\$ 30.00 लाख पीएल नकदीकरण सहित

#पीएलआई और अन्य भत्ता सहित

10.2 अनुषंगी कंपनी:

10.2.1 इंडबैंक मचेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

बंधकीय पारिश्रमिक

(राशि लाख में)

नाम	पदनाम	2023-24	
श्री वी हरीबाबू	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक	वेतन	24.58
		भविष्य निधि को अंशदान	1.31
श्री तौसिफ़ इनामदार	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ	वेतन	17.24
		भविष्य निधि को अंशदान	1.39
सुश्री चित्रा एम ए	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	वेतन	12.17
		भविष्य निधि को अंशदान	1.28
गैर-पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क		6.35	

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियम के अनुसार व कंपनी के शेयरधारकों द्वारा "पूर्णकालिक निदेशक" के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

10.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री वी हरिबाबू	प्रबंध निदेशक
अकांक्षा व्यास	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी - दिनांक 27.12.2023 को इस्तीफा दे दिया।
लाणब हैरेन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
एस कृष्णन	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी - दिनांक 22.03.2023 को नियुक्त

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के लिए प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

(राशि लाख में)

लेनदेन/शेष	वि.व 2023-24	वि.व 2022-23
केएमपी को पारिश्रमिक दिया गया:		
अकांक्षा व्यास	4.44	6.00
ला. हैरेन	19.93	8.74
एस कृष्णन	0.41	0.00
केएमपी को दिया गया स्टाफ एडवांस:		
ला. हैरेन	0.97	0.76
केएमपी द्वारा स्टाफ अग्रिम का पुनर्भुगतान	0.39	0.53
अंतिम शेष:		
केएमपी को दिया गया स्टाफ एडवांस:		
ला. हैरेन	0.58	0.23
केएमपी को दिया गया रेंट एडवांस:		
ला. हैरेन	1.38	1.40

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड से पारिश्रमिक ले रहे हैं। इसलिए इस कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

कंपनी का सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है और इंडियन बैंक के सेवा नियमों के अनुसार कंपनी (इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड) से पारिश्रमिक ले रहा है।

अन्य संबंधित पक्ष राज्य नियंत्रित उद्यम हैं और इसलिए एएस 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एएस 18 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में बैंकर ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेन के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

10.2.3 इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(राशि लाख में)

नाम	पदनाम	2023-24
श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	एमडी एवं सीईओ	7.68
	पीएफ में नियोक्ता का योगदान	0.49

11. पट्टा (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

ए) पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत/रद्द किया जा सकता है।

बी) बैंक द्वारा किए गए पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रूपए 426.22 करोड़ है। (विगत वर्ष - 399.08 करोड़ रूपए)।

डी) वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में **यंत्र और उपकरण** भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-रद्द होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम: भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

11.2 सहायक कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

पट्टे पर ली गई आस्ति के मामले में

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर मूल संस्था सहित कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे हैं। वर्ष के अंत में गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं:

(राशि लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के लिए लीज भुगतान	21.49	24.40
न्यूनतम लीज भुगतान: 1 वर्ष के पूर्व देय	0.00	0.00
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0.00	0.00
5 वर्षों के बाद देय	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2023-24	2022-23
ईक्रीटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रूपए करोड़ में)	8419.41	5572.31
ईक्रीटी शेयरों की संख्या	1346963981	1245441139
ईक्रीटी शेयरों की भारित संख्या	1275121314	1245441139
प्रति शेयर मूल अर्जन ₹	66.03	44.74
प्रति शेयर कम की गई आय ₹	66.03	44.74
प्रति ईक्रीटी शेयर अंकित मूल्य ₹	10.00	10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण को लेखा मानक (एएस 21) ए भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी शसमेकित वित्तीय विवरणोंशब और "समेकित वित्तीय विवरण" को तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप तैयार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूलसंस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगियों जैसे (1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित हैं और नव निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (3) इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

के अनऑडिटेड वित्तीय विवरण।

31.03.2024 को समेकित आंकड़ों में 3 सहयोगियों यथा मेसर्स पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और मेसर्स तमिलनाडु ग्राम बैंक के 293.37 करोड़ रुपये का लेखापरीक्षित लाभ शामिल है और रु. 66.52 करोड़ दो संयुक्त उद्यमों अर्थात 1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के अलेखापरीक्षित लाभ में हिस्सा है।

14. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस 22)

14.1 मूल संस्था

ए. **वर्तमान कर** - चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालन के लिए आयकर हेतु प्रावधान की राशि 3357.18 करोड़ रुपये है इसमें विदेशी शाखाओं पर पिछले वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में आय कर हेतु प्रदान किए गए रुपये 8.26 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में आयकर के लिए किए गए प्रावधान 18.08 करोड़ रुपये है। वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी. **आस्थगित कर**: बैंक का निवल डीटीए 4921.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 4434.56 करोड़ रुपये) है, जिसमें आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) 1116.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 1025.40 करोड़ रुपये) हैं और आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) 6038.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का निवल डीटीए 5459.56 करोड़ रुपये)। डीटीए और डीटीएल के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं:

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	376.55	275.43
2	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व (एफसीटीआर)	131.17	122.57
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.04
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3864.41
5	पुनर्चित आस्तियों, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1569.60	1094.72
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	96.41	102.79
	कुल-डीटीए	6038.18	5459.96
	आस्थगित कर देयताएँ		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.41	44.40
2	बड़े खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण प्रतिपूर्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	704.90	613.74
	कुल - डीटीएल	1116.56	1025.40
	निवल डीटीए/(डीटीएल)	4921.62	4434.56

सी. इस वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान:

विवरण	2023-24	2022-23
कराधान के लिए प्रावधान-वैश्विक (स्थगित कर सहित आयकर)	2888.20	632.71

दिनांक 31.03.2024 को भुगतान की गई विवादित आयकर मांग रु. 3953.36 करोड़ (पिछले वर्ष 3953.36 करोड़)। इसे दिनांक 31.03.2024 तक विवादित कर मामलों से संबंधित रुपये 9761.82 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 8846.59 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

14.2 अनुषंगी कंपनियां:

14.2.1 इंडबैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए) स्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न हैं।

(राशि ₹ में)

	स्थगित कर			
	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्यहास-योग्य आस्तियों में समय का अंतर		8975695		9112839
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	19880927		29001415	
iii) अन्य	4133582		3851703	
कुल	24014509	8975695	32853118	9112839
निवल डीटीए / (डीटीएल)	15038814		23740279	

बी) वर्ष में कर के लिए रुपये 178 लाख का शुद्ध प्रावधान किया गया है।

ग) मुद्दों पर न्यायिक घोषणाओं औरध्या कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) वर्ष के लिए स्थगित कर (शुद्ध) का प्रावधान रुपये 87.01 लाख (पिछले वर्ष - रुपये 67.08 लाख) है जिसे लाभ और हानि खाते से वसूला गया है।

ई) पूर्व अवधि के कर : शून्य

14.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

ए) भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध समायोजन के लिए पात्र अनवशोषित मूल्यहास और अग्रेषित घाटे को आभासी अनिश्चितता के आधार पर स्थगित कर परिसंपत्ति के लिए नहीं माना गया है।

बी) आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999-2000 के लिए ब्याज समेत 4.32 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। मांग गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय को संचय आधार पर ध्यान में रखकर लगाई गई है जिसे एनएचबी के निर्देशों के अनुसार आय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। कंपनी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मांग का विरोध किया है और दिनांक 29.11.2021 को कंपनी के पक्ष में निर्णय जारी किया गया है। आयकर विभाग किसी अपील के लिए नहीं गया है। आईबीएचएल ने अपने कर सलाहकार के माध्यम से प्रभावी आदेश देने के लिए आयकर विभाग को दिनांक 17.04.2023 को एक पत्र प्रस्तुत किया। आयकर विभाग से जवाब का इंतजार है।

14.2.3 इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड - शून्य

15. एस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं- परिचालन बंद

15.1 अनुषंगी कंपनियां:

15.1.1 इंडबैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेज लि.

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन के आकलन हेतु मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम -निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। अतः प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को करने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्सपोजर उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं का आईपीएफ को अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। कंपनी अब केवल सेबी नियमों द्वारा शासित है।

16. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एस-27):

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है:

संस्था का नाम	देश / निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत		38.26%	37.50

एस 27 के आवश्यकतानुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय, आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
देयताएं		
पूंजी आरक्षितियाँ	496.03	437.90
जमा	0.00	0.00
उधारी	11.40	19.38
अन्य देयताएं और प्रावधान	1211.02	1271.32
कुल	1718.45	1728.60
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद और शेष	0.01	0.10
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	33.95	54.81
निवेश	1393.41	1337.92
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	21.08	18.07
अन्य आस्तियां	270.00	317.70
कुल	1718.45	1728.60
पूंजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य आकस्मिक देयताएं	63.65	46.76
आय		
अर्जित ब्याज	6.42	5.99
अन्य आय	731.00	695.48
कुल	737.42	701.47
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.81	1.81
परिचालन व्यय	645.43	620.43
प्रावधान और आकस्मिकताएं	29.58	25.46
कुल	676.82	645.90
लाभ	60.60	53.77

17. आस्तियों की हानि (एएस-28)

मूल संस्था

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार, वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू होता है।

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29):

(राशि करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2023 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान वापसी / समायोजित	दिनांक 31.03.2024 को अंतिम शेष
बैंक के विरुद्ध दावे के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	217.68	6.22	0.26	223.64

19. बैंक एश्युरेंस कारोबार

19.1 मूल संस्था

बैंक द्वारा विभिन्न बैंक एश्युरेंस/म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री/विपणन पर पिछले वर्ष 136.35 करोड़ रुपये के सापेक्ष में वर्तमान वर्ष में अनर्जित कमीशन आय 163.21 करोड़ रुपये है।

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2023-24	2022-23
1.	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	127.03	100.37
2.	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	32.17	29.42
3	अन्य-म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	4.01	6.56
	कुल	163.21	136.35

19.2 अनुषंगी कंपनियाँ:

19.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लि.

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और उनके द्वारा किए गए बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित फीस/दलाली का विवरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	आय की प्रकृति	2023-24	2022-23
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	शून्य	शून्य
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	शून्य	शून्य
3	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की बिक्री से	शून्य	शून्य
4	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	शून्य	शून्य
5	अन्य - बैंक के आवास ऋण उत्पादों के लिए लीड हेतु	0.02	0.09
	कुल	0.02	0.09

20. विधि

मूल संस्था

आकस्मिक देनदारियों में एक खाता मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड शामिल है, कंसोर्टियम बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में कुल 1602.44 करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने कंसोर्टियम बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के विरुद्ध कुल 406.47 करोड़ रुपये का दावा किया गया। मुकदमे में, बचाव के लिए सशर्त छुट्टी 400 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे बैंक के 100 करोड़ रुपये के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर को किया गया था। सारांश मुकदमा बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। बैंक द्वारा किया गया उक्त 100 करोड़ रुपये का प्रेषण वर्ष के दौरान मेसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चालू खाते और एफडी खाते (84.09 करोड़ रुपये) को डेबिट करके समायोजित किया गया है जिसमें 31.03.2024 को 15.94 करोड़ के बकाया शेष को शामिल नहीं किया गया है।

बीसीसीआई द्वारा बैंक के खिलाफ इस दावे के लिए बैंक के पास कुल रुपये 31.26 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 31.26 करोड़) का प्रावधान है।

21. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

- ए) समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। इस तरह के समाधान का चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव अपेक्षित नहीं है।
- बी) वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल संस्था और उसकी सहायक कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणियों में उन मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- सी) बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा चिह्नित एमएसएमई इकाइयों पर बैंक द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है जो एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे लंबित हो और स्वीकृत देनदारी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान।

चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक होए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट।

अभिमत

1. हमने इंडियन बैंक ('मूल संस्था/बैंक' के रूप में संदर्भित) एवं 31 मार्च, 2024 के समेकित तुलन-पत्र में समाहित इसके सहयोगियों(यहाँ मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ समूह के रूप में अभिहित किया जाएगा।) और इनके एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों के अर्जन की हिस्सेदारी सहित इसकी अनुषंगियों, इसी वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ और हानि लेखों के विवरण व समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखों एवं अन्यव्याख्यात्मक सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) हमारे द्वारा समीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

बी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 2 अनुषंगियों लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; एवं

सी) 1 सहायक कंपनी, 3 एसोसिएट्स और 2 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, जो कि संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में एवं हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम की अलेखापरीक्षित पृथक वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों (आरबीआई दिशानिर्देश) की आवश्यक जानकारी देते हैं और समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक एवं लागू लेखांकन मानक तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

ए) समेकित बैलेंस शीट के मामले में 31 मार्च, 2024 तक ग्रुप और उसके सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति के टिप्पणियों के साथ पठित वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

बी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान समूह और उसके सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का सही शेष और

सी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह सही और निष्पक्ष दिखाई देते हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करने पर हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

3. प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य	लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा तथ्य को किस रूप में स्वीकार किया गया था
1.	<p>अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (नोट नं. 4 देखें)</p> <p>समूह एवं इसके एसोसिएट्स का निवल अग्रिम कुल संपत्ति का 64.96% है, जो समेकित वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।</p> <p>आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ('आईआरएसी') संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ('आरबीआई') दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ('एनपीए') की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।</p> <p>अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है।</p> <p>इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत बताया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।</p> <p>लेन-देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमानध्निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह समेकित वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोग कर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।</p>	<p>नियंत्रण के परीक्षण</p> <p>ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन।</p> <p>वस्तुपरक परीक्षण</p> <p>ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आवंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध समेकित वित्तीय विवरणों, संपार्षिक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।

<p>2.</p>	<p>निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान</p> <ul style="list-style-type: none"> निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.18 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटाधब सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, निवेश और नियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है। <p>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।</p>	<p>आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानधब मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से,</p> <ol style="list-style-type: none"> हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधानधबमूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि ये निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने हैं। हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया; हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।
-----------	---	--

4. अन्य मामलें

- (ए) हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1805 शाखाओं (जिनमें 3 विदेशी शाखाएँ हैं) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक 253565.70 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, 18185.76 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएँ और प्रसंस्करण केंद्र 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.65% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक यह शाखाओं के मामले में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय केवल ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- (बी) हमने उन दो (2) अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 को रु. 80.80 करोड़ की कुल संपत्ति एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 22.73 करोड़ का कुल राजस्व, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उन दो अनुषंगियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, से संबंधित समूह के रु. 4.13 करोड़ के निवल लाभ, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, की हिस्सेदारी को भी समेकित वित्तीय विवरणों में जोड़ा गया है। इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन अनुषंगियों से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण का मामला है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित।
- (सी) हमने एक (01) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक 0.04 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दर्शाती है, इस समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व शून्य करोड़ रुपये है और उस तारीख से समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह शून्य रुपये है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है। हमने उन तीन (3) सहायकियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 293.37 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 को समूह के रु. 1717.73 करोड़ की कुल संपत्ति, रु. 736.86 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 66.52 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जोकि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण की बात है, वहाँ समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह से उक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- (डी) उपरोक्त मामलों, किए गए कार्य व अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों एवं निम्नोक्त अन्य विधिक और विनियामक रिपोर्ट पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5. समेकित वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी किया है (किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होते)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल के तहत पिछले 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से भौतिक तौर पर असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, यदि हम यह निर्णय देते हैं कि उक्त में भौतिक असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारी को बताया जाना अपेक्षित है।

6. समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व:

बैंक के निदेशक मंडल, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह और एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और के समेकित नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं और इनका उपयोग उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित संस्था के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों में यथा प्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल सामूहिक संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

7. समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य, वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हो, से पूर्णतः मुक्त है पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुपालन में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही इन्हें पहचान सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुपालन में हम पेशेगत निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आंकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। भौतिक त्रुटियों में धोखाधड़ी के कारण हुई गलती की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- प्रयुक्त लेखांकननीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है जो समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती हैं।

- समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तथ्यों पर विचार करते हैं।

हमने बैंक अभिशासकों को तथा समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित उन संस्थाओं को जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहितलेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान किया है।

हमने अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबन्धित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

- 31 मार्च, 2024को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षासंयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने ऐसे समेकित वित्तीय परिणामों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ एवं हानि लेखातथा बैंक का समेकित नकदी प्रवाह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं।
- उपरोक्त 4, 6 व 7 पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
 - समूह के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं वह समूह के अधिकारों के भीतर ही हैं और
 - कार्यालयों एवं समूह के शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
- जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति पर दिनांक 17 मार्च 2020 को जारी पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.9.1.001/2019-20 के साथ वित्तीय वर्ष 2019 से एससीएएस के लिए रिपोर्टिंग दायित्व- 20, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 को एक साथ पढ़ते हुए, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर अपेक्षानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:-
 - हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बही बैंक द्वारा रखी गई है जहां तक यह उन बाहियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।
 - इस रिपोर्ट में प्रदर्शित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखापरीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है;
 - हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

- (ई) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (एफ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। अनुषंगियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक किसी भी अनुषंगियों के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में अनुषंगियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- (जी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, छिपाव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (एच) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के केवल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ही लागू होगी एवं पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होती। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

<p>कृते एस ए आर सी एवं एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआर संख्या: 006085N चेतन ठक्कर पार्टनर (सदस्यता संख्या 114196) यूडीआईएन सं.: 24114196BKAIQR4873</p>	<p>कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआर संख्या: 112318W संदीप के जैन पार्टनर (सदस्यता संख्या 110713) यूडीआईएन सं.: 24110713BKGFCE5182</p>	<p>कृतेएस.सिंघल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआर संख्या: 001526C नटवर सारदा पार्टनर (सदस्यता संख्या 076070) यूडीआईएन सं.: 24076070BKBFZA8860</p>
<p>कृते जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआर संख्या 000376S/S200073 आर रविशंकर पार्टनर (सदस्यता संख्या 026819) यूडीआईएन सं.: 24026819BKBOVG5284</p>	<p>कृते दास गुप्ता एवं एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआर संख्या 000112N भानु प्रीत कौर पार्टनर (सदस्यता संख्या 421517) यूडीआईएन सं.: 24421517BKEUDI2686</p>	

रिपोर्ट की तिथि: 6 मई, 2024
 हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै

बेसल III पूंजी विनियमों के तहत प्रकटीकरण

बेसल III पूंजी विनियमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 12 मई, 2023 के अनुसार, बैंकों को बेसल III पूंजी आवश्यकताओं के तहत पिछर 3 के प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है:
<https://www.indianbank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>

DIRECTORS' REPORT 2023-24

To
The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended **31st March 2024**.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The **major highlights** of your **Bank's performance during FY24** are as follows:

A. RESOURCE MOBILIZATION & ADVANCES:

(Amount ₹ in Cr)

Particulars	31.03.23	31.03.24	YoY (%)
Global Deposits	621166	688000	10.76
Domestic Deposits	608027	661826	8.85
Of which Current	35366	38598	9.14
Savings	224873	241414	7.36
CASA	260239	280012	7.60
CASA Mix (%)	42.80	42.31	-
Overseas Deposits	13139	26174	99.21
Global Advances (Gross)	473586	533773	12.71
Domestic Advances (Gross)	443921	498160	12.22
Overseas Advances (Gross)	29665	35613	20.05
Total Business	1094752	1221773	11.60
Total Assets	710501	792619	11.56

- Global Deposits grew by 10.76% YoY and stood at ₹6.88 lakh Cr in March 2024.
- Domestic Deposits grew by 8.85% to ₹6.62 lakh Cr. Domestic CASA increased to ₹2.80 Lakh Cr registering a growth of 7.60% YoY. In order to augment the CASA portfolio, Bank has mobilized 39.52 lakh new CASA accounts (excluding BSBD Savings account) during FY24.
- Gross Advances of the Bank (Global) grew by 12.71% YoY and stood at ₹5.34 lakh Cr as on March 31, 2024 from ₹4.74 lakh Cr as on March 31, 2023.
- Priority Sector Advances were at ₹ 1.79 lakh Cr as

on March 31, 2024. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY24 stood at 43.82% as against the mandatory target of 40.00%.

- Agriculture Credit (Priority Sector) was at ₹83,590 Cr and as a percentage to ANBC the same stood at 20.52% as against the mandatory target of 18.00%.
- All mandatory targets under priority sector stipulated by RBI have been surpassed during FY24.
- Gross NPA and Net NPA reduced to ₹21,106 Cr (3.95%) and ₹2,223 Cr (0.43%) respectively as on March 31, 2024 as against ₹28,181 Cr (5.95%) and ₹4,045 Cr (0.90%) respectively as on March 31, 2023.
- Total recovery of NPAs (cash recovery including recovery in AUC accounts, upgradation and MoI) during FY24 amounted to ₹8,799 Cr as against ₹8,503 Cr in the previous year.
- Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank improved by 252 bps to 96.34% in FY24 as against 93.82% in FY23.
- Domestic Branch network of the Bank expanded to 5847, comprising of 1985 Rural, 1530 Semi Urban, 1174 Urban and 1158 Metropolitan branches. Besides, Bank has 3 overseas branches and 1 IFSC Banking unit (GIFT City). Total number of Bank's ATMs and BNAs stood at 4937 which include 601 offsite ATMs/BNAs and 2 mobile ATMs. Bank is also having 11297 Business Correspondents taking the Pan India touch points to 22082.

B. INCOME AND EXPENDITURE

(Amount ₹ in Cr)

Particulars	31.03.23	31.03.24	YoY (%)
Interest Earned	44942	55615	23.75
Interest Expended	24717	32341	30.85
Net Interest Income (NII)	20225	23274	15.07
Other Income	7143	7867	10.14

(Amount ₹ in Cr)

Particulars	31.03.23	31.03.24	YoY (%)
Of which – Fee Income	2969	3298	11.08
Operating Revenue (NII + Other income)	27369	31141	13.78
Operating Expenses	12098	14301	18.21
Of which Employee Expenses	7527	9265	23.08
Other operating Expenses	4571	5036	10.17
Operating Profit	15271	16840	10.27
Provisions Other Than Tax	9356	5889	-37.06
Profit before Tax	5915	10951	85.14
Provision for Tax	633	2888	356.24
Net profit	5282	8063	52.65

- Interest income of the Bank grew by 24% to ₹55,615 Cr in FY24 from ₹44,942 Cr in FY23.
- Net Interest Income grew by 15% to ₹23274 Cr in FY24 from ₹20225 Cr in FY23.
- Fee based Income grew by 11% to ₹3298 Cr in FY24 from ₹2969 Cr in FY23.
- Operating Profit increased by 10% at ₹16840 Cr in FY24 from ₹15271 Cr in FY23.
- Profit before Tax grown by 85% to ₹10951 Cr in FY24 from ₹5915 Cr in FY23.
- Net Profit up by 53% YoY to ₹8063 Cr in FY24 from ₹5282 Cr in FY23.

C. KEY RATIOS FOR FY24: (in %)

Parameters	31.03.23	31.03.24
Yield on Advances	7.76	8.72
Cost of Deposits	4.09	4.88
Net Interest Margin	3.37	3.47
Net Interest Margin (Domestic)	3.41	3.54
Cost Income ratio	44.20	45.92
Return on Assets	0.77	1.07
Return on Equity	14.73	19.24
Average Business per employee (₹ in lakh)	2355	2657
Profit per employee (₹ in lakh)	12.95	20.03

- Yield on Advances (YoA) up by 96 bps to 8.72% in

FY24 from 7.76% in FY23. Whereas Cost of Deposit increased by 79 bps to 4.88% in FY24 from 4.09% in FY23.

- Domestic Net Interest Margin (NIM) increased by 13 bps to 3.54% in FY24 from 3.41% in FY23.
- Return on Assets (RoA) increased by 30 bps to 1.07% in FY24 from 0.77% in FY23.
- Return on Equity (RoE) up by 451 bps to 19.24% in FY24 from 14.73% in FY23.
- Average Business per employee increased by ₹302 lakh to ₹2657 lakh in FY24 from ₹2355 lakh in FY23.
- Profit per employee increased by ₹7.08 lakh to ₹20.03 lakh in FY24 from ₹12.95 lakh in FY23.

D. NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank stood at ₹47,491 Cr as on March 31, 2024 as against ₹37,431 Cr in March 31, 2023.
- During FY24, Bank has raised equity capital of ₹4000 Cr through QIP resulting in reduction in GoI holding to 73.84% from 79.86%.

(in %)

CRAR as per BASEL III	As on	
	31.03.2023	31.03.2024
CET- I	12.89	13.52
Tier- I Capital	13.48	14.03
Tier-II Capital	3.01	2.41
Total	16.49	16.44

- As per Basel III norms, the CET- I ratio was at 13.52% on 31.03.2024 compared to 12.89% on 31.03.2023 as against minimum requirement of 8.00%.
- The Tier-I Capital was at 14.03% as on March 31, 2024 as against 13.48% as on March 31, 2023.
- The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) was at 16.44% as on March 31, 2024, compared to 16.49% in March 31, 2023 as against the regulatory requirement of 11.50%.

E. RECRUITMENT / TRAINING

As per Government guidelines, pre-promotion trainings were offered to SC/ST/OBC employees during the process of internal promotions.

F. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR:

All the Directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors. DFS has appointed/nominated

- Shri Ashutosh Choudhury as Executive Director of the Bank with effect from 03.05.2023.
- Smt K Nikhila as RBI Nominee Director with effect from 14.07.2023.
- Shri Shiv Bajrang Singh as Executive Director of the Bank with effect from 09.10.2023.
- Shri Brajesh Kumar Singh as Executive Director of the Bank with effect from 10.03.2024.
- Shri Pradeep Kumar Malhotra was elected as shareholder Director of the Bank for a period of three years with effect from 09.03.2024.
- The term of appointment of Shri Ashwani Kumar as Executive Director of the Bank ceased on 01.06.2023 on his elevation as MD & CEO of UCO Bank.
- The term of appointment of Shri Imran Amin Siddiqui as Executive Director of the Bank ceased on 10.03.2024 on his completion of term of appointment.
- The term of appointment of Dr. Aditya Gaiha as RBI Nominee Director of the Bank ceased on 14.07.2023 vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Notification No. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14.07.2023.
- The term of appointment of Dr. Bharath Krishna Sankar as Shareholder Director of the Bank ceased on 07.02.2024 on his completion of term of appointment.

G. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024: –

1. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view on the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year ended March 31, 2024.
4. Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
5. The accounts have been prepared on a going concern basis.

H. ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, State Governments, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board is also grateful to the financial institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by

Shri Ashwani Kumar, Shri Imran Amin Siddiqui, Dr. Aditya Gaiha and Dr. Bharath Krishna Sankar who ceased to be members during the financial year.

The Board also places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

(S L Jain)

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY

- The global economy has demonstrated a remarkable resilience in the face of multiple, overlapping shocks and significant monetary tightening. Despite these challenges, economic growth in the United States and several major emerging market economies (EMEs) has exceeded expectations. This resilience can be attributed to the strength of the services sector, which has offset the subdued performance of the manufacturing sector.
- On inflation front, headline inflation has come down across many countries. But, the reduction in core and services inflation has been slower. This is largely due to relatively strong household spending and persistent tightness in labour markets, which has kept wage pressures high. Major Central Banks in advanced economies (AEs) have responded by keeping policy rates steady, aiming to align inflation more closely with their targets.
- Tight financial condition, potential increase in energy prices amid geopolitical tension however, pose a risk to faster economic growth.
- In light of these factors, the International Monetary Fund (IMF) in its April 2024 "World Economic Outlook" has projected that the global economy will continue to grow at a rate of 3.2% in both 2024 and 2025, maintaining the same pace as in 2023. This steady growth rate reflects a balance between the supportive aspects of economic resilience and the restraining influences of the identified risks.

2. INDIAN ECONOMY

- On the domestic front, the Indian economy continues to exhibit strong economic performance with broad-based growth across sectors. Many international organisations assert India's pivotal role in determining the growth path of Asia in the coming years.
- India's growth continues to show resilience on the back of robust domestic demand, strong public infrastructure investment and a healthy financial sector.

- Most of the domestic high frequency indicators reported a positive growth in FY24. The composite Purchasing Managers' Indices (PMIs) pointed towards sustained improvement in both manufacturing and services due to strong domestic and international demand.
- The government's efforts in managing retail inflation in FY24 have been highly successful. Inflation measured by the Consumer Price Index declined from 6.65% in FY23 to 5.36% in FY24, which is within the tolerance level of the inflation-targeting framework. The Government's positive action has also contributed to inflation control, such as a reduction in petrol, diesel and LPG prices.
- The prospects of fixed investment remain bright with business optimism, healthy Corporate and Bank balance sheets, robust government capital expenditure and signs of upturn in the private capex cycle.
- Taking all these factors into consideration, real GDP growth for FY25 is projected at 7.0% and assuming a normal monsoon, CPI inflation for FY25 is projected at 4.5% by RBI. In its April 2024 "World Economic Outlook" report, IMF has projected India's GDP growth at 6.5% for FY25.

Union Budget FY24

In an environment of complex global economic landscape, India's Interim Budget for FY25 outlines the Government's vision to propel India's advancement and achieve 'Viksit Bharat' by 2047. The budget drives India's quest for inclusive and sustainable development with the theme of 'Sabka Sath, Sabka Vikas and Sabka Prayas'. The Budget does a good balancing act of maintaining fiscal prudence while pushing for higher inclusive growth.

- The nominal GDP for FY25 is projected at ₹3,27,71,808 Cr at a growth rate of 10.5% Y-o-Y. The fiscal deficit is estimated to be 5.1% of GDP. Despite election year pressures, the government continued its path of fiscal consolidation, which will support G-Sec yields.
- Continuing with the recent emphasis on capital spending as a catalyst for economic development

and job creation, the forthcoming fiscal year has witnessed an 11.1% increase in the allocation to infrastructure, reaching ₹11.1 trillion (3.4% of the GDP).

- Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) take a centre stage in the budget's vision. The Government lays down a road map, emphasizing on timely availability of finance, relevant technologies, targeted skilling and re-skilling. This multifaceted approach, coupled with a regulatory environment geared towards MSME growth, recognises their pivotal role in driving economic growth, job creation and entrepreneurial dynamism.
- The budget has focused on providing value addition to boost farmers' income and promote private and public investment in post-harvest activities including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary & secondary processing and marketing & branding.
- The Government has prioritised inclusive growth and development, with investments and initiatives aimed at improving healthcare, education, social welfare and women empowerment. There has been a significant increase in budget allocations and initiatives across various social sector schemes in India for FY25. The Government plans to set up more medical colleges using existing infrastructure. The Government has planned to encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 to prevent cervical cancer.
- The Government plans on expanding and strengthening the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks to be encouraged through payment security mechanisms to assure long - duration gross cost contractors of on-time payment.

RBI Monetary Policy

- The RBI's Monetary Policy Committee (MPC) on 5th Apr'24 left the key repo rate unchanged at 6.5% for the seventh time in a row, with its focus firmly on bringing inflation lower. In its first meeting of this financial year, the committee continued the stance of 'withdrawal of accommodation'.

Recent developmental and regulatory policy measures taken by RBI

The Reserve Bank of India (RBI) has announced several developmental and regulatory policy measures aimed at fostering a transparent and digitally advanced financial sector.

- RBI developed a mobile app for the "RBI Retail Direct Scheme" which will provide retail investors to buy and sell instruments, with greater convenience and deepen the G-Sec market.
- Additionally, in a move to enhance customer convenience and reduce cash-handling loads on bank branches, the RBI proposes to facilitate cash deposit through the Unified Payments Interface (UPI).
- The transaction limits for UPI payments are set to increase, particularly for medical and educational services, from ₹1 lakh to ₹5 lakh per transaction. This aims to encourage the use of UPI in these critical sectors.
- Moreover, to promote the use of "UPI-Lite", RBI proposed to facilitate offline transaction using Near Field Communication (NFC) technology, ensuring speed and reliability even in areas with weak or no internet connectivity.
- These measures collectively reflect the RBI's commitment to fostering a robust and inclusive digital financial ecosystem in India.

3. BANKING SECTOR:

- Bank credit growth remained robust in FY24 with improving economic activity. Bank credit increased to 16.3% Y-o-Y in Mar'24 from 15.4% in Mar'23. While credit growth (Y-o-Y) picked up across the board, it remained higher for private sector banks (PVBs).
- From a sectoral perspective, credit growth in Agriculture, Industry, Service Sector remained robust in Mar'24 whereas personal loan growth softened on a Y-o-Y basis.
- The asset quality of SCBs improved, with the overall gross nonperforming assets (NPA) ratio declining to 3.0% in Dec'23 from 4.5% a year ago. Asset quality improved across all the major sectors.
- Lower deposits growth than credit and tight liquidity condition have surfaced for the banking sector in the last financial year. In the current

tightening cycle, the extent of transmission to term deposit rates has remained higher than lending rates. Though the savings deposit rates of banks have remained almost unchanged, the declining share of current account and savings account (CASA) deposits in total deposits along with the higher transmission to term deposit rates as compared to lending rates, has exerted downward pressure on net interest margins (NIMs) of banks. The overall cost of deposits inch-up due to moderating share of CASA deposits.

- Moving ahead, it is expected that the credit growth rate may moderate in FY25. Deposit growth is likely to improve in FY25 as banks have been strongly emphasizing the growth of their liability franchise. Compression of interest spreads, may exert pressure on the profitability, though the same is expected to remain healthy. On the asset quality front, it is expected that the same will continue improving. The capital position of banking sector is expected to remain comfortable in the near term.

Year Ahead

Global economy is forecasted to remain stable on the back of better outlook in several developed and large emerging economies. In India, the economic activity is expected to be supported by an upturn in the investment cycle on account of the Government's continued thrust on capital expenditure, higher capacity utilisation, underlying resilience of the services sector, double digit credit growth and healthier Corporate and Bank balance sheets.

Headwinds from geopolitical tensions, volatility in international financial markets, geo-economic fragmentation, rising Red Sea disruptions, and extreme weather events, however, pose risks to the growth outlook.

4. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business recorded a YoY growth of 12% reaching a level of ₹12,21,773 Cr in Mar'24 as against ₹10,94,752 Cr in Mar'23. Domestic Business recorded a growth of 10% and reached ₹11,59,986 Cr as against ₹10,51,948 Cr in Mar'23.
- Global Deposits grew by 11% YoY to ₹6,88,000 Cr in Mar'24 as compared to ₹6,21,166 Cr in the

previous year. Domestic Deposits also grew by 9% to ₹661826 Cr in Mar'24 as against ₹608027 Cr in Mar'23. Overseas Deposit grew by 99% (YoY) to ₹26174 Cr as on 31.03.24 as against ₹13139 Cr on 31.03.23.

- Savings Bank Deposits(Domestic) exhibited growing trend and stood at ₹241414 Cr as on 31.03.24 as against ₹224873 Cr on 31.03.23 with a YoY Growth of 7.36%.
- CASA Deposits stood at ₹2,80,487 Cr as on 31.03.24 as against ₹2,60,809 Cr on 31.03.23 registering a growth of 8% YoY. CASA ratios were at 40.77%(Global) and 42.31%(Domestic).
- Total Domestic Term Deposit grew by 9.78% (YoY) to ₹381814 Cr as on 31.03.24 as against ₹347788 Cr on 31.03.23.
- Global Advances grew by 13% to ₹5,33,773 Cr in Mar'24 over ₹4,73,586 Cr a year ago. Domestic Credit grew by 12% YoY and stood at ₹4,98,160 Cr (₹4,43,921 Cr as on March 31, 2023). Standard Advances have grown by 15.10% YoY.
- Global Credit-Deposit Ratio stood at 77.58%.

4(a) DOMESTIC DEPOSITS:

- Total Domestic Deposit Incremental growth was ₹53799 Cr in FY24 as against ₹23366 Cr in FY23 with a YoY Growth of 130%
- Domestic CASA Incremental growth was ₹19774 Cr in FY24 as against ₹13149 Cr in FY23 with a YoY growth of 50%
- Tab Banking has strengthened with additional 20 SB products, 2 CA products, 12 New services.
- Bank has launched VKYC 2.0 version with improved customer journey under Video based Customer Identification Process (VCIP)
- Bank has strengthened Government Deposit Business by opening R&GR Cells at 9 potential State capitals thereby taking total R&GR Cell strength to 15.
- For Individual savings deposits, Bank is targeting NRIs, HNIs & Institutions through establishment of 75 Resource Acquisition Centres (RACs) across the country with Customer Relationship Manager(CRM) concept.

4(b) RETAIL CREDIT:

Credit flow to Retail Sector:

Retail Credit has grown by 15% YoY. Of which, home loan has increased by 11%, vehicle loan by 49% & personal loan by 10%.

(₹ in Cr)

Parameters	Mar'23	Mar'24	YoY
Home Loan (incl. Mortgage loans)	59840	66423	11%
Vehicle Loan	5377	8016	49%
Personal Loan	7769	8566	10%
Jewel Loan (Non Priority)	5206	5366	3%
Other Retail Loan	12894	16364	27%
Total Retail Credit	91086	104735	15%

Highlights:

- Additional Retail Assets Processing Centres (RAPCs) have been opened at Navi Mumbai and Bengaluru South, taking the total to 74, for encashing the potential available.
- For financing home and auto loans, Bank has on-boarded prominent Corporate Direct Selling Agents(DSAs) and 4-wheeler companies respectively.
- Education loan products have been realigned based on the category of the institution as Premier Elite, Premier Special, Premier and others. In FY24, 77 specific camps were organized in various premier institutions for mobilizing proposals under education loan.

4(c) AGRICULTURE

- Agriculture credit of the Bank grew at 19 % YoY from ₹ 101937 Cr to ₹ 121062 Cr as on March 31, 2024 as detailed below:

(₹ in Cr)

Agriculture	31.03.2023	31.03.2024	YoY
Crop Loans	77894	92473	19%
Investment credit	11980	13136	10%
Agri allied	3610	5842	62%
Infrastructure & Ancillary	8453	9611	14%
Total Agriculture	101937	121062	19%

Disbursement:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLC), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹ 84601 Cr during FY24 as against an annual target of ₹ 65000 Cr.
- During FY24, Bank disbursed a sum of ₹ 53862 Cr to 50.52 lakh Small/Marginal Farmers.

Priority Sector Advances - Performance against RBI mandatory target in FY24

- Priority Sector Advances was at ₹178527 Cr as on 31.03.2024. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2023-24 stood at 43.82% as against the mandatory target of 40%.
- Agriculture Credit under priority sector was at ₹ 83590 Cr as on 31.03.2024 and the percentage to ANBC for FY24 stood at 20.52% as against the mandatory target of 18%.
- Lending to SF/MF stood at ₹44242 Cr as on 31.03.2024 and constituted 10.86% of ANBC for FY24 as against the mandatory target of 10%.
- Lending to Weaker Sections stood at ₹ 54382 Cr as on 31.03.2024 and constituted 13.35% of ANBC on quarterly average basis for FY24 as against the mandatory target of 12%.
- Lending to MSE-Micro Enterprises stood at ₹ 47256 Cr as on 31.03.2024 and constituted 11.60% of ANBC for FY24 as against the mandatory target of 7.50%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹ 65364 Cr as on 31.03.2024 and constituted 16.05% of ANBC for the year 2023-24 as against the mandatory target of 13.78%.

Credit flow to Self Help Groups(SHG):

- SHG is one of the most important approaches for women empowerment in India. Lending to Self Help Groups/Joint Liability Groups present an excellent opportunity to promote micro enterprises in rural areas leading to increased employment generation and in turn income to the rural mass.
- The outstanding credit to SHGs stood at ₹19243 Cr covering 4.21 lakh SHGs as on 31.03.24. During FY24, the Bank had disbursed ₹ 15689 Cr to 3.16 lakh SHGs.

- Bank has surpassed the target set by National Rural Livelihood Mission (NRLM) under both disbursement ₹11839 Cr and outstanding ₹17995 Cr for FY24 as against targets of ₹10243 Cr and ₹13597 Cr respectively.
- Emphasis is given to increase SHG lending in emerging areas like Bihar, Rajasthan, West Bengal, Odisha and Assam.
- During FY24, credit amounting to ₹3159 Cr has been extended to 44929 SHGs through the Microsate branches, which are specialized branches serving as 'One Stop Shop'- providing credit as well as credit plus services like training, maintaining accounts/books etc.
- To give focused lending under SHGs in FY24, Bank has identified 57 SHG intensive branches having SHG business above ₹25 Cr and an amount of ₹2218 Cr has been extended to 30325 SHGs in FY24.

4(d) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- MSME portfolio of the Bank has registered a growth of 6 % on YoY basis as on 31st Mar'24 and stood at ₹84121 Cr as against ₹79656 Cr on 31.03.2023.
- Standard MSME advances have grown by 9.65% YoY.
- Merchant Credit Card for MSME traders, Lab Grown Diamond and PM Vishwakarma Scheme are the new products launched under MSME.
- 81 MSME processing centres (MAPCs) help the Bank in mobilizing fresh business, improving Turn Around Time (TAT) and ensuring quality lending.
- Supply Chain Financing (SCF) has been launched for extending short-term working capital finance to dealers / vendors.
- 10 Start-Up cells have been opened across major start up hubs of the country – one each in Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Delhi, Gurgaon, Guwahati, Hyderabad, Kanpur and Mumbai.

MSME Clusters:

- To support the sustainability and growth of MSEs and to build their capacity, Bank has formulated 83 clusters including schemes to cater to the needs of NER (North East Region) and Southern

States including coastal regions covering 74 districts to tap the untapped potential in these areas.

- Rate of Interest under cluster schemes has been suitably rationalized.

PMSVANIDHI (Loans to Street Vendors)

- Under the PMSVANIDHI scheme, Bank has extended credit facility to 5.94 lakh street vendors and disbursed ₹747 Cr.

MUDRA

- Bank has disbursed MUDRA loans amounting to ₹7745 Cr (excluding RRBs) as against target of ₹6950 Cr and achieved 111% of FY24 target.

Stand Up India

- Bank has provided credit assistance to 11428 SC / ST / Women entrepreneurs under Stand Up India surpassing the target of 11384.

MSME PRERANA

- MSME Prerana, a business mentoring programme for MSMEs, has expanded its outreach to 12 states/ Union Territories in 8 languages.
- As on 31.03.24, 57 batches of MSME Prerana have been conducted and 1864 entrepreneurs (819 women) have been trained across 12 states/ UTs in 8 languages.

START-UP Financing

- Ind Spring Board has been designed to extend credit assistance for specific needs of Startup companies.
- Bank has entered into MOUs with 13 Premier Institutes (IIT, IIMs etc.) and financial assistance of ₹207 Cr has been given to 114 Start-Ups.

4(e) CORPORATE CREDIT

Corporate Credit of the Bank stood at ₹188242 Cr (Mar'24) constituting 38% of the overall domestic credit of the Bank. During FY24, Corporate Credit has grown by 10% YoY and the Standard Corporate Credit has grown by 12% YoY.

9 Large Corporate Branches & 27 Mid Corporate Branches located at centers with high business potential are catering to the needs of corporate customers.

4(f) OVERSEAS CREDIT

- Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna and one International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) at Gandhi Nagar, Gujarat. Total outstanding Advances (gross) of the foreign branches (including IBU) as on March 31, 2024 is ₹ 35613 Cr as against ₹ 29665 Cr an year ago with 20% YoY growth.

4(g) FOREX BUSINESS

- Export credit (standard) business of the Bank has grown 6% YoY at ₹ 2944 Cr in Mar'24.
- API integration with Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has been enabled for issuance of Electronic Bank Realization Certificate(eBRC) by the exporters themselves.
- UPI Pay Now for cross border remittances to Singapore is available in coordination with NPCI using mobile app.

4(h) NON RESIDENT BUSINESS

Considering the huge untapped potential in Non Resident (NR) segment, a separate Vertical for Non Resident(NR) Business was created during FY24.

- A dedicated Helpdesk to support the NR customers and branches has been provided. A facility for customers to contact this desk through digital mode is also being developed.
- Initial survey and preliminary work for opening a Representative Office at UAE has been completed in the current fiscal.
- Steps for Rupee Drawing Arrangements (RDAs) with a slew of Exchange Houses are nearing fruition.
- 'IND NR Connect' a get-together with Non



Meeting with NRIs at Jalandhar on 10.01.2024



Meeting with NRIs at Mumbai on 20.01.2024

Residents was held across the country with huge customer participation.

4(i) FINANCIAL INCLUSION

BC Network:

- As on 31.03.2024, Bank is having 11297 Business Correspondents of which 15 are Corporate BCs.

PMJDY:

Particulars	Mar'23	Mar'24	YoY
Accounts (in lakhs)	205	224	10%
Balance (in Cr)	9342	11106	19%

Average balance in PMJDY account of the Bank increased from ₹ 4557 in Mar'23 to ₹4953 in Mar'24, which is well above the industry average of ₹ 4422.

Micro Insurance and Micro Pension Schemes:

(number in lakhs)

Name of the Scheme	Mar'23	Mar'24	YoY
PMJJBY	43.74	64.35	47%
PMSBY	101.71	157.39	55%
APY	31.83	38.44	21%

- In micro pension scheme APY during FY24, the Bank has added 6.61 lakh fresh enrolments with Average Account Per Branch (AAPB) of 112 as of 31.03.2024.
- Bank has launched a new Digital FI solution "IB-SAATHI" as a part of operational transformation enabling the Bank to serve better to the last mile through BCs.

4(j) BANCASSURANCE & MUTUAL FUND

- Bank has earned income of ₹163 Cr through Bancassurance business in FY24 as against

₹ 136 Cr in FY23.

- For Mutual Fund distribution, Bank has recently tied up with M/s Ind Bank Merchant Banking Services Ltd (IBMBS) for paperless Broking and Mutual Fund Services.

4(k) GOVERNMENT DEPOSIT/SAVINGS SCHEMES

Bank is collecting funds under various Government Schemes viz., Sukanya Samridhi, Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Sovereign Gold Bonds (SGB), Mahila Samman Savings Certificate, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate, etc.

5. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

Domestic Branch network of the Bank stood at 5847 as on 31.03.2024, comprising of 1985 Rural, 1530 Semi Urban, 1174 Urban and 1158 Metropolitan branches. The Bank also has 3 overseas branches viz., at Singapore, Colombo, Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at Gift City Gandhi Nagar, Gujarat.

During FY24, the Bank has expanded its branch network by 79 customer interface branches which includes 9 Mid Corporate branches and 1 Microsate branch. Of the newly opened 79 branches, 19 are in Unbanked Rural Centres, 5 in Left Wing Extremist districts and 1 each in North-Eastern States of Arunachal Pradesh and Assam. 19 branches were rationalized during FY24 towards consolidation of banking outlets.

6. DIGITAL TRANSFORMATION AND ADOPTION

Expectations of the customer in the form of fast, seamless and personalized journeys are increasing. Bank has embarked on the transformation journey



for digitalization. Bank came out with its first digital product Pre Approved Personal Loan (PAPL) in April 2022 under Project WAVE (World of Advanced Virtual Experience). Till March 2024, Bank has launched 78 digital journeys

– STP (Straight Through Processing) as well as branch assisted (including 21 processes and portals) under Retail Assets, Agriculture, MSME, Liability and Third Party Products.

- Total Digital Business garnered through these journeys was ₹ 81250 Cr, of which, ₹ 70491 Cr was

through RAM (Retail, Agri, MSME) Advances and ₹ 10759 Cr from Deposits.

- Bank is driving customer outreach for adoption of new digital offerings through various channels besides conducting internal outreach through employee engagement sessions and plans to onboard every customer in at least one digital product of the bank by the end of FY25

Mobile Banking:

- Bank is focusing on enhancing its mobile banking capabilities to provide customers with a seamless and secure banking experience on their smartphones. This includes providing **enhanced UI/UX with Omni-Channel experience** integrating mobile payment solutions, such as UPI, BBPS, Digital market place etc. to facilitate quick and convenient transactions. The public launch of the same is scheduled in FY25.
- 52 lakh new users have been on-boarded on Mobile Banking platform in FY24. Bank's cumulative user base stand at 167 lakhs registering 45% YoY growth.
- Digital transactions under Mobile Banking channel registered 21% YoY growth for the FY24.

Internet Banking:

- 28 lakh users have been on-boarded on Internet Banking platform in the FY24. Bank's cumulative user base stand at 106 lakhs, registering 37% YoY growth.
- Digital transactions under Internet Banking channel registered 59% YoY growth for the FY24.

7. ANALYTICS CENTRE OF EXCELLENCE (ACoE)

With an objective to drive innovation, improve decision-making and foster a data driven culture across the organization, the Analytics Centre of Excellence (ACoE) was established. Various dashboards and analytical models (Descriptive, Predictive and Prescriptive) have been developed by ACoE to strengthen the decision making process in the Bank.

8. CREDIT MONITORING

Credit monitoring commences from scrutiny

of sanctions covering the entire loan lifecycle. Containment of fresh slippages and upgradation of fresh NPAs coupled with maintenance of asset quality during the life span of the asset, right from disbursement of the loan, till the loan is closed or to the stage of NPA.

- Fresh NPA during FY24 was ₹ 6636 Cr. The slippage ratio was brought down from 1.75% in FY23 to 1.49% in FY24.
- Standard advance of restructuring book to total standard advance for FY24 has come down to 2.40% from 3.40% as on FY23 due to satisfactory performance.
- On boarded the Bank as biller with NPCI under BBPS (Bharat Bill Payment System) for improving collection in loan accounts.
- Awarded by Transunion CIBIL as "Best Consumer Delight PSU Consumer (FY2023-24)" for redressing the customer complaints within the industry-best TAT level.

9. ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Asset quality of the Bank has improved as reflected through GNPA of 3.95% as on 31.03.24 as against 5.95% on 31.03.23 and Net NPA ratio of 0.43% as on 31.03.24 has improved from 0.90% as on 31.03.23.
- The Provision Coverage Ratio (including TWO) of the Bank as on 31.03.24 is 96.34% and has improved from 93.82% as on 31.03.23.
- Bank has made recovery of ₹ 1817 Cr during FY24 from NCLT admitted accounts.
- Under the SARFAESI Act, during FY24, 1623 properties were sold with sale price of ₹ 1201 Cr.
- Bank has actively participated in all National Lok Adalats and organized various Lok Adalats at Mandal Level. 33584 accounts were settled with an amount of ₹ 343 Cr.
- From Bad Debts Written off accounts(AUC), an amount of ₹ 2858 Cr was recovered during the financial year.

10. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

- Bank has Procured market-leading API-first, micro services architecture CMS.
- First PSB to launch digital direct debit product for mandate registrations.
- Launched e-NACH registrations through Aadhaar, Debit Card & Net Banking.

- Launched IMPS collections over V-Collect significantly strengthening the B2C collections product.

11. RISK MANAGEMENT

Credit Risk:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. Losses arises from outright default or reduction in portfolio value.

Bank has a comprehensive credit risk architecture, policies, procedures, and systems for managing credit risk in its retail and corporate portfolio. Systems are in place to ensure credit quality and minimize default losses at front and back-end. In addition, multiple credit risk score card models are developed and used to assess different segments of customers based on portfolio behavior.

In Corporate loans, credit risk is managed by capping exposures and entry barriers based on borrower group, industry, rating grades, facility and country etc. Robust model is in place to assess industry outlook to decide the negative sector or the industry to be focused for financing.

Variety of stress scenarios beyond the regulatory prescription like macroeconomic / sectoral and other trends are being adopted for stress testing of the portfolio.

Bank has a conservative and prudent policy for specific provisions on NPAs as well as additional provisions beyond the regulatory prescription for standard assets.

Digital lending has emerged as a convenient and quick method for customers to secure loans with just a click away. Bank has implemented appropriate measures to manage these risks effectively through proper evaluation of loan eligibility. Business Rule Engines are made robust with integration of APIs to collect information from various sources to access the risk profile of the borrower.

Sustainable Finance is Bank's endeavor to enhance its portfolio from climate perspective. Some of the key industry segments which have been identified for green finance are Renewable Energy- Solar and Wind power generation, Hydroelectric power generation, Electric Vehicle and Ethanol. Bank's exposure to Coal & mining segment is less than 1% of the total exposure.

Bank has maintained a well-diversified credit portfolio with no single industry having a high concentration. Short, medium and long term strategies to manage the climate risk in credit portfolio are in place.

Credit Review Framework

Bank has adopted the Credit Review Framework, which involves credit risk assessment and risk categorization of the credit proposals into Low, Medium, High risk and No-Go based upon quantified risk scoring matrices embedded in seven broad parameters namely Borrower, Promoter and Group entities, Activity/Industry, Security Coverage, Conduct of facilities, Ratings and Compliance position along with subjective risk parameters. The framework is in addition to the robust credit appraisal and risk rating of borrower, applicable for loan proposals of ₹ 50 Cr and above for Corporates and ₹ 10 Cr and above for MSME segments.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise both from liquidity and interest rate risk on its balance sheet.

Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank periodically takes a review of the assets and liabilities of the Bank.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss on account of changes in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks.

Operational Risk:

Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) to ensure effective governance, risk identification, assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analyzed and corrective actions, if required, are initiated.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls.

Root Cause Analysis of major operational Loss events is done to find out the modus operandi, failed controls and control gaps. Based on the findings, suitable mitigation strategies are designed such as automation of process wherever possible, reiteration of guidelines & sensitization of field functionaries for being alert to avoid such recurrences from the lessons learnt out of the event etc.

Basel III Capital Regulations:

The Basel III Capital Regulations became effective in India since 1st April, 2013 and fully implemented since 1st October, 2021. Common Equity Tier I Capital of the Bank is 13.52 %, Additional Tier I at 0.51% and Total Capital Adequacy Ratio stand at 16.44% as on 31.03.2024.

Bank has adequate headroom to raise capital in all forms in case of need.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

A holistic capital conservation module is developed by the Bank for monitoring and taking corrective action towards capital conservation.

12. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

a) Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2024 is as follows:

Category	Total	OBC	SC	ST	Male	Female
Officers	25610	7622	4952	2013	18395	7215
Clerks	12089	3810	2615	650	7693	4396
Sub Staff	2239	530	1064	138	1932	307
Full Time Sweepers*	249	26	193	11	189	60
Total*	40187	11988	8824	2812	28209	11978

(* Domestic excluding Part Time Sweeper)

b) Recruitment Drive

Bank has inducted 1041 employees (POs:223,

Specialized officers: 407, Clerk: 387, Sub-staff: 24) during FY24.

c) Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWS), Persons with Benchmark Disability (PwBDs) and Ex-Servicemen (EXS) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per Government guidelines.
- The Bank has a Chief Liaison Officer for SC/ST/PwBD/EXS and a Chief Liaison Officer for OBC in the rank of General Manager to redress the grievances (if any) of SC/ST/OBC/PwBD/EXS employees. A separate dedicated Cell is functioning at Corporate Office, HRM Dept. to look after the grievances of SC/ST/OBC/PwBD/EXS employees.
- Reservation for PwBD candidates has been extended in promotions from clerical cadre to officer in JMG Scale - I.

d) HR Initiatives:

- Launch of completely digital HRMS Portal (HR Connect):** New HRMS portal, with 36 HR related modules are live and available for employees 24*7. An initiative towards a completely paperless and automated solution.
- New Age Performance Management System (PMS):** Aimed at periodical assessment of performance with interactive dashboard and robust Individual development plan. A digital initiative to develop performance oriented Culture. During FY24, the following initiatives have been implemented:
 - Role Clarity Tool 2.0, Employee Survey, PMS Profiler, Upskilling Tool, Digital KRA Library implemented
 - Job Family concept has been introduced to create specialized work force in 11 key banking domains

- Creation of Centres of Excellence (Indian Bank Learning Academy) at 9 centres covering all Job Families
- Rewards & Recognition policy approved by Board for non-monetary performance linked awards. (For field officers up to Scale IV)
- Health Care:** Tie up with M/s. Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members: 40846 enrolled

13. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

- ELM (Enterprise Learning Management) in HR Connect was launched for seamless learning experience of employees with focus on role based targeted individual learning plans.
- Centre-of-Excellence (CoE) as per 11 job families has been approved for promoting and prioritizing development in key focus areas of the Bank and to make the in-house talent future ready in line with Bank's vision. On Pilot basis, People Excellence (CoE) has been launched in December 2023 at IMAGE for HR related trainings.
- Skill gap assessment, envisaged for creating a future ready talent pool with skill sets that complement the vision of the Bank, was conducted for 6638 Officers as on March 2024.
- 3069 Training Programs were conducted in FY24 with 87538 participants (29750 unique employees)
- Bank has entered into an MOU with IIBF Mumbai for certification course on KYC-AML/ Compliance and 1314 employees have been certified during FY24.
- Competency Assessment was conducted for 356 Executives through ASCI, Hyderabad.
- Vertical-wise trainings were imparted to officers on Advanced Forex Program, Advanced Credit Program, Advanced financing High Value Agri/Horticulture & Allied Projects, IS Security Agile and Digital Adoption.



Mr. Sunil of Indian bank has scaled Mount Everest, the highest peak in the world and Mount Lhotse, the 4th highest peak

14. CUSTOMER SERVICE

Bank is launching various products & services from time to time to meet the Customer needs and to improve the level of Customer satisfaction

MODES OF GRIEVANCE REDRESSAL:

- National Helpline is available 24X7 with Toll free number **18004250000**.
- Customers can lodge complaint through e-mail to **customercomplaints@indianbank.co.in**
- Customers can lodge complaint online 24x7 through CGRS portal.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005:

RTI Cell under Customer Service Department at Corporate Office is handling the applications, first appeals & second appeals. All the Applications are disposed within the stipulated timeline.

15. INFORMATION SYSTEM SECURITY

Bank believes in providing services to its customers safely and securely by keeping customer data security as the paramount goal without compromising the quality of banking services. The CIA triad of Confidentiality, Integrity, and Availability is at the heart of architecting the comprehensive information security framework. The Bank also emphasizes and implements protection from a plethora of hacktivist attempts which spans from phishing simulation, multi-factor authentication and awareness initiatives, and provides simple and secure solutions to the customers.

The Key elements of the security strategy:

- Layered 'Defense-in-Depth' strategy providing multiple lines of defense across the technology layer.
- Strong framework of governance in the technology landscape is in place.
- Dedicated teams focusing on cybersecurity and fraud risk management are put in place.
- Working towards zero-trust architecture and state of art security systems.
- 24x7 monitoring and surveillance of systems by agile teams.
- Stringent security and gating controls at the time of inducting new applications or servers.
- Periodic external security assessments by CERT-In empaneled service providers to ensure confidence in the internal controls.

- The Bank is certified for ISO 27001:2013 Information Security Management System.

16. INTERNAL CONTROLS

a) INSPECTION

- Risk Based Internal Audit encompasses all branches and business units.
- 1118 branches have been covered under concurrent audit covering 71.82% of domestic advances, in addition to all Specialized Verticals and select departments of Corporate Office.
- Management audit was conducted in 90 Zonal Offices, 14 FGMOs and 34 Corporate Office Departments during FY24.
- Information System Audit, Vulnerability Assessment and Penetration Testing of post amalgamation IT infrastructure including hardware, operating system, database, application(s), network, security devices and Process & People were carried out by an external audit firm during the period of review.
- Offsite monitoring software has been implemented to raise 34 types of alerts to branches.

b) FRAUD RISK MANAGEMENT:

Enterprise Fraud Risk Management (EFRM):

In order to provide safe and secure digital banking journey, Bank has deployed EFRM Solution that monitors suspicious and fraudulent transactions taking place on digital channels. Currently, the EFRM is integrated with ATM, PoS, E-Com, Retail/Corporate INB, INDOASIS, UPI, AEPS, Credit Cards, CBS & Exim Bills.

Cyber Fraud Risk Management (CFRM) Cell:

To combat cybercrimes, the Ministry of Home Affairs has rolled out a dedicated cybercrime reporting portal (www.cybercrime.gov.in) and a helpline number 1930. CFRM Cell at Corporate Office is working in multiple shifts on 24x7 basis to attend the customer concerns regarding cyber frauds reported in the cybercrime reporting portal.

Cyber Fraud Awareness, through regular e-mail, SMS, educational video on social media, etc., has been created amongst customers for safe digital transactions to prevent cyber fraud.

Performance for the Financial Year 2023-24 with regard to Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) guidelines:

Bank has well defined KYC-AML-CFT (Combating the Financing of Terrorism) Policy, which is the foundation on which the Bank’s “implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002”.

- Bank has adopted an AML application which is capable of monitoring customers’ transactions from Money Laundering(ML)/Terrorist Financing (TF) perspective under the purview of 94 Red Flag Indicators (RFIs) suggested by Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). Additionally, the application enables customer name screening against the major sanctioned lists published by the Regulators world-wide and facilitates generation of automated AML alerts for scrutiny of transactions of suspicious nature.
- The “AML Software” generates system-based alerts on the basis of transactions in the accounts of the customers and Bank submits Suspicious Transaction Reports (STR), Cash Transaction Reports(CTR) and other mandatory reports to the FIU-IND after being satisfied about the nature of suspicion of related transaction/activity.
- Central KYC Registry (CKYCR) - In tune with RBI directions, Bank is uploading KYC data onto the CKYCR portal.
- Bank has introduced hassle-free New CIF opening process using CKYCR ID of the customers.

17. COMPLIANCE

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by General Manager & Chief Compliance Officer has been set up in the Bank which monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank’s functioning.

18. VIGILANCE

Vigilance department is responsible for the vigilance administration in the Bank. It is headed by Chief Vigilance Officer (CVO), who is the Nodal Officer in

respect of vigilance related matters of the Bank to liaise with CVC, GOI, RBI, CBI etc. It is functioning in a proactive manner with main focus on

- Preventive vigilance initiatives
- Suggesting systemic improvements to the Bank’s administration
- Close monitoring to ensure conduct and completion of vigilance-related disciplinary cases by the respective Disciplinary Authorities in line with the CVC guidelines
- Conduct of vigilance inspection of branches identified for the financial year.
- Conduct of investigation of complaints having vigilance overtone and frauds, through Field Vigilance Units/Zonal Offices.

Workshop on “Vigilance Awareness and Preventive Vigilance” was conducted at Field General Manager Offices in FY24 duly participated by officials from FGMOs, Zones and different verticals to emphasize on the importance of various preventive mechanisms.

Vigilance Awareness Week (VAW) 2023:

- VAW was observed from 31st October to 05th Nov’23 on the theme “Say no to corruption, commit to the Nation”. Webinars conducted with online streaming over You Tube channels which were addressed by eminent personalities from the various walks of the society.

19. SECURITY

- All the branches are equipped with Electronic Burglar Alarm systems, Fire Alarm systems and High Definition DVR / NVR based CCTV solutions. Security Inspection of branches are being undertaken with specific emphasis on high Jewel loan branches.
- 24x7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) with centralized monitoring is implemented in Bank’s own ATMs, across the country.
- GPS based Tracking devices are installed in Bank’s Cash Vans.
- Bi-Annual Fire Audits have been conducted in all Currency Chests as per RBI Guidelines.

20. PREMISES

- Corporate Office of the Bank at Chennai is classified as Green Building with Gold Rating Status.
- Bank has implemented 93 KWP Solar Power Plant at IMAGE Auditorium, 106 KWP Solar Power Plant in Head Office / Corporate office buildings, 115 KWP Solar Power Plant in 11 branches across Chennai city and 80 KWP in other places.
- Lighting sensors have been installed in Corporate Office and Head Office buildings and Bank is planning to extend the same to all Zonal Offices/ Branches across the country.
- All the branches/offices have been provided with LED fittings

21. MARKETING:

Social Media Branding Initiatives

The Bank is proactively present on its official social media platforms viz. Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, and LinkedIn to effectively leverage the product promotion besides engaging with users by sharing various achievements, commemorative events and customer facing activities. It helped the Bank to surpass its followers count by more than 2.7 million by the end of FY 24.

Automated Digital Signage (ADS) Implementation

Bank has strategically deployed 2229 ADS across potential branches and offices to keep the internal and external audience updated about its products, services, regulatory updates and cyber security aspects.

AI-Powered Chatbot

Bank's website has been enriched by integrating ADYA, the AI-powered Chatbot with capabilities to address user queries round the clock using Advanced Natural Language Processing Algorithm. Guided menus are available to addresses the requests like Product enquiry, Balance Enquiry, Account Statement, Cheque Book application, Leads generation etc.

Celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM)

Under the flagship initiative of Govt of India "Azadi Ka Amrit Mahotsav", various public facing activities were undertaken by the Bank to reaffirm its commitment towards upliftment of downtrodden and

underprivileged strata of the society. The activities include observance of 'Meri Mati Mera Desh', planting of 'Vatikas', saluting the 'Veers' apart from 'Har Ghar Tiranga'. A month long 'Anna Sewa Abhiyaan' was undertaken covering various children homes, orphanages, old age homes, cancer patients' shelters etc.

22. CORPORATE COMMUNICATION:

External Communication

- During FY 2023-24, the Bank initiated various activities to improve customer engagement by offering customer centric products and services; publicizing various welfare schemes of the Government and achievements of the Bank.
- The Bank utilized physical and virtual platforms to facilitate communication to various stakeholders through press conferences, meets and special interviews of Top Management on various occasions.
- Wide coverage was received from major national dailies and TV channels during various occasions such as declaration of Financial Results, Launch of products, outreach activities, Swachhata Pakhwada, CSR activities, 117th Foundation Day Celebrations etc.
- Advertisement campaigns were carried out by way of Out of Home(OOH) across major cities in the country through Trivision boards, Glow Ball Towers, LED digital screens etc
- During Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) Anchor Month, Bank AKAM Theme based advertisement were released in South Indian Language leading Newspapers, Television Channels and FM Radio

Corporate Social Responsibility (CSR):

- Bank's commitment to make a positive difference in the lives of marginalized sections of the society in the country has been demonstrated through various CSR initiatives.

For carrying out CSR activities the major focus areas are Inclusive Growth, Financial literacy & Enhancing Vocational Skills, Green Initiative & Environmental Sustainability reducing carbon footprints, Gender Equality & Women Empowerment and Health & wellness.

CSR Highlights

The various CSR initiatives of the Bank solidify Bank's commitment towards the betterment of communities as well as natural environment. Photographs of some of the CSR activities undertaken by the Bank are shared below:



Shri S L Jain, MD&CEO handed over the keys of two wheelers to Cancare Foundation for providing doorstep services to terminally ill cancer patients. Bank also sponsored chemotherapy sessions for Cancer patients through the foundation.



Provided Mahindra Bolero to NIEPMD, Kovalam for carrying out outreach activities for disabled people



Sponsored Defibrillators to Department of Health, Puducherry for providing emergency treatment to cardiac patients.



Sponsored school bags, desks and benches at Ayappakam Govt GHSS, Chennai as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav Anchor Month



Shri S L Jain, MD&CEO handed over electric bells to Government schools in Udaipur

23. SPORTS

Achievement of our Employees in various fields at International/National level during the year 2023 - 24.



Athletics

Our athlete Ms Giridharini (Fastest Women in our Country) secured Gold medal in the 100 mts run at 62nd National Open Athletic meet at Kanteervava Stadium in Bengaluru on October 2023.

Basketball

Our Basketball Players Messrs. P Baladhaeshwar, Muin Bek Hafeez and Prashanth Singh Rawat represented Indian Senior Men Team in FIBA Asia Cup 2023, World Cup Qualifiers, Pre-Olympic Qualifiers and Asian Games 2023.



All India Basketball Tournament – (Winners)
 Karur



All India Basketball Tournament – (Winners)
 Nuzwid-Andhra Pradesh

Parashooting



Ms.Pooja Agarwal won the Gold medal in LIMA World Championship 2023 held at Peru on September 2023.

Volleyball



Our Volleyball Player Mr. L.M.Manoj represented Indian Senior men Volleyball team in Asian Games 2023.

24. OFFICIAL LANGUAGE CELL

- Ranchi and Kolkata North Zonal Offices were awarded for Implementation of Official Language by Regional Implementation Office (Department of Official Language, Government of India).
- Special Communicative Tamil workshops were conducted for Non – Tamil Speaking Officers by IMAGE as an initiative to promote regional language.
- Conversational Booklets were prepared in Telugu, Tamil, Marathi, Gujarati, Bangla & Malayalam and distributed to staff members posted in various Zones.



अंतर – बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने हेतु इंडियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा 'चैम्पियन ट्रॉफी' प्रदान की गई। हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ट्रॉफी प्राप्त करते हुये।

"Champion Trophy" was awarded to Indian Bank by the Regional Director, Reserve Bank of India (Chennai) for obtaining the highest number of prizes in the inter-bank Hindi competitions. The Trophy was received by Managing Director and Chief Executive Officer.



दिनांक 09.06.2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व वि.सं.), चेन्नै की अर्धवार्षिक बैठक के दौरान हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 'आओ बांग्ला सीखें' पुस्तिका का विमोचन किया गया।

"Aao Bangla Sikhein" booklet was released by Managing Director and Chief Executive Officer during the half-yearly meeting of the Town Official Language Implementation Committee (Banks and FI), Chennai on 09.06.2023.



लोनावाला (पुणे) में निरीक्षण के दौरान राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा "आओ मलयालम सीखें" पुस्तिका का विमोचन किया गया।
 "Aao Malayalam Sikhein" booklet was released by the Deputy Chairman of the Committee on Official Language during the inspection at Lonavala (Pune).

25. AWARDS & ACCOLADES



Marksmen Daily
 Most Preferred Workplace in BFSI sector for 2023-24



BFSI Award to Bank for Use of Emerging Technology in Banking Industry for Adoption of Cloud Computing for AIX Environment
 Shri Deepak Sarada, CGM IT & Partnership CTO/CIO for the Best Digital Transformation Leader CTO – FY23



IBA 19th Annual Banking Technology Conference, Expo & Citations – Best Technology Bank – Special Mention



Roll of Honour: DSIJ's 2023 Banking Award in Fastest Growing Bank (Public Sector) category

Awards under APY received in FY24:

APY LEADERSHIP PINNACLE Campaign for MD & CEO of Banks: Bank topped all PSBs with achievement 181.95% of the target and received Exemplary Award of Par Excellence.

APY CIRCLE OF EXCELLENCE for Campaign for EDs of Banks: Bank topped all PSBs with achievement 178.42% of the target and received Exemplary Award of Par Excellence.





APY National Championship Cup for Sponsor Banks and RRBs – 2nd Position amongst all Teams – Received APY Championship Trophy of Par-Excellence along with APY Championship Exemplary Award.



APY Award of Excellence presented to Bank by PFRDA for achieving 243% of Target (Target 85360: Achievement 207249)

26. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

- The Bank has three sponsored RRBs viz. Tamil Nadu Grama Bank (TNGB), Saptagiri Grameena Bank, Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Salem (Tamil Nadu), Chittoor (Andhra Pradesh) and Puducherry (UT of Puducherry) respectively.

Business Position as on 31.03.2024

(₹ in Cr)

S. No.	Name of RRB	No. of Branches	Deposits	Advances	Business	Net Profit	Net NPA %	CRAR %
1	Tamil Nadu Grama Bank	663	20783	25130	45913	438	0	13.02
2	Saptagiri Grameena Bank	245	13146	12817	25963	375	0	15.85
3	Puduvai Bharathiar Grama Bank	47	1319	1340	2659	19	0	10.39
	Total	955	35248	39287	74535	832	0	-

- In respect of three RRBs, the branch network has increased by 20 from 935 (March 2023) to 955 Branches (March 2024). The total business of the three RRBs was ₹ 74535Cr as of March 2024 as compared to ₹ 64727 Cr as of March 2023 (YoY growth of 15.15%).
- All the three RRBs are profit making.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY and APY programmes of Govt. of India. The three RRBs are covering 1210 SSA villages under PMJDY and have opened 14.67 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 17.50 lakh beneficiaries under PMSBY, 8.76 lakh beneficiaries under PMJJBY and 3.40 lakhs under APY Scheme.

27. Subsidiaries and Joint Ventures

Universal Sompco:

- A Consortium of credible Public & Private Corporate entities from India and Sompco of Japan as promoter - Incorporated and licensed in 2007.
- Bank's shareholding is 28.52%
- Net Profit witnessed YoY growth of 9% from ₹177 Cr in Mar'23 to ₹193 Cr in Mar'24.

Ind Bank Merchant Banking Services

- In the business of Stock Broking & DP
- Listed on NSE and BSE
- Bank's shareholding is 64.84%. In FY24, the subsidiary registered a YoY growth of 163% under Net Profit and earned income of ₹16.01 Cr under stock broking.

Ind Bank Global Support Services

- A Wholly Owned Subsidiary of Indian Bank, incorporated on 09.02.2024 with an authorised and paid-up Capital of ₹10 Cr to offer comprehensive outsourcing solution for various banking operations as permitted by RBI.
- Pilot operations commenced from Chennai Office for sourcing of new customers for Savings accounts, Term Deposits, Home loans, Vehicle loans etc and Overdue collection across Retail Assets.

Business Responsibility & Sustainability Report

Business Responsibility and Sustainability Report for the FY 2023-24 is available on the Bank's **website www.indianbank.in** under the following link:

<https://www.indianbank.in/departments/annual-reports/>

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and four Executive Directors are the Whole Time Directors appointed

by the Government of India. The Board of Directors is constituted as per the provisions under section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Directors other than Shareholder Director (in our case two) are nominated /appointed by the Govt. of India.

2.2 Committees of Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank:

- Management Committee of the Board (MCB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- IT Strategy Committee (IT Com)
- Customer Service Committee (CSC)
- Committee of Directors (Vigilance) (COD Vig)
- Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) (SCMLVF)
- Share Transfer Committee (STC)
- Stakeholders Relationship Committee (SRC)
- H R Committee (HR Com)
- Committee for monitoring of Recovery (CMR)
- Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases (BACDC)
- Review Committee for Willful Defaulters (RCWD)
- Review Committee for Non Co-operative Borrowers (RCNCB)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Nomination and Remuneration Committee (NRC)
- Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and

planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2024 was as under:

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment / Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
1	Shri S L Jain	MD & CEO	01.09.2021	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Wilful Defaulters 10. Review Committee for Non-Cooperative Borrowers 11. Credit Approval Committee	1. Universal Sampo General Insurance Company Limited 2. Indian Institute of Banking and Finance	695
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee	Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	1290

3	Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Committee of Directors (Vigilance) 5. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 6. IT Strategy Committee 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Share Transfer Committee 9. HR Committee 10. Committee for Monitoring of Recovery 11. Credit Approval Committee 	Indbank Global Support Services Ltd	-
4.	Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee 	-	-
5	Shri Brajesh Kumar Sing	Executive Director	10.03.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Committee of Directors (Vigilance) 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. IT Strategy Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Share Transfer Committee 8. HR Committee 9. Committee for Monitoring of Recovery 10. Credit Approval Committee 	-	-

6	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Govt. Nominee Director	14.09.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Management Committee 2. Committee of Directors (Vigilance) 3. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 4. IT Strategy Committee 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Board Committee for Performance Evaluation (Chairman) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. General Insurance Corporation of India 2. LIC of India 3. NABARD 	-
7	Smt. K. Nikhila	RBI Nominee Director	14.07.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Committee of Directors (Vigilance) 	-	-
8	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non Official Director	21.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of the Board 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee 4. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 5. Stakeholders Relationship Committee 6. Share Transfer Committee 7. HR Committee 8. Board Level Appellate Comm. for Disciplinary Cases 9. Nomination and Remuneration Committee 	-	-
9	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non Official Director	21.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of the Board 2. Risk Management Committee 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Board Level Appellate Comm. For Disciplinary Cases 6. Review Committee for Non Co-operative Borrowers 7. Nomination and Remuneration Committee 	V G Corporate Management Pvt Ltd.	-

10	Smt. Papia Sengupta	Shareholder Director	29.10.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Risk Management Committee 3. IT Strategy Committee 4. Committee for Monitoring of Recovery 5. Board Level Appellate Comm. for Disciplinary Cases 6. Review Committee for Willful Defaulters 7. Review Committee for Non Co-operative Borrowers 8. Nomination and Remuneration Committee 9. Board Committee for Performance Evaluation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Investment Trust of India 2. Andhra Paper Ltd. 	200
11	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	09.03.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of the Board 2. Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) 3. IT Strategy Committee 4. Stakeholders Relationship Committee 5. Share Transfer Committee 6. HR Committee 7. Review Committee for Willful Defaulters 8. Nomination and Remuneration Committee 9. Board Committee for Performance Evaluation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IDBI Trusteeship Services Ltd. 2. Trustees Association of India 	205

Note:

- (i) None of the directors on the Board are members in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.
- (ii) There is no inter-se relationship between Directors.
- (iii) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2023-24 and that the reporting structures of the listed entity, formal and informal are consistent with the same.
- (iv) In the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.
- (v) During FY 2023-24, there has been no instance of resignation by any of the Independent Directors.
- (vi) Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (vii) Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director attended meeting of Audit Committee of the Board as invitee.
- (viii) Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.

(ix) Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.

2.6.1 The profiles of the directors who were appointed / nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2023-24 are furnished hereunder:

2.6.2 Smt. K. Nikhila, RBI Nominee Director:

Smt K Nikhila holds a Post Graduate Degree from Utkal University, Bhubaneswar. She is a Certified Associate of the IIB&F. She joined the Reserve Bank of India in 1995 as an Officer. Over the last 28 years, she served in various capacities in RBI's Regional Offices at Chennai, Hyderabad & Navi Mumbai and also in various Central Office Departments in Mumbai. Her areas of expertise include Supervision, Enforcement, Information Technology, Consumer Protection, Financial Inclusion and Currency Management. She was a member of the Sub-group on Financial Consumer Protection and Financial Literacy at the Global Partnership for Financial Inclusion for a year.

She also briefly held the post of Director, IDRBT. She was on deputation for a year to the Government of combined Andhra Pradesh as Officer on Special Duty.

She is presently the Regional Director of RBI for the State of Telangana.

2.6.3 Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director:

Shri Ashutosh Choudhury is a MBA professional and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has rich banking experience of more than 2 decades. Prior to joining as Executive Director of Indian Bank, he was serving as Chief General Manager & Group CRO of Punjab National Bank.

Shri Ashutosh Choudhury rose through ranks serving various offices of four Public Sector Banks viz. Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, United Bank of India and Allahabad Bank. His work experience includes working in Enterprise Risk Management, Strategic Planning, MSME & Retail Credit, Profit Centric Operations, Fintech & Digital Banking, Treasury, Corporate Credit, Micro Finance & Financial Inclusion, Balance

Sheet Management.

He has also completed Executive Leadership Development Programme of IIM Bangalore.

He has also served as Director in the Board of PNB Gilts, a subsidiary of PNB, functioning as Primary Dealer (PD) in Indian capital & debt market.

2.6.4 Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director:

Shri Shiv Bajrang Singh is a Post Graduate and a MBA professional. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has completed Leadership Development Programme of IIM for Senior Management of Public Sector Banks.

He has rich banking experience of more than 3 decades. During his tenure, he worked in all key banking functions in various capacities viz., Rural, Treasury & FX, MSME, HRM, Business Process Re-engineering.

Shri Singh has business development background which comes from his strategic positioning as Zonal Manager and Deputy Zonal Manager. He has also worked in various verticals at the administrative offices.

At the Corporate level, he has steered the MSME Department, Finance, Planning & Strategic Intelligence and Human Resource Department with his expertise.

He has also served as Chairman of RRB-Arayavart Bank for a period of 5 Years. He is actively involved in academics also with more than 45 publications in Journals of national and international repute. He has served as visiting / guest faculty to Apex Training Institutes of the Industry such as Bankers Training College (RBI), National Institute of Bank Management (NIBM) and Bankers Institute of Rural Development (BIRD).

2.6.5 Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director:

Shri Brajesh Kumar Singh is an Agriculture graduate from Allahabad Agriculture Institute and MBA Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

He has rich banking experience of more than 28 years. Prior to joining as Executive Director of Indian Bank, he was serving as Chief General Manager HR of Bank of Baroda. He has also completed

Executive Leadership Development Programme at IIM Bangalore.

Shri Brajesh Kumar Singh has worked in various strategic positions viz. Credit Officer, Branch Head, Loan Factory Head, Regional Head, Zonal Head. He was also Convenor of State level Bankers Committee. His business exposure includes Overseas tenure at Durban, South Africa. At Corporate Office, he has steered Retail Assets and Human Resource Management departments with his rich expertise.

He has also served as Director in the Board of Bank of Baroda UP Gramin Bank.

2.6.6 Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director:

Shri Pradeep Kumar Malhotra, Managing Director & CEO of IDBI Trusteeship Services Limited, deputed by LIC of India. He has rich experience of over three decades in various capacities including in Individual & Corporate Marketing, LIC Housing Finance Limited, Legal & Corporate Strategy and Investment functions of Life Insurance Corporation of India. He has more than 12 years of experience in managing diverse Investment Functions such as Debt, Equity, Treasury, and ULIP Fund Management.

He has also represented LIC of India, his parent company on the Advisory Board/ Investment Committee of many Venture Funds. He was secretary in the high powered Investment Committee of LIC of India.

He has also worked as Chief (Legal) in the Corporate office of LIC of India overlooking various legal functions of the financial behemoth.

He is a qualified Engineer, graduated from Delhi College of Engineering besides being a Fellow of Insurance Institute of India. He has reached highest level in NSE Certification of Financial Market (NCFM) and is also a qualified Company Secretary (Executive level).

He has attended different Leadership programs from ISB, IIM Ahmedabad and other Premium Institutions; and has attended various seminars conducted in India and Overseas.

2.7 The details of cessation of directorship during FY 2023-24 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	01.06.2023	Elevation as MD & CEO of UCO Bank
2.	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2024	Completion of term of appointment
3.	Dr. Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	14.07.2023	GOI Notification No. eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14.07.2023
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	07.02.2024	Completion of term of appointment

3. Credentials of members of Board of Directors:

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
1	Shri Shanti Lal Jain	MD & CEO	Executive	M Com, CA, CS and CAIIB	CA, CS and Banking

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	Executive	B.Sc., M.Sc in applied Mathematics, B.Ed., CAIIB, Leadership Programme from IIM, Bangalore, Program on Corporate Affairs from Indian Institute of Corporate Affairs.	Banking
3	Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	Executive	MBA, Executive Leadership Development Program from IIM Bangalore	Banking
4.	Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	Executive	MA / MBA, Leadership Development Program from IIM for Senior Management of PSBs.	Banking
5	Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	Executive	B.Sc. (Agri), MBA (Finance), Executive Leadership Development Program from IIM Bangalore	Banking
6	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Govt. Nominee Director	Non-Executive GOI Nominee Director	B.E., P.G.D.M., LLB, M.Phil., PhD	Public Administration
7	Smt. K. Nikhila	RBI Nominee Director	Non-Executive RBI Nominee Director	M.Sc., Certified Associate of IIB&F	Supervision, Enforcement, Information Technology, Consumer Protection, Financial Inclusion and Currency Management
8	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non Official Director	Non-Executive Independent Director	B. Com., CA	Chartered Accountant, Assurance, Taxation and Finance
9	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non Official Director	Non-Executive Independent Director	M. Com.	Agriculture, Rural Economy, Small Scale Industries
10	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	Non-Executive Independent Director	B. Sc., CAIIB, CFA	CFA, Banking
11	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	Non-Executive Independent Director	Engineering, B.E. (Civil), Fellow of Insurance Institute of India (FIII), NCFM (level 5), CS (Executive Level)	Marketing, Insurance, Finance, Legal & Corporate Strategy and Investment Function

3.1 Details of the Board / Committee meeting held during financial year 2023-24:

Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2023-31.03.2024):

Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	IT Com	SCM LVF	CSC	HR Com	STC	CAC	CF MR	BAC DC	RC NCB	NRC	RC WD	BC PE
1	Shri Shanti Lal Jain	17	28	-	11	4	-	6	6	5	6	-	27	5	-	-	-	3	-
2	Shri Imran Amin Siddiqui*	13	24	14	9	4	1	4	6	4	2	2	24	2	-	-	-	-	-
3	Shri Ashwani Kumar#	4	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
4	Shri Mahesh Kumar Bajaj	17	28	15	11	4	1	6	6	5	6	2	26	5	-	-	-	-	-
5	Shri Ashutosh Choudhury@	15	26	13	10	4	-	6	6	4	5	2	26	5	-	-	-	-	-
6	Shri Shiv Bajrang Singh\$	9	12	7	5	2	-	3	2	3	3	-	13	3	-	-	-	-	-
7	Shri Brajesh Kumar Singh**	2	2	1	2	-	-	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
8	Dr. M P Tangirala	10	-	-	6	2	-	3	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Dr. Aditya Gaiha##	4	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ms. K Nikhila@@	9	14	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Shri Balmukund Sahay	17	-	16	11	-	1	-	6	5	6	2	-	-	-	-	2	-	-
12	Shri Vishvesh Kumar Goel	17	-	16	11	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-
13	Dr. Bharath Krishna Sankar\$\$	14	-	13	-	-	-	3	6	-	4	1	-	-	-	-	1	3	1
14	Ms. Papia Sengupta	17	25	-	11	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	3	1
15	Shri Pradeep Kumar Malhotra***	2	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

* Executive Director upto 09.03.2024.

Executive Director upto 31.05.2023.

@Executive Director from 03.05.2023.

\$ Executive Director from 09.10.2023.

** Executive Director from 10.03.2024.

##RBI Nominee Director upto 13.07.2023

@@RBI Nominee Director from 14.07.2023

\$\$Shareholder Director upto 06.02.2024

***Shareholder Director from 09.03.2024

During the financial year 2023-24, 17 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Board	Number of Directors Attended the meeting
1	25.04.2023	10	9
2	02.05.2023	10	10
3	08.05.2023	11	11
4	29.05.2023*	11	11
5	30.05.2023*	11	11
6	23.06.2023#	10	8

7	27.07.2023	10	10
8	05.09.2023	10	8
9	26.10.2023	11	11
10	12.12.2023#	11	11
11	28.12.2023	11	11
12	24.01.2024	11	9
13	30.01.2024*	11	10
14	31.01.2024*	11	10
15	22.02.2024	10	9
16	26.03.2024	11	11
17	28.03.2024	11	9

* Strategy Board Meeting

Sequence Board Meeting

4. Committees of the Board:

4.1 Management Committee of the Board:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The committee is reconstituted from time to time. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise, write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member
7.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member

4.1.2 Details of meetings:

The Committee met 28 times during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	10.04.2023	6	6
2.	27.04.2023	6	5
3.	10.05.2023	7	6
4.	18.05.2023	7	6
5.	02.06.2023	6	5
6.	12.06.2023	6	5
7.	19.06.2023	6	6
8.	27.06.2023	6	6
9.	13.07.2023	6	6
10.	24.07.2023	6	6
11.	09.08.2023	6	6
12.	31.08.2023	6	6
13.	11.09.2023	6	6
14.	26.09.2023	6	5
15.	17.10.2023	7	6
16.	20.10.2023	7	7
17.	07.11.2023	7	5
18.	23.11.2023	7	7
19.	27.11.2023	7	6
20.	08.12.2023	7	7
21.	27.12.2023	6	6
22.	30.12.2023	6	6
23.	11.01.2024	7	6
24.	22.01.2024	7	5
25.	12.02.2024	7	7
26.	28.02.2024	7	6
27.	16.03.2024	7	7
28.	26.03.2024	7	7

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and the same is reconstituted from time to time. Its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.

- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports and all the issues/concerns raised in the inspection reports of RBI.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The composition of Audit Committee of the Board as on 31.03.2024 was as under:-

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Chairman
2.	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member
3.	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Member
4.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director.	Member

Invitees:

1. Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director
2. Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director
3. Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director
4. Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director

4.2.2 Details of meetings:

During the period from 01.04.2023 to 31.03.2024, 16 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	08.05.2023	4	4
2.	05.06.2023	4	4
3.	22.06.2023	4	3
4.	27.07.2023	4	4
5.	02.08.2023	4	4
6.	22.08.2023	4	4
7.	04.09.2023	4	3
8.	26.09.2023	4	4
9.	26.10.2023	4	4
10.	15.11.2023	4	4
11.	04.12.2023	4	4
12.	22.12.2023	4	3
13.	24.01.2024	4	3
14.	20.02.2024	3	3
15.	06.03.2024	3	3
16.	20.03.2024	4	4

4.3 Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003 and the committee was reconstituted from time to time. The functions/ responsibilities of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
- Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The composition of Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2024 was as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri S L Jain, MD & CEO	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member
6.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

Invitees:

- (i) Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Directors
- (ii) Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Directors
- (iii) Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Directors
- (iv) Shri Himadri Bhattacharya, domain expert (Special Invitee)

4.3.2 Details of meetings:

The Committee met 11 times during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Risk Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	02.05.2023	6	6
2.	22.06.2023	6	5
3.	25.07.2023	6	5
4.	04.09.2023	6	6
5.	21.10.2023	6	5
6.	14.11.2023	6	6
7.	21.12.2023	6	5
8.	22.01.2024	6	5
9.	21.02.2024	6	5
10.	19.03.2024	6	5
11.	22.03.2024	6	6

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee is reconstituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The members of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Member
7.	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member

4.4.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1.	23.06.2023	6	4
2.	04.09.2023	6	5
3.	28.12.2023	7	7
4.	22.02.2024	7	6

4.5 Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.5.1 Composition of the Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The composition of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2024 stands as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director.	Member

4.5.2 Function of Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The role of the committee, inter-alia, include the following:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

4.5.3 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	05.06.2023	4	3

4.6 IT Strategy Committee:

IT Strategy Committee was set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones. The committee is reconstituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Strategy Committee (ITSC):

The members of the IT Strategy Committee (ITSC) as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Chairman
2.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Member
3.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
4.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
5.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
6.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
7.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Member
8.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
9.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

Representative of IDRBT, domain expert, IT consultant and CISO are Special Invitees to Committee meetings.

4.6.2 Details of meetings:

This Committee held 6 meetings during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	11.05.2023	9	8
2.	23.06.2023	8	8

3.	10.08.2023	8	7
4.	27.11.2023	9	8
5.	20.03.2024	9	8
6.	22.03.2024	9	7

4.7 Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of Rs.1 crore and above. The Committee is reconstituted from time to time.

4.7.1 Composition of Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The members of the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain - MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Member
7.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member
8.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

4.7.2 Details of meetings:

The Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) held 6 meetings during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)	Number of Directors Attended the meeting
1.	15.06.2023	7	6
2.	10.08.2023	7	6
3.	06.10.2023	7	6
4.	14.11.2023	8	8
5.	21.12.2023	8	6
6.	21.02.2024	8	7

4.8 Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004 and was reconstituted from time to time. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member

4.8.2 Details of meetings:

The Committee held 5 meetings during the period 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	05.06.2023	5	4
2.	06.10.2023	5	5
3.	11.12.2023	6	6
4.	21.02.2024	6	6
5.	22.03.2024	6	6

4.9 Nomination and Remuneration Committee of the Board:

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 based on RBI / DFS guidelines for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board. The Committee is reconstituted from time to time.

4.9.1 Composition of Nomination and Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member
4.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director.	Member

4.9.2 Details of meetings:

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the NRC Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	15.06.2023	4	4
2.	08.03.2024	3	3

4.10 Board Committee for Performance Evaluation

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs and EDs and to set up KRAs of MD & CEO for recommending to Board. The Committee is reconstituted from time to time.

4.10.1 Composition of Board Committee for Performance Evaluation:

The members of the Board Committee for Performance Evaluation as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

4.10.2 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Performance Evaluation	Number of Directors Attended the meeting
1.	21.12.2023	3	3

4.11 Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation 2A of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee is reconstituted from time to time.

4.11.1 Composition of Share Transfer Committee:

The members of the Share Transfer Committee of the Board as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Chairman
2.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member
6.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

4.11.2 Details of meetings:

The Committee held 2 meetings during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Share Transfer Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	04.09.2023	5	5
2.	20.02.2024	5	4

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by the Government of India. The Committee is reconstituted from time to time.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	General Manager (Corporate Credit)	Member
7.	General Manager (CFO)	Member
8.	CGMs / GMs / DHs presenting the Credit / Expenditure / other proposals)	Member

General Manager (CRO) and CCO are Attendees

As different General Managers / Department Heads deals with Credit & Expenditure Proposals, the General Manager / Department Head concerned become member of the Committee for the respective proposal.

4.12.2 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held 28 meetings during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024, as detailed below:

Sl. No.	Date of Meeting	Number of WTDs on the Credit approval Committee of Board	Number of WTDs Attended the meeting
1.	27.04.2023	4	4
2.	26.05.2023	5	4
3.	20.06.2023	4	4
4.	28.06.2023	4	4
5.	14.07.2023	4	4
6.	28.07.2023	4	4
7.	09.08.2023	4	4
8.	21.08.2023	4	4
9.	01.09.2023	4	4
10.	07.09.2023	4	4
11.	14.09.2023	4	4
12.	28.09.2023	4	4
13.	12.10.2023	5	5
14.	21.10.2023	5	5

Sl. No.	Date of Meeting	Number of WTDs on the Credit approval Committee of Board	Number of WTDs Attended the meeting
15.	04.11.2023	5	5
16.	16.11.2023	5	5
17.	11.12.2023	5	5
18.	12.12.2023	5	5
19.	19.12.2023	5	5
20.	30.12.2023	5	5
21.	18.01.2024	5	5
22.	29.01.2024	5	4
23.	06.02.2024	5	5
24.	22.02.2024	5	5
25.	23.02.2024	5	4
26.	18.03.2024	5	5
27.	21.03.2024	5	5
28.	27.03.2024	5	4

4.13 Review Committee for Non Co-operative Borrowers:

The Review Committee for Non Co-operative Borrowers was constituted on 23.01.2015 to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non Co-operative Borrowers classifying the borrower as Non Co-operative Borrower as per RBI guidelines and is reconstituted from time to time.

4.13.1 Composition of the Review Committee for Non Cooperative Borrowers:

The members of the Review Committee for Non Co-operative Borrowers as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.13.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024.

4.14 Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. The Committee is reconstituted from time to time.

4.14.1 Composition of Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The members of the Board Level Appellate Committee of the Board as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.14.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024.

4.15 HR Committee:

The HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The committee is reconstituted from time to time.

4.15.1 Composition of the HR Committee:

The members of the HR Committee of the Board as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Member
7.	Shri Balmukund Sahay, Part-time Non Official Director	Member
8.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

4.15.2 Details of meetings:

The Committee met 6 times during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on HR Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	25.04.2023	7	6
2.	05.09.2023	7	6
3.	21.10.2023	8	7
4.	21.12.2023	8	6
5.	19.03.2024	8	7
6.	22.03.2024	8	8

4.16 Review Committee for Wilful Defaulters:

Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 30.03.2015. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters. The Committee is reconstituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Review Committee of Willful Defaulters:

The members of the Review Committee of Willful Defaulters as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
3.	Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director	Member

4.16.2 Details of meetings:

The Committee met 3 times during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Review Committee of Willful Defaulters	Number of Directors Attended the meeting
1.	25.04.2023	3	3
2.	15.06.2023	3	3
3.	14.11.2023	3	3

4.17 Committee for Monitoring of Recovery:

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as Sale of Assets Committee (SAC) and other field level functionaries in the Bank. The Committee is reconstituted from time to time.

4.17.1 Composition of the Committee for Monitoring of Recovery:

The members of Committee for Monitoring of Recovery as on 31.03.2024 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1.	Shri Shanti Lal Jain, MD & CEO	Chairman
2.	Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director	Member
3.	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4.	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5.	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6.	Dr. M P Tangirala, GOI Nominee Director	Member
7.	Ms. Papia Sengupta, Shareholder Director	Member
8.	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non Official Director	Member

4.17.2 Details of meetings:

The Committee held 5 meetings during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Monitoring of Recovery	Number of Directors Attended the meeting
1.	14.06.2023	7	5
2.	05.09.2023	7	5
3.	11.12.2023	8	8
4.	21.02.2024	8	7
5.	22.03.2024	8	6

5. Senior Management :

Details regarding changes in Chief General Manager (Senior Management) during the FY 2023-24 is as under:

Sl. No.	Name	Date of becoming Chief General Manager(CGM)	Date of Separation from Bank
1.	Shri Binoy Kumar Singh	31.03.2023	NA
2.	Shri Satish Kumar	31.03.2023	NA
3..	Shri Vikas Kumar	31.03.2023	NA
4.	Shri Deepak Sarda	31.03.2023	NA
5.	Shri Sudhakara Rao K S	31.03.2023	NA
6.	Ms. V.N.Maya	31.03.2023	NA
7.	Shri Sujit Kumar Dey	31.03.2023	NA
8.	Ms. Vallery Rath	31.03.2023	NA
9.	Shri Ganesaraman A	29.02.2024	NA
10.	Shri Sujay Mallik	10.03.2024	NA
11.	Shri Rohit Rishi	31.03.2023	31.10.2023
12.	Shri Dhanaraj T	31.03.2023	10.03.2024

6. Remuneration to Directors:

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (Whole Time Directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director(s) are as under:

Sl. No.	Name	Basic Pay	Dearness Allowance	Arrear	Incentives /Other allowances	1 day Leave Encashment to PM Relief Fund	Total	PF/NPS Bank Contribution	Grand Total
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1	Shri S.L. Jain	2595900.00	1134110.00	60004.00	703139.33	0	4493153.33	259590.00	4752743.33
2	Shri Imran Amin Siddiqui *	2130890.32	927681.55	52528.00	3406042.67	0	6517142.54	213089.03	6730231.57
3	Shri Ashwani Kumar #	386400.00	154560.00	43276.80	889362.88	0	1473599.68	38640.00	1512239.68
4	Shri Mahesh Kumar Bajaj	2169300.00	947738.00	50140.00	133000.00	0	3300178.00	216930.00	3517108.00
5	Shri Ashutosh Choudhary	2130135.48	941720.90	32457.60	1047796.95	0	4152110.93	430059.90	4582170.83
6	Shri Shiv Bajrang Singh	1069174.19	491820.13	0.00	301725.73	0	1862720.05	106917.42	1969637.47
7	Shri Brajesh Kumar Singh	125470.97	57716.65	0.00	0.00	0	183187.62	12547.10	195734.72

*Executive Director upto 09.03.2024

#Executive Director upto 31.05.2023

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its Directors.

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

Government of India vide communication dated 30.08.2019 given flexibility to Boards of Large Public Sector Banks (PSBs) having total business (being the summation of gross loans and advances and total deposit of the Bank, reckoned as per the last declared results of the Bank) of Rs.10 lakh crore or higher, to decide sitting fees payable to Non-Executive Directors. Accordingly, Board of Directors of the Bank in its meeting held on 25.04.2023 accorded approval for sitting fees (per meeting) as under:

1.	For attending Board Meeting	Rs. 70,000.00
2.	For attending meeting of Board level committees	Rs.35,000.00
3.	For chairing Board Meeting	Rs.20,000.00
4.	For Chairing meeting of Board level Committees	Rs.10,000.00

Subject to overall ceiling of Rs.25 lakh per annum.

Sitting fees are, however, not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed / nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

6.1 Familiarization Programmes:

Details of familiarization programmes imparted to independent Directors are available on Bank's website under the link, <https://indianbank.in/investors-services-ib/>

7. General Body Meetings:

7.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank:

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Fifteenth Annual General Meeting	Friday, the 16 th July, 2021 at 11.00 a.m..	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	<ol style="list-style-type: none"> To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2021, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. To declare dividend on Equity Shares.
Sixteenth Annual General Meeting	Wednesday, the 22 nd June, 2022 at 11.00 a.m	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	<ol style="list-style-type: none"> To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. To declare dividend on Equity Shares of the Bank. To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof (passed through special resolution)

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Seventeenth Annual General Meeting	Monday, the 19 th June, 2023	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	<ol style="list-style-type: none"> To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2023, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. To declare dividend on Equity Shares of the Bank. To approve the appointment of Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director (DIN: 08080244). To approve appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Non-Executive Director (Government of India's Nominee Director) (DIN: 03609968). To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof

7.2 No special Resolution was passed at the 15th Annual General Meeting. In the 16th and 17th Annual General Meeting held on 22nd June 2022 and 19th June 2023 respectively, a special resolution approving raising equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof was passed.

7.3 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2023-24

7.4 The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 19.06.2023:

Shri Shanti Lal Jain	MD & CEO (in the chair)
Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director
Shri Aditya Gaiha	RBI Nominee Director
Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director and Chairman of Audit Committee of Board
Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director
Shri Balmukund Sahay	Part Time Non Official Director
Shri Vishvesh Kumar Goel	Part Time Non Official Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee of Board

8. Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff / officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely '**Whistle Blower Policy**' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website, www.indianbank.in

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

9. Other Disclosures:

- (a) Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- (b) The Bank has complied with the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI.
- (c) The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.
- (d) The Bank has formulated a 'Policy for determining Material Subsidiary' and the same is available on Bank's website, www.indianbank.in.
- (e) The Bank is having two listed subsidiaries namely, Indbank Merchant Banking Services Limited and Ind Bank Housing Limited and one unlisted subsidiary namely Indbank Global Support Services Ltd . None of them are 'material subsidiary of the Bank. Besides three subsidiaries, the Bank also has two joint ventures namely, Universal Sompo General Insurance Company Ltd. and Asrec (India) Ltd.
- (f) In line with the Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. The details of complaints received and resolved during the financial year 2023-24 and pending as on 31.03.2024 are as follows: -

	Pending as on 01.04.2023	Received during FY 2023-24	Resolved during FY 2023-24	Pending as on 31.03.2024
Number of Complaints received	0	6	6	0

- (g) A Certificate from a Company Secretary in practice certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/Regulatory Authority is attached and form part of the report.
- (h) The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed to this report.
- (i) Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Central Auditors for the Financial Year 2023-24 is Rs.579.79 Lakhs.
- (j) A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.
- (k) Commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.

(I) Discretionary requirements:

The details regarding adoption of discretionary requirements specified in Part E of Schedule II of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, is as under:

Requirement	Compliance
<p>A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties.</p>	Not Applicable
<p>B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.</p>	The half-yearly results are published in the newspapers, uploaded in Bank's website and are available on the websites of Stock Exchanges, NSE & BSE.
<p>C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.</p>	The audit report on the financial statements of the Bank for FY 2023-24 has unmodified opinion.
<p>D. Separate posts of Chairperson and Managing Director or the Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and the Managing Director or Chief Executive Officer. such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013</p>	Appointment of Chairman is to be made by Government of India.
<p>E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee.</p>	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee of the Bank periodically.

10. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly / half yearly / annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely, NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2023-24, the quarterly / half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Business Standard (English & Hindi) Dinamani (Tamil) etc. The results are also displayed on the website of the Bank www.indianbank.in.

The presentation made to the analysts / institutional investors if any, is also hosted on the Bank's website, www.indianbank.in.

11. General Shareholders Information:

11.1 Particulars of 18th Annual General Meeting:

Day and Date	Saturday, the 15 th June 2024
Time	11:00 AM
Venue	AGM will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), as such, the Bank's Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 will be the deemed venue for AGM.

11.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March.

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2024 - July - August, 2024

September 30, 2024 - October - November, 2024

December 31, 2024 - January - February, 2025

March 31, 2025 - Audited Annual Accounts: April - May, 2025

11.3 Record Date for Dividend Payment and Dividend payment date:

Record Date : 07th June 2024

Dividend payment date : 11th July 2024

11.4 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM and Dividend Payment:

Book Closure: 08th June 2024 to 15th June 2024 (Both days inclusive).

11.5 Dividend:

The Board of directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.12.00 per equity share i.e. 120% of paid up equity capital of the Bank for Financial Year 2023-24.

11.6 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The other details are as under :

Stock Exchange	Stock Code	Date of Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C.1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.	INDIANB	01.03.2007
BSE Ltd. (BSE), P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	INDIANB/532814	01.03.2007

The advance Annual Listing fee for the financial year 2024-25 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

11.7 Compliance Officer:

Shri Dina Nath Kumar, Asst. General Manager & Company Secretary has been designated as Compliance Officer of the Bank.

11.8 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2023-24 were as under:

Month	NSE			BSE			Total Volume (Nos. in lakh)
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	
Apr-23	328.00	280.80	335.05	327.95	281.05	18.05	353.10
May-23	335.00	268.00	429.39	335.35	268.00	23.34	452.73
Jun-23	293.50	269.90	249.67	293.50	267.25	11.96	261.63
Jul-23	349.50	293.60	406.58	349.30	293.05	24.12	430.70

Aug-23	417.90	335.60	519.48	417.60	335.50	25.66	545.14
Sep-23	446.50	376.50	570.34	446.15	376.90	23.70	594.04
Oct-23	445.10	396.40	293.74	444.90	396.30	13.18	306.92
Nov-23	463.00	390.90	331.57	462.75	391.25	12.67	344.24
Dec-23	458.00	391.00	863.13	457.50	393.55	35.84	898.97
Jan-24	507.00	408.60	709.06	506.70	408.95	48.64	757.70
Feb-24	573.75	483.10	600.46	573.45	483.30	27.63	628.09
Mar-24	562.85	467.30	493.61	562.75	467.20	21.93	515.54

11.9 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty- 50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

Date	Closing Share Price of Bank at NSE (Rs.)	Nifty-50 (Closing)	S&P BSE Sensex (Closing)
Apr-23	322.40	18065.00	61112.44
May-23	269.90	18534.40	62622.24
Jun-23	292.55	19189.05	64718.56
Jul-23	346.90	19753.80	66527.67
Aug-23	378.65	19253.80	64831.41
Sep-23	423.55	19638.30	65828.41
Oct-23	420.05	19079.60	63874.93
Nov-23	396.90	20133.15	66988.44
Dec-23	420.90	21731.40	72240.26
Jan-24	498.85	21725.70	71752.11
Feb-24	525.15	21982.80	72500.30
Mar-24	520.70	22326.90	73651.35

11.10 Registrar and Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building 1, Club House Road, , Chennai - 600 002 is the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for equity shares of the Bank.

11.11 Share Transfer System:

- (i) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, requests for effecting transfer, transmission or transposition of Shares/Securities shall not be processed by the Bank's RTA / Bank unless the Shares/Securities are held in dematerialized form.
- (ii) Shareholders who are holding shares in physical form and desirous of transferring the same can do so only after the shares are dematerialized

11.12 Distribution of shareholding as on 31.03.2024:

Shareholding	Number of shareholders	Percentage of Total shareholders (%)	No. of Shares	Percentage of Total Shares (%)
1 - 500	297353	94.2233	21215682	1.5750
501 - 1000	11707	3.7096	8435203	0.6262
1001 - 2000	3866	1.2250	5453700	0.4048
2001 - 3000	927	0.2937	2311139	0.1715
3001 - 4000	393	0.1245	1394487	0.1035
4001 - 5000	301	0.0953	1396368	0.1036
5001 - 10000	392	0.1242	2845015	0.2112
10001 & above	644	0.2040	1303912387	96.8038
Total	315583	100.00	1346963981	100.00

11.13 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE562A01011**.

As on 31.03.2024, 134,55,21,532 equity shares constituting 99.89% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2024 are as under:

Shares held in		Number of shareholders	% of shareholders	Number of shares	% of shareholding
Physical form		41605	13.18	1442449	0.11
Dematerialized form	NSDL	154403	48.93	321237903	23.85
	CDSL	119575	37.89	1024283629	76.04
Total		315583	100.00	1346963981	100.00

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2024 is 99,45,49,600 equity shares of Rs.10/- each, which constitutes 73.84% of the paid up capital of the Bank

11.14 There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible instruments as on date.

11.15 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of Rs.35.10 crore up to 31 March, 2024 (previous year 15.10 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI direction RBI/2022-23/131: DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated 11 October 2022. The entire estimated amount has been fully provided for

11.16 Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website, under the link <https://indianbank.in/investors-services-ib/>

11.17 Utilization of Fund raised by the Bank through Qualified Institutions Placement (QIP):

During FY 2023-24, the Bank raised equity capital aggregating upto Rs.4000.00 crore including premium through issue and allotment of 10,15,22,842 new Equity Shares of face value of Rs.10.00 each to eligible Qualified Institutional Buyers (QIB) in December 2023 at an issue price of Rs.394.00 per share including a premium of Rs.384.00 per Equity share.

The Issue Proceeds of said QIP has been utilized by the Bank to augment Tier 1 capital requirement under Basel III norms of RBI to support growth and for general corporate requirements of the Bank.

Post allotment of equity capital through QIP, shareholding of the Govt. of India, Promoter of the Bank came down to 73.84% and Public shareholding increased to 26.16% as against the minimum public shareholding requirement of 25.00%

12. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed Cameo Corporate Services Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer / transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai. Pursuant to extant SEBI guidelines, transfer requests for shares held in physical form are not being processed with effect from 01.04.2019.

Shareholders should contact their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.) for shares held in Dematerialized form.

The shareholders may lodge their requests / complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address:

<p>Cameo Corporate Services Limited (Unit: Indian Bank) P Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai – 600 002. Telephone: 044-28460718 Email:investor@cameoindia.com</p>	<p>The Company Secretary Investor Services Cell Indian Bank, Corporate Office , 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai – 600 014. Telephone: 044-28134484/4698 Email: investors@indianbank.co.in</p>
---	--

12.1 Number of Investor complaints received, resolved and pending:

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests / complaints received and resolved during the financial year 2023-24 and pending as on 31.03.2024 are as follows:

	Pending as on 01.04.2023	Received during FY 2023-24	Resolved during FY 2023-24	Pending as on 31.03.2024
Number of Complaints / requests	0	184	184	0

13. Disclosure with respect to Demat Suspense Account / Unclaimed Suspense Account:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2023	Shareholders - 33 Shares - 3862
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Nil
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Nil
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying at the end of the year i.e. 31.03.2024	Shareholders - 33 Shares - 3862

The voting rights in respect of the unclaimed / outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner, the shares lying in the Demat Suspense account are credited in the demat account of claimant.

14. Shareholding Pattern (as on 31.03.2024):

Shareholder Category	No. of Shareholders	No. of Shares held	Shareholding %
Government of India (President of India) -Promoter	1	994549600	73.84
Mutual Funds*	29	157740676	11.71
Foreign Portfolio Investor(FPI) and Foreign Institutional Investor (FII)*	222	71234635	5.29
Alternate Investment Funds	25	7181703	0.53
Insurance Companies*	18	63444836	4.71
Financial Institutions/ Banks	2	248	0.00
Resident Individual	279888	40445509	3.00
Body Corporate	1242	3476966	0.26
Directors and their relatives	4	2390	0.00
Employees	19682	5794705	0.43
Clearing Members	8	5758	0.00
Hindu Undivided Family(HUF)	3129	1026763	0.08
NRI	3887	1801251	0.13
Trust	25	251058	0.02
Central Government/ State Government(s)/ President of India- Non Promoter	1	4021	0.00
Unclaimed shares demat suspense Account	2	3862	0.00
Total	308165	1346963981	100.00

* Consolidated on common PAN basis

15. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH):

National Automated Clearing House (NACH) is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his / her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

16. Unclaimed Dividend, if Any:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C /125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives / guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividend amounts of the Bank upto the Financial Year 2015-16 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government.

The unpaid/unclaimed dividend for FY2016-17 is due for transfer to IEPF of the Central Government during the month of August 2024. The Bank has already sent reminder letters through e-mail/post to the shareholders who have not encashed their dividend warrants for FY 2016-17 requesting them to submit their claim to the Bank or to the Bank's RTA, Cameo Corporate Services Ltd. upto 12th July 2024.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants, if any declared by the Bank, for Financial Year 2016-17 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with his/her Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her through NEFT/ Direct Credit.

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in.

17. Related Party Transactions:

The Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2023-24. The policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website, www.indianbank.in.

18. Details of Bonds / Debt Instruments issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2024:

Details of Bonds issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2024 are as under:

Particulars	ISIN	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2024	Name of Credit Rating Agency (ies)	Name & Address of Bond Trustee
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series II	INE562A08057	1048	CARE AA+ / Stable CRISILAA+ / Stable	CARE Ratings Ltd. & CRISIL Rating Ltd.	Axis Trustee Services Ltd. The Ruby, 2 nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028.
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series III	INE562A08065	560			
Basel III Compliant AT 1 Bonds Series IV	INE562A08073	392			
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series I*	INE428A08028	500	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable CARE AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. CARE Ratings Ltd.	

Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series II	INE428A08044	1000	CRISIL AAA / Stable BWR AAA / Stable CARE AAA / Stable	CRISIL Ratings Ltd. Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. CARE Ratings Ltd.	Axis Trustee Services Ltd. The Ruby, 2 nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028.
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000	CARE AAA / Stable INDR AA+ / Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. CARE Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series IV	INE428A08101	1500	CRISIL AAA / Stable INDR AA+ / Stable	India Ratings and Research Pvt. Ltd. CRISIL Ratings Ltd.	
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series V	INE562A08081	2000	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable	CARE Ratings Ltd. CRISIL Rating Ltd.	
Total		8000			

*Bank has appointed Axis Trustee as Bond Trustee for Bank's Tier 2 Bonds (ISIN- INE428A08028) in place of IDBI Trusteeship Services Ltd. with effect from 30.04.2024.

Other Credit Ratings:

In addition to the above, the Bank has also obtained Credit Rating for its Certificate of Deposits and issuer rating from S&P Global Ratings. The details are as under:

Sl. No.	Name of Credit Rating Agency (ies)	Type of Instrument / Type of Rating	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2024
1.	CRISIL Ratings Ltd.	Certificate of Deposits	35000	CRISIL A1+
2.	S & P Global Ratings	Issuer Credit Rating	-	BBB- / Stable / A-3

19. Code of Conduct:

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank's website viz. www.indianbank.in.

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

20. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 06.05.2024
 Place: Chennai

(S L Jain)
Managing Director & CEO

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is hereby declared that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. Chief General Managers/ General Managers) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2024 in terms of Regulation 26 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.indianbank.co.in.

Date: 06.05.2024
Place: Chennai

(S L Jain)
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **INDIAN BANK** for the Financial year ended on March 31st, 2024, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

For M/s SARC & Associates
Chartered Accountants
FRN: 006085N

For M/s Kailash Chand Jain & Co,
Chartered Accountants
FRN: 112318W

For M/s S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 24114196BKAIQN8169

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 24110713BKGF5235

Natwar Sarda
Partner
(M. No. 076070)
UDIN: 24076070BKBFZC2499

M/s G Balu Associates LLP,
Chartered Accountants
FRN: 000376S / S200073

M/s Dass Gupta & Associates,
Chartered Accountants
FRN: 000112N

R. Ravishankar
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 24026819BKBOVH4344

Bhanu Preet Kaur
Partner
(M. No. 421517)
UDIN: 24421517BKEUDJ1082

Date: 06.05.2024

Place: Chennai

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To,

**The Board of Directors
Indian Bank**

This is to certify that:

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the Financial Year 2023-24 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies
- (d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sunil Jain)
Chief Financial Officer

(S L Jain)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 6th May 2024

SECRETARIAL AUDIT REPORT For the Financial Year 2023-24

To,
The Members,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai 600 001.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Bank (hereinafter called the Bank)**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Indian Bank** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2024, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indian Bank ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2024 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; (to the extent applicable)
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas

Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**.

- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(Not applicable)**
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

- (vi) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
- (vii) The Banking Regulations Act, 1949

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not Applicable)**
- (ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and amendments from time to time.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and not incorporated under Companies Act.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures/ Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following Observation:

With respect to the composition of Board, vacancies exist under section 9(3)(e) (f) & (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that, During FY 2023-24, the Bank raised equity capital aggregating upto Rs.4000.00 crore including premium through issue and allotment of 10,15,22,842 new Equity Shares of face value of Rs.10.00 each to eligible Qualified Institutional Buyers (QIB) in December 2023 at an issue price of Rs.394.00 per share including a premium of Rs.384.00 per Equity share.

During the Financial Year 2023-24, the Bank has redeemed following Tier 2 Bonds through exercise of Call Option on completion of 5 year tenor:

1. ISIN-INE562A08024 amounting to Rs. 290 crore
2. ISIN-INE562A08032 amounting to Rs. 110 crore
3. ISIN-INE562A08040 amounting to Rs. 600 crore

**For V Suresh Associates
 Practising Company Secretaries**

Place: Chennai
 Date: 06.05.2024

**V Suresh
 Senior Partner
 FCS No. 2969
 C.P.No. 6032
 Peer Review Cert. No.: 667/2020
 UDIN: F002969F000314423**

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Indian Bank
Chennai - 600 014.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries**

Place: Chennai
Date: 06.05.2024

**V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No.: 667/2020
UDIN: F002969F000314423**

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN BANK having registered office at 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN/PAN	Date of appointment in Bank
1	Mr. S.L. Jain	07692739	01.09.2021
2	Mr. Mahesh Kumar Bajaj	08080244	21.11.2022
3	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	03609968	14.09.2022
4	Ms. Papia Senguta	07701564	29.10.2021
5	Mr. Balmukund Sahay	AQLPS6737K	21.12.2021
6	Mr. Vishvesh Kumar Goel	00942612	21.12.2021
7	Mr. Ashutosh Choudhury	09245804	03.05.2023
8	Ms. K Nikhila	AAMPK5889M	14.07.2023
9	Mr. Shiv Bajrang Singh	ADPPS6661K	09.10.2023
10	Mr. Pradeep Kumar Malhotra	09817764	09.03.2024
11	Mr. Brajesh Kumar Singh	ANBPS0315E	10.03.2024

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For V Suresh Associates
Practising Company Secretaries**

**V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No.: 667/2020
UDIN: F002969F000314491**

Place: Chennai
Date: 06.05.2024

Left intentionally blank

STANDALONE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2024

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2024 (Audited)	As on 31.03.2023 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1346 96 40	1245 44 11
Reserves and Surplus	2	57041 15 97	46727 31 46
Deposits	3	688000 00 37	621165 75 65
Borrowings	4	23131 48 70	22073 03 09
Other Liabilities & Provisions	5	23099 50 83	19289 18 81
TOTAL		792619 12 27	710500 73 12
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	32702 75 93	32692 63 01
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	9406 37 45	17439 94 87
Investments	8	212554 47 66	185988 25 25
Advances	9	514889 06 82	449296 73 37
Fixed Assets	10	7515 47 29	7459 04 04
Other Assets	11	15550 97 12	17624 12 58
TOTAL		792619 12 27	710500 73 12
Contingent Liabilities	12	334247 11 14	381303 03 27
Bills for Collection	-	15934 58 28	16082 16 20

S L JAIN

Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

For S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 24114196BKAIQQ7569

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 24110713BKGFCD5671

NATWAR SARDA
Partner
(M. No. 076070)
UDIN: 24076070BKBFZA8860

For G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 000112N

R. RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 24026819BKBOVF7719

BHANU PREET KAUR
Partner
(M. No. 421517)
UDIN: 24421517BKEUDH4354

Date: 06.05.2024

Place: Chennai

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2024 (Audited)	Y. E. 31.03.2023 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	55614 77 76	44942 21 29
Other Income	14	7866 72 06	7143 06 26
TOTAL		63481 49 82	52085 27 55
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	32341 49 51	24716 75 04
Operating expenses	16	14300 45 59	12097 90 28
Provisions & Contingencies	-	8776 60 81	9988 92 02
TOTAL		55418 55 91	46803 57 34
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit / Loss (-) for the year		8062 93 91	5281 70 21
Profit / Loss (-) Brought forward		133 23 45	129 77 18
TOTAL		8196 17 36	5411 47 39
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		2015 74 00	1320 43 00
Special Reserves u/s 36(1)(viii) of IT Act		362 22 00	191 73 00
Investment Fluctuation Reserve		328 11 00	0
Investment Reserve		254 40 45	0
Revenue Reserves		3250 00 00	2655 00 00
Staff Welfare Fund		40 00 00	40 00 00
Equity Dividend		1616 35 68	1071 07 94
Bal. carried over to Balance Sheet		329 34 23	133 23 45
TOTAL		8196 17 36	5411 47 39
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		63.23	42.41

S L JAIN

Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

For S. SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)

NATWAR SARDA
Partner
(M. No. 076070)

UDIN: 24114196BKAIQQ7569

UDIN: 24110713BKGFCD5671

UDIN: 24076070BKBFZA8860

For G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 000112N

R. RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)

BHANU PREET KAUR
Partner
(M. No. 421517)

UDIN: 24026819BKBOVF7719

UDIN: 24421517BKEUDH4354

Date: 06.05.2024

Place: Chennai

SCHEDULE 1 – CAPITAL

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. - 99,45,49,600 Equity shares of Rs. 10/- each)	994 54 96	994 54 96
b) 35,24,14,381 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. - 25,08,91,539 Equity shares of Rs.10/- each)	352 41 44	250 89 15
TOTAL	1346 96 40	1245 44 11

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	10956 39 51	9635 96 51
b) Additions during the period	2015 74 00	1320 43 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL I	12972 13 51	10956 39 51
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	6106 89 86	6211 02 26
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	131 70 78	104 12 40
TOTAL (A)	5975 19 08	6106 89 86
B) Others		
a) Opening Balance	1060 90 74	1060 90 74
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	1060 90 74	1060 90 74
TOTAL II (A + B)	7036 09 82	7167 80 60
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	2391 54 44	2391 54 44
b) Additions during the period	3898 47 71	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL III	6290 02 15	2391 54 44
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	17826 86 85	15067 74 45
b) Additions during the period	3250 00 00	2655 00 00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	106 28 80	104 12 40
d) Deductions during the period	0	0
TOTAL (A)	21183 15 65	17826 86 85
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2475 60 00	2283 87 00
b) Additions during the period	362 22 00	191 73 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	2837 82 00	2475 60 00
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58 20 00	58 20 00
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (C)	58 20 00	58 20 00

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1031 90 00	1031 90 00
b) Additions during the period	328 11 00	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (D)	1360 01 00	1031 90 00
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	186 37 77	186 37 77
b) Additions during the period	254 40 45	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (E)	440 78 22	186 37 77
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	490 56 66	397 23 78
b) Additions during the period	34 20 55	93 32 88
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (F)	524 77 21	490 56 66
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1 90 63	1 90 63
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (G)	1 90 63	1 90 63
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	26406 64 71	22071 41 91
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006 91 55	4006 91 55
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL V	4006 91 55	4006 91 55
VI. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	133 23 45	129 77 18
b) Additions during the period	8062 93 91	5281 70 21
c) Deductions during the period	7866 83 13	5278 23 94
TOTAL VI	329 34 23	133 23 45
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	57041 15 97	46727 31 46

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	138 46 54	138 92 81
ii) From Others	38854 56 63	35718 10 13
TOTAL	38993 03 17	35857 02 94
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	241494 02 33	224952 40 93
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	19947 53 38	9516 08 89
ii) From Others	387565 41 49	350840 22 89
TOTAL	407512 94 87	360356 31 78
TOTAL A (I+II+III)	688000 00 37	621165 75 65
B. i) Deposits of branches in India	661825 86 15	608027 42 90
ii) Deposits of branches outside India	26174 14 22	13138 32 75
TOTAL B (I+II)	688000 00 37	621165 75 65

SCHEDULE 4 – BORROWINGS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	0	0
ii) Other Banks	1 94	2 04
iii) Other Institutions and Agencies*	20441 40 20	20147 58 04
TOTAL	20441 42 14	20147 60 08
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	2690 06 56	1925 43 01
TOTAL (I+II)	23131 48 70	22073 03 09
Secured Borrowings included above	0	0

* includes AT-1 Capital-Perpetual Debt Instrument of Rs. 2000 00 00 (P.Y. - Rs. 2000 00 00) and Tier II Capital-Subordinated Debt of Rs. 6000 00 00 (P.Y. - Rs. 7000 00 00)."

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Bills Payable	1663 84 44	1841 95 09
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	1846 00 13	1479 65 56
IV. Others (including Provisions)*	19589 66 26	15967 58 16
TOTAL (I+II+III+IV)	23099 50 83	19289 18 81

*includes Contingent Provisions against Standard Assets of Rs. 8026 39 38 (P.Y. - Rs. 6089 48 27)

SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1304 15 13	1242 48 09
II. Balances with Reserve Bank of India:	31398 60 80	31450 14 92
(i) in Current Accounts	31134 60 80	26670 14 92
(ii) in Other Accounts	264 00 00	4780 00 00
TOTAL (I+II)	32702 75 93	32692 63 01

SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	4 20 32	18 12 72
b) in Other Deposit Accounts	1573 60 00	1573 64 58
TOTAL (i)	1577 80 32	1591 77 30
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	1997 06 53	5007 03 77
TOTAL (ii)	1997 06 53	5007 03 77
TOTAL I (i + ii)	3574 86 85	6598 81 07
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	743 35 55	693 48 58
ii) in Other Deposit Accounts	5084 57 73	10144 91 36
iii) Money at Call and Short Notice	3 57 32	2 73 86
TOTAL II (i + ii + iii)	5831 50 60	10841 13 80
GRAND TOTAL (I +II)	9406 37 45	17439 94 87

SCHEDULE 8 – INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	214662 93 45	187882 07 93
Less: Provision for Depreciation & NPI	4177 55 01	3805 10 31
Net Investments	210485 38 44	184076 97 62
i) Government Securities	180453 94 00	166464 65 49
ii) Other approved Securities	0	0
iii) Shares	775 26 62	874 56 64
iv) Debentures and Bonds	15772 54 15	14451 10 95
v) Subsidiaries and/or Joint Ventures (including Associates)	256 75 25	221 00 21
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds)	13226 88 42	2065 64 33
TOTAL	210485 38 44	184076 97 62

II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2209 48 31	2041 97 09
Less: Provsion for Depreciation & NPI	140 39 09	130 69 46
Net Investments	2069 09 22	1911 27 63
i) Government Securities (including local authorities)	2068 87 26	1911 05 40
ii) Other investments		
a) Shares	21 96	22 23
b) Debt Securities	0	0
TOTAL	2069 09 22	1911 27 63
NET GRAND TOTAL (I+II)	212554 47 66	185988 25 25

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
A. i) Bills purchased and discounted	5886 14 36	2434 93 18
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	252022 14 37	210191 80 73
iii) Term Loans	256980 78 09	236669 99 46
TOTAL (A)	514889 06 82	449296 73 37
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	425795 49 69	373959 11 14
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	41042 06 28	39004 97 03
iii) Unsecured	48051 50 85	36332 65 20
TOTAL (B)	514889 06 82	449296 73 37
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector#	199112 44 30	170017 91 83
ii) Public Sector	71191 35 87	68741 14 14
iii) Banks	0	0
iv) Others	209056 18 01	181258 29 13
TOTAL (C.I)	479359 98 18	420017 35 10
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Dues from Banks	22002 07 43	19922 99 21
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	2150 02 44	1046 79 87
b) Syndicated loans	6617 87 67	5113 58 79
c) Others	4759 11 10	3196 00 40
TOTAL (C.II)	35529 08 64	29279 38 27
GRAND TOTAL (C.I + C.II)	514889 06 82	449296 73 37

#RIDF is not included

SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	7460 62 43	7453 87 98
Additions/Adjustments during the period	0	6 74 45
Sub-Total	7460 62 43	7460 62 43
Deductions during the period	7 77 30	0
Sub-Total	7452 85 13	7460 62 43
Depreciation to date	1580 89 69	1490 17 86
TOTAL	5871 95 44	5970 44 57
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	530 52 79	530 52 79
Additions/Adjustments during the period	0	0
Sub-Total	530 52 79	530 52 79
Deductions during the period	25 41 99	0
Sub-Total	505 10 80	530 52 79
Depreciation to date	76 83 10	60 84 44
TOTAL	428 27 70	469 68 35
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	14 98 43	1 21 00
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost as per the last Balance Sheet	5087 93 85	4865 53 29
Additions/Adjustments during the period	604 39 18	317 60 42
Sub-Total	5692 33 03	5183 13 71
Deductions during the period	64 61 62	95 19 86
Sub-Total	5627 71 41	5087 93 85
Depreciation to date	4428 76 07	4072 82 66
TOTAL	1198 95 34	1015 11 19
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	1 30 38	2 58 93
GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)	7515 47 29	7459 04 04

SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Inter Office Adjustment (net)	239 94 20	112 20 27
II. Interest Accrued	4251 78 49	3414 28 57
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	2913 46 33	5254 40 17
IV. Stationery and Stamps	12 62 98	10 87 76
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51 38 26	51 38 26
VI. Others*	8081 76 86	8780 97 55
TOTAL	15550 97 12	17624 12 58
*includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	582 09 61	848 24 89

SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	2177 15 38	2091 81 01
II. Liability for partly paid investments	281 95 06	388 96 17
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	279768 99 15	328152 69 50
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	29491 56 10	28971 51 28
b) Outside India	198 56 58	193 48 98
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	9081 75 70	9758 18 18
VI. Other items for which the bank is contingently liable	13247 13 17	11746 38 15
TOTAL	334247 11 14	381303 03 27

*Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Interest/Discount on Advances/Bills	40618 84 59	31941 15 06
II. Income on Investments	13401 85 32	11647 16 82
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	1386 20 36	877 53 68
IV. Others	207 87 49	476 35 73
TOTAL	55614 77 76	44942 21 29

SCHEDULE 14 – OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Commission, Exchange and Brokerage	1018 29 76	958 45 65
II. Profit on Sale of Investments	1010 73 50	552 10 16
Less: Loss on Sale of Investments	147 88 16	171 17 92
Net	862 85 34	380 92 24
III. Profit on revaluation of Investments	444 94 91	0.00
Less: Loss on revaluation of Investments	0.00	86 98 98
Net	444 94 91	-86 98 98
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets*	2 82 30	1 95 64
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets*	4 71 85	1 82 19
Net	-1 89 55	13 45
V. Profit on exchange transactions (Net)	451 51 04	1008 60 47
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	29 27 27	44 79 76
VII. Miscellaneous Income	5061 73 29	4837 13 67
TOTAL	7866 72 06	7143 06 26

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Interest on deposits	30493 66 47	23184 25 68
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	330 78 02	616 17 43
III. Others	1517 05 02	916 31 93
TOTAL	32341 49 51	24716 75 04

SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Payments to and provisions for employees	9264 58 80	7527 22 77
II. Rent, Taxes and Lighting	635 64 07	620 98 45
III. Printing and Stationery	87 80 55	98 74 82
IV. Advertisement and Publicity	30 62 68	27 72 03
V. Depreciation on Bank's property	524 28 76	528 81 10
VI. Directors' fees, allowance and expenses	1 88 56	1 10 69
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	48 70 87	52 16 17
VIII. Law charges	17 31 17	19 29 48
IX. Postage, Telegrams and Telephones	109 35 94	95 83 34
X. Repairs and Maintenance	250 42 94	192 49 78
XI. Insurance	873 98 26	813 51 24
XII. Other Expenditure	2455 82 99	2120 00 41
TOTAL	14300 45 59	12097 90 28

SCHEDULE-17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (STANDALONE)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by

FEDAI at the year end.

- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

- 4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under “**HTM**” category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as “**HFT**”. All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under “**AFS**” category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution

is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

- Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks(RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).
- Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:
 - Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).
 - Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI /

FIMMDA/ FBIL periodically.

- iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
- iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
- v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
- vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
- vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.
- ix. In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those

branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

- Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
- Equity investment classified as NPI should be valued at market value, if quoted, and in case where equity is not quoted, it should be valued at Re.1

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of

securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

- 4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.
- 4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.
- 4.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

• **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:**

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and

Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 - 'Advances' under the following heads:
- i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
 - ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
 - iii. C.(I).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

- (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April 01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

- (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
- (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6. ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non-performing advances as under:

- a) Sub Standard:
 - i) A general provision of 15% on the total outstanding
 - ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40% for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances –100%.

- Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

- In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

- Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and

provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- 7.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization
- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.
- 7.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine etc.	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes / Locker / Doors (Steel): 20 years

		Vehicles: 5 years Furniture and Fixtures: 10 years Cell phones: 1 year Gold Purity Testing Machine: 7 years
--	--	--

- 7.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.
- 7.5 Assets costing upto 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.
- 7.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

- 7.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.
- 7.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.
- 7.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.
- 7.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

8. REVENUE RECOGNITION

- 8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis. Commission / Fees Income earned on sale of PSLCs are accounted on accrual basis and recognized proportionately during the quarter over the remaining period of PSLCs.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognized as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- (c) Floating provision as identified by the Bank

Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS (2023-24)

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	53031.19	42984.44
ii)	Additional Tier 1 capital	2000.00	1980.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	55031.19	44964.44
iv)	Tier 2 capital	9453.25	10027.45
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	64484.44	54991.89
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	392245.58	333582.35
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	13.52%	12.89%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.03%	13.48%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.41%	3.01%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.44%	16.49%
xi)	Leverage Ratio	6.50%	5.86%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.84%	79.86%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	101.52	--
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	--	--
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	--	--

b) Draw down from Reserves

(Amount ₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2023-24	2022-23	
Revaluation Reserve	106.29	104.12	Depreciation on revalued portion on Premises

*For the year 2023-24, the amount has been credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of Accounting Standard -10.

2. Asset liability management

a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(Amount ₹ in Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	5463.89	26990.68	14792.86	23608.57	44819.64	29245.28	44071.69	62686.36	68321.81	68084.76	299914.44	688000.00
Advances	10704.43	11260.47	4634.85	16719.76	15408.76	15627.97	41792.33	64278.50	200781.25	45972.02	87708.73	514889.07
Investments*	29827.63	15655.43	12692.97	15743.77	11034.39	11919.44	16063.90	25215.37	24069.92	15430.66	34698.66	212352.14
Borrowings	271.34	302.96	458.56	0.72	227.68	759.93	6175.01	3985.83	10937.98	11.48	0.00	23131.49
Foreign Currency assets	572.30	3472.56	1132.36	3110.89	4204.27	4020.53	12557.63	3028.07	3334.36	2028.45	788.09	38249.51
Foreign Currency liabilities	302.18	3036.22	504.88	3361.81	2267.38	4542.67	2718.21	2668.75	4356.00	3454.91	3378.27	30591.27

* Excludes 50% of listed equities of Rs 202.34 crore

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(Amount ₹ in Crore)

SL. No.	Parameter	Q1: 2023-24		Q2: 2023-24		Q3: 2023-24		Q4: 2023-24	
		Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		1,52,008.42		1,60,329.55		1,62,573.65		1,62,688.83
Cash-Outflows									
2	Retail deposits and deposits from Small business customers of which:	3,79,267.20	32,503.91	3,86,046.46	33,033.17	3,92,838.67	33,599.96	4,01,338.59	34,388.75
(i)	Stable Deposits	1,08,456.21	5,422.81	1,11,429.43	5,571.47	1,13,678.07	5,683.90	1,14,902.12	5,745.11
(ii)	Less Stable deposits	2,70,810.99	27,081.10	2,74,617.04	2,7461.70	2,79,160.60	27,916.06	2,86,436.48	28,643.65
3	Unsecured wholesale funding, of which:	1,81,574.14	94,568.11	1,89,156.72	1,02,513.88	1,93,672.71	1,01,034.40	1,96,696.22	1,02,559.32
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1,81,574.14	94,568.11	1,89,156.72	1,02,513.88	1,93,672.71	1,01,034.40	1,95,995.64	1,01,858.74
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.59	700.59
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which	48,214.73	35,402.87	53,648.57	35,369.43	44,331.26	26,886.51	57,606.07	37,264.05
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	33,826.21	33,826.21	33,221.16	33,221.16	25,139.46	25,139.46	35,062.48	35,062.48
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SL. No.	Parameter	Q1: 2023-24		Q2: 2023-24		Q3: 2023-24		Q4: 2023-24	
		Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Un-Weighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
(iii)	Credit and liquidity facilities	14,388.52	1,576.66	20,427.41	2,148.27	19,191.81	1,747.05	21,930.71	2,201.57
6	Other contractual funding obligations	2,116.63	2,116.63	2,532.45	2,532.45	3,680.62	3,680.62	4,137.98	4,137.98
7	Other contingent funding obligations	1,00,448.46	4,174.94	95,105.62	3,898.75	99,522.67	4,101.76	1,01,839.98	4,181.75
8	Total Cash Outflows		1,68,766.45		1,77,347.69		1,69,303.25		1,82,531.86
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	2,808.97	0	1,380.41	0	857.77	0	2,775.20	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	26,027.71	15,032.68	27,390.86	15,769.36	29,737.43	18,042.09	33,626.74	20,648.23
11	Other cash inflows	44,642.11	42,189.94	39,119.45	37,338.71	30,589.10	28,947.48	43,804.21	41,379.51
12	Total Cash Inflows	73,478.79	57,222.63	67,890.72	53,108.07	61,184.29	46,989.57	80,206.16	62,027.75
			Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value
13	Total HQLA		1,52,008.42		1,60,329.55		1,62,573.65		1,62,688.83
14	Total Net Cash Outflows		1,11,543.83		1,24,239.62		1,22,313.68		1,20,504.11
15	Liquidity Coverage Ratio		136.28%		129.05%		132.92%		135.01%

* The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking simple average based on daily observations for the respective quarter.

Un-weighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the circular and LCR template.

Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows)

Adjusted values calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on Level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2023-24 on a daily basis is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines updated on time to time.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits viz Retail, Small Business customers (deposits upto ₹7.50 crore), unsecured and secured wholesale borrowings) as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2024 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 1,62,688.83 crore. HQLA primarily includes SLR securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2024 was 135.01%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 56.19% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 18.84% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has no significant counterparty (Deposit / Borrowing) as on 31.03.2024. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2024 is 5.92% of the total deposits. The significant domestic product / instruments includes Savings deposit, Current deposit and Term deposit which are 35.10%, 5.67% and 59.23% of bank's total deposits respectively, the funding from which are widely spread and there is no major concentration risk under Liquidity front for bank.

C. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(Amount ₹ in Crore)

	₹ in Crore				30.06.2023				30.09.2023			
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value		
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr			
ASF Item												
1	Capital: (2+3)	48,829.55	0.00	900.00	6,580.00	56,309.55	48,832.09	0.00	0.00	7,980.00	56,812.09	
2	Regulatory capital	48,829.55	0.00	900.00	6,580.00	56,309.55	48,832.09	0.00	0.00	6,580.00	55,412.09	
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	188,443.32	56,461.25	1,50,411.85	0.00	3,61,429.42	1,91,604.25	49,890.28	1,62,609.94	1013.84	3,70,411.25	
5	Stable deposits	51,339.47	19,947.72	41,605.53	0.00	1,07,248.08	52,298.87	17,494.69	44,274.08	0.00	1,08,364.26	
6	Less stable deposits	1,37,103.85	36,513.53	1,08,806.33	0.00	2,54,181.34	1,39,305.39	32,395.59	1,18,335.85	1,013.84	2,62,046.99	
7	Wholesale funding: (8+9)	61,798.11	97,167.81	67,217.79	0.00	89,836.48	65,422.81	1,21,572.14	47,769.20	881.40	95,458.50	
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Other wholesale funding	61,798.11	97,167.81	67,217.79	0.00	89,836.48	65,422.81	1,21,572.14	47,769.20	881.40	95,458.50	
10	Other liabilities: (11+12)	2,226.94	8,120.82	4,288.14	19,500.69	20,374.76	25,668.12	5,315.88	6,796.86	4,830.05	8,208.48	
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2,226.94	8,120.82	4,288.14	19,500.69	20,374.76	25,668.12	5,315.88	6,796.86	4,830.05	8,208.48	
13	Total ASF (1+4+7+10)					5,27,950.21					5,30,890.33	
RSF Item												
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	28,636.33	5,868.92	0.00	1,51,042.77	8,179.72					8,457.55	
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	0.00	469.96	0.00	0.00	234.98	0.00	1,225.79	0.00	0.00	612.89	
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1,526.29	1,51,067.97	63,417.43	2,81,826.02	3,43,973.49	1,519.34	1,76,315.86	1,03,831.23	2,34,714.70	3,31,050.06	
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	31,556.97	3,289.50	58,002.70	64,381.00	0.00	41,165.91	15,505.39	37,746.32	51,674.68	

(₹ in Crore)	30.06.2023				30.09.2023				Weighted value	
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity					
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		
19	0.00	1,16,242.18	56,330.53	1,59,893.61	0.00	1,28,612.89	84,921.06	1,31,769.96	2,18,130.84	
20	0.00	2,270.41	833.83	19,398.19	0.00	5,605.74	1,822.52	19,914.90	16,658.95	
21	0.00	7.33	23.77	35,441.71	0.00	946.97	829.83	35,015.09	25,915.48	
22	0.00	3.45	9.69	29,180.33	0.00	790.87	708.21	28,507.80	20,189.31	
23	1,526.29	3,261.48	3,773.63	28,487.99	1,519.34	5,590.10	2,574.94	30,183.33	35,329.06	
24	7,504.87	78.75	22.71	20,531.79	25,745.70	45.39	3.39	4,920.06	30,432.02	
25	0.00				0.00				0.00	
26	0.00	0.00	0.00	1,927.98	0.00	11.80	27.14	1,844.56	1,600.98	
27	0.00	31.43	2.15	45.87	0.00	14.85	-31.52	53.97	37.30	
28	0.00	47.31	20.56	0.21	0.00	18.75	7.76	0.20	26.72	
29	7,504.87	0.00	0.00	18,557.73	25,745.70	0.00	0.00	3,021.32	28,767.02	
30	16,203.57	0.00	43,157.95	0.00	78,413.59	43,384.34	0.00	0.00	5,222.21	
31									3,82,342.03	
32									138.08%	141.28%

	31.12.2023				31.03.2024				Weighted value	Weighted value
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity					
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		
ASF Item										
1	Capital: (2+3)	53,650.70	0.00	0.00	6,488.24	60,138.95	0.00	0.00	6,000.00	65,952.82
2	Regulatory capital	53,650.70	0.00	0.00	4,888.24	58,538.95	0.00	0.00	4,600.00	64,552.82
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	1,93,004.79	73,366.12	1,44,388.72	1,009.07	3,76,518.16	2,01,093.27	1,11,652.04	954.59	3,88,811.69
5	Stable deposits	53,363.36	24,616.82	38,528.31	0.00	1,10,683.06	55,389.70	29,597.38	0.00	1,13,718.31
6	Less stable deposits	1,39,641.43	48,749.31	1,05,860.41	1,009.07	2,65,835.11	1,45,703.56	82,054.65	954.59	2,75,093.38
7	Wholesale funding: (8+9)	66,507.60	1,23,846.32	51,166.27	827.17	99,869.39	80,745.14	63,719.48	604.99	99,685.66
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	66,507.60	1,23,846.32	51,166.27	827.17	99,869.39	80,745.14	63,719.48	604.99	99,685.66
10	Other liabilities: (11+12)	53,650.70	0.00	0.00	6,488.24	60,138.95	59,952.82	0.00	6,000.00	65,952.82
11	NSFR derivative liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	27,386.66	9,707.65	8,280.16	5,846.35	9,224.67	23,099.15	3,985.83	4,949.47	5,942.38
13	Total ASF (1+4+7+10)					5,45,751.16				5,60,392.56
RSF Item										
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					8,434.14				8,558.20
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	0.00	1,900.70	0.00	0.00	950.35	0.00	0.00	0.00	371.76
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1,413.05	1,94,181.91	1,02,970.72	2,36,248.83	3,42,716.46	1,510.05	1,00,883.76	2,41,475.42	3,62,414.41
17	Performing loans to financial institutions secured by Level I HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level I HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	37,613.33	16,201.96	35,939.36	49,683.03	0.00	13,359.81	38,030.47	51,308.17
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	1,46,525.37	84,446.26	1,29,443.25	2,25,493.74	0.00	81,692.56	1,34,472.76	2,37,098.39

	31.12.2023				31.03.2024				Weighted value
	Unweighted value by residual maturity				Unweighted value by residual maturity				
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
20	0.00	8,195.63	2,056.13	18,771.72	0.00	14,049.10	2,164.83	21,537.31	22,107.48
21	0.00	1,010.55	979.92	40,237.39	0.00	998.55	988.06	39,479.90	29,276.05
22	0.00	845.38	844.42	32,721.64	0.00	829.19	847.74	31,897.33	22,594.89
23	1,413.05	9,032.67	1,342.57	30,628.83	1,510.05	13,607.24	4,843.34	29,492.30	44,731.80
24	26,774.92	527.00	13.77	3,644.63	23,107.33	1,004.41	8.07	3,076.74	26,929.27
25	0.00				0.00				0.00
26	0.00	503.73	9.24	778.30	0.00	994.44	2.58	784.91	1,514.65
27	0.00	2.44	-1.25	62.33	0.00	-0.79	-2.66	68.66	65.22
28	0.00	20.83	5.78	0.53	0.00	10.75	8.15	0.22	19.12
29	26,774.92	0.00	0.00	2,803.47	23,107.33	0.00	0.00	2,222.95	25,330.29
30	78,866.68	44,951.74	0.00	0.00	78,776.73	46,617.24	0.00	0.00	5,337.35
31									403610.99
32									138.84%

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a significant component of the Basel III reforms. The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. As per the latest RBI Guidelines, NSFR is effective from October 01, 2021.

NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF)

ASF is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered (viz. up to 1 year) by the NSFR. The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution’s funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding

Required Stable Funding (RSF)

RSF is the amount of stable funding required based on the liquidity characteristics and residual maturities of various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. RSF is computed by multiplying the outstanding amount of the specified component with the prescribed and associated RSF Factor.

The objective of NSFR is to ensure that banks maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. The NSFR limits over-reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

Bank’s NSFR stands at 143.70% as on 31.03.2023 and 138.84% as on 31.03.2024. NSFR is above the minimum regulatory requirement of 100%. As on 31.03.2024, the Available Stable Funding (ASF) was Rs. 560392.56 crore and the Required Stable Funding (RSF) was Rs. 403610.99 crore.

Bank also computes Liquidity Coverage Ratio and prepares Structural Liquidity Statements on a daily basis to assess the liquidity needs of the Bank.

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio (As on 31.03.2024)

(Amount ₹ in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India		
Held to Maturity													
Gross	149985.66	0.00	0.00	813.98	262.10	162.89	151224.63	293.53	0.00	0.08	293.61	151518.24	
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54	
Net	149985.66	0.00	0.00	813.62	256.75	149.06	151205.09	293.53	0.00	0.08	293.61	151498.70	
Available for Sale													
Gross	30037.61	0.00	1734.13	17054.67	0.00	13488.90	62325.36	1775.34	0.00	140.53	1915.87	64241.23	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	963.55	2234.81	0.00	959.78	4157.94	0.00	0.00	140.39	140.39	4298.33	
Net	30037.61	0.00	770.78	14819.86	0.00	12539.10	58167.43	1775.34	0.00	0.14	1775.48	59942.90	
Held for Trading													
Gross	430.67	0.00	4.49	139.13	0.00	538.64	1112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.94	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
Net	430.67	0.00	4.49	139.07	0.00	538.64	1112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.87	
Total Investments													
Less: Provision for non-performing investments	180453.94	0.00	1738.62	18007.78	262.10	14200.40	214662.93	2068.87	0.00	140.61	2209.48	216872.41	
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.36	5.35	13.83	19.54	0.00	0.00	140.39	140.39	159.93	
Net	180453.94	0.00	775.27	15772.54	256.75	13226.80	210485.38	2068.87	0.00	0.22	2069.09	212554.47	

* Includes Short Sale

As on 31.03.2023

(Amount ₹ in Crore)

	Investments in India						Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others		Total Investments outside India
Held to Maturity												
Gross	140573.58	0.00	0.00	1271.77	252.10	235.31	142332.76	276.64	0.00	0.07	276.71	142609.47
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
Net	140573.58	0.00	0.00	1271.77	221.00	235.31	142301.66	276.64	0.00	0.07	276.71	142578.37
Available for Sale												
Gross	25989.93	0.00	2031.44	14665.34	0.00	2770.64	45457.34	1634.41	0.00	130.84	1765.25	47222.59
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69
Net	25901.05	0.00	872.49	13179.34	0.00	1730.47	41683.34	1634.41	0.00	0.15	1634.56	43317.90
Held for Trading												
Gross	-9.98*	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98
Less: Provision for Depreciation and non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	-9.98	0.00	2.08	0.00	0.00	99.88	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98
Total Investments	166553.53	0.00	2033.52	15937.11	252.10	3105.82	187882.08	1911.05	0.00	130.91	2041.96	189924.04
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
Less: Provision for Depreciation and NPI	88.87	0.00	1158.95	1486.00	0.00	1040.17	3774.00	0.00	0.00	130.69	130.69	3904.69
Net	166464.65	0.00	874.57	14451.11	221.00	2065.64	184076.98	1911.05	0.00	0.22	1911.27	185988.25

*includes short sale

b. Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	3837.58	5586.92
b) Add: Provisions made during the year	3045.70	1465.52
c) Less: Write off/write back of excess provisions during the year	2672.91	3214.86
d) Closing balance	4210.37	3837.58
ii) Movement of Investment Fluctuation reserve		
a) Opening balance	1031.90	1031.90
b) Add: Amount transferred during the year	328.11	0.00
c) Less: Drawdown	0.00	0.00
d) Closing balance	1360.01	1031.90
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category (Domestic)	2.29%	2.47%

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the Balance sheet

c. Sale and transfers to/from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Loss on account of sale of securities from HTM category amounting to Rs 51.63 crores (previous year Rs 37.35 crores) has been debited from Profit and Loss Account.
- Shifting of securities:
 - (i) In the beginning of the year, the Bank shifted:
 - SLR securities for Book Value of Rs. 9593.58 crores was shifted from HTM to AFS which has resulted in no additional provision & Non-SLR VCF securities for Book Value of Rs. 4.69 crores from HTM category to AFS category and
 - No SLR securities from AFS category to HTM category has been shifted during the year.
 - In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2023-24, a sum of Rs. 148.15 crores (previous year Rs 143.25 crores) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

d. Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2023-24	2022-23
a)	Opening balance	2821.92	1979.98
b)	Additions during the year since 1 st April 2024	468.92	1025.54
c)	Reductions during the above period	632.46	183.60
d)	Closing balance	2658.38	2821.92
e)	Total provisions held	2658.38	1810.18

ii. Issuer composition of non-SLR investments

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023
a)	PSUs	23825.42	22873.36	19818.91	20196.01	0.00	0.00	348.57	394.99	573.22	18321.99
b)	FIs	8568.38	7118.71	1051.80	2845.59	0.00	134.99	748.60	20.00	923.59	20.00
c)	Banks	14293.91	2981.53	1413.87	1413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	374.42	0.00
d)	Private Corporates	4300.78	5247.24	3337.78	5020.04	223.86	270.63	507.74	329.77	632.93	414.65
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	262.10	211.50	262.10	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.23	132.63
f)	Others	3094.87	2865.18	215.93	495.91	0.00	0.00	611.38	474.98	0.00	0.00
g)	Less: Provision held towards depreciation	4210.37	3748.70	8.07	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	24.41
	Total	50135.09	37548.82	26092.33	30174.86	223.86	405.62	2216.29	1219.74	2661.94	18864.86

e. Repo transactions (in face value terms)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	0.00	8248.57	778.60	0.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	0.00	9750.26	1378.65	1997.07
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(f) Government Securities Lending (GSL) transactions (in market value terms)

		(Amount ₹ in Crore)									
		Minimum outstanding during the current year	Minimum outstanding during the previous year	Maximum outstanding during the current year	Maximum outstanding during the previous year	Daily Average outstanding during the current year	Daily Average outstanding during the previous year	Total volume of transaction during the current year	Total volume of transaction during the previous year	Outstanding as on March 31 of the current financial year	Outstanding as on March 31 of the previous financial year
Securities lent through GSL transactions		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL transactions		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4. Asset quality

C. Classification of advances and provisions held

(Amount ₹ in Crore)

	2023-24					2022-23									
	Standard	Non-Performing				Total	Standard	Non-Performing			Total				
		Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances			Sub-standard	Doubtful	Loss		Total Non-Performing Advances			
Gross Standard Advances and NPAs															
Opening Balance	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.53	473586.50	380410.50	5202.88	25063.04	4948.33	35214.25	415624.75			
Add: Additions during the year					6769.93	6769.94					7042.73	7042.73			
Less: Reductions during the year					13843.15	13843.15					14077.46	14077.46			
Closing balance	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80	445406.98	4191.40	15762.68	8225.45	28179.53	473586.50			
Reductions in Gross NPAs due to:															
i) Upgradation					1026.19	1026.19									1145.72
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts & incl others as exchange diff)					4095.74	4095.74									4547.31
iii) Technical/ Prudential Write-offs					7952.82	7952.82									7188.98
iv) Write-offs other than those under (iii) above					768.40	768.40									1052.37
v) COVID moratorium int reversal					0.00	0.00									143.07
Provisions (excluding Floating Provisions)															
Opening balance of provisions held	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65	3788.83	1559.09	19475.94	4655.56	25690.59	29479.42			
Add: Fresh provisions made during the year					3652.87	3652.87					6342.14	6342.14			
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					8745.47	8745.47					8528.82	8528.82			
Closing balance of provisions held	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45	6054.74	1379.50	14317.80	7806.61	23503.91	29558.65			
Net NPAs															
Opening Balance		2723.44	1319.64	0.00	4043.07			3539.47	5178.62	130.56	8848.64				
Add: Fresh additions during the year					3117.06						700.59				
Less: Reductions during the year					4937.55						5506.16				

	2023-24				2022-23				Total	
	Standard	Non-Performing			Standard	Non-Performing				Total
		Sub-standard	Doubtful	Loss		Total Non-Performing Advances	Sub-standard	Doubtful		
Closing Balance		2210.30	12.29	0.00		2723.44	1319.64	0.00	4043.07	
Floating Provisions										
Opening Balance										70.76
Add: Additional provisions made during the year										0.00
Less: Amount drawn down during the year										0.00
Closing balance of floating provisions										70.76
Technical write-offs and the recoveries made thereon										
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts									37217.67	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year									7952.82	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year									5475.44	
Closing balance									39695.05	37217.67

Ratios (in percent)	31.03.2024	31.03.2023
Gross NPA to Gross Advances	3.95	5.95
Net NPA to Net Advances	0.43	0.90
Provision coverage ratio With AUC	96.34	93.82
Provision coverage ratio Without AUC	89.47	85.65

b. Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	31.03.2024			31.03.2023		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	119813.51	8484.91	7.08%	101000.43	8654.40	8.57%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	31584.21	3139.19	9.94%	28673.35	4313.43	15.04%
c)	Services	50783.53	5429.76	9.94%	50982.45	6468.38	12.69%
d)	Personal loans	12463.67	814.43	6.53%	10162.22	1145.25	11.27%
	Subtotal (i)	214644.92	17867.87	8.32%	190818.45	20581.47	10.79%
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	1248.94	26.86	2.15%	936.14	271.50	29.00%
b)	Industry	89698.16	1487.05	1.66%	108343.12	4457.57	4.11%
c)	Services	63648.34	298.11	0.47%	92520.00	846.26	0.91%
d)	Personal loans	128919.22	1426.42	1.11%	80967.79	2022.72	2.50%
	Sub-total (ii)	283514.66	3238.44	1.17%	282767.05	7598.05	2.69%
	Total (i + ii)	498159.58	21106.31	4.24%	473586.50	28179.52	5.95%

c. Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Total Assets	38853.91	31620.97
Total NPAs	1265.52	1267.06
Total Revenue	2063.45	1041.69

d. Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(Amount ₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2024, out of (b) classified as NPA (c)	Addl. provision required for loans covered under RBI circular (d)	Provision out of (d) already made by 31.03.2024 (e)
11735.57	10825.40	10825.40	434.53	434.53

* including provision of Rs.322.04 Crore on Non Fund outstanding of the NPA account as on 31.03.2024.

Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process & exempted from regulatory ceilings / restrictions on Capital Market Exposures, investment in Para-Banking activities and intra-group exposure during the FY 2023-24: NIL

e. Divergence in asset classification and provisioning

In our Bank, divergence are within threshold limit specified in terms of RBI circular no DOR.ACC.REC.No. 45/21/4/018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 11.10.2022), hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPA is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2023.

f. Disclosure of transfer of loan exposures

In accordance with RBI Circular No DOR.STR.REC.51/21.04.048/2022-23 dated September 24, 2021 the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2024 are given below:

i. Details of loans not in default acquired:

Mode of Acquisition: Direct Assignment

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	199.54	2507.75	1631.15
Weighted Average Residual Maturity (in years)	1.75	5.52	4.75
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	0.25	0.31	0.41
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	10%	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	NIL	140.58%	55%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	AA-	AAA: Rs. 258.21 Cr AA: Rs. 2106.22 Cr A: Rs. 143.32 Cr	AAA: Rs. 297.91 Cr AA: Rs. 1033.87 Cr A: Rs. 299.37 Cr

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2023 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	1322.84	3826.71	2900.86
Weighted Average Residual Maturity (in years)	1.75	4.75	3.47
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	0.25	0.32	0.36
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	5% -10%	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	NIL	150.80 %	61%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	AAA: 0.00 AA: Rs. 38.02 Cr A: Rs. 1284.82 Cr	AAA: Rs. 466.78 Cr AA: Rs. 3142.94 Cr A: Rs. 216.99 Cr	AAA: Rs. 60.35 Cr AA: Rs. 2073.31 Cr A: Rs. 767.20 Cr

Mode of Acquisition: Co-Lending / Loan Participation

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	0.60	270.98	NIL
Weighted Average Residual Maturity (in years)	5	6.64	NIL
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NA	0.00	NIL
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	20%	20%	NIL
Tangible Security Coverage (%)	125%	60.62%	NIL
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	A+	AA: Rs. 59.68 Cr A: Rs. 96.32 Cr BBB: Rs.114.98 Cr	NIL

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2023 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NIL	426.77	248.27
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	11.36	11.09
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NIL	0.00	0.00
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NIL	20%	20%
Tangible Security Coverage (%)	NIL	12.56%	306%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	NIL	AA: Rs. 90.25 Cr A: Rs. 299.00 Cr BBB: Rs. 37.52 Cr	AA: Rs. 248.47 Cr

ii. Details of loans not in default transferred: NIL

iii. Details of stressed loan transferred:

(Amount ₹ in Crore except number of accounts)

Details of Stress loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2023 to 31.03.2024			
Particular	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of Accounts	137	2	NIL
Aggregate principal outstanding loans transferred	1635.36	72.41	
Weighted average residual tenor of the loans transferred	0	0	
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	4.60	0	
Aggregate Consideration	408.90	55.69	
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0	0	

The Bank has reversed the amount of Rs. 231.85 Crores of excess provision to the profit and loss account on account of sale of stressed loans.

iv. Details of loans acquired during the year: NIL

- v. The distribution of Security Receipts (SRs) held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the Credit Rating Agencies as on 31.03.2024 is given as under:

(Amount ₹ in Crore)

Security Receipts	Amount
RR1+ (Above 150%)	1.42
RR1 (Above 100% up to 150%)	113.11
RR2 (Above 75% up to 100%)	31.48
RR3 (Above 50% up to 75%)	15.89
RR4 (Above 25% up to 50%)	0.00
RR5 (up to 25%)	29.40
SRs with unrated (0%)	699.99
TOTAL	891.31

* The bank is holding 100% provision

g. Book Value of Security Receipts (without netting hived off provision)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	891.31	971.70
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	891.31	971.70

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs Issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	0.00	191.33	699.98
	Provision held against (i)	0.00	191.33	699.98
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i) + (ii)	0.00	191.33	699.98

h. Fraud accounts

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Number of frauds reported	6059	429
Amount involved in fraud (₹ crore)	204.91	493.31
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	158.89	442.76
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.	0	0

i. MSME DISCLOSURE

In accordance with the RBI Circulars DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020, DOR.No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on 'Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances', the details of MSME restructured accounts under the Scheme are as under:

No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2024 (Amount ₹ in Crore)
56397	3248.98

j. Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

A special window under the Prudential Framework was extended vide circular DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2021-22 dated August 6, 2020 and RBI/2022-23/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2022-23 dated May 5, 2021 to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures, and personal loans, while classifying such exposures as Standard. Details of resolution plan implemented under the resolution framework for covid-19 related stress as given below

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 30.09.2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended 31.03.2024	Of (A) amount written off during the half-year ended 31.03.2024	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended 31.03.2024	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 31.03.2024
1	Personal Loans	5485	252	0	263	4970
2	Corporate persons*	2174	185	0	386	1603
	Of which MSMEs	1305	185	0	350	770
3	Others	2321	32	0	265	2023
	Total (1+2+3)	9980	469	0	915	8596

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

K. Covid Measures:

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

5. Exposures

a. Exposure to real estate sector

(Amount ₹ in Crore)

Category	31.03.2024	31.03.2023
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector**	60395.04 (9037.83)	56613.08 (7788.72)
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)**	19132.00	15753.98
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
i) Residential	NIL	NIL
ii) Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	19902.89	28188.11
Total Exposure to Real Estate Sector	99429.93	100555.17

**Exposure also include non-fund based (NFB) limits;

b. Exposure to capital market

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	2032.61	1929.42
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.70	11.68
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL

v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	919.21	490.01
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	173.58	249.50
Total exposure to capital market	3126.34	2680.61

c. Risk category-wise country exposure

(Amount ₹ in Crore)

Risk Rating	Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2024	Provision held as at 31.03.2024	Exposure (Net) as at 31.03.2023	Provision held as at 31.03.2023
A1	Insignificant	17686.84	12.57	17062.00	6.82
A2	Low	3467.50	-	6176.81	-
B1	Moderately Low	701.40	-	96.93	-
B2	Moderate	50.92	-	100.76	-
C1	Moderately High	596.79	-	19.08	-
C2	High	1.53	-	482.94	-
D	Very High	383.47	-	0.00	-
	Total	22888.44	12.57	23938.51	6.82

** As per the updated country risk classification by the ECGC as of 31.03.2024

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2024 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank.

In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of Rs.12.57 Crores (Previous year Rs.6.82 Crores) for 'Insignificant' risk category) is available.

d. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL), if any, exceeded by the Bank

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of total exposure
-	-	NIL	-	-

e. Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2024 branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2024 is NIL. Hence no financial impact on outstanding LOC/LOU.

During the year ended 31.03.2024, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) and Gift City Branch is NIL and Outstanding as on 31.03.2024 is NIL

As per the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank to ensure that Singapore branch maintains sound liquidity and a sound financial position at all times. Accordingly, the Bank continues to maintain deposits to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 358.64 crore) with Singapore Branch.

Bank has issued LOU for Sri Lankan branches favouring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. Bank undertakes to provide funds as may be necessary to meet all obligations incurred in or in connection with its business in Sri Lanka. We do not anticipate any financial impact in immediate near future on account of this LOU.

Bank has issued LOC for our IBU/ FBU in IFSC, SEZ Gift City, Gujarat Favouring International Financial Service Centres Authority (IFSCA) as per the mandatory requirement of IFSCA. Bank undertakes to provide the necessary financial assistance as and when required in the form of Capital and liquidity support for our IBU/FBU in IFSC, GIFT city. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on account of this LOC.

f. Unsecured advances

(₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total unsecured advances of the bank	48051.51	36332.65
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

g. Factoring exposures:

The Banks factoring exposures as at 31st March 2024 is Rs. 2400 Cr (Previous Year: NIL)

h. Intra-group exposures

Sl. No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Total Amount of intra group exposures	1311.85	904.64
2	Total Amount of top 20 intra group exposures	1311.85	904.64
3	Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.18%	0.14%
4	Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

i. Unhedged foreign currency exposure

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of Unhedged Foreign Currency Exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, Bank is ensuring that all the exposures (fund based and non-fund based including Letter of comfort/ Letter of undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts, unhedged exposure are captured and impact is analysed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of ₹35.10 Crore and Capital of ₹ 61.32 Crore for the year ended 31st March 2024 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular dated October 11, 2022

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	40833	42447
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	5.92%	6.83%

b) Concentration of advances

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total advances to the twenty largest borrowers	71196.34	71218.20
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	10.39%	11.23%

c) Concentration of exposures

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	75935.87	75085.66
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	10.56%	11.45%

d) Concentration of NPAs

Particulars	2023-24	2022-23
Total Exposures to the Top Twenty Accounts	1791.34	3558.02
Percentage of exposures to the Twenty largest NPA exposures to the total Gross NPAs	8.49%	12.63%

7. Derivatives

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
i) The notional principal of swap agreements	896.60	800.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swap	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	896.60	800.00
v) The fair value of the swap book	-0.96**	-5.49

*Figures have been restated for better presentation of financial statement

**Positive MTM is Rs. 0.09 Crore and MTM is Rs. 1.05 Crore.

b) Exchange traded interest rate derivatives

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	425.00	Nil
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives (instrument wise)	425.00	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	200.00	Nil
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	0.07*	Nil

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

ii) Quantitative disclosures

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particular	31.03.2024		31.03.2023	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging	0.00	746.60	0.00	0.00
	ii) For trading	0.00	575.00	0.00	800.00
b)	Marked to Market Positions				
	i) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)	0.00	0.89	0.00	0.00
c)	Credit Exposure	0.00	10.30	0.00	0.00
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	i) on hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives	0.00	6.58	0.00	0.00
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	i) on hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	0.00	Max-6.58 Min-0.43	0.00	0.00

d) Credit default swaps: NIL

8. Disclosures relating to securitisation

(Number/ Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL

	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
5	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL
7	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a) Amount paid b) Repayment received c) Outstanding amount	NIL	NIL
8	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored

Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Opening balance of amounts transferred to DEAF as on 01.04.2023	2510.66	2221.49
Add : Amounts transferred to DEAF during the year 2023-24	911.64	344.72
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year 2023-24	188.08	55.55
Closing balance of amounts transferred to DEAF up to 31.03.2024 (1+2-3)	3234.22	2510.66

Note: Closing Balance of the amount transferred to DEA Fund i.e. Rs. 3234.22 as on 31.03.2024 (Rs. 2510.66 as on 31.03.2023), which is disclosed above, are also included under schedule-12-Contingent Liabilities-Others' for which the Bank is contingently liable.

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sl. No.	Particulars	2023-24	2022-23
Complaints received by the Bank from its Customers			
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	838	1588
2	Number of complaints received during the year	89229	99298
3	Number of complaints disposed during the year	89498	100048
3.1	of which, number of complaints rejected by the Bank	3301	2131
4	Number of complaints pending at the end of the year	569	838
Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman			
5	Number of maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman	5165	6752
5.1	of 5, Number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	5099	6598
5.2	of 5, Number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	77	238
5.3	of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	0	0
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

* Previously Offices of Banking Ombudsman

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of which complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of (5), Number of complaints pending beyond 30 days
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2023-24					
ATM Debit card	411	31547	-38.20%	135	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	71	18217	60.61%	193	0
Account opening / difficulty in operation of the Account	35	7843	116.47%	60	0
Loans and Advances	23	4338	74.63%	54	0
Pension and facilities for Senior Citizens / differently abled	2	1036	-7.74%	7	0
Others	296	23248	-21.67%	120	0
Total	838	89229	-10.14%	569	0
2022-23					
ATM Debit card	884	51055	-62.77%	411	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	291	11342	-75.86%	71	0
Loans and Advances	21	3623	3.36%	35	0
Account opening / difficulty in operation of the Account	18	2484	-23.75%	23	0
Credit Cards	8	1123	-1.14%	2	0
Others	366	29671	-52.10%	296	0
Total	1588	99298	-60.93%	838	0

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

12.1 Disclosure of penalties imposed by the RBI:

During the year RBI has imposed a penalty of

- Rs.0.26 Cr (187 instances), of which Rs.0.08 Cr (102 instances) is related to discrepancies in soiled notes remittances, Rs. 0.03 Cr (6 instances) is due to delayed/wrong reporting in eKuber and Rs.0.11 Cr (56 instances) is due to irregularities observed in RBI inspection at currency chests and 0.04 Cr (23 instances) is due to irregularities observed in incognito visit of branches by RBI.
- Rs 0.02 crore (no of instances: 23) of which 0.02 crore is related to Cash Out ATM.
- Rs. 1.62 crore on the Bank for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans and Advances - Statutory and Other Restrictions', 'RBI [Know Your Customer (KYC)] Directions, 2016' and 'RBI (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016.
- Rs. 0.55 crore for non-compliance with the directions issued by Reserve Bank on 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016.

(Penalty imposed by RBI in previous year: Rs 1.05 Cr.)

12.2 Disclosure of penalties imposed by the GOI / State Govt.:

During the year, Govt has imposed penalty of 1.24 Cr (19 instances – pertaining to period 2005- 2023) related to delay in remittances to Govt accounts. Representations submitted to respective Ministries for waiver / reduction of penal interest amount. Hence the provision has not been made in the account for the year.

(Penalty imposed by GOI in previous year: Rs 0.11 Cr.)

13. Cash Flow Statement (AS 3):

Standalone Cash Flow statement for the Year ended March 31, 2024

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2024	31.03.2023
Net Profit as per Profit and Loss Account	8062.94	5281.70
Adjustments for :		
Provision for NPA	3652.87	6516.22
Provision for Investment	(382.06)	492.15
Provision for Standard Assets	1936.53	2294.68
Provision for Tax	2888.20	632.71
Other Provisions and Contingencies	236.12	140.15
Depreciation on Fixed Assets	524.29	528.81
Interest on Capital Instrument	710.85	733.88
Loss/(profit) on sale of land and buildings	1.90	(0.13)
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	(2.63)	(7.09)
Income taxes paid	(870.00)	0.00
Profit before working Capital Changes	16759.01	16613.08
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(26184.17)	(11921.81)
(Increase) / Decrease in Advances	(69245.20)	(66717.64)
(Increase) / Decrease in Other assets	2943.14	2699.51
	(92486.23)	(75939.94)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	66834.25	27547.94
Increase / (Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	2058.46	4864.06
Increase / (Decrease) in Other liabilities	(1778.58)	(1028.28)
	67114.13	31383.72
Net cash generated from operations (A)	(8613.09)	(27943.14)
Cash flow from Investing activities		
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	2.63	7.09

Particulars	Year ended	
	31.03.2024	31.03.2023
Purchase of fixed assets	(616.88)	(324.45)
Sale of fixed assets	8.85	20.45
Net cash generated from Investing Activities (B)	(605.40)	(296.91)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(1071.08)	(809.54)
Redemption of Tier 2 Bonds	(1000.00)	0.00
Interest on Capital Instrument	(733.88)	(733.88)
Equity Capital Issued during the period (incl. Share premium)	4000.00	0.00
Net cash generated from financing activities (C)	1195.04	(1543.42)
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	(8023.45)	(29783.47)
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1242.48	1962.40
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	26670.15	22092.01
b) in other deposit accounts	4780.00	34500.20
Balances with Banks		
a) in current accounts	18.13	6.18
b) in other deposit accounts	1573.64	1386.15
Money at Call and short notice with Banks	5007.04	0.00
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	693.49	503.98
b) in other deposit accounts	10144.91	19453.09
Money at call and short notice	2.74	12.04
	50132.58	79916.05
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1304.15	1242.48
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	31134.61	26670.15
b) in other deposit accounts	264.00	4780.00
Balances with Banks		
a) in current accounts	4.20	18.13
b) in other deposit accounts	1573.60	1573.64
Money at Call and short notice with Banks	1997.07	5007.04
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	743.35	693.49
b) in other deposit accounts	5084.58	10144.91
Money at call and short notice	3.57	2.74
	42109.13	50132.58
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	(8023.45)	(29783.47)

Note: The Cash flow Statement for the year ended 31st March 2024 has been prepared by Indirect method.

14. Employee Benefits (AS 15)

i. Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2023-24, the Bank has contributed 1.07 crores (previous year ₹ 0.91 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2023-24, the Bank has contributed 353.34 crores (previous year ₹ 288.87 crores)

ii. Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2024	31/03/2023
Discount Rate -G-Sec Rate	7.21% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	7.48% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets*	7.88% for Pension and 7.89% for Gratuity	7.69% for Pension and 7.83% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
PVO as at the beginning of the year	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
Interest Cost	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
Current service cost	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
Actuarial loss/ (gain) on obligation	1010.11	1689.97	139.12	63.18	328.14	187.82
PVO as at the end of the year	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46

(Amount ₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	17282.98	15893.63	1764.27	1802.75	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
Contributions	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
Benefits paid	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
Actuarial gain/(loss) on plan assets	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Expected return on plan assets	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1408.52	1240.84	141.19	135.24	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1010.11	-1689.97	-139.12	-63.18	-328.14	-187.82
Actuarial gain / (loss) for the year - due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82

(Amount ₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Present value of the obligation	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
Fair value of plan assets	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46

*Provision on account of change in family pension rules is included

(Amount ₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Current service cost	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
Interest Cost	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
Expected return on plan assets	-1398.59	-1227.56	-139.89	-134.35	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	990.46	1676.69	137.84	62.29	328.14	187.82
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	2286.69	1859.91	268.46	128.87	669.87	458.92

(Amount ₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Opening net liability	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75
Expense as above	-2286.69	-1859.91	-268.46	-128.87	-669.87	-458.92
Contribution paid	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
Closing net liability	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2019-24 - Pension	Year ended					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Present Value of obligation	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93
Plan Assets	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08
Surplus/ (Deficit)	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2019-24 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Present Value of obligation	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26
Plan Assets	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98
Surplus/ (Deficit)	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2019-24 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Present Value of obligation	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2023-24		2022-23	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	23.43%	29.29%	21.62%	23.35%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	17.33%	15.64%	13.02%	12.88%
Special Deposit Scheme	0.05%	0.06%	0.04%	0.04%
Funds managed by Insurer	58.67%	54.48%	65.12%	63.53%
Equity and Mutual Funds	0.52%	0.53%	0.20%	0.20%
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

iii. Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 41.96 crore (previous year ₹ 73.65 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year :

(Amount ₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2024	31/03/2023
1.	Sick Leave	4.55	2.54
2.	Casual Leave	0.97	-0.03
3.	Leave Travel Concession	36.44	71.14
	Total	41.96	73.65

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

15. Property, Plant and Equipment (AS-10)

15.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2021-22 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs. 599.48 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account." For the year 2023-24, depreciation amounting to Rs. 105.56 Crore (previous year Rs. 110.87 Crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 98.79 Crore (previous year Rs. 104.12 Crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve Account.". Also Rs. 7.50 Crore was transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve on account of Sale of Premises. As per AS 10, depreciation on revalued assets amounting to Rs. 104.12 Crore was also charged under expenditure for the year 2022-23. The same was adjusted against revaluation reserve to the credit of Revenue Reserve account.

15.2 Premises include 9 (7+2*) properties original costing Rs. 8.38 crores having revalued book value of Rs. 63.71 crores (Previous year Rs. 65.98 Crores), net of depreciation of Rs. 0.44 Crore (Previous year Rs.0.76 crore) for which registration formalities are pending

*Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority at Govt of Telangana for regularization where interim stay has been granted by DRAT and at Chennai costing Rs.2.32 Crore, where interim stay has been granted by DRT.

16. Lease (AS 19)

- A) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- B) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- C) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 426.22 Crore. (Previous year Rs. 399.08 Cr).
- D) Finance lease
 An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance leases are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2024	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2024	As at 31 st March 2023
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

17. Indian Bank Trust for Rural Development

IBTRD has been set up by the Bank on 22.09.2008 to pay focused attention on Rural Development initiatives. As per GoI notification, erstwhile Allahabad Bank has been amalgamated with Indian Bank w.e.f. 01.04.2020, and the process of amalgamation of IBTRD and Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) is under progress and all the assets and liabilities of ABRDT will be transferred to IBTRD. The focus area of the Trust has been self-employment training and imparting Financial Literacy at both district and block level.

As per the direction of Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, our Bank has established Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs) in the name of Indian Bank Self-Employment Training Institutes (INDSETIs) through the Trust to impart self-employment training to rural youth

The present number of INDSETIs, Financial Literacy Centres (FLCs) and Centres of Financial Literacy (CFLs) sponsored by the Trust pan-India are as under:

Particulars	In Lead districts	In Non-lead districts	Total
INDSETIs	32	5	37
FLCs	36	6	42
CFLs	107	15	122

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Board of Trustees of IBTRD

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024*

(Amount ₹ in Crore)

Expenditure		Income	
Operating Expenses for INDSETIs	16.08	Reimbursement of Expenses by Bank towards CSR	12.50
Expenses for FLCs	0.74	Training Cost Reimbursement by various agencies	7.62
Expenses for CFLs	0.82	Credit back of FLC balances due to account closure	0.02
AMC	0.02		
Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.03		
Excess of Income over Expenditure	2.45		
TOTAL	20.14		20.14

PROVISIONAL RECEIPT AND PAYMENT A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024*

Receipt		Payment	
Opening Balance	4.25	Capital Expenses for INDSETIs	0.70
CSR Contribution from Bank	12.50	Reimbursements to INDSETIs, FLCs & CFLs	14.54
Direct Income	7.62	AMC	0.02
Interest Received	0.09	Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.03
		Closing Balance	9.17
TOTAL	24.46		24.46

* Figures are subject to change on final audit of Trust

Note: As on 31.03.2024, the Allahabad Bank Rural Development Trust (ABRDT) account holds a credit balance of Rs.2.52 Crore

18. Legal

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communication Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claim aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank during FY 2011-12. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made during FY 2012-13 with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay. The said remittance of Rs. 100 Crore was made by the Bank has been adjusted during the year by debiting the current account and FD account (Rs. 84.09 Crore) of M/s Nimbus Communication Ltd leaving O/s balance as on 31.03.2024 of Rs. 15.94 Crore.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having total provision of Rs. 31.26 Crore (previous year Rs. 31.26 Crore).

19. Accounting standard-17 “Segment Reporting”

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

** Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT.REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.*

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

- (i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business –

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. **Domestic Operations** – Branches/Offices having operations in India
- ii. **Foreign Operations** – Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

Part A Business Segment	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Revenue	15616.08	13781.49	22165.82	18223.54	24927.68	19474.98	0.18	0.00	24927.50	19474.98	771.92	605.26	63481.50	52085.27
Result	5658.69	5673.24	5046.07	4468.80	5545.69	4702.20	(0.27)	(0.25)	5545.96	4702.45	589.10	426.38	16839.55	15270.62
Unallocated expenses													5888.41	9356.21
Operating profit													10951.14	5914.41
Other unallocable income													0.00	0.00
Income Taxes													2888.20	632.71
Exceptional item													0.00	0.00
Net Profit													8062.94	5281.70
Other information													0.00	0.00
Segment Assets	233839.17	218813.92	259620.22	232908.23	291324.65	249089.62	9.88	0.93	291314.77	249088.69	0.00	0.00	784784.04	700811.77
Unallocated assets													7835.08	9688.96
Total assets													792619.12	710500.73
Segment Liabilities	216613.46	204039.68	240495.35	217182.35	269864.28	232271.18	10.15	1.18	269854.13	232270.00	0.00	0.00	726973.09	653493.21
Unallocated liabilities													7257.91	9034.77
Capital reserves & Surplus													58388.12	47972.75
Total liabilities													792619.12	710500.73

Part B Geographic Segments	Domestic		International		Total	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Revenue	61418.05	51043.58	2063.45	1041.69	63481.50	52085.27
Assets	753765.21	678879.76	38853.91	31620.97	792619.12	710500.73

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary

20. Related Party Disclosures (AS 18):

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank

20.1 SUBSIDIARIES:

SI No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a)	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	11/08/1989	64.84%	M/s Brahmayya & Co,	13/09/2023
b)	Ind Bank Housing Ltd.	India	28/01/1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	20/09/2023
c)	Indbank Global Support Services Limited	India	09/02/2024	100.00%	Statutory auditor yet to be appointed by C & AG	NA

20.2 ASSOCIATES:

SI. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a)	Tamilnadu Grama Bank	35%
b)	Saptagiri Grameena Bank	35%
c)	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

20.3 Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52%	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26%	37.50

20.4.1 Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment.
Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.09.2021
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024

20.4.2 The details of cessation of directorship during FY 2023-24 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	01.06.2023	Elevation as MD & CEO of UCO Bank
2.	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2024	Completion of term of appointment
3.	Dr. Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	14.07.2023	GOINotificationNo.eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14.07.2023
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	07.02.2024	Completion of term of appointment

20.5 Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	200
2	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	205

20.6 Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹232.60 lakhs (Previous- Year ₹135.84 lakhs)

Details	2023-24	2022-23
Shri Shanti Lal Jain MD& CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 31.03.2024)	₹ 47.53 lakhs	₹ 40.74 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 10.03.2024)	₹ 67.30 lakhs \$	₹ 36.53 lakhs
Shri Ashwani Kumar, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 01.06.2023)	₹ 15.12 lakhs#	₹ 47.23 lakhs*
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 31.03.2024)	₹ 35.17 lakhs	₹ 11.34 lakhs
Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director Salary & Emoluments Paid (03.05.2023 to 31.03.2024)	₹ 45.82 lakhs	--
Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (09.10.2023 to 31.03.2024)	₹ 19.70 lakhs	--
Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (10.03.2024 to 31.03.2024)	₹ 1.96 lakhs	--

*Including House Rent Allowance of Rs 12.32 lakhs

\$ Including PI encashment of Rs 30.00 Lakhs

including PLI and Other allowances

20.7 Other disclosures pertaining to related parties are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Joint ventures	Total
Rendering of services	20.29	1.97	22.26
Receiving of services	1.97	20.29	22.26

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship

have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

21. Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2023-24	2022-23
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	8062.94	5281.70
Number of Equity Shares	1346963981	1245441139
Weighted Number of equity shares	1275121314	1245441139
Basic Earnings Per Share	63.23	42.41
Diluted earnings per share	63.23	42.41
Nominal value per Equity Share	10.00	10.00

22. Accounting for taxes on income (AS 22):

- a) **Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs. 3357.18 Crore including provision for tax relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 8.26 Crores. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs. 18.08 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- b) **Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs. 4921.62 Crore (Previous year net DTA of Rs 4434.56 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs. 1116.56 Crore (Previous year Rs. 1025.40 Crore) and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs. 6038.18 Crore (Previous Year Rs. 5459.96 Crore). The major components of DTA and DTL (including foreign branches) is given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2024	31.03.2023
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	376.55	275.43
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	131.17	122.57
3	Provision for Gratuity	0.04	0.04
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3864.41
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	1569.60	1094.72
6	Depreciation on Fixed Assets	96.41	102.79
	Total DTA	6038.18	5459.96
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	44.40
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	704.90	613.74
	Total DTL	1116.56	1025.40
	Net DTA/(DTL)	4921.62	4434.56

c) **Provision for Income Tax for the year:**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Provision for Taxation-Global (Income tax including Deferred Tax)	2888.20	632.71

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2024 was Rs. 3953.36 crore (previous year 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs 9761.82 Crore (previous year Rs. 8846.59 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2024. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

23. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs. in Crore)
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particular	31.03.2024	31.03.2023
Liabilities		
Capital & Reserves	496.03	437.90
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	11.40	19.38
Other Liabilities & Provisions	1211.02	1271.32
TOTAL	1718.45	1728.60
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.01	0.10
Balances with Banks and money at call and short notice	33.95	54.81
Investments	1393.41	1337.92
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	21.08	18.07
Other Assets	270.00	317.70
TOTAL	1718.45	1728.60
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	63.65	46.76

Particular	31.03.2024	31.03.2023
Income		
Interest earned	6.42	5.99
Other Income	731.00	695.48
TOTAL	737.42	701.47
Expenditure		
Interest expended	1.81	1.81
Operating expenses	645.43	620.43
Provisions & Contingencies	29.58	25.46
TOTAL	676.82	645.90
Profit	60.60	53.77

24. Impairment of Assets (AS-28):

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies."

25. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2023	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2024
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	217.68	6.22	0.26	223.64

26. Other Disclosures

a) Business ratios

	Particular	2023-24	2022-23
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds ¹	7.37	6.52
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds ¹	1.04	1.04
iii)	Cost of Deposits (%)	4.88	4.09
iv)	Net Interest Margin ^{(%)2}	3.47	3.37
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds ¹	2.23	2.22
vi)	Return on Assets ^{(%)3}	1.07	0.77
vii)	Business (deposits plus advances) per employee ⁴ (in ₹ crore)	29.85	26.61
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.20	0.13

1 Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X for Commercial Banks and Form IX for UCBs, during the 12 months of the financial year.

2 Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

3 Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

4 For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

b) Bancassurance Business

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.163.21 Crore on sale/ marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs.136.35 Crore)

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2023-24	2022-23
1	For Selling Life Insurance Policies	127.03	100.37
2	For selling Non-life insurance policies	32.17	29.42
3	Others – For selling Mutual Fund Products	4.01	6.56
	Total	163.21	136.35

c) Marketing and distribution

The Bank does not undertake marketing and/or distribution of any product of other entities (other than products under Bancassurance Business). Therefore, the Bank has not earned any fees/remuneration from the stated activities.

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year shall be disclosed.

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	PSLC Category	Purchase position		Sale position	
		No. of Units	Amount	No. of Units	Amount
1	PSLC AGRICULTURE	0	0.00	20000	5000
2	PSLC SMALL AND MARGINAL FARMER	0	0.00	126800	31700
3	PSLC GENERAL	0	0.00	0	0
4	PSLC MICRO	0	0.00	0	0
	Total	0	0	146800	36700

e) Provisions and contingencies

(Amount ₹ in Crore)

Provision debited to Profit and Loss Account	2023-24	2022-23
i) Provisions for NPI	62.89	405.16
ii) Provision towards NPA	3652.87	6516.22
iii) Provision made towards Income tax	2888.20	632.71
iv) Other Provisions and Contingencies (with details)		
a. Standard Advances	1936.53*	2294.78
b. Restructured Advances	172.95	90.75
c. Others	63.17	49.30
TOTAL	8776.61	9988.92

*For the FY 2024, the Bank has made incremental provision Rs. 1871.52 Crores (net) on Standard Assets over and above the minimum regulatory requirement

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- i) As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018
- ii) RBI also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly, proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.
- iii) Subsequently, RBI advised that Banks shall submit Ind AS proforma financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. The same has been duly complied with.
- iv) From F.Y. 2021-22 onwards, RBI advised to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. The same has been complied with. The Audit Committee of the Board and Board of Directors have been periodically apprised the progress in this regard.
- v) As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019, implementation of Ind AS in Banks has been deferred till further notice. However, submission of proforma Ind AS financials to RBI has been continued and the Bank is complying with the same.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	776.42	732.47
ii)	Arrears in payment of DICGC Premium	0.00	0.00

h) During the Year ended March 31, 2024, the Bank has issued and allotted 10,15,22,842 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs.384 per share aggregating to Rs. 4000 Crore to the investors by way of QIP.

i) a) Items includes in Miscellaneous income which exceeds 1% of total income

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Processing Charges	746.67	693.04
Recovery from bad debts	1879.43	2177.18
PSLC Income	656.77	479.32

* PSLC income doesn't exceed 1% of total income during FY 2022-23.

b) Items includes in Schedule 5(IV)-Other Liabilities and Provisions - "Others (including provisions)" which exceeds 1% of total assets

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Provision for Standard Assets*	8026.39	6089.48

* Provision for Standard assets doesn't exceed 1% of total assets during FY 2022-23.

Note:

- None of the item under the subhead "Other expenditure" under the head "Schedule 16- Operating Expenses" exceeds one per cent of total income.
- None of the item under the Schedule 11(VI)-Other Assets- "Others" exceeds one per cent of the total assets.

j) Portfolio - level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative
Total green deposits raised (A)	NIL	NIL	NIL
Use of green deposit funds**			
1) Renewable Energy	NIL	NIL	NIL
2) Energy Efficiency	NIL	NIL	NIL
3) Clean Transportation	NIL	NIL	NIL
4) Climate Change Adaptation	NIL	NIL	NIL
5) Sustainable Water and Waste Management	NIL	NIL	NIL
6) Pollution Prevention and Control	NIL	NIL	NIL
7) Green Buildings	NIL	NIL	NIL
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	NIL	NIL	NIL

(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	NIL	NIL	NIL
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	NIL	NIL	NIL
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	NIL	NIL	NIL
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/ projects	NIL	NIL	NIL

k) Reconciliation and Adjustments

- I. Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2024 except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- II. In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2024, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 263.79 Crore (Rs 35.78 Crore during the year 2023-24)
- III. Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- IV. Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.
- V. Dividend of Rs. 12.00 per equity share i.e. 120% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2023-24.
- VI. As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.
- VII. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Indian Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:

- i) The Central Office and its Departments, Treasury Branch and 20 Indian Branches audited by us;
- ii) 1802 Indian Branches (incl. GIFT City Branch) audited by respective Statutory Branch Auditors and
- iii) 3 Foreign Branches audited by respective local auditors;

The Indian branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also, incorporated in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 4500 Indian branches/offices which have not been subjected to Audit. These unaudited branches account for 25.77% of Advances, 50.19% of Deposits, 17.67% of Interest income and 43.79% of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
- a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;
 - b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
 - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon,

and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How the Key Audit Matter was addressed in our Audit
1.	<p>Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances</p> <p>The net advances of the Bank constitute 64.96% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements.</p> <p>The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets.</p> <p>Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non-performing, NPA classification and calculation of provision.</p> <p>The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.</p> <p>Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.</p>	<p>Tests of control</p> <p>Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports).</p> <p>Substantive tests</p> <p>A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non-performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc. in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	<p>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade. 	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular,</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Investments constitute 26.82% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. • The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. • Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.
---	---

Other Matters

5. We did not audit the financial statements / information of 1805 branches (including 3 foreign branches) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,53,565.70 crores as at 31st March 2024 and total revenue of Rs. 18,185.76 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 39.34 % of advances, 44.71% of deposits and 43.04% of Non-performing assets as at 31st March 2024 and 28.65 % of revenue for the year ended 31st March 2024 The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matters

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

9. The Standalone Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2023 were audited by the joint auditors, two of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Standalone Financial Statements vide report dated 08.05.2023

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The standalone Balance Sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 7 & 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

11. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under :
- In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - As the Bank is not registered under the Companies Act , 2013 the disqualifications from being a director the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act 2013 do not apply to the Bank.
 - There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements as at 31st March 2024
12. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
 - the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the standalone Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
 - the reports on the accounts of the 1805 branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For S A R C & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR

Partner
(M. No. 114196)

UDIN: 24114196BKAIQQ7569

For KAILASH CHAND JAIN & CO

Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN

Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 24110713BKGFCD5671

For S. SINGHAL & CO

Chartered Accountants
FRN: 001526C

NATWAR SARDA

Partner
(M. No. 076070)

UDIN: 24076070BKBFZA8860

For G BALU ASSOCIATES LLP

Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

R. RAVISHANKAR

Partner
(M. No. 026819)

UDIN: 24026819BKBOVF7719

For DASS GUPTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN: 000112N

BHANU PREET KAUR

Partner
(M. No. 421517)

UDIN: 24421517BKEUDH4354

Date of Report : 06.05.2024

Place of Signature: Chennai

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of Indian Bank as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and Board of Directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1802 Indian branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For S A R C & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR

Partner
(M. No. 114196)

UDIN: 24114196BKAIQQ7569

For KAILASH CHAND JAIN & CO

Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN

Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 24110713BKGFCD5671

For S. SINGHAL & CO

Chartered Accountants
FRN: 001526C

NATWAR SARDA

Partner
(M. No. 076070)

UDIN: 24076070BKBFZA8860

For G BALU ASSOCIATES LLP

Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

R. RAVISHANKAR

Partner
(M. No. 026819)

UDIN: 24026819BKBOVF7719

For DASS GUPTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN: 000112N

BHANU PREET KAUR

Partner
(M. No. 421517)

UDIN: 24421517BKEUDH4354

Date of Report : 06.05.2024

Place of Signature: Chennai

Left intentionally blank

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2024

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2024 (Audited)	As on 31.03.2023 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1346.96	1245.44
Reserves and Surplus	2	58901.24	48261.38
Minority Interest	2A	29.31	26.19
Deposits	3	687953.07	621123.23
Borrowings	4	23142.88	22092.42
Other Liabilities & Provisions	5	24335.36	20585.34
TOTAL		795708.82	713334.00
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	32702.76	32692.73
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	9474.15	17524.10
Investments	8	215241.82	188366.28
Advances	9	514889.07	449293.95
Fixed Assets	10	7539.90	7480.67
Other Assets	11	15861.12	17976.27
TOTAL		795708.82	713334.00
Contingent Liabilities	12	334331.17	381370.21
Bills for Collection		15934.58	16082.16

S L JAIN

Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)

UDIN: 24114196BKAIQR4873

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)

UDIN: 24110713BKGFCE5182

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

NATWAR SARDA
Partner
(M. No. 076070)

UDIN: 24076070BKBFZB2990

FOR G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

R. RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)

UDIN: 24026819BKBOVG5284

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 000112N

BHANU PREET KAUR
Partner
(M. No. 421517)

UDIN: 24421517BKEUDI2686

Date: 06.05.2024

Place: Chennai

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2024 (Audited)	Y. E. 31.03.2023 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	55649.73	44985.16
Other Income	14	8581.95	7804.50
TOTAL		64231.68	52789.66
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	32340.76	24717.29
Operating Expenses	16	14952.80	12724.76
Provisions & Contingencies		8808.97	10017.13
TOTAL		56102.53	47459.18
III. Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to group before adjustment for Share of earnings in Associates and minority interest		8129.15	5330.48
Share of earnings in Associates		293.37	243.04
Consolidated Profit/ (loss) for the period before deducting minorities' interest		8422.52	5573.52
Less: Minority Interest		3.11	1.21
Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to the group		8419.41	5572.31
Profit / (Loss) Brought forward		1365.84	1071.77
TOTAL		9785.25	6644.08
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to:			
Statutory Reserves		2015.74	1320.43
Capital Reserves		0.00	0.00
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		362.22	191.73
Investment Fluctuation Reserve		328.11	0.00
Revenue Reserves		3250.00	2655.00
Staff Welfare Fund		40.00	40.00
Investment Reserve		254.40	0.00
Equity Dividend		1616.36	1071.08
Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
Dividend Distribution Tax		0.00	0.00
Balance carried over to Consolidated Balance Sheet		1918.42	1365.84
TOTAL APPROPRIATIONS		9785.25	6644.08
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		66.03	44.74

S L JAIN

Managing Director & CEO

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

MAHESH KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS

MARUTHI PRASAD TANGIRALA
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

PAPIA SENGUPTA
Shareholder Director

PRADEEP KUMAR MALHOTRA
Shareholder Director

BALMUKUND SAHAY
Part Time Non Official Director

VISHVESH KUMAR GOEL
Part Time Non Official Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 24114196BKAIQR4873

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 24110713BKGFCE5182

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

NATWAR SARDA
Partner
(M. No. 076070)
UDIN: 24076070BKBFZB2990

FOR G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

R. RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 24026819BKBOVG5284

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 000112N

BHANU PREET KAUR
Partner
(M. No. 421517)
UDIN: 24421517BKEUDI2686

Date: 06.05.2024
Place: Chennai

SCHEDULE 1 – CAPITAL

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. 99,45,49,600 Equity Shares of Rs.10 each)	994.55	994.55
b) 35,24,14,381 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 25,08,91,539 Equity Shares of Rs. 10 each)	352.41	250.89
TOTAL	1346.96	1245.44

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	10956.39	9635.96
b) Additions during the period	2015.74	1320.43
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL I	12972.13	10956.39
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	6106.90	6211.02
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	131.71	104.12
TOTAL (A)	5975.19	6106.90
B) Others		
a) Opening Balance	1111.02	1110.69
b) Additions during the period	0.14	0.33
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	1111.16	1111.02
TOTAL II (A + B)	7086.35	7217.92
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	2391.55	2391.55
b) Additions during the period	3898.47	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL III	6290.02	2391.55
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	18072.38	15313.26
b) Additions during the period	3250.00	2655.00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	106.29	104.12
d) Deductions during the period	30.58	0.00
TOTAL (A)	21398.09	18072.38
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	2481.43	2289.70
b) Additions during the period	362.22	191.73
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	2843.65	2481.43
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58.20	58.20
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (C)	58.20	58.20

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	1031.90	1031.90
b) Additions during the period	328.11	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (D)	1360.01	1031.90
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	186.38	186.38
b) Additions during the period	254.40	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (E)	440.78	186.38
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	490.57	397.24
b) Additions during the period	34.20	93.33
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (F)	524.77	490.57
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1.91	1.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (G)	1.91	1.91
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	26627.41	22322.77
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006.91	4006.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL V	4006.91	4006.91
VI. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	1365.84	1071.77
b) Additions during the period	8419.41	5572.31
c) Deductions during the period	7866.83	5278.24
TOTAL VI	1918.42	1365.84
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	58901.24	48261.38

SCHEDULE 2A – MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/(decrease)	26.04	22.92
Minority interest on the date of balance sheet	29.31	26.19

SCHEDULE 3 – DEPOSITS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	138.47	138.93
ii) From others	38853.11	35713.22
TOTAL	38991.58	35852.15
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	241494.02	224952.41

III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	19947.53	9478.44
ii) From others	387519.94	350840.23
TOTAL	407467.47	360318.67
TOTAL A (I+II+III)	687953.07	621123.23
B. (I) Deposits of branches in India	661778.93	607984.90
(II) Deposits of branches outside India	26174.14	13138.33
TOTAL B (I+II)	687953.07	621123.23

SCHEDULE 4 – BORROWINGS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	0.00	0.00
ii) Other Banks	0.61	3.83
iii) Other Institutions and Agencies*	20447.87	20155.81
TOTAL	20448.48	20159.64
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	2694.40	1932.78
TOTAL (I+II)	23142.88	22092.42
Secured Borrowing included above	0.00	0.00

* Includes AT-1 Capital - Perpetual Debt Instrument of Rs. 2000 Cr (PY Rs. 2000 Cr) and Tier II Capital - Subordinated Debt of Rs. 6000 Cr (PY Rs. 7000 Cr).

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Bills Payable	1663.84	1841.95
II. Inter-Office adjustments (Net)	0.00	0.00
III. Interest Accrued	1845.99	1479.71
IV. Others (including Provisions)*	20825.53	17263.68
TOTAL (I+II+III+IV)	24335.36	20585.34

*Includes Contingent provisions against Standard Assets of Rs. 8026.39 Cr (PY Rs. 6089.48 Cr)

SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA (₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1304.15	1242.58
II. Balances with Reserve Bank of India:	31398.61	31450.15
(i) in Current Accounts	31134.61	26670.15
(ii) in Other Deposit Accounts	264.00	4780.00
TOTAL (I+II)	32702.76	32692.73

SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	25.64	70.37
b) in Other Deposit Accounts	1619.95	1605.55
TOTAL (i)	1645.59	1675.92
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	1997.06	5007.04
TOTAL (ii)	1997.06	5007.04
TOTAL I (i+ii)	3642.65	6682.96
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	743.35	693.49
ii) in Other Deposit Accounts	5084.58	10144.91
iii) Money at Call and Short Notice	3.57	2.74
TOTAL II (i+ii+iii)	5831.50	10841.14
GRAND TOTAL (I+II)	9474.15	17524.10

SCHEDULE 8 – INVESTMENTS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	217376.28	190251.41
Less : Provision for Depreciation & NPI	4203.55	3796.41
Net Investments	213172.73	186455.00
i) Government securities	180909.67	166948.40
ii) Other approved securities	52.84	99.62
iii) Shares	836.60	896.72
iv) Debentures and Bonds	16252.67	14839.78
v) Investment in Associates	1548.27	1259.73
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	13572.68	2410.75
TOTAL	213172.73	186455.00

II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2209.48	2041.97
Less : Provision for Depreciation & NPI	140.39	130.69
Net Investments	2069.09	1911.28
i) Government securities (including local authorities)	2068.87	1911.06
ii) Investments in Associates	0.00	0.00
iii) Other investments		
a) Shares	0.22	0.22
b) Debt Securities	0.00	0.00
TOTAL	2069.09	1911.28
NET GRAND TOTAL (I+II)	215241.82	188366.28

SCHEDULE 9 – ADVANCES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
A. i) Bills purchased and discounted	5886.14	2434.93
ii) Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	252022.14	210189.03
iii) Term Loans	256980.79	236669.99
TOTAL (A)	514889.07	449293.95
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	425795.50	373959.11
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	41042.06	39004.97
iii) Unsecured	48051.51	36329.87
TOTAL (B)	514889.07	449293.95
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	199112.44	170017.92
ii) Public Sector	71191.36	68741.14
iii) Banks	0.00	0.00
iv) Others	209056.19	181255.51
TOTAL (C.I)	479359.99	420014.57
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Due from Banks	22002.07	19922.99
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & discounted	2150.02	1046.80
b) Syndicated Loans	6617.88	5113.59
c) Others	4759.11	3196.00
TOTAL (C.II)	35529.08	29279.38
GRAND TOTAL (C.I+C.II)	514889.07	449293.95

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	7470.69	7463.14
Additions/Adjustments during the period	0.06	7.55
Sub-Total	7470.75	7470.69
Deductions during the period	7.77	0.00
Sub-Total	7462.98	7470.69
Depreciation to date	1584.21	1493.33
TOTAL	5878.77	5977.36
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	549.38	549.38
Additions/Adjustments during the period	0.04	0.00
Sub-Total	549.42	549.38
Deductions during the period	25.98	0.00
Sub-Total	523.44	549.38
Depreciation to date	95.14	79.70
TOTAL	428.30	469.68
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	14.98	1.21
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	5120.49	4894.59
Additions/Adjustments during the period	619.50	322.82
Sub-Total	5739.99	5217.41
Deductions during the period	69.06	96.91
Sub-Total	5670.93	5120.50
Depreciation to date	4455.36	4097.15
TOTAL	1215.57	1023.35
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	2.28	9.07
TOTAL (I+II+III+IV+V)	7539.90	7480.67

SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Inter Office Adjustment (net)	239.94	112.20
II. Interest accrued	4286.15	3443.72
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net)	2937.49	5280.66
IV. Stationery and Stamps	12.68	10.93
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	51.38	51.38
VI. Deferred Tax assets (Net)	4933.62	4445.41
VII. Others*	3399.86	4631.97
TOTAL	15861.12	17976.27
*Includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	582.10	848.25

SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	2177.15	2091.81
II. Liability for partly paid Investments	281.95	388.96
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	279768.99	328152.70
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	29491.56	28971.51
b) Outside India	198.57	193.49
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	9081.76	9758.18
VI. Other items for which the bank is contingently liable	13331.19	11813.56
TOTAL	334331.17	381370.21

*Contingent Liability has been considered net of margin.

SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Interest/Discount on Advances/Bills	40618.85	31941.15
II. Income on Investments	13434.82	11690.08
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	1388.15	877.74
IV. Others	207.91	476.19
TOTAL	55649.73	44985.16

SCHEDULE 14 – OTHER INCOME

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Commission, Exchange and Brokerage	1638.08	1564.27
II. Profit on sale of Investments	1018.84	554.32
Less: Loss on sale of Investments	148.23	171.24
Net	870.61	383.08
III. Profit on Revaluation of Investments	446.58	0.00
Less: Loss on Revaluation of Investments	0.00	86.99
Net	446.58	-86.99
IV. Profit on sale of Land, Buildings and other assets*	2.82	1.99
Less: Loss on sale of Land, Buildings and other assets*	4.73	1.82
Net	-1.91	0.17
V. Profit on Exchange transactions (Net)	451.51	1008.61
VI. Lease finance/ Hire Purchase income	0.00	0.02
VII. Miscellaneous Income	5177.08	4935.34
TOTAL	8581.95	7804.50

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Interest on deposits	30491.12	23182.27
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	330.78	616.17
III. Others	1518.86	918.85
TOTAL	32340.76	24717.29

SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2024	Y. E. 31.03.2023
I. Payments to and provisions for employees	9319.90	7578.88
II. Rent, Taxes and Lighting	640.02	625.93
III. Printing and Stationery	89.16	100.61
IV. Advertisement and Publicity	31.99	94.35
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	531.14	532.37
(b) Depreciation on Leased Assets	0.00	0.02
VI. Directors' fees, allowances and expenses	2.16	1.53
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	49.06	52.58
VIII. Law charges	21.68	22.78
IX. Postage, Telegrams and Telephones	110.60	97.72
X. Repairs and Maintenance	252.83	195.34
XI. Insurance	874.01	813.56
XII. Other Expenditure	3030.25	2609.09
TOTAL	14952.80	12724.76

SCHEDULE-17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

- a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries, its Joint Ventures) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd., (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd., (3) Indbank Global Support Services Ltd., its Joint Venture viz. (1) Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., (2) ASREC (India) Limited after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments except wherever otherwise stated in accordance with accounting standard 27 "Financial Reporting of interest in joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial

statements of the subsidiaries and Joint Ventures are drawn up to the same reporting date of the parent.

- b. The Subsidiaries, Joint Ventures and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
- c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post-acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.
- d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
- e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE: PARENT:

- 4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

- a) Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of

India (FEDAI).

- b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- c) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- d) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- e) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations:

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

5.1 PARENT:

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to

be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e.

Book value).

- c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:

- i. Central Government Securities and State Govt. Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL).
- ii. Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA/ FBIL periodically.
- iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
- iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
- v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

- vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
- vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) / Alternate Investment Fund (AIF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

- a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- c) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1 per company.

- d) Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non-Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- e) Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
- 5.1.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 5.1.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored
- 5.1.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 5.1.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.
- 5.1.9 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.
- 5.1.10 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:
All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations,

Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (ii) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 – 'Advances' under the following heads:
- i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
 - ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
 - iii. C.(i).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company

has reckoned diminution in value of shares / debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd.

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

5.4 Indbank Global Support Services Ltd.

Investments are classified into current and long-term investments. Investments that are readily realizable and intended to be held for not more than a year from the date of acquisition are classified as current investments. All other investments are classified as long-term investments. However, that part of long-term investments which are expected to be realized within twelve months from Balance Sheet date is also presented under "Current Investments" under "Current portion of long-term investments" in consonance with the current/non-current classification of Schedule III of the Act. The cost of an investment includes acquisition charges such as brokerage, fees, and duties.

Current investments are stated at the lower of cost or fair value. The comparison of cost and fair value is done separately in respect of each category of investments. Long-term investments are stated at cost less provision for diminution. Provision for diminution in the value of long-term investments is made only if such a decline is other than temporary in the opinion of the management. Reversal of such provision for diminution is made when there is a rise in the value of long-term investments, or if the reasons for the decline no longer exist.

On disposal of an investment, the difference between it carrying amount and net disposal proceeds is recognized in the Statement of Profit and Loss.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION

COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

PARENT:

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April 01, 2017, provisioning requirement on SRs will be higher of

(i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7. ADVANCES

PARENT:

7.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.2 Provisions are made for non-performing advances as under:

- a) Sub Standard:
- i) A general provision of 15% on the total outstanding
 - ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)
- b) Doubtful category-1
- i) 25 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
- c) Doubtful Category – 2
- i) 40 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
- e) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ECGC/CGTMSE claims received and held pending adjustment,

repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT:

8.1.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

8.1.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

8.1.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine etc.	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes / Locker / Doors (Steel): 20 years

		Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year Gold Purity Testing Machine: 7 years
--	--	---

8.1.4 In respect of assets sold / acquired during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use / from the Date of capitalization during the year.

8.1.5 Assets costing upto Rs. 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

8.1.6 The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relating to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

8.1.7 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

8.1.8 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.9 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.10 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd :

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for

the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

8.3 Indbank Housing Ltd. :

Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

8.4 Indbank Global Support Services Ltd

Tangible Assets

Tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the purchase price. The cost of an item of PPE is recognized as an asset if, and only if, it is probable that the economic benefits

associated with the item will flow to the Company in future periods and the cost of the item can be measured reliably. Expenditure incurred after the PPE have been put into operations, such as repair and maintenance expenses are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.

The residual value and estimated useful life of the Property, Plant and Equipment are reviewed at the end of each financial year.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of Property, Plant and Equipment are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognized as income or expense in the Statement of Profit and Loss.

A fixed asset register is maintained to record and track fixed assets owned by the company. Inspections are carried out on an annual basis to ascertain the health of the fixed assets.

Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Intangible assets arising on acquisition of business are measured at fair value as at date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any. Profit or Loss on disposal of intangible assets is recognized in the Statement of Profit and Loss.

Capital Work in Progress

Cost of Assets not ready for intended use, as on the balance sheet date, is shown as capital work in progress. If the asset is put to use, then the asset is recognized as per Accounting Standards (AS 10) for Property, Plant & Equipment.

Depreciation

Depreciation on all assets is provided pro-rata to the period of use, under Straight Line Method, at rates prescribed in Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013. Intangible assets are amortized over their respective individual estimated useful lives (not exceeding five years) on a straight-line basis, commencing from the date the asset is available for its intended use.

The useful life of fixed assets, as estimated by the management is same as per the Part C of the Schedule II to the Act.

The method of depreciation applied to an asset is reviewed at the end of the financial year. In case of any significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method is changed to reflect the changed pattern. The change is accounted for as a change in an accounting estimate.

9. REVENUE RECOGNITION

9.1 PARENT :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis. Commission / Fees Income earned on sale of PSLCs are accounted on accrual basis and recognized proportionately during the quarter over the remaining period of PSLCs.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

- Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.
- Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars.

- c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contracts.
- d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.
- e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.
- f. Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 Indbank Housing Ltd:

- a) The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets.
- b) Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

9.4 Indbank Global Support Services Ltd:

Revenue is recognized as per Accounting Standard – 9 "Revenue Recognition".

- a. Revenue is recognized only when it can be reliably measured and it is reasonable to expect ultimate collection & Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- b. Interest Income is recognized on time proportion basis considering the amount outstanding and rate applicable

10. CREDIT CARD REWARD POINT

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

12.1 PARENT:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

- a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank

pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

12.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

12.3 Ind Bank Housing Ltd.:

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

12.4 Indbank Global Support Services Ltd

Employee Benefits

Short-term employee benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months from end of financial year in which service is rendered are classified as short-term employee benefits and they are recognized in the period in which the employee renders the related service. The Company recognizes the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for services rendered as a liability (accrued expense) after deducting any amount already paid.

Post-Employment Benefits

Defined contribution plans are Employees State Insurance Scheme and Government administered pension fund scheme for all applicable employees and superannuation scheme for eligible employees. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss in the financial year to which they relate.

Leave Encashment

Leave encashment benefits are paid / provided in its entirety in the accounts for the year.

Provident Fund

Provision for provident fund has been provided for since "The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1972" is applicable to the Company.

Gratuity

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided based on an actuarial valuation which has been carried out using the Projected Unit Credit Method as per AS-15 to determine the Present Value of Defined Benefit Obligations and the related Current Service Cost and, where applicable, Past Service Cost made at the end of each financial year. The valuations do not affect the ultimate cost of the plan, only the timing of when the benefit costs are recognized. Actuarial gain/loss are immediately taken to Statement of Profit & Loss and are not deferred.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of

RBI.

- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2023-24)

1. SUBSIDIARIES:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	11/08/1989	64.84%	Brahmayya & Co	13/09/2023
b	Ind Bank Housing Ltd	India	28/01/1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	20/09/2023
c	Indbank Global Support Services Ltd	India	09/02/2024	100.00%	To be appointed by C & AG	NA

2. ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35 %
b	Saptagiri Grameena Bank	35 %
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35 %

3. Accounting for Investment in Joint Ventures (As 27)

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26 %	37.50

4. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

- a) Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2024. except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- b) In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2024, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 263.79 Crore (Rs 35.78 Crore during the year 2023-24)
- c) Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- d) Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.
- e) Dividend of Rs. 12.00 per equity share i.e. 120% to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2023-24.

5. FIXED ASSETS

PARENT:

5.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2021-22 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs. 599.48 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account." For the year 2023-24, depreciation amounting to Rs. 105.56 Crore (previous year Rs. 110.87 Crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 98.79 Crore (previous year Rs. 104.12 Crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve Account.". Also Rs. 7.50 Crore was transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve on account of Sale of Premises. As per AS 10, depreciation on revalued assets amounting to Rs. 104.12 Crore was also charged under expenditure for the year 2022-23. The same was adjusted against revaluation reserve to the credit of Revenue Reserve account.

5.2 Registration formalities are yet to be completed for the following properties: -

Premises include 9 (7+2*) properties original costing Rs. 8.38 crores having revalued book value of Rs. 63.71 crores (Previous year Rs. 65.98 Crore), net of depreciation of Rs.0.44 Crore (Previous year Rs.0.76 crore) for which registration formalities are pending

*Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority at Govt of Telangana for regularization where interim stay has been granted by DRAT and at Chennai costing Rs.2.32 Crore, where interim stay has been granted by DRT.

5.3 Draw Down from Reserves:

(Amount ₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2023-24	2022-23	
Revaluation Reserve	106.29	104.12	Depreciation on revalued portion on Premises

*For the year 2023-24, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of Accounting Standards 10.

6. COVID 19 Measures

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in declined economic activity and increased volatility in financial markets. In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is gearing itself on all fronts to meet the same. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments, which are highly uncertain. Major challenges for the Bank would be from extended working capital cycle and reduced cash flows. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank during this period.

7. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

Consolidated Cash Flow statement for the Year ended Mar 31, 2024

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2024	31.03.2023
Net Profit as per Profit and Loss Account before minority Interest	8422.52	5573.52
Adjustments for :		
Provision for NPA	3652.87	6516.22
Provision for Investment	(377.77)	492.15
Provision for Standard Assets	1936.53	2294.68
Provision for Tax	2914.51	659.47
Other Provisions and Contingencies	236.25	141.60
Depreciation on Fixed Assets	531.14	532.39
Interest on Capital Instrument	710.85	733.88
Loss/(profit) on sale of land and buildings	1.91	(0.16)
Income taxes paid	(889.50)	(13.60)
Profit before working Capital Changes	17139.31	16930.15
(Increase)/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(26528.35)	(12356.81)
(Increase) / Decrease in Advances	(69247.99)	(66714.84)
(Increase) / Decrease in Other Assets	3004.65	2778.95
	(92771.69)	(76292.70)
Increase/(Decrease) in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	66829.84	27552.35
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	2050.46	4874.89
Increase/(Decrease) in Other liabilities	(1865.18)	(958.68)
	67015.12	31468.56
Net cash generated from Operations (A)	(8617.26)	(27893.99)
Cash flow from Investing activities		
Purchase of fixed assets	(626.58)	(334.36)
Sale of fixed assets	8.87	20.38
Net cash generated from Investing Activities (B)	(617.71)	(313.98)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(1071.08)	(809.54)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2024	31.03.2023
Redemption of Tier-2 Bonds	(1000.00)	0.00
Interest on Capital Instrument	(733.88)	(733.88)
Equity Capital issued during the period (incl. Share premium)	4000.00	0.00
Net cash generated from financing activities (C)	1195.04	(1543.42)
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	(8039.92)	(29751.39)
Cash and cash equivalents at the beginning of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1242.58	1962.45
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	26670.15	22092.01
(b) in other deposit accounts	4780.00	34500.20
Balances with Banks		
(a) in current accounts	70.37	30.64
(b) in other deposit accounts	1605.55	1413.81
Money at Call and short notice with Banks	5007.04	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	693.49	503.98
(b) in other deposit accounts	10144.91	19453.09
Money at call and short notice	2.74	12.04
	50216.83	79968.22
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1304.15	1242.58
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	31134.61	26670.15
(b) in other deposit accounts	264.00	4780.00
Balances with Banks		
(a) in current accounts	25.64	70.37
(b) in other deposit accounts	1619.95	1605.55
Money at Call and short notice with Banks	1997.06	5007.04
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	743.35	693.49
(b) in other deposit accounts	5084.58	10144.91
Money at call and short notice	3.57	2.74
	42176.91	50216.83
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	(8039.92)	(29751.39)

Note: The Cash flow Statement for the year ended 31st March 2024 has been prepared by Indirect method.

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

8.1 PARENT:

8.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2023-24, the Bank has contributed ₹ 1.07 crores (previous year ₹ 0.91 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2023-24, the Bank has contributed 353.34 crores (previous year ₹ 288.87 crores).

8.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2024	31/03/2023
Discount Rate-G-Sec Rate	7.21% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	7.48% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	7.88% for Pension and 7.89% for Gratuity	7.69% for Pension and 7.83% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The liabilities of leave encashment are unfunded.

(Amount ₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
PVO as at the beginning of the year	17913.66	16546.73	1796.90	1783.68	1189.46	1004.75
Interest Cost	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
Current service cost	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02

Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
Actuarial loss / (gain) on obligation	1010.11	1689.97	139.12	63.18	328.14	187.82
PVO as at the end of the year	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46

(Amount ₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS – RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	17282.98	15893.63	1764.27	1802.75	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
Contributions	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
Benefits paid	-1837.66	-1733.82	-201.27	-250.89	-279.14	-274.21
Actuarial gain/(loss) on plan assets	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Expected return on plan assets	1398.59	1227.56	139.89	134.35	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1408.52	1240.84	141.19	135.24	0.00	0.00

(Amount ₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Actuarial gain / (loss) for the year – Obligation	-1010.11	-1689.97	-139.12	-63.18	-328.14	-187.82
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year – Plan Assets	9.93	13.28	1.30	0.89	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year – Obligation	-1000.18	-1676.69	-137.82	-62.29	-328.14	-187.82

(Amount ₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Present value of the obligation	19780.93	17913.66	2005.26	1796.90	1580.19	1189.46
Fair value of plan assets	19070.08	17273.26	1940.98	1764.29	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	1580.19	1189.46

*Provision on account of change in family pension rules is included

(Amount ₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Current service cost	1471.19	270.86	148.04	80.38	258.22	208.02
Interest Cost	1223.63	1139.92	122.47	120.55	83.51	63.08
Expected return on plan assets	-1398.59	-1227.56	-139.89	-134.35	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	990.46	1676.69	137.84	62.29	328.14	187.82
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	2286.69	1859.91	268.46	128.87	669.87	458.92

(Amount ₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Opening net liability	-640.40	-653.10	-32.61	19.07	-1189.46	-1004.75
Expense as above	-2286.69	-1859.91	-268.46	-128.87	-669.87	-458.92
Contribution paid	2216.24	1872.61	236.79	77.19	279.14	274.21
Closing net liability	-710.85	-640.40	-64.28	-32.61	-1580.19	-1189.46

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2019-24 - Pension	Year ended					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Present Value of obligation	6520.32	6801.96	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93
Plan Assets	6418.93	6697.41	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08
Surplus/ (Deficit)	-101.39	-104.55	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-335.65	-449.25	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-8.58	13.32	-193.89	12.57	13.28	9.93

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2019-24 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Present Value of obligation	923.85	928.98	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26
Plan Assets	910.66	896.40	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98
Surplus/ (Deficit)	-13.19	-32.58	49.04	19.07	-32.61	-64.28
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	-2.11	-61.22	23.06	-30.26	-63.18	-139.12
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	-0.38	2.71	14.15	6.41	0.89	1.30

(Amount ₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2019-24 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Present Value of obligation	188.21	210.29	977.42	1004.75	1189.46	1580.19
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	-188.21	-210.29	-977.42	-1004.75	-1189.46	-1580.19
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	7.58	17.71	7.62	-77.35	-187.82	-328.14
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2023-24		2022-23	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	23.43%	29.29%	21.62%	23.35%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	17.33%	15.64%	13.02%	12.88%
Special Deposit Scheme	0.05%	0.06%	0.04%	0.04%
Funds managed by Insurer	58.67%	54.48%	65.12%	63.53%

Equity and Mutual Funds	0.52%	0.53%	0.20%	0.20%
Money Market	-	-	-	-
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

i Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 41.96 crore (previous year ₹ 73.65 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year :

(Amount ₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2024	31/03/2023
1.	Sick Leave	4.55	2.54
2.	Casual Leave	0.97	-0.03
3.	Leave Travel Concession	36.44	71.14
Total		41.96	73.65

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2023-24	2022-23	2021-22
Employer's contribution to Provident Fund	6049835	5664782	4763140

Defined Benefit Plan

i) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Defined benefit obligation at the beginning of the year	21136893	18226005	14094025	12466073
Current service cost	1582039	1428967	577123	520230
Interest cost	1571745	1255129	1004217	844869
Actuarial (gain)/ loss	1878272	1382131	1183018	1021357
Benefits paid	(852212)	(539866)	(936581)	(758504)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	25316737	21752366	15921802	14094025

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2023-24	2022-23
Fair value of plan assets at the beginning of the year	21136893	18885757
Expected return on plan assets	1674547	1363214
Contributions	4020679	1773034
Actuarial (gain)/ loss	73982	(345246)
Benefits paid	(852212)	(539866)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	26053889	21136893
Actual return on plan assets	1804290	1727377

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Fair value of plan assets	26053889	21136893	-	-
Present value of obligation	25316737	21752366	15921801	14094025
Amount recognized in Balance Sheet	737152	(615473)	(15921801)	(14094025)

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Current Service Cost	1582039	1428967	577123	520230
Interest Cost	1571745	1255129	1004217	844869
Expected return on plan assets	(1674547)	(1363214)	-	-
Actuarial (gain) / loss	1804290	1727377	1183018	1021357
Net Cost	3283527	3048259	2764358	2386456

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Mortality Table (LIC)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)	2012-14 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.00%	6.99%	7.00%	7.37%
Expected rate of return (per annum)	7.00%	6.99%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.40.44 Lakhs (previous year- Rs.25.01 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2023-24.

8.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

		(Amount in ₹)
1	Total past service gratuity	NIL
2	Actuarial value past service gratuity	NIL
3	Gratuity Fund with LIC	NIL
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	NIL
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	NA

8.2.3 INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LIMITED:

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

		(Amount in ₹)
1	Total past service gratuity	NIL
2	Actuarial value past service gratuity	NIL
3	Gratuity Fund with LIC	NIL
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	NIL
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	NA

9 SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

9.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

* Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT.REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking -

(i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.

(ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business -

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

9.2 Consolidated Segment Information

(Amount ₹ in Crore)

Part A Business Segment	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Revenue	15616.08	13781.49	22165.82	18223.54	24927.68	19474.98	0.18	0.00	24927.50	19474.98	1522.10	1309.65	64231.68	52789.66
Result	5658.69	5673.24	5046.07	4468.80	5545.69	4702.20	(0.27)	(0.25)	5545.96	4702.45	687.67	503.37	1693812	15347.61
Unallocated expenses													5894.46	9357.66
Operating profit													11043.66	5989.95
Minority interest													3.11	1.21
Other unallocable income													293.37	243.04
Income Taxes													2914.51	659.47
Exceptional item													0.00	0.00
Net Profit													8419.41	5572.31
Other information														
Segment Assets	23383917	21881392	25962022	23290823	29132465	24908962	9.88	0.93	291314.77	249088.69	3053.67	2796.14	787837.71	703607.91
Unallocated assets													7871.11	9726.09
Total assets													795708.82	713334.00
Segment Liabilities	216613.46	204039.68	240495.35	21782.35	269864.28	232271.18	10.15	1.18	269854.13	232270.00	1229.62	1299.20	728202.71	654792.41
Unallocated liabilities													7257.91	9034.77
Capital reserves & Surplus													60248.20	49506.82
Total liabilities													795708.82	713334.00

Part B Geographic Segment	Domestic		International		Total	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Revenue	62168.23	51747.97	2063.45	1041.69	64231.68	52789.66
Assets	756854.91	681713.03	38853.91	31620.97	795708.82	713334.00

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

10. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

10.1 PARENT:

10.1.1 SUBSIDIARIES:

SI No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	11/08/1989	64.84%	Brahmayya & Co,	13/09/2023
b	Ind Bank Housing Ltd.	India	28/01/1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	20/09/2023
c	Indbank Global Support Services Limited	India	09/02/2024	100.00%	Statutory auditor yet to be appointed by C & AG	NA

10.1.2 ASSOCIATES:

SI. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35 %
b	Saptagiri Grameena Bank	35 %
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35 %

10.1.3 Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs in crore)
Universal Somp General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26 %	37.50

10.1.4 Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment
Shri Shanti Lal Jain	Managing Director & Chief Executive Officer	01.09.2021
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	21.11.2022
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024

10.1.5 The details of cessation of directorship during FY 2023-24 are as under:

SI. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Ashwani Kumar	Executive Director	01.06.2023	Elevation as MD & CEO of UCO Bank
2.	Shri Imran Amin Siddiqui	Executive Director	10.03.2024	Completion of term of appointment

3.	Dr. Aditya Gaiha	RBI Nominee Director	14.07.2023	GOI Notification No. eF.No.6 /3/2011-BO.I dated 14.07.2023
4.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	07.02.2024	Completion of term of appointment

10.1.6 Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Ms. Papia Sengupta	Shareholder Director	200
2	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	205

10.1.7 Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹232.60 lakhs (Previous- Year ₹135.84 lakhs)

Details	2023-24	2022-23
Shri Shanti Lal Jain MD& CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 31.03.2024)	₹47.53 lakhs	₹40.74 lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 10.03.2024)	₹67.30 lakhs\$	₹36.53 lakhs
Shri Ashwani Kumar, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 01.06.2023)	₹15.12 lakhs#	₹47.23 lakhs*
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2023 to 31.03.2024)	₹35.17 lakhs	₹11.34 lakhs
Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director Salary & Emoluments Paid (03.05.2023 to 31.03.2024)	₹45.82 lakhs	--
Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (09.10.2023 to 31.03.2024)	₹19.70 lakhs	--
Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (10.03.2024 to 31.03.2024)	₹1.96 lakhs	--

11.*Including House Rent Allowance of ₹12.32 lakhs

12.\$ Including PI encashment of ₹ 30.00 Lakhs

13.# including PLI and Other allowances

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

(Amount ₹ in Lakhs)

Name	Designation		2023-24
Mr. V Haribabu	President & Whole Time Director	Salary	24.58
		Contribution to PF	1.31
Mr. Tausif Inamdar	Vice President & CFO	Salary	17.24
		Contribution to PF	1.39
Mrs. Chitra M A	Company Secretary & Compliance Officer	Salary	12.17
		Contribution to PF	1.28
Sitting Fees paid to Non - Whole Time Independent Directors			6.35

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

10.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Key Managerial persons	
Mr. V.Haribabu	Managing Director
Aakanchha Vyas	Company Secretary & Compliance Officer – Resigned on 27.12.2023
La. Harene	Chief Financial Officer
S. Krishnan	Company Secretary & Compliance Officer – Appointed on 22.03.2024

Transactions with related parties requiring disclosure as per the relevant accounting standard.

(Amount ₹ in Lakhs)

Transaction/ Balance	FY 2023-24	FY 2022-23
Remuneration given to KMP:		
Aakanchha Vyas	4.44	6.00
La Harene	19.93	8.74
S.Krishnan	0.41	0.00
Staff Advances given to KMP:		
La Harene	0.97	0.76
Repayment of Staff Advances by KMP	0.39	0.53
Closing Balance: Staff Advance given to KMP:		
La Harene	0.58	0.23
Rent Advance given to KMP:		
La Harene	1.38	1.40

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from the company (Ind Bank Housing Limited) as per the service regulations of Indian Bank.

Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

10.2.3 Indbank Global Support Services Limited

Key Managerial Personnel & Managerial Remuneration:

(Amount ₹ in Lakhs)

Name	Designation		2023-24
Mr. Kanhaiyalal Agarwal	MD & CEO	Salary	7.68
		Employer Contribution to PF	0.49

11. LEASE (AS 19)

11.1 PARENT

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs.426.22 Crore. (Previous year Rs.399.08 Cr).
- Finance Lease

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges				
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(Amount ₹ in Lakhs)

Details	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
Lease payments for the year	21.49	24.40
Minimum Lease payments: Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12 EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2023-24	2022-23
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	8419.41	5572.31
Number of Equity Shares	1346963981	1245441139
Weighted Number of equity shares	1275121314	1245441139
Basic Earning Per Share (in ₹)	66.03	44.74
Diluted Earning Per Share (in ₹)	66.03	44.74
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. And unaudited financial statements of newly incorporated wholly owned subsidiary (3) Indbank Global Support Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2024 includes ₹293.37 crores being share of the unaudited profit of 3 Associates viz, M/s Pudukkottai Bharathiar Grama Bank, M/s Sapthagiri Grameena Bank and M/s Tamilnadu Grama Bank, and ₹66.52 Crores being the share in unaudited profit of two joint ventures viz. 1) Universal Sampo General Insurance Company Ltd. and 2) ASREC (India) Ltd

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

a. Current Tax: Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs. 3357.18 Crore including provision for tax relating to earlier years made in the current year amounts to Rs. 8.26 Crores. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs. 18.08 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.

- b. Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs. 4921.62 Crore (Previous year net DTA of Rs 4434.56 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs. 1116.56 Crore (Previous year Rs. 1025.40 Crore) and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs. 6038.18 Crore (Previous Year Rs. 5459.96 Crore). The major components of DTA and DTL (including foreign branches) is given below:

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2024	31.03.2023
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	376.55	275.43
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	131.17	122.57
3	Provision for Gratuity	0.04	0.04
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3864.41
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	1569.60	1094.72
6	Depreciation on Fixed Assets	96.41	102.79
	Total DTA	6038.18	5459.96
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	44.40
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	704.90	613.74
	Total DTL	1116.56	1025.40
	Net DTA/(DTL)	4921.62	4434.56

- c. Provision for Income Tax for the year:**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Provision for Taxation-Global (Income tax including Deferred Tax)	2888.20	632.71

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2024 was Rs. 3953.36 crore (previous year 3953.36 Crore). The same has also been included under contingent liabilities relating to Income Tax of Rs 9761.82 Crore (previous year Rs. 8846.59 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2024. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) The major components of deferred tax asset/liability are as below:

(Amount in ₹)

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2024		As on 31.03.2023	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		8975695		9112839
ii) Provision for Bad debts and NPAs	19880927		29001415	
iii) Others	4133582		3851703	
Total	24014509	8975695	32853118	9112839
NET DTA / (DTL)	15038814		23740279	

- b) A net provision of Rs.178 lakhs for tax has been made in the year.
- c) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.
- d) The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.87.01 lakhs (Previous year- Rs. 67.08 lakhs) which has been charged to profit & loss account.
- e) Prior period taxes : Nil

14.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.
- b. The Income Tax Department has sent a demand notice for 4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognized as income. The Company has contested the demand before the Hon'ble Madras High Court and the judgment is issued in favour of the company on 29.11.2021. Income Tax department has not gone for any appeal. IBHL through their Tax consultant submitted a letter dated 17.04.2023 to Income Tax department for giving effect order. Awaiting response from Income Tax Department.

14.2.3 INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LTD: Nil

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24-DISCONTINUED OPERATIONS

15.1. SUBSIDIARY COMPANIES:

15.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF. The Company is now governed only by SEBI regulations.

16. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Somp General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26%	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particular	31.03.2024	31.03.2023
Liabilities		
Capital & Reserves	496.03	437.90
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	11.40	19.38
Other Liabilities & Provisions	1211.02	1271.32
TOTAL	1718.45	1728.60
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.01	0.10
Balances with Banks and money at call and short notice	33.95	54.81
Investments	1393.41	1337.92
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	21.08	18.07
Other Assets	270.00	317.70
TOTAL	1718.45	1728.60
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	63.65	46.76
Income		
Interest earned	6.42	5.99
Other Income	731.00	695.48
TOTAL	737.42	701.47
Expenditure		
Interest expended	1.81	1.81
Operating expenses	645.43	620.43
Provisions & Contingencies	29.58	25.46
TOTAL	676.82	645.90
Profit	60.60	53.77

17. Impairment of Assets (AS-28):

PARENT

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28—"Impairment of Assets" applies.

18. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

PARENT

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2023	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2024
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	217.68	6.22	0.26	223.64

19. BANCASSURANCE BUSINESS

19.1 PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs. 163.21 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds (previous year Rs. 136.35 Crore).

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2023-24	2022-23
1	For Selling Life Insurance Policies	127.03	100.37
2	For selling Non-life insurance policies	32.17	29.42
3	Others – For selling Mutual Fund Products	4.01	6.56
	Total	163.21	136.35

19.2. SUBSIDIARY COMPANIES:

19.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

(Amount ₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2023-24	2022-23
1	For Selling Life Insurance Policies	NIL	NIL
2	For selling Non-life insurance policies	NIL	NIL
3	From Selling of Health Insurance policies	NIL	NIL
4	Others – For selling Mutual Fund Products	NIL	NIL
5	Others – For mobilizing leads of Bank's Home Loan Products	0.02	0.09
	Total	0.02	0.09

20. Legal

PARENT

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communication Ltd, Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claim aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank during FY 2011-12.

In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made during FY 2012-13 with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay. The said remittance of Rs. 100 Crore was made by the Bank has been adjusted during the year by debiting the current account and FD account (Rs. 84.09 Crore) of M/s Nimbus Communication Ltd leaving O/s balance as on 31.03.2024 of Rs. 15.94 Crore.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having total provision of Rs. 31.26 Crore (previous year Rs. 31.26 Crore).

21. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

- a) Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.
- b) In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.
- c) As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Indian Bank** (hereinafter referred to as "Parent/Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the consolidated Statement of Profit and Loss, the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") which includes:-

- a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank audited by us;
- b) Audited Financial Statements of 2 Subsidiaries audited by other Auditors; and
- c) Un-audited Financial Statements/ Financial Information of 1 Subsidiary, 3 Associates and 2 Joint Ventures as furnished by the respective managements.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on Separate Financial Statements and other financial information of Subsidiaries and the unaudited Separate Financial Statements and other financial information of Joint Venture and Associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the Act), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the group, its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2024;
- b. true balance of Profit of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of the cash flows of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

3. Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	In respect of Bank	
1.	<p>Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances</p> <p>The net advances of the Bank constitute 64.96% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements.</p> <p>The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets.</p> <p>Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision.</p> <p>The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.</p> <p>Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.</p>	<p>Tests of control</p> <p>Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports).</p> <p>Substantive tests</p> <p>A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.

<p>2. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade. • Investments constitute 26.82% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. • The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. <p>Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.
---	---

4. Other Matter

- (a) We did not audit the financial statements / information of 1805 branches (including 3 foreign branches) included in the Consolidated financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,53,565.70 crores as at 31st March 2024 and total revenue of Rs. 18,185.76 crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements. These branches cover 39.34% of advances, 44.71% of deposits and 43.04% of Non-performing assets as at 31st March 2024 and 28.65% of revenue for the year ended 31st March 2024. This financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- (b) We did not audit the financial statements / financial information of Two (02) subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 80.80 crores as at March 31, 2024, total revenues of Rs. 22.73 crores for the year ended on that date and net cash inflow of Rs. 4.13 crores for the year ended on

that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors.

- (c) We did not audit the financial statements / financial information of One (01) subsidiary, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 0.04 crores as at March 31, 2024, total revenues of Rs. NIL crores for the year ended on that date and net cash flow of Rs. NIL for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. We did not audit the financial statements / financial information of Three (03) associates whose financial statements / financial information include the Group's share of net profit of Rs. 293.37 crores for the year ended March 31, 2024, as considered in the Consolidated Financial Statements. We did not audit the financial statements of Two (02) Joint Ventures whose financial statements reflect groups share of total assets of Rs. 1717.73 crore as at March 31, 2024, groups share of total revenues of Rs. 736.86 crore for the year ended on that date and Group's share of Net Profit of Rs. 66.52 crores, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / information have been unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Joint ventures, is based solely on such unaudited financial statements / financial information certified by the Management. In our opinion, and according to the information given to us by the management, these financial statements are not material to the group.
- (d) Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited Financial Statements/financial information certified by the Management.

5. Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon and Report on Corporate Governance is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance

6. Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of respective Acts and applicable guidelines for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, respective Board of Directors of the Group Entities and its associates and joint ventures are responsible for assessing the respective Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors of the Group Entities and its associates and joint ventures are also responsible for overseeing the respective Entity's financial reporting process.

7. Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of Bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

8. The Consolidated Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2023 were audited by the joint auditors, two of whom are predecessor audit firms and they had expressed unmodified opinion on such Consolidated Financial Statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow of the Bank have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 4, 6 & 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Group; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under :

- a) proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- f) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank. On the basis of the Reports of the Statutory Auditors of Subsidiaries, none of the directors of the subsidiaries are disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director of the subsidiaries in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- h) As per para 1.14 of the Technical Guide on Audit of Internal Financial Controls in Case of Public Sector Banks issued by ICAI, the reporting requirement as introduced by RBI regarding Internal Financial Control over Financial Reporting will apply only to standalone financial statements of Public Sector Banks (PSBs) and not to consolidated Financial Statements of PSBs. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2024.

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 006085N

CHETAN THAKKAR
Partner
(M. No. 114196)
UDIN: 24114196BKAIQR4873

For KAILASH CHAND JAIN & CO
Chartered Accountants
FRN: 112318W

SANDEEP K JAIN
Partner
(M. No. 110713)
UDIN: 24110713BKGFCE5182

For S SINGHAL & CO
Chartered Accountants
FRN: 001526C

NATWAR SARDA
Partner
(M. No. 076070)
UDIN: 24076070BKBFZA8860

For G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 000376S/S200073

R. RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 24026819BKBOVG5284

For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 000112N

BHANU PREET KAUR
Partner
(M. No. 421517)
UDIN: 24421517BKEUDI2686


Place of Signature: Chennai
Date of Report: 06th May 2024

Disclosures under Basel III Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations dated May 12, 2023, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website **www.indianbank.in** under the following link:

<https://www.indianbank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>



**IB i-Freedom
Current Account**

SHG

**IND Sampoorna
Salary Package**

**IND
GURUDEV**

**Supply
Chain
Finance**

**PENSION
PRIME**

**IND DIGI
AGRI
JEWEL LOAN**

**IND DIGI
HOME LOAN**

**IND GST
Advantage**

**IND DIGI
VEHICLE LOAN**



हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है। / we are proud to be associated with



इंडियन बैंक  Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office:
254-260, अव्वै शण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014.



1800 425 000 00 |  www.indianbank.in | Follow us on:     